(शासकीय प्रयोगार्थ)

भाग–2

उच्च शिक्षा संदर्शिका

NUEPA DC
D14294

उच्च शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

प्रकाशन वर्ष : 2012

आभार

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) भारत सरकार
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) तथा
उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय, देहरादून।

378
UTT.2-01

संकलन : डा0 सतपाल सिंह साहनी,
सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा,
शिविर कार्यालय, देहरादून
टंकण : कु0 स्वाती

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14294
Date: 19-6-2013
Documentation Centre

संदर्शिका में प्रकाशित सूचनाएँ व समंक निरन्तर परिवर्तनशील हैं। इन सूचनाओं व समंको का उपयोग करने से पूर्व इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। प्रकाशन का प्रथम प्रयास होने के कारण संदर्शिका में मुद्रण एवं प्रकाशन की त्रुटियाँ व कमियाँ होना संभावित है। संदर्शिका में वांछित सुधार के लिए मूल्यवान सुझाव आमांन्त्रित हैं।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राजकीय मुद्रणालय, रुड़की से मुद्रित।

अनुक्रमणिका

भाग–1

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	
2.	प्रदेश में उच्च शिक्षा का परिदृश्य।	1–5
3.	उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालयों की प्रास्थिति।	6–7
4.	राजकीय महाविद्यालयों की प्रास्थिति।	8–11
5.	उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दूरभाष व ई–मेल।	12
6.	विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के दूरभाष, ई–मेल व बेवसाइट।	13–21
7.	उच्च शिक्षा से संबंधित अखिल भारतीय निकाय।	22–23
8.	सरकारी कार्यप्रणाली व व्यवहार।	24–32
9.	वित्त विभाग के कतिपय महत्वपूर्ण शासनादेशों की सूची।	33–37

भाग–2

उच्च शिक्षा से संबंधित नीतिगत शासनादेश

(क) महाविद्यालयों की स्थापना, सम्बद्धता, क्लीरेंस, उच्चीकरण व नये विषयों का प्रारम्भ

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 4557/15–62 (11)–3 (30)/80 दिनांक 14 मार्च 1984	1–5
2.	नये महाविद्यालय के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 2992/15–11–86–3 (30)/80 दिनांक 17 जुलाई 1986	6–8
3.	राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु आगणनों का मानकीकरण	संख्या 1052/15–17–97–118/96 दिनांक 19 मार्च 1997	9–10
4.	महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक इमारतों एवं संस्थाओं का व्यक्ति विशेष के ऊपर नामकरण किया जाना	संख्या 280/15–17–97–40 (36)/96 दिनांक 21 मई 1997	11
5.	वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विषयों में प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता के विस्तरण हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 3940–ए/सत्तर–2–99–2(131)/99 दिनांक 30 सितम्बर 1999	12

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
6.	उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रकिया का निर्धारण	संख्या 862/सत्तर–2–2002–2(163)/99 दिनांक 13 मार्च 2000	13--14
7.	नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 1731/सत्तर–2–2000–2 (213)/99 दिनांक 27 मार्च 2000	115
8.	नये महाविद्यालयों में एल.एल.बी. पाठ्यकम प्रारम्भ किये जाने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 31/सत्तर–2–2000–2(1)/2000 दिनांक 4 अप्रैल 2000	16--117
9.	महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक इमारतों एवं संस्थाओं का व्यक्ति विशेष के ऊपर नामकरण किया जाना	संख्या 462/सत्तर–2–2002–40 (36)/96 दिनांक 10 मई 2000	118
10.	निजी संस्थाओं का नामकरण "इण्डियन इन्स्टीट्यूट/इण्टर नेशनल/नेशनल/आल इण्डिया/हिन्दुस्तान आदि शब्दों से नहीं किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 748/सत्तर–2–2000–2 (72)/2000 दिनांक 19 मई 2000	119
11.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण	संख्या 3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर 2002	20--227
12.	शासकीय निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	संख्या : 452/XXVi (1)/2005 दिनांक 5 अप्रैल 2005	28--300
13.	प्रदेश में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों के लिए मानकों का निर्धारण	संख्या : 752 xxiv/(6)/2006 दिनांक 17 अगस्त 2006	311
14.	अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति के लिए निरीक्षण मण्डल के गठन के संबंध में	संख्या 07/XXIV (7)/2007–6(232)06 दिनांक 11 जनवरी 2007	32--344
15.	शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	संख्या 504/11 (1)09–04 (सामान्य)/2008 दिनांक 13 मार्च 2009	35--365

(ख) प्राध्यापकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदसृजन, अर्हताऐं, चयन प्रकिया, नियुक्ति व पदोन्नति

1.	सम्बद्ध सहयुत्त महाविद्यालयों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 4557 (क) /15–82(11)–3(30)/80 दिनांक 14 मार्च 1984	37--39
2.	महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन तथा उनके कार्यभार के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण	संख्या 4557 (ख) /15–82(11)–3 (30)/80 दिनांक 26 मई 1984	40--41
3.	नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 2992/15–11–86–3(30)/80 दिनांक 17 जुलाई 1986	42--44

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
4.	चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह–ग) के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना	संख्या 37/1/69–का2/1995 दिनांक 08 सितम्बर 1995	45
5.	राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रावास हेतु शिक्षणेत्तर पदों के मानक	संख्या 3893/सत्तर–4/97–46(38)/96 दिनांक 30 दिसम्बर 1997	46–47
6.	उत्तरांचल लोक सेव आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितिकरण नियमावली 2002	संख्या–1113/कार्मिक–2/2002 दिनांक 07 अगस्त 2002	48–49
7.	उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह'क') सेवा नियमावली 2003	संख्या 703/उच्च शिक्षा/2003–3(14) 2001 दिनांक 25 अगस्त 2003	50–58
8.	चतुर्थ श्रेणी (समूह–ग) के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह–ग) के न्यूनतम श्रेणी लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढाया जाना।	संख्या 855/कार्मिक –2/2003 दिनांक 2 सितम्बर 2003	59
9.	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों क सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 1269/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त 2004	60–61
10.	उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005	संख्या 123/XXIV(7)/2005–3(14)2001 दिनांक 9 मई 2005	62–64
11.	राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय प्रारम्भ करने के लिए प्रकिया का निर्धारण	संख्या 410/ XXIV (7)/2005 दिनांक 19 अगस्त 2005	65
12.	उत्तम शैक्षिक अभिलेख की परिभाषा	संख्या 785/XXIV (7)/2006–03(15) 2005 दिनांक 24 अगस्त 2006	66–67
13.	विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत् पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिए सेवा शर्तो का निर्धारण	संख्या 209/XXVII (7)प्र0श0/2006 दिनांक 16 नवम्बर 2006	68–71
14.	उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संसोधन) नियमावली, 2008	संख्या 730/XXIV (7)23(1)/2009 दिनांक 30 जून 2009	72
15.	उत्तराखण्ड (लोक सेवाआयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए "ज्येष्ठता" एवं "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया नियमावली 2009	संख्या 478/xxx (2)/2009–3(1)/2007 दिनांक 8 जुलाई 2009	73–75
16.	वेतन समिति की संतुतियों के कम में समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाना	संख्या 83/XXVII(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी 2010	76–78
17.	विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन	संख्या 443/xxvii (7)/2010 दिनांक 09 फरवरी 2010	79–80
18.	मिनिस्टीरयल संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन	संख्या 183/xxx (2)/2010 दिनांक 11 फरवरी 2010	81–82

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
19.	मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद को राजपत्रित पद घोषित किया जाना	संख्या 1086/ XXX (2)2010 दिनांक 27 दिसम्बर 2010	83
20.	मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संशोधित स्टाफिंग पैटर्न	संख्या 1165/ XXX (2) 2010 दिनांक 27 सितम्बर 2010	84
21.	उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 2050/XXIV (7)34(1)/2010 दिनांक 21 फरवरी 2011	85–86
22.	वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये निर्णयों के कार्यान्वियन के संबंध में	संख्या 875/xxiv (7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च 2011	87–88
23.	उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली 2011	संख्या 170/XXX (2)/2011 दिनांक 01 जून 2011	89–90
24.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी निर्गत विनियम 2010 के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) पद हेतु शैक्षिक अर्हताओं के निर्धारण के सम्बन्ध में	संख्या 1748/XXIV (7)10(1)/2010 दिनांक 30 सितम्बर 2011	91–92
25.	उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011	संख्या 2015/ XXIV (7)/23(1)/2009 दिनांक 16 नवम्बर 2011	93–94

(ग) वेतनमान, व कैरियर एडवांसमेंट स्कीम

1.	सम्बद्ध/सहयुक्त/सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक कालेज छोड़कर दूसरे कालेज में कार्यभार ग्रहण करने पर पूर्व कालेज में प्राप्त वेतन संरक्षित किये जाने विषयक अधिकार का प्रतिनिधायन	संख्या 4247/15-11-87-18 (51)/72 दिनांक 26 दिसम्बर 1988	95–96
2.	राज्य विश्वविद्यालय में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित प्रकिया के आधार पर विधिवत चयन एवं नियुक्ति अध्यापकों की नव नियुक्ति के समय पूर्व संस्थाओं में उनके द्वारा प्राप्त वेतनवृद्धि की तिथि का संरक्षण	संख्या 3937/15 (15)/95-4 (1)/80 दिनांक 10 जनवरी 1996	97
3.	कैरियर एडवान्समेंट स्कीम लागू करने के संबंध में परिनियम बनाया जाना	संख्या 4078/मा0सं0वि0/2001-3(163)/2001 दिनांक 6 दिसम्बर 2001	98–103
4.	सम्बद्ध/सहयुक्त/सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालय/ शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर पूर्व महाविद्यालय में प्राप्त वेतन का संरक्षण	संख्या 12/चौबिस (6)-44-2006 दिनांक 18 दिसम्बर 2006	104–105
5.	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 25 अक्टूबर 2005 का स्पष्टीकरण	संख्या 395- XXIV (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008	106–114

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
6.	राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या 395/xxvii (7)/2008 स्पष्टीकरण	संख्या : 27/ xxvii (7)(स्प0-1)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009	115-117
7.	राज्य विश्वविद्यालय रा0 महा0 एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महा0 के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्ग को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यू0जी0सी0 के अनुरूप पदनाम परिवर्तन एवं वेतनमानों को पुनरीक्षित किए जाने के सम्बन्ध में	संख्या 138/ XXVII (7)/2009 दिनांक 11 नवम्बर 2009	118-125
8.	प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को यू0जी0सी0 द्वारा संस्तुत कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 1332/ XXVII (7) 24 (5)/2009 दिनांक 06 अगस्त 2010	126-127
9.	कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अर्न्तगत अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि विस्तारण के सम्बन्ध में	संख्या 1516/XXVII (7) 43(1)/2010 दिनांक 26 नवम्बर 2010	128
10.	राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों (सहायता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या 395/ XXVII (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 का स्पष्टीकरण	संख्या 731/XXVII (7)/2010 दिनांक 08 दिसम्बर 2010	129-130
11.	उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में संशोधित संवर्ग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 2050/(7)3(1)/2010 दिनांक 21 फरवरी 2011	131-132
12.	राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्या 10/ XXVII (7) 40 (IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल 2011 के संलग्नक के उदाहरण-1 का स्पष्टीकरण	संख्या 65/XXVII (7) 40 (IX)/2011 दिनांक 04 अगस्त 2011	133-135
13.	सहायता प्राप्त शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति	संख्या 130/XXVII (7) 38/2011 दिनांक 19 अगस्त 2011	136-140

(घ) उपस्थिति, अनुशासन व शुल्क

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	शैक्षिक पंचांग का अनुपालन, छात्रों की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थित एवं अध्यापकों की प्राइवेट ट्यूशन/कोचिंग पर रोक	संख्या 2183/सत्तर-1-97-15(3)/97 दिनांक 12 नवम्बर 1997	141
2.	प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के गैर स0 वित्तपोषित अर्थात् सामान्य शुल्क ढांचे का पुनरीक्षण	संख्या 1991/70-2/98-16 (49)/98 दिनांक 17 अक्टूबर 1998	142-143
3.	राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले मंहगाई और प्रयोगशाला शुल्क का निर्धारण	संख्या 2806/70-4/2000-46 (50)99 दिनांक 10 अगस्त 2000	144
4.	राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में एल0एल0बी0/बी0एड0 आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों शिक्षण शुल्क का निर्धारण	संख्या 2807/70-4/2000-46 (50)/99 दिनांक 10 अगस्त 2000	145

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
5.	विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैगिंग को प्रतिबन्धित किया जाना	संख्या 1610/सत्तर-1-2000 दिनांक 19 अगस्त 2000	146
6.	विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में द्वितीय पाली/साध्यकालीन कक्षायें प्रारम्भ किया जाना	संख्या 2542/मा0सं0वि0/2001-3 (100)/2001 दिनांक 24 जुलाई 2001	147-148
7.	महाविद्यालय स्तर पर बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 50/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 12 मई 2003	149
8.	राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 411/xxiv (7) घो0-12/2010 दिनांक 16 मार्च 2011	150

(च) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 1960/सत्तर-2-97-2(85)/97 दिनांक 11 नवम्बर 1997	151-153
2.	निजी प्रबन्ध तन्त्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान के लिए मानकों का निर्धारण	संख्या 35 /सत्तर-6/99-77/98 दिनांक 19 मई 1999	154-155
3.	विश्वविद्यालयों/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में मानक	संख्या 1753/70-4/99-7(7)/94 दिनांक 28 जून 1999	156-157
4.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मनकों का निर्धारण	संख्या 4228 ए/सत्तर-2-99-2-(85)/97 दिनांक 30 अक्टूबर 1999	158-159
5.	विश्वविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक /शिक्षणेत्तर पदो के संबंध में मानक	संख्या : 0214/70-4/2000-7 (7)/94 दिनांक 4 फरवरी 2000	160-161
6.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मनकों का निर्धारण	संख्या : 2443/सत्तर-2-2000-2 (85)/97 दिनांक 9 मई 2000	162-163
7.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 2211/सत्तर-2-2000-2-(239)98टी0सी0 दिनांक 20 मई 2000	164
8.	असहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के असहायता प्राप्त (वित्त विहीन) पाठ्यक्रमों को स्ववित्त पोषित आधार पर चलाये जाने की स्वीकृति	संख्या 1560 (1)/सत्तर-6/2000-51/99 दिनांक 30 अगस्त 2000	165
9.	निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान के लिए मानकों का निर्धारण	संख्या 1109/सत्तर-6/2000-77/98 टी0सी0 दिनांक 1 सितम्बर 2000	166
10.	विधि, बी0एड0 आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में	संख्या 338/ xxiv-7/2005 दिनांक 25 अप्रैल 2005	167--168

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
11.	निजी संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण एवं प्रवेश परीक्षा समिति के सदस्यों को मानदेय एवं अन्य व्ययों का भुगतान	संख्या : 46 xxiv (6)/2006 दिनांक 3 नवम्बर 2006	169
12.	बी.एड., बी.पी.एड. को व्यावसायिक पाठ्यक्रम घोषित किया जाना	सख्या 46/xxiv (7) (6)/2006 दिनांक 27 नवम्बर 2006	170
13.	प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा–निर्देश	संख्या 33/ xxiv (7)/2008–09 दिनांक 19 सितम्बर 2008	171–172
14.	उत्तराखण्ड अनानुदानिक निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम संशोधन अधिनियम 2010)	संख्या 145/XXXVII (3)/13(1)/2010 दिनांक 26 मार्च 2010	173–175
15.	राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठयक्रम संचालन हेतु शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की व्यवस्था हेतु नवीन मानदण्डों के निर्धारण के संबंध में	संख्या : 371 /xxiv (7)/51 (3)/2010 दिनांक 7 अप्रैल 2010	176–182

(छ:) अधिवर्षता, सत्रांत लाभ, अशंदान योजना

1.	राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यो को अधिवर्षता आयु के बाद उन्हें दिये गये सेवा विस्तरण अवधि की गणना उनकी पेंशन के निर्धारण में करने के संबंध में	संख्या : 128/15–1–2002 दिनांक 9 अप्रैल 1992	183
2.	राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सुविधा	संख्या 503/सत्तर–6/98–3(7)/97 पी0सी दिनांक 21 मई 1998	184–185
3.	9 नवम्बर 2000 या तदुपरान्त सेवानिवृत्त उत्तरांचल राज्य हेतु नियुक्त या विकल्प देने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवानैवृतिक लाभ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में	संख्या : 0045/स0वि0अ0/कैम्प/2000 दिनांक 29 दिसम्बर 2000	186–187
4.	विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 2613/मा0स0वि0/2001 दिनांक 3 अक्टूबर 2001	188
5.	राजकीय महाविद्यातयों में कार्यरत प्रवक्ता/प्राचार्यो को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा विस्तरण	संख्या 130/उच्च शिक्षा/2002–3(1)/2000 दिनांक 06 मार्च 2002	189
6.	राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किये जाने की स्वीकृति	संख्या : 806 (1)/का0–2–2002 दिनांक 15 जून 2002	190
7.	राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं एवं प्राचार्यो को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा विस्तरण	संख्या : 582/ xxiv–1/2004–3(1) 2000 दिनांक 2 दिसम्बर–2004	191
8.	राज्य के विश्व विद्यालय कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रुप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यत	संख्या 220/xvii (3) अ.आ./2005 दिनांक 18 जून 2005	192–193

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
9.	राज्य के विश्व विद्यालय कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रुप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता	संख्या 248/ xxvii (3) अ.आ./2005 दिनांक 25 जून 2005	1194–195
10.	राष्ट्रीय स्तर की फैलशिप/पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापकों की अधिवर्षता आयु में वृद्धि के सम्बन्ध में	संख्या : 583/xxiv (6)/2005 दिनांक 30 जून 2005	1196–197
11.	सेवा निवृत्ति की तिथि	संख्या : 507/ xxvii (7)/2010 दिनांक 30 मार्च 2010	198
12.	अधिसूचना संख्या:21/xxvii (7)(7) अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अनुसार चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग के शिक्षण संस्थाओं में लागू करने के विषय में व्यवस्था	संख्या : 832/ xxvii (7)/2011 दिनांक 4 मार्च 2011	1199–20

(ज) सेवाएँ, आरक्षण, अवकाश, प्रशिक्षण, व सेवा विस्तरण

1.	आकस्मिक अवकाश के आरम्भ या अन्त में छुट्टियों या अन्य अकार्य दिवसों (Non Working Days) का जोडा जाना	संख्या : 3/1–1979 कार्मिक–1 दिनांक 18 अक्टूबर 1979	20
2.	परिवार/नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश	संख्या : 3/1–1981 कार्मिक–1 दिनांक 1 दिसम्बर 1981	2202–20
3.	गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों में आरक्षण के सम्बन्ध में	संख्या 1848/15–84 (11)/14(1)/82 दिनांक 28 मई 1984	20
4.	महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा शिक्षण तथा परीक्षा कार्य किया जाना	संख्या 3645/15–84 (11)–14 (22)/82 दिनांक 30 नवम्बर 1984	20
5.	विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित आचार संहिता एवं कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या का अनुपालन	संख्या 1974/15 (11)/95–14 (2)/95 दिनांक 24 मई 1995	20
6.	प्रसूति अवकाश सीमा में वृद्धि	संख्या : सा–4–394/दस–99–216/79 दिनांक 4 जून 1999	207
7.	अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि	संख्या सा–4–392/दस–99–203/86 दिनांक 4 जुलाई 1999	208
8.	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में	संख्या : 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनांक 18 जुलाई 2001	209
9.	पदोन्नतियों में आरक्षण नीति लागू करने हेतु रोस्टर	संख्या : 1455/कार्मिक–2–2001 दिनांक 31 अगस्त 2001	2110–211
10.	सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर	संख्या : 1454/कार्मिक–2–2001 दिनांक 31 अगस्त 2001	2112–213

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
11.	विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा विदेश में शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में	संख्या : 745/मा0सं0वि0/2002-03 दिनांक 01 अगस्त 2002	214
12.	विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना	संख्या : 1009/कार्मिक-2/2003 दिनांक 8 जुलाई 2003	215-216
13.	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या : 1270/तीस-2 /2004 दिनांक 11 अगस्त 2004	217-218
14.	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल गये आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा	संख्या : 1058/ xxxii /2006 दिनांक 7 अप्रैल 2006	219
15.	राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण दिये जाने के संबंध में	संख्या : 04/ xxx (2)/2006 दिनांक 13 जून 2006	220
16.	उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं/निगमों/सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में	संख्या : 1968/ xxx (2)/2006 दिनांक 24 जुलाई 2006	221-222
17.	राज्य सरकार के अधीन सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों तथा शिक्षण संस्थाओं में सेवायोजन में विशिष्ट खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में	संख्या : 2461/ xxx (2)/2006 दिनांक 6 अक्टूबर 2006	223-226
18.	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में	संख्या 4020/ xx(4)-7/उ0आन्दो0/2006 दिनांक 8 नवम्बर 2006	227-229
19.	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में	संख्या : 776/xx(4)26/उ0 आ0/2006-08 दिनांक 22 अक्टूबर 2008	230
20.	अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन	संख्या : 737/xxvii (7)/2010 दिनांक 27 अक्टूबर 2010	231-232
21.	राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार गणना करते हुए बैकलॉग को भरे जाने हेतु विशेष भर्ती अभियान	संख्या : 1905/ xxx (2)/2010 दिनांक 17 जनवरी 2011	233-234
22.	आय या सम्पत्ति मानदण्ड	संख्या 385/xxx (2)/11-55(46)/2004 दिनांक 18 मार्च 2011	235
23.	राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति	संख्या : 11/xxvii (7)34/2011 दिनांक 30 मई 2011	236-237
24.	श्रेणी 'घ' व 'ग' में हाईस्कूल उत्तीर्ण कार्मिकों के लिए 15 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण कार्मिकों के लिए 10 प्रतिशत के निर्धारित कोटे में चयन के सम्बन्ध	संख्या : 966/xxx (2)/2011 दिनांक 29 जून 2011	238-239

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या

(झ) अशासकीय महाविद्यालय

1.	गैर सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों का अनुमोदन	संख्या 9176/15–77–11–18 (190)/76 दिनांक 12 अप्रैल 1979	240
2.	प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय के छात्रों से ली जाने वाली छात्र निधियों का रख–रखाव एवं उपयोग	संख्या 5125/15–11–86–4 ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986	241–242
3.	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों से शुल्क बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना	संख्या 8202/15–112–86–4 ए(46)/85 दिनांक 19 जुलाई 1986	243
4.	रिक्त पदों के प्रति अनुज्ञा के सम्बन्ध में	संख्या डिग्री अर्थ/1989–2464/1988 दिनांक 6 मई 1988	244
5.	राज्य निधि के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के सेवा निवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशनादि के भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण	संख्या 1212/15–19–94–17 (34)/94 दिनांक 11 अगस्त 1994	245–246
6.	प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में	संख्या 296/15–19–95–3 (2)/93 दिनांक 4 मार्च 1995	247–248
7.	सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के मृतक शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित किया जाना	संख्या 2215/15–19–95–1/93 दिनांक 21 नवम्बर 1995	249–250
8.	अशासकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष/उपपुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर चयन/अनुमोदन से संबंधित आवश्यक निर्देश।	डिग्री अर्थ–1/16703–17218/95–96 दिनांक 2 फरवरी 1996	251–253
9.	सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की किसी कक्षा में नया सेक्शन खोलने हेतु अनुज्ञा दिये जाने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना	संख्या 538/सत्तर–2–99–2 (225)/98 दिनांक 26 फरवरी 1999	254
10.	राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से लिए जाने वाले महंगाई शुल्क और प्रयोगशाला शुल्क का निर्धारण	संख्या 2806/70–4/2000–46(50)/99 दिनांक 10 अगस्त 2000	255
11.	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के संघटक/सम्बद्ध/सहयुक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त प्राचार्य के पद पर सत्रान्त लाभ दिए जाने पर प्रतिबन्ध विषयक	संख्या 1587/सत्तर–2–2001–16(129)/2001 दिनांक 2 जून 2001	256
12.	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के संघटक/सम्बद्ध/सहयुक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त प्राचार्य के पद पर सत्रान्त लाभ दिए जाने पर प्रतिबन्ध विषयक	संख्या 2493/सत्तर–2–2001–16(129)/2001 दिनांक 5 जुलाई 2001	257
13.	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मृतक आश्रितों के सेवा योजन के सम्बन्ध में	संख्या 2452/मा0सं0वि0/2001–3 (35)/2001 दिनांक 10 जुलाई 2001	258

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
14.	अशासकीय सहायत प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना	संख्या 661/उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 12 जुलाई 2002	259
15.	अशासकीय सहायत प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना	संख्या 539/उच्च शिक्षा/2003-3(6)2000 दिनांक 02 जुलाई 2003	260
16.	अशासकीय सहायत प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य/प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में	संख्या : 1059/उ0शि0/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2003	261–262
17.	सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता एवं प्राचार्य के रिक्त पदों पर चयन के स्म्बन्ध में	संख्या 463/ xxiv (7)/2005 दिनांक 25 मई 2005	263–265
18.	प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में	संख्या 218 xxiv (6)/6(76) 06-2006 दिनांक 5 अप्रैल 2006	266–269
19.	अशासकीय महाविद्यालयों के सेवा-निवृत शिक्षकों को पेंशन हेतु विकल्प परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य किये जाने के संबंध में	संख्या : 237/ xxvii (7)/2006 दिनांक 8 दिसम्बर 2006	270–272
20.	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किया जाना	संख्या : 44/xxiv (7)/2008 दिनांक 6 नवम्बर 2008	273–275
21.	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना किया जाना	संख्या : 7073-91/2008-09 दिनांक 15 नवम्बर 2008	276
22.	शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के रिक्त पदों के प्रति आरक्षण की पूर्ति किये जाने सम्बन्धी	संख्या 440-56/2011-12 दिनांक 19 जुलाई 2011	277

(ट) अन्य विषय : विजिटिंग/संविदा प्रवक्ता, निजी विश्वविद्यालय, प्रत्यायन, प्रोत्साहन, अंकेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण, स्लेट, उपनल, शिकायती पत्र, न्यायलीय वाद इत्यादि

1.	अभिलेखों व निर्दान	संख्या 3339/तैतालीस-1-92-37(1)/84 दिनांक 30 जनवरी 1993	278–284
2.	राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं पर मैचिंग ग्राण्ट	संख्या 2638/पन्द्रह (15)94-46(20)94 दिनांक 23 जुलाई 1994	285
3.	विश्वविद्यालों के कुलपतियों की सेवा शर्ते	संख्या 2216/सत्तर-1-98-15 (1)/95 दिनांक 18 जून 1999	286
4.	राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं पर उ0प्र0 सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट/वचनबद्धता उपलब्ध कराया जाना	संख्या 736/70-4/2000-46(20)/94 दिनांक 15 मार्च 2000	287

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
5.	उच्च शिक्षा में रिक्त शिक्षकों के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था	संख्या 457/मा0सं0वि0/2001–3(6)/2000 दिनांक 27 जनवरी 2001	288
6.	एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों के लिए विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में आगामी शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था	संख्या 2269/मा0सं0वि0/2(200)/2001 दिनांक 7 जून 2001	289
7.	उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन एवं पदों का सृजन	संख्या 1721/मा.सं.वि./2001–3 (35)2001 दिनांक 17 जुलाई 2001	290–29
8.	उच्च शिक्षा में रिक्त शिक्षकों के पदो पर विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था	संख्या 457/मासं0वि0/2001 दिनांक 09 अगस्त 2001	29
9.	विजिटिंग फैकल्टी के शिक्षकों को मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में	संख्या 131 /उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 7 मार्च 2002	293
10.	प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था	संख्या 624/उच्च शिक्षा/2002–3(18)/2002 दिनांक 12 जुलाई 2002	294
11.	राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को अन्यत्र सेवा में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में	संख्या : 795/उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 24 सितम्बर 2002	29
12.	प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये विजिटिंग लेक्चरर/निश्चित मानदेय शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण	संख्या 1091/उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 25 नवम्बर 2002	296
13.	देहरादून में निदेशक उच्च शिक्षा के शिविर कार्यालय की स्थापना करते हुए उप निदेशक के कार्यो एवं दायित्वों का निर्धारण	संख्या : 1208/उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 09 दिसम्बर 2002	297–298
14.	प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर को परीक्षा अवधि तक मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में	संख्या 276/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 03 जून 2003	299
15.	अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापना कार्य लिया जाना	संख्या 612/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 10 जुलाई 2003	300–301
16.	प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था	संख्या 576/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 10 जुलाई 2003	302–303
17.	प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में	संख्या 584/उ0शि0/2003 दिनांक 16 जुलाई 2003	304–305
18.	प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग लैक्चरर की व्यवस्था	संख्या 679/उ0शि0/2003 दिनांक 22 जुलाई 2003	306
19.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में	संख्या 666/उ0शि0/2003 दिनांक 02 अगस्त 2003	307–308
20.	दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता	संख्या 810 xxiv–1/2004 दिनांक 27 सितम्बर 2004	309–310

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
21.	मा0 उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 820/ xxiv–1/2004 दिनांक 20 अक्टूबर 2004	311–312
22.	प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था	संख्या 941/xxiv –1/2004–3(6)2000 दिनांक 03 नवम्बर 2004	313
23.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संसोधन) अधिनियम ,2005	संख्या 421/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 31 जनवरी 2005	314–315
24.	समस्त प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों (Documents) में माता का नाम भी सम्मिलित किया जाना	संख्या 1041/ xxxi (13)G/2005 दिनांक 21 दिसम्बर 2005	316
25.	लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का नामन	संख्या 190 xxiv (7)/2006 दिनांक 08 मार्च 2006	317
26.	प्रदेश के रा0 महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर विजिटिंग प्रवक्ताओं को संविदा पर आमंत्रित करने के सम्बन्ध में	संख्या 755/ xxiv (7)/2006 दिनांक 22 अगस्त 2006	318
27.	प्रदेश के रा0 महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर आमंत्रित करने के सम्बन्ध में	संख्या 755/ xxiv (7)/2006 दिनांक 10 नवम्बर 2006	319
28.	मा0 उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों में संस्थित याचिकाओं की मॉनिटरिंग करने के सम्बन्ध में	संख्या 816/ xxiv (7)/2006 दिनांक 14 नवम्बर 2006	320
29.	रा0 महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जनपदवार संविदा पर शिक्षकों की व्यवस्था	संख्या 148/xxiv(7)/2006–3(6) 2000 दिनांक 29 नवम्बर 2006	321–322
30.	उच्च शिक्षा निदेशालय का ढांचा का पुर्नगठन	संख्या 415/ XXIV (7)3(1)/2008 दिनांक 01 दिसम्बर 2008	323–325
31.	सरकारी धन के विभिन्न बैंकों में जमा विषयक सूचना के प्रेषण के सम्बन्ध में	संख्या : 99/xxvii (14)/200 दिनांक 3 सितम्बर 2009	326–328
32.	वर्ष 2001 से कार्यरत 12 अनर्ह विजिटिंग प्रवक्ताओं हेतु सामान्य 45 प्रतिशत एवं अनुसूचितजाति के विजिटिंग प्रवक्ताओं के लिए 40 प्रतिशत अर्हता अंकों में शिथिलीकरण विषयक	संख्या 947/xxiv (7)/2(1)08/2009 दिनांक 29 सितम्बर 2009	329–330
33.	उत्तराखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत संविदा, अंशकालिक एवं विजिटिंग प्रवक्ताओं का मानदेय एवं पदनाम एक समान किया जाना	संख्या 948/xxiv (7)/1(1)08/2009 दिनांक 30 सितम्बर 2009	331–332
34.	समस्त प्रकार के शासकीय विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से जारी किये जाने विषयक	संख्या 373/सू0 एवं लो0सं0वि0(विज्ञापन)52/2004 दिनांक 31 मई 2010	333–334
35.	समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण	संख्या : 690/xxx(2)/2010 दिनांक 23 जून 2010	335

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
36.	चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियां, सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना, उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन और प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रकिया	संख्या : 1450/XXX(2)/2010 दिनांक 30 सितम्बर 2010	336—337
37.	स्वैच्छिक परिचर कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्याः 40/ xxvii (7) /स्व0प0क0 /2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 में संशोधन	संख्या 736/xxvii (7)/स्वै0प0क0/2010 दिनांक 27 अक्टूबर 2010	338
38.	अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन	संख्या : 737/ xxvii (7)/2010 दिनांक 27 अक्टूबर 2010	339
39.	उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी एवं सिलाई की दरें राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के समान अनुमन्य किया जाना	संख्या 2740/vii-1-10 17–उद्योग/2004 दिनांक 12 जनवरी 2011	340—341
40.	उत्तराखण्ड हैल्थ स्मार्ट कार्ड (नकद रहित) योजना को कियान्वित किये जाने हेतु स्मार्ट कार्ड प्रकोष्ठ एवं उसके ढांचे का गठन किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 59/xxviii–4–2011–04/2008 दिनांक 24 जनवरी 2011	342—343
41.	राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वर्तमान शिक्षा सत्र 2011–12 हेतु प्रवक्ताओं को संविदान्तर्गत पुनः आमंत्रित किये जाने के संबंध में	संख्या : 914/ xxiv (7)/31(1)/2010 दिनांक 21 जून 2011	344
42.	राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या TC/68 XXIV/(6)/2011 दिनांक 14 नवम्बर 2011	345—357
43	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के वेतनमान एवं भत्तों का पुनरीक्षण	संख्या 596/xvii–3/2011–09(17)/2004 दिनांक 18 नवम्बर 2011	358—362
44.	राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में	संख्या 68/XXIV (6)/2012 दिनांक 13 दिसम्बर 2011	363—364
45.	राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2011 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 68/ XXIV (6)/2012 दिनांक 18 मई 2012	365—366
46.	राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरुप प्रपत्रों का निर्धारण	संख्या 68/ XXIV (6)/2012 दिनांक 28 मई 2012	367—378

संख्या–4557 / 15–62 (11)–3 (30) / 80

प्रेषक,

डा0 एस0 एस0 खन्ना
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कुल सचिव,
.... विश्वविद्यालय

शिक्षा अनुभाग–11 दिनांक लखनऊ : 14 मार्च, 1984

विषय :– नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के परामर्श पर शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरान्त नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु शासन ने निम्नलिखित मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है :–

(1) नये महाविद्यालयों की स्थापना

(क) औचित्य निर्धारण – जिस स्थान पर नवीन महाविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित है उस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित करने का औचित्य निर्धारण हेतु यह देखना आवश्यक है कि

(i) उस क्षेत्र में अन्य विकसित महाविद्यालय कितने हैं।

(ii) प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है।

(iii) उस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान विद्यालयों को देखते हुये किसी सीमा तक अपूर्ण रह जाती है तथा

(iv) क्या प्रार्थित स्थान पर महाविद्यालय खुलने पर अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के 300 तक छात्र उपलब्ध हो सकेंगे।

(ख) प्राभूत– (i) कला संकाय के स्नातक स्तर के 7 विषयों के साथ नये महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु अपेक्षित प्राभूत की धनराशि 2.50 लाख।

(ii) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु0 20,000/– अतिरिक्त।

(iii) स्नातक स्तर के अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु रु0 25,000/– अतिरिक्त।

2– (i) विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के 5 विषयों की सम्बद्धता हेतु अपेक्षित प्राभूति की धनराशि रु0 3,00 लाख।

(ii) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु0 25,000/– अतिरिक्त।

3– स्नातकोत्तर स्तर के कला, वाणिज्य, शिक्षा तथा विधि संकाय के प्रत्येक विषय के लिये रु0 30,000/– प्रयोगात्मक कार्य वाले कला, विज्ञान एवं कृषि संकाय के प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय के लिये रु0 50,000/– अतिरिक्त।

यदि प्रार्थी महाविद्यालय ऐसा हो जहां प्राभूति की व्यवस्था नये परिनियमों से पूर्व प्रभावी नियमों के अनुसार हुई हो तो ऐसे स्नातकोत्तर सम्बद्धता के लिए उपर्युक्त दरों से 50 प्रतिशत अधिक दर से प्राभूत निधि की व्यवस्था करनी होगी।

(ग) भूमि– नयी सम्बद्धता के लिये महाविद्यालय के पास निजी भूमि का होना अनिवार्य है। स्नातक महाविद्यालय के लिये भूमि का मानक निम्नवत् होगा :–

(i) महिला महाविद्यालय हेतु– 10,000 वर्ग मीटर

(ii) अन्य महाविद्यालय हेतु– 20,000 वर्ग मीटर

(घ) भवन– महाविद्यालय के पास आवश्यकतानुसार अपना निजी भवन होना अनिवार्य है जो इण्टर कालेज से पृथव होना चाहिये। कला संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों के लिये न्यूनतम् 3 व्याख्यान कक्ष पुस्तकालय–वाचनालय कक्ष, अध्यापक कक्ष, छात्र कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा व मीटिंग कक्ष होना चाहिये। प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय के लिये एक पृथक प्रयोगशाला होनी चाहिये। वाणिज्य संकाय वं प्रत्येक सेक्शन के लिये एक अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष की आवश्यकता होगी। इसका एक उदाहरण शासनादेश के परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

(ङ) पुस्तकालय– स्नातक स्तर के प्रत्येक विषय के लिये पुस्तकें तथा पत्रिकाओं पर न्यूनतम आवर्तक तथा अनावर्तव व्ययों के मानक संलग्न परिशिष्ट 'ख' में अंकित हैं।

(च) प्रयोगशाला– स्नातक स्तर के प्रत्येक प्रयोगात्मक कार्य वाले विषय की प्रयोगशाला हेतु अपेक्षित आर्वतक तथ अनावर्तक व्ययों के मानक संलग्न परिशिष्ट 'ग' में अंकित हैं।

नोट :– पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं हेतु ऊपर (ङ) व (च) में निर्धारित मानकों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के विशिष्टताओं व आवश्यकताओं के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त मानक व शर्तें निर्धारित की ज सकती हैं।

(छ) अन्य वित्तीय संसाधन– 7 विषयों वाले एक नये महाविद्यालय में प्रथम तीन वर्षों तक संचालित करने के लि प्रबंन्धतंत्र के पास आवश्यक भौतिक व वित्तीय साधनों की सन्तोषजनक व्यवस्था होनी चाहिये।

(2) स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता हेतु मानक :– स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता के लिये वही महाविद्यालय अर्ह होग जो निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो :–

(क) महाविद्यालय को समस्त स्नातक स्तर के विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुए पांच वर्ष बीत चुके हों।

(ख) विगत पांच वर्षों का परीक्षाफल अविछिन्न रूप से उच्चकोटि का रहा हो (प्रत्येक विषय में 60 प्रतिशत से अधिक तथा महाविद्यालय में परीक्षा कार्य संचालन विश्वविद्यालय के नियमानुसार होता रहा हो।

(ग) विकास की दृष्टि से प्रार्थी महाविद्यालय वायविल (Viable) हो, छात्रों की न्यूनतम संख्या महिला महाविद्यालय की दशा में 400 तथा सहशिक्षा युक्त महाविद्यालय की दशा में 700 हो चुकी हो। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं र वार्षिक आवर्तक व्यय न्यूनतम रूप में क्रमशः रू0 15/– तथा रू0 60/– प्रति छात्र की दर से व्यय किया ज रहा हो ?

(घ) महाविद्यालय में उच्च शिक्षा शैक्षिक उपलब्धियों वाले शिक्षक नियुक्त किये गये हों जिनके शोध कार्य का स्तर उच्च हो और वे प्रार्थित विषय में शोध कार्यक्रमों को संचालित करने में भली भांति सक्षम हो।

(ङ.) महाविद्यालय के पुस्तकालय में प्रार्थित विषय से सम्बन्धित उपर्युक्त स्तर के ग्रन्थ तथा कम से कम तीन शो पत्रिकायें पिछले 10 वर्षों से अंकों वाली उपलब्ध हों, तथा महाविद्यालय प्रार्थित विषय में शोध कार्य हेतु प्रति व न्यूनतम रू0 5,000/– व्यय करने में समर्थ हो।

(च) कला, वाणिज्य, शिक्षा तथा विधि संकाय की दशा में न्यूनतम 25 छात्र और विज्ञान संकाय में न्यूनतम 15 छात्र प्रार्थित स्नातकोत्तर विषय की कक्षा के लिये उपलब्ध हों,

(छ) प्रार्थित स्नातकोत्तर विषय के लिये व्याख्यान कक्ष तथा पृथक शिक्षक कक्ष और प्रयोगात्मक विषयों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भवन की व्यवस्था कर ली गई हो, तथा

(ज) पुस्तकालय और प्रयोगशाला के सम्बन्ध में संलग्न परिशिष्ट ख तथा ग में स्नातकोत्तर स्तर के लिये उल्लिखित न्यूनतम मानक की पूर्ति कर ली गई हो और इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति करने में प्रबन्ध तंत्र समर्थ हो।

अतएव नये सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय खोले जाने तथा वर्तमान सम्बन्ध सहयुक्त महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु उपर्युक्त मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को अवगत करा दिया जाय। ये मानक तत्काल प्रभावी होंगे।

2— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मानाकों का विश्वविद्यालय के परिनियमों में समावेश करने हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है।

3— उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई—XII 173/दस—84 दिनांक 24—1—84 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

एस0एस0 खन्ना
उपसचिव।

संख्या—4557(1)/15—82 (11)—3 (30)/80 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2— सचिवालय का शिक्षा (10) अनुभाग—1 कृपया उक्त मानकों के अनुसार परिनियमों में अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही शीघ्र करें।

3— सचिवालय का शिक्षा (15) अनुभाग—1

4— सचिवालय का वित्त (व्यय नियन्त्रण—11) अनुभाग—1

आज्ञा से,

एस0एस0 खन्ना
उपसचिव।

परिशिष्ट "क"

एक नए डिग्री कालेज के लिए, जहां कला संकाय के सात विषय चलाये जाने हों, भूमि और भवन की न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक।

3 व्याख्यान कक्ष (प्रत्येक कक्ष 900 वर्ग फीट)	=	2,700 वर्ग फीट
1 पुस्तकालय–वाचनालय कक्ष	=	2,000 वर्ग फीट
1 प्राध्यापक कक्ष	=	200 वर्ग फीट
1 छात्रा कक्ष	=	200 वर्ग फीट
प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष कार्यालय कक्ष, परीक्षा व मीटिंग कक्ष और लेखा कक्ष	=	900 वर्ग फीट
बरामदा	=	1,000 वर्ग फीट
	योग =	7,000 वर्ग फीट

भवन हेतु भूमि लगभग	=	700 वर्ग फीट
खुली भूमि व क्रीड़ा स्थल	=	19,300 वर्ग फीट
कुल भूमि लगभग	=	20,000 वर्ग फीट

शासनादेश सं0 4557/15–82 (11)–3 (30)/80 दिनांक 14 मार्च 1984 में संदर्भि

परिशिष्ट "ख"

स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में पुस्तकालय हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का सामान्य मानक

	अनावर्तक व्यय (दो वर्षों में)	आवर्तक व्याय (प्रति वर्ष)
1– पुस्तकालय फर्नीचर, कोर्ड स्टेशनरी रख–रखाव आदि (500 छात्र संख्या तक)	10,000	5000
2– रसायन, भौतिक, प्राणि एवं वनस्पति विज्ञान प्रति विषय	10,000	1,0000
3– सांख्यकी, भूगर्भ गणित, भूगोल, मनोविज्ञान अर्थशास्त्र सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रति विषय	7,000	1,0000
4– कला संकाय के शेष प्रति विषय	5,000	7/50
5– वाणिज्य कुल	15,000	1,5500
6– विधि कुल (500 तक छात्र संख्या)	25,000	1,5500
7– कृषि कुल	50,000	5,0000
8– शिक्षा प्रशिक्षण	15,000	2,0000
9– पुस्तकालय में शब्द कोष व विविध पुस्तकों व शोध, पत्रिकाओं हेतु (500 तक छात्र संख्या)	5,000	5500

नोट :– यदि छात्र संख्या 500 से अधिक बढ़ जाती है तो आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय उसी अनुपात से बढ़ जायेगी।

स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय में पुस्तकालय हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का सामान्य मानक

	अनावर्तक व्यय (दो वर्षों में)	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1– विज्ञान तथा कृषि का प्रत्येक विषय	50,000	8,000
2– भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान (प्रत्येक विषय)	30,000	5,000
3– कला संकाय के शेष प्रति विषय	25,000	3,000
4– वाणिज्य विधि प्रत्येक	30,000	5,000
5– शिक्षा प्रशिक्षण	25,000	3,000

शासनादेश सं0 4557/15–82 (11)–3 (30)/80 दिनांक 14 मार्च 1984 में संदर्भित

परिशिष्ट "ग"

महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं पर आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का सामान्य मानक

(स्नातक)

क्रम सं0	विषय	प्रथम वर्ष फर्नीचर पर व्यय	दो वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल मर अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय प्रति वर्ष 40 छात्र स्नातक भाग–1 में	आवर्तक व्यय में वृद्धि प्रति 20 छात्र पर रु0
1.	ड्रांइग पेंटिंग	7,000	10,000	750	200
2.	संगीत	1,000	10,000	750	200
3.	भूगोल, मनोविज्ञान,सांख्यिकी, गृह विज्ञान, सैन्यविज्ञान, में प्रति विषय	10,000	15,000	1,000	200
4.	भौतिक प्राणी एवं वनस्पति प्रति विषय	20,000	50,000	5,000	500
5.	रसायन विज्ञान (गैस व डिटिस्ल्ड वाटर सहित)	25,000	70,000	6,000	750
6.	भूगर्भ विज्ञान	20,000	30,000	3,000	200
7.	कृषि एग्रोनामी सांख्यकी कृषि प्रसार, कृषि तकनीकि, कृषि विज्ञान, प्रति विषय	5,000	7,000	500	50
8.	कृषि [illegible] विज्ञान जिनेटिक्स उद्यान [illegible] कृषि रसायन प्रति विषय	10,000	10,000	750	50
9.	म्यूजियम प्रति विषय जहां अनिवार्य है	5,000	5,000	250	–
10.	अन्य प्रति कृषि विषय	5,000	5,000	500	50
11.	शिक्षा प्रशिक्षण (पूरे संकाय हेतु)	10,000	5,000	500	–
		स्नातकोत्तर	आवर्तक प्रति 15 छात्र	प्रति अतिरिक्त छात्र	
1.	रसायन (एक ब्रांच के साथ)	20,000	1,00,000	15,000	2,500
2.	अतिरिक्त ब्रांच एक	5,000	25,000	5,000	–
3.	विज्ञान के शेष तथा कृषि प्रति विषय एक ब्रांच के साथ	20,000	1,00,000	12,000	2,000
4.	अतिरिक्त प्रति ब्रांच (भौतिकी छोड़कर)	5,000	15,000	2,500	–

5. भौतिकी के अतिरिक्त ब्रांच में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार–

संख्या 2992/15–11–86–3 (30)/80

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (11) अनुभाग लखनऊ दिनांक : 17 जुलाई 1986

विषय :– नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4557/15–11–82–3 (30)/80 दिनांक 14 मार्च, 1984 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के परिशिष्ट "ग" में प्रयोगशालाओं पर आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय के सामान्य निर्धारित मानक में स्नातकोत्तर स्तर के कला संकाय के विषयों के प्रयोगशालाओं हेतु मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं।। अतः शासन ने निर्णय लिया है कि नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय की प्रयोगशालाओं के लिये निम्नलिखित तालिका अनुसार अनावर्तक एवं आवर्तक व्यय के मानक निर्धारित किये जाते हैं :–

विषय	प्रथम वर्ष फर्नीचर पर व्यय	दो वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय प्रति वर्ष
एम0ए0 भूगोल	10,000	30,000	2,000
एम0ए0, मनोविज्ञान			
एम0ए0, सांख्यिकी			
एम0ए0, गृह विज्ञान			
एम0ए0, सैन्य विज्ञान			
प्रत्येक विषय			
एम0ए0, चित्र कला	5,000	20,000	1,000
एम0ए0, संगीत	2,000	20,000	1,000

2– अतएवं नये सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय खोले जाने तथा वर्तमान सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला संकाय की प्रयोगशालाओं के लिये स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों हेतु उपर्युक्त मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये और सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को अवगत करा दिया जाये। ये मानक तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय,

एस0एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव

दिनांक 21—5—88 को शिक्षा निदेशक के कक्ष में आयोजित बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त लिये गये निर्णय के आधार पर 1—6—88 से शिक्षकों के लिये कार्यभार के आगणन हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैं।

तालिका

वेतन प्रणाली हेतु महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्यभार के आगणन का आधार

कक्षा	विषय	व्याख्यान प्रति सप्ताह (वादन) (45 मिनट प्रति वादन)	प्रयोगात्मक प्रति सप्ताह (वादन)
एम0एस0सी0	रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान		
	वनस्पति विज्ञान	16	20
एम0ए0 व	भौतिक	20	24
एम0एस0सी0	सांख्यिकी	20	12
	गणित	24	—
एम0ए0	साहित्य	24	—
	अन्य विषय	20	—
एल0एल0एम0	विधि	24	—

नोट :— यदि अतिरिक्त वैकल्पिक विषय हैं तो प्रति अतिरिक्त प्रश्न—पत्र पर 4 वादन (3 घन्टा प्रति सप्ताह) परन्तु प्रत्येक वैकल्पिक प्रश्न—पत्र में 10 छात्र से कम न होंगे और एक विषय में दो से अधिक अतिरिक्त वैकल्पिक प्रश्न—पत्र मान्य न होंगे।

एम0ए0	भूगोल, गृह विज्ञान		
	मनोविज्ञान एवं सैन्य विज्ञान	16	6
एम0ए0	ड्राइंग—पेंटिंग	12	0
एम0ए0	संगीत	12	0
एम0काम	—	24	—
एम0एस0सी0	कृषि		
	प्रेक्टिकल विषयों में	16	20
	कृषि बिना प्रेक्टिकल		
	के विषय हेतु	24	—
बी0ए0 भाग 1 तथा 2	सामान्य विषय	6	6
	भूगोल, सैन्य विज्ञान	6	4
	सांख्यिकी	6	6
	संगीत	3	6
	ड्राइंग—पेंटिंग	3	6
	मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान	6	3
बी0ए0 भाग—3	प्रत्येक विषय हेतु		
	साहित्यिक विषय छोड़कर	3 वादन प्रति प्रश्नपत्र	4 केवल प्रयोगात्मक विषय में।
बी0ए0 1,2,3	साहित्यिक हेतु	4 वादन प्रति प्रश्नपत्र	—
बी0ए0			
बी0एस0सी0			
भाग—1 व 2	गणित	12	

बी0ए0, बी0एस0सी0			
भाग–3	गणित	4 वादन प्रति प्रश्न पत्र	–
बी0एस0सी0			
भाग–1 व 2	भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति भूगर्भ, सांख्यिकी	6	6
बी0एस0सी0			
भाग–3	तदैव	3 वादन प्रति प्रश्न पत्र 9 वादन थ्योरी	6
बी0काम0	–	24	–
बी0एस0सी0	कृषि प्रति विषय	3 वादन प्रति पेपर	3 वादन प्रति बैच
विधि स्नातक	–	24	–
बी0ए0,बी0एस0सी0	सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी संस्कृत, उर्दू	3 वादन प्रति पेपर	–
बी0एड0, एम0एड0	–	अध्यापक छात्रसंख्या 1:15 मान्य होगी।	

आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में एम0काम0 पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध दोनों मिलाकर 24 वादन प्रति सेक्शन प्रति सप्ताह प्रति ग्रुप विषय दिया जाये। एम0काम0 में प्रत्येक ग्रुप : विषय में कम से कम 10 छात्र होना अनिवार्य है। बी.काम. में प्रति ग्रुप 8 वादन अधिकतम 3 ग्रुप 3X8= कुल 24 वादन देय होंगे। बी0काम0 के तृतीय वर्ष के लिये भी 24 वादन होंगे।

1. पद सृजन हेतु व्याख्यान का प्रत्येक वर्ग 70 छात्र का माना जायेगा।
2. कला तथा विज्ञान के प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय में तथा कृषि के प्रत्येक विषय में प्रयोगात्मक कार्य हेतु 20 छात्रों का एक वर्ग माना जायेगा परन्तु यदि एक ही वर्ग है तो 25 छात्र तक एक ही वर्ग माना जायेगा।
3. स्नातकोत्तर विषयों में प्रयोगात्मक कार्य प्रत्येक वर्ग 15 छात्रों का होगा परन्तु 10 छात्रों तक ही एक ही वर्ग माना जायेगा जैसे यदि 10, 15 अथवा 18 छात्र हैं तो केवल एक ही वर्ग माना जायेगा। परन्तु यदि 20, 28, 32 अथवा 35 छात्र हैं तो दो वर्ग माने जायेंगे।
4. फाउण्डेशन कोर्स (Foundation Course) के भाषा के प्रश्न पत्र के लिए 5 वादन प्रति सेक्शन तथा सामान्य ज्ञान के लिए 3 वादन देय होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र (सामान्य ज्ञान) के लिए कार्यभार विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
5. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का तीसरा वर्ष आरम्भ होने पर प्रश्न पत्रों की संख्या में वृद्धि होगी। अतः यह प्रयास किया जायेगा कि स्नातक स्तर के प्रत्येक विषय के लिये न्यूनतम 2 प्रवक्ता और स्नातकोत्तर स्तर के विभाग में 4 प्रवक्ता पद स्वीकृत किये जायें।

भवदीय

डा0 के0एन0जोशी
संयुक्त शिक्षा निदेशक, (उ0शि0)
उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0
इलाहाबाद।

संख्या 1052/15–17–97–118/96

जी0एन0 खोलिया
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

शिक्षा अनुभाग – 17 लखनऊ : दिनांक 19 मार्च,1997

विषय :– राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु आगणनों का मानकीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण के से कोई मानक निर्धारित न होने से उनके निर्माण में एकरूपता नहीं थी और भिन्न–भिन्न निर्माण इकाइयों द्वारा अलग–अलग आगणन अपने विवेक से तैयार करके प्रस्तुत किये जाते रहे हैं जिनके परीक्षण में कठिनाइयाँ होती हैं। अतः इस विषय में सम्यक् विचार करके यह निर्णय लिया गया कि राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु मानक व मानचित्र तैयार करवा लिये जांय ताकि तदनुसार ही भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी जा सके। अतः राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मानक एवं मानचित्र के आधार पर विभिन्न संकायों के भवन निर्माण के लिए निम्नानुसार आगणन वर्ष 1995–96 के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर वर्ष 1996–97 के लिए 10% वृद्धि अनुमन्य करते हुए निर्धारित करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	भवन का नाम	प्लिंथ एरिया	लागत रु0
	प्रशासकीय भवन	480.54 वर्ग मी0	27.45 लाख
	कला संकाय	807.71 वर्ग मी0	43.61 लाख
	वाणिज्य संकाय	807.71 वर्ग मी0	43.61 लाख
	विज्ञान संकाय	741.04 वर्ग मी0	74.51 लाख
	टायलेट ब्लाक	345.90 वर्ग मी0	9.58 लाख
	बाउन्ड्रीवाल और हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2	–	7.66 लाख
			206.42 लाख

राजकीय महाविद्यालयों के जिन–जिन संकायों के भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जायेगी उन्हीं भवनों के निर्माण हेतु मानक मानचित्र के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी। मानकों पर निम्न शर्तों के अधीन स्व स्वीकृति दी जायेगी।

1. मानचित्र और आगणन पर आर्कीटेक्टरल फिनिशिंग के लिए धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

2 साइड डेवलपेन्ट के लिए प्रारम्भ में 5 प्रतिशत की धनराशि अनुमन्य की जायेगी तथा बाद में वास्तविक व्यय के आधार पर इस धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

3 सेन्टेज चार्जेज की गणना हेतु पांच प्रतिशत की कटौती करके जो धनराशि आगणित होती है उस पर

प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज के रूप में दी जायेगी। यदि सेन्टेज चार्जेज की प्रतिशतता पर कमी आती है तो तदनुसार धनराशि की गणना की जायेगी।

4. ग्रिड फिनिश हेतु आगणनों में आवश्यक व्यवस्था की गई है।

5. उक्त मानक मानचित्र एवं आगणनों के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने पर व्यय वित्त समिति (तकनीकी कोष्ठक) के क्लीयरेन्स की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु आगणनों पर शासन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक होगी।

6. निर्माण करते समय यदि निर्धारित इस्पैसीफिकेशन में परिवर्तन अथवा वित्तीय अनुमोदन के अतिरिक्त निर्माण कार्य निर्माण एजेन्सी द्वारा कराया जाता है तो उसका सीधा दायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। मानक मानचित्र की प्रति आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11–847/दस–97, दिनांक 19 मार्च, 1997 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

जी0एन0 खोलिया
संयुक्त सचिव।

संख्या 1052(1)/15–17–97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अतिरिक्त निदेशक, व्यय वित्त समिति के तकनीकी कोष्ठक।
7. नियोजन अनुभाग–4
8. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11

आज्ञा से,

जी0एन0 खोलियया
संयुक्त सचिव।।

शिक्षा (17) अनुभाग
उच्च शिक्षा विभाग
संख्या-280/15-17-97-40(36)/96
लखनऊ : दिनांक 21 मई, 1997

विषय : महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक इमारतों एवं संस्थाओं का व्यक्ति विशेष के ऊपर नामकरण किया जाना।

महोदय,

महाविद्यालयों के नामकरण के सम्बन्ध में पूर्व से कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है। महाविद्यालयों के नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महाविद्यालय के लिए निःशुल्क भूमि और भवन दान में देने वाले महानुभावों के पूर्वजों के नाम पर किये जाते रहे हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर नामकरण किये जाने हेतु स्पष्ट मार्गदर्शक नीति न होने के कारण निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस समस्या के निवारण हेतु सम्यक विचारोपरान्त खेल विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या : एसपी/2080/43-311/एसपी/80, दिनांक 2 मई, 81 को भी दृष्टिगत रखते हुए तात्कालिक प्रभाव से महाविद्यालयों के नामकरण करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है:-

(1) सामान्यतः महाविद्यालयों के इमारतों के ऊपर व्यक्ति विशेष का नाम रखना उपयुक्त नहीं है।

(2) परन्तु अपवाद स्वरूप महाविद्यालयों अथवा उसके किसी संकाय अथवा भाग के निर्माण के लिए यदि कोई व्यक्ति पूरा वित्तीय योगदान देता है तो उसी भाग पर, जिसके निर्माण में योगदान दिया है, व्यक्ति के नाम का पत्थर लगाया जा सकता है।

(3) ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की सेवा के लिए बलिदान किया हो, के नाम पर महाविद्यालयों का नामकरण करने पर विचार करना उपयुक्त होगा।

(4) दिवंगत राष्ट्रीय/प्रदेशिक स्तर के प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के नाम पर नामकरण किया जा सकता है।

(5) उन दान-दाताओं के पूर्वजों के नाम, जो महाविद्यालय के लिए 10 एकड़ भूमि/भवन आदि निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे, नामकरण किया जा सकता है।

(6) ग्राम समाज की भूमि अधिगृहीत होने पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर महाविद्यालय का नामकरण नहीं किया जायेगा।

(7) जीवित व्यक्ति के नाम पर महाविद्यालय का नामकरण नहीं किया जायेगा।

(8) व्यक्ति विशेष के नाम के साथ जाति वाला अंश नहीं रहेगा लेकिन यह प्रतिबन्ध ऐसे व्यक्तियों पर लागू न होगा जो इतिहास पुरुष बन गया हो, उदाहरण के लिए पं0 मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आजाद।

(9) महाविद्यालयों का नामकरण ऐसे व्यक्ति के नाम पर किया जा सकता है, जिन्होंने सराहनीय कार्य तथा उत्कृष्ट आचरण द्वारा इतिहास में अपना स्थान बनाया हो।

(10) जिन महाविद्यालयों का नामकरण इस शासनादेश के निर्गत होने के पूर्व में किया गया है उनके सम्बन्ध में इस शासनादेश की शर्तों के अनुसार पुर्नविचार किया जायेगा।

2- अतएव कृपया भविष्य में तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतुल चतुर्वेदी
सचिव।

संख्या : 280(1)/15-17-97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी।
(3) संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
(4) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर।
(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(6) समस्त कुलपति राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जी0एस0 खोलिया
संयुक्त सचिव।

संख्या : 3840-ए/सत्तर-2-99-2(131)/99

प्रेषक,

श्री हेमन्त राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 30 सितम्बर, 1999

विषय : वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विषयों में प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता के विस्तरण हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में नये अशासकीय महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों के निर्धारण विषयक दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-4557/15-62(11)-3(30)/80 दिनांक 14 मार्च, 1984 में जारी किये गये हैं। उक्त शासनादेश में पूर्व प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता के विस्तरण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से अस्थायी सम्बद्धता के विस्तरण के जो भी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उनमें विश्वविद्यालय द्वारा मात्र अस्थायी सम्बद्धता के विस्तरण की संस्तुति की जाती है, प्रस्तावों का परीक्षण नहीं किया जाता है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विस्तरण सम्बन्धी प्रस्तावों का सम्यक् परीक्षण विश्वविद्यालय स्तर पर करने के उपरान्त ही परिपक्व प्रस्ताव कुलाधिपति/शासन को भेजा जाय और ऐसे प्रस्तावों में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना आवश्य उपलब्ध करायी जाय :-

(1) भूमि किराये की है, या संस्था की। संस्था की है तो पैतृक संस्था के नाम है या महाविद्यालय के नाम। इसकी पुष्टि राजस्व अभिलेखों से की जायेगी।
(2) प्राचार्य एवं प्रवक्ता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की संस्तुति पर नियुक्त है अथवा अन्यथा।
(3) सोसाइटी/ट्रस्ट के पंजीकरण का नवीनीकरण हो गया है अथवा नहीं।
(4) प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय से अनुमोदित है अथवा नहीं।
(5) भूमि, भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय एवं अन्य साज-सज्जा आवश्यक मात्रा में उपलब्ध है या नहीं।
(6) यदि प्रवक्तागण स्वयं प्रबन्ध तंत्र द्वारा नियुक्त है तो क्या वे यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता रखते हैं या नहीं।
(7) गत वर्ष का परीक्षाफल।
(8) कालेज सामूहिक नकल में आरोपित तो नहीं हुआ।
(9) निर्धारित उपस्थिति से कम उपस्थिति होने के कारण कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से रोके गये।
(10) शिक्षा सत्र के दौरान कालेज कुल कितने दिन खुला।

उपरोक्त विन्दु संख्या-7 से 10 अनिवार्य शर्तें नहीं होंगी, बल्कि यह अतिरिक्त सूचनाओं के रूप में मानी जायेंगी। इन अतिरिक्त सूचनाओं का उपयोग विस्तरण करने या न करने में लिया जायेगा। अतएव कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
हेमन्त राव
विशेष सचिव।

संख्या-3840(1)/सत्तर-2-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 862/सत्तर–2–2000–2(163)/99

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 13 मार्च, 2000

विषयः– उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या–4557/15–62(11)–3(30)/80, दिनांक 14 मार्च, 1984 द्वारा किया गया था जिसे समय–समय पर संशोधित भी किया गया है। वर्तमान में प्रचलित नियमों/व्यवस्था के अनुसार किसी भी अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्रदान किया जाता है। इसके उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्था का स्थलीय परीक्षण कराकर सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलाधिपति एवं शासन को भेजा जाता है। इसका शासन द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव मानकों के अनुरूप होने पर सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति महामहिम कुलाधिपति को की जाती है। शासन की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त कुलाधिपति द्वारा संस्था को सम्बद्धता प्रदान की जाती है। यही प्रक्रिया व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (यथा–बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 आदि) जो विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में हैं, में भी अपनायी जाती है।

2– उच्च शिक्षा के कुछ पाठ्यक्रम जैसे–एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बी0एड0 आदि जिनके लिए किसी राष्ट्रीय वैधानिक संस्था यथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् आदि में अनापत्ति प्राप्त करनी होती है, के मामलों में वर्तमान में शासन द्वारा सम्बन्धित संस्था से सीधे प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अनापत्ति प्रदान की जाती है।

3– शासन द्वारा अब केवल स्ववित्त पोषित योजना में ही नये महाविद्यालयों की स्थापना तथा पूर्व से स्थापित अनुदानित तथा अनानुदानित महाविद्यालयों में किसी नये संकाय/परास्नातक स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। चूंकि पूर्व प्रक्रिया के अनुसार पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु मान्यता दो चरणों, पहले क्लीयरेंस फिर सम्बद्धता में दिये जाने से शासन स्तर पर यह अनुभव किया गया है कि इससे एक ओर जहां नये महाविद्यालयों की स्थापना/नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने में विलम्ब होता है वहीं दूसरी ओर महाविद्यालय के संस्थापकों/संचालनकर्ताओं को अनावश्यक परेशानी भी होती है। जबकि उनके द्वारा स्ववित्त पोषित आधार पर निजी श्रोतों से महाविद्यालय का समस्त व्यय स्वयं वहन किया जाता है।

4– अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों के लिए क्लीयरेंस (निर्वाधन) देने की नीति को समाप्त कर दिया जाय। अतएव निजी संस्थाओं/महाविद्यालयों के स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम, जिनमें किसी राष्ट्रीय वैधानिक वाडी यथा–ए0आई0सी0ई0/एन0सी0टी0ई0 आदि की पूर्वानुमति की आवश्यकता न हो, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा अवस्थलीय निरीक्षण कराकर तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर सीधे सम्बद्धता के लिए ही प्रस्ताव शासन/कुलाधिपति कार्यालय को अपनी संस्तुति सहित भेजा जाय।

5– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें किसी राष्ट्रीय वैधानिक बाडी यथा–ए0आई0सी0टी0ई0 एन0सी0टी0ई0 के पर्वानुमोदन की आवश्यकता हो, के लिए अनापत्ति दिये जाने का प्रस्ताव अब विश्वद्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाये। संस्था/महाविद्यालय द्वारा सीधे प्राप्त अनापत्ति दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

6– अतएव नये सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय खोले जाने तथा पूर्व से स्थापित महाविद्यालयों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम यथा–स्नातक स्तर पर नया संकाय अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर नया विषय प्रारम्भ करने हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

7– उपरोक्त व्यवस्था 2000–2001 से प्रारम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र से लागू होगी।

8– कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या : 862(1)/सत्तर–2–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2– सचिव, महामहिम कुलाधिपति।

3– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश।

6– उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।

7– निजी सचिव,मा0 उच्च शिक्षा मन्त्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

8– उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के आच्छादित समस्त महाविद्यालय द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।

आज्ञा से,

डा0 लालता प्रसाद वर्मा,
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या : 1731/सत्तर-2-2000-2(213)/99

प्रेषक,

श्री हेमन्त राव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2000

विषयः- नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या -4557/15-62(11)-3(30)/80 दिनांक 14 मार्च, 1984 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश द्वारा महाविद्यालयों की स्थापना/नये विषयों में सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु प्राभूत की राशि भी निर्धारित की गयी है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि संस्था द्वारा सम्बद्धता के समय प्राभूत की जिस राशि की एफ0डी0आर0 कुलसचिव के नाम पर प्लेज्ड की गयी है उसमें सम्बन्धित पाठ्यक्रम/विषय का उल्लेख नहीं रहता है। इससे शासन स्तर पर यह निर्धारित करना कठिन होता है कि प्रस्ताव के साथ संलग्न प्राभूत की राशि प्रस्तावित विषय के लिए ही है।

2- अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्राभूत के रूप में जमा एफ0डी0आर0 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि यह धनराशि किस विषय/पाठ्यक्रम के लिए प्लेज्ड करायी गयी है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

हेमन्त राव,
विशेष सचिव

संख्या : 1731(1)/सत्तर-2-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय।
2- सचिव, महामहिम कुलाधिपति।
3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग एवं अधिकारी।
7- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से

हेमन्त राव
विशेष सचिव।

संख्या : 31/सत्तर-2-2000-2(1)/2000

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक : 04 अप्रैल 2000

विषय : **नये महाविद्यालयों में एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु मानकों का निर्धारण।**

महोदय,

प्रदेश में नये अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ किये जाने हेतु मानकों का निर्धारण विषयक दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-4557/15-62(11)-3(30)/80 दिनांक 14 मार्च, 1984 में जारी किये गये हैं। जिन्हें समय-समय पर संशोधित भी किया गया है। उक्त शासनादेश में एल0एल0बी0 तीन वर्षीय तथा पांच वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में कोई पृथक दिशा-निर्देश नहीं हैं। अभी तक एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में क्लीयरेंस/अस्थायी सम्बद्धता के प्रकरण पर उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ही विचार किया जाता है। जबकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट उपाधि है। इस पाठ्यक्रम की सामान्य शिक्षा के अन्य स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों से तुलना किया जाना उचित नहीं है। व्यावहारिक रूप से एल0एल0बी0 की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् उपाधि धारक को विभिन्न न्यायालयों में जनसामान्य को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। अतः यदि एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम की सामान्य शिक्षा के अन्य स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों से तुलना की जाती है तो इससे विधि की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। इस पाठ्यक्रम को नयी संस्थाओं में प्रारम्भ किये जाने के लिए आवश्यक है कि इस पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट मानक निर्धारित किये जायें।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु समुचित विचारोपरान्त निम्नलिखित मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

(1) एल0एल0बी0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में 40 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 480 वर्ग फुट के तीन व्याख्यान कक्ष अथवा 80 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 900 वर्ग फुट के तीन व्याख्यान कक्षों का प्रबन्ध संस्था को करना होगा। यदि प्रबन्ध तंत्र पांच वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना चाहता है तो उसे उक्त माप के पांच व्याख्यान कक्षों की व्यवस्था करनी होगी।

(2) संस्था को लड़कों के लिए 300 वर्ग फुट के तथा लड़कियों के लिए 200 वर्ग फुट के एक-एक कामन रूम की व्यवस्था करनी होगी।

(3) तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए संस्था/प्रबन्ध तंत्र को छात्रों की प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के आधार पर एक हजार वर्ग फुट से चार हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल के एक वाचनालय की व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार पांच वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए 1500 वर्ग फुट से छः हजार वर्ग फुट के बीच क्षेत्रफल के एक वाचनालय की व्यवस्था संस्था/प्रबन्ध तंत्र को करनी होगी।

(4) प्रशासनिक एवं प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा एवं बैठक कक्ष तथा लेखा कक्ष आदि के लिए संस्था/प्रबन्ध तंत्र को 900 वर्ग फुट क्षेत्रफल के भवन की व्यवस्था करनी होगी।

(5) शौचालय के लिए प्रबन्ध तंत्र/संस्था को 100 वर्ग फुट क्षेत्रफल के भवन की व्यवस्था करनी होगी।

(6) तीन वर्षीय एल0एल0बी0 के लिए संस्था/प्रबन्ध तंत्र के पास कम से कम 12000 वर्ग फुट क्षेत्रफल की भूमि अपेक्षित है। पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 15000 वर्ग फुट क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए। यदि कालेज केवल महिलाओं के लिए खोला जाना है तो भूमि में 20 प्रतिशत तक की छूट इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि भूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 10000 वर्ग फुट से कम नहीं होगा।

(7) तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु संस्था द्वारा रू0 चार लाख तथा पांच वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु रू0 छः लाख की एफ0डी0आर0 सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नाम पर प्लेज्ड करनी जानी अपेक्षित है।

3- पहले से स्थित महाविद्यालयों में विधि संकाय की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। भविष्य में एल0एल0बी0 पढ़ाने के लिए पूर्णतः अलग महाविद्यालय को ही मान्यता दी जायेगी।

4- अतएव नये लॉ कालेजों में एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के लिए उपर्युक्त मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- उपरोक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

6- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मानकों को विश्वविद्यालय के परिनियमों में सम्मिलित करने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव

संख्या-31(1)/सत्तर-2-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिव, श्री कुलाधिपति।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
(5) निजीसचिव, मा0 मंत्री जी को, मा0मंत्री जी के सूचनार्थ।

आज्ञा से,
डा0 लालता प्रसाद वर्मा
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या: 462 / सत्तर–5–2000–40(36) /

प्रेषक,

कुलदीप एन0 अवस्थी
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–5 | लखनऊ: दिनांक 10 मई, 20

विषय:– **महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक इमारतों एवं संस्थाओं का व्यक्ति विशेष के ऊ नामकरण किया जाना**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–280 / 15–17–97–40(36) / 96, दिनांक–21 मई, 1997 की ओ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 मई, 1997 के प्रस्तर में यह उल्लेख किया गया है कि जीवित व्यक्ति के नाम पर महाविद्यालय का नामकरण नहीं किया जायेगा।

2– प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक पुनर्विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जीवित व्यक्ति के नाम पर नामकरण न तो उचित है और न ही परम्परा। मृत व्यक्ति की स्मृति में ही भवन संस्था या अन्य का निर्माण ज की सांस्कृतिक पद्धति है। अतः केवल मृत व्यक्ति के नाम पर ही नामकरण किए जाने की संस्तुति दी जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

कुलदीप एन0 अवस्थी
अनु सचिव।

संख्या : 462 / सत्तर–5–2000 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी।
2– संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4– उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
– समस्त कुलसचिव राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

आज्ञा से

कुलदीप एन0 अवस्थी
अनु0 सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–2
संख्या–748/सत्तर–2–2000–2(72)/2000
लखनऊ: दिनांक: 19 मई, 2000

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा उच्च तकनीकी एवं प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों के अध्ययन से सम्बन्धित कतिपय ऐसी संस्थाओं स्थापना की गयी है, जिनका नामकरण "इण्डियन इन्स्टीट्यूट" (Indian Institute) शब्द से हुआ है। ये संस्थाएं भारत रकार द्वारा वित्त पोषित एवं उनके द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करती है। प्रदेश में कतिपय ऐसे प्रबन्धकीय जी संस्थाओं की स्थापना की गयी है, जिनका नाम इंडियन इन्स्टीट्यूट के नाम पर रखा गया है। इससे निजी संस्थाओं रा छात्रों को भ्रमित करने की आशंका रहती है, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय/राजकीय संस्थाओं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, की प्रतिष्ठा/गरिमा में भी कमी आती है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में इण्टरनेशनल, नेशनल, आल इण्डिया, दुस्तान आदि नामों के आधार पर भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गयी है। इससे छात्रों/जनसामान्य में इनको जकीय संस्थाएं माने जाने की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

2– उक्त स्थिति पर सम्यक् विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि ण्डियन इण्टरनेशनल, नेशनल, आल इण्डिया, हिन्दुस्तान उत्तर प्रदेश तथा राज्य (State) आदि नामों के आधार पर जी संस्थाओं की स्थापना के प्रस्ताव शासन/महामहिम कुलाधिपति को न भेजे जायें।

3– पूर्व में उक्त नामों के आधार पर स्थापित संस्थाओं के नाम परिवर्तन भी आवश्यक है। संस्था/कालेज का म तर्कसंगत एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। अतः सम्बद्धता/विस्तरण के पूर्व संस्था द्वारा नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में वश्यक कार्यवाही कर ली जाये।

सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या : 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002

प्रेषक,

आर0 रमणी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 27 सितम्बर, 2002

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोलने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य निर्धारण, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानकों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्रारम्भ में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शनों/सीटों की वृद्धि किये जाने आदि के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था में संशोधन करते हुए नये मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है। मानक निम्नवत हैं :-

1- सामान्य प्रक्रिया

रजिस्ट्रार सोसाइटीज अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कोई संस्था या ट्रस्ट जिसके संविधान के पंजीकृत बायलाज में शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन प्रबन्धन स्पष्टतः अंकित हों, प्रदेश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा-शिक्षण के महाविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आनेवाले ऐसे विश्वविद्यालय, जिसे उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-37 एवं धारा-38 के अन्तर्गत सहयुक्तता/ सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार हो, के माध्यम से शासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु प्रस्ता कर सकती है। आवेदक समिति/ट्रस्ट महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करने से पूर्व महाविद्यालय स्थापित करने हे शासन द्वारा निर्धारित मानकों का सम्यक रूप से अध्ययन कर लेवें तथा स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि जिस क्षेत्र में न महाविद्यालय की स्थापना/पूर्व मेंसंचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्ताव किया जा रहा है, वहां मानकों अनुसार महाविद्यालय स्थापित करने का समुचित औचित्य बनता है अथवा नहीं? आवेदक संस्था यह भी देख ले कि मानकानुसार सभी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने में सर्वथा सक्षम है अथवा नहीं?

आवेदक संस्था द्वारा नये महाविद्यालय खोलने अथवा वर्तमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्राप करने हेतु शासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु आवेदन सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई त प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन सम्बन्धित क्षेत्र के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कुलसचिव के माध्यम से शासन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप पर नये महाविद्यालय की स्थापना/वर्तमान में संचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्र हेतु मानकानुसार औचित्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय आवेदक संस्था के प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेग शासन द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा आवेद संस्था को शासन द्वारा निर्वाधन/अनापत्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्णय से अवगत कराया जायेगा। शासन अनापत्ति/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त होने की दशा में आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा करने तथा उ विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम प्लेज्ड कराने से पूर्व निम्नलिखित को सुनिश्चित कर लिया जाय :-

1- प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम मानकानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित करायी जाय।

2- महाविद्यालय के नाम अंकित भूमि पर मानकानुसार भवन/अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण पूर्ण करा लि जाय।

3- शैक्षिक अवस्थापना सुविधाओं यथा पुस्तकों, प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों/संयंत्रों/फर्नीचर आदि मानकानुर क्रय करने हेतु पर्याप्त धनराशि संस्था के बैंक खातों में उपलब्ध हो तथा वे आगामी वर्षों में संस्था महाविद्या में शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवर्तक व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध कराने में समर्थ हों।

उपर्युक्त सुनिश्चित कर लेने के उपरान्त संस्था सावधि जमा राशि के प्रमाण-पत्र में प्रस्तावित संकाय/पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए प्राभूत की धनराशि कुलसचिव के नाम प्लेज्ड करायेंगे तथा निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर सभी प्रविष्टियां अंकित करेंगे। आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय/संस्थान के लिए प्रस्तावित भवन का चारों दिशाओं से लिया गया बड़े साइज का फोटो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त प्रारूप के साथ महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा रूपये पचास मूल्य के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उन्होंने आवेदन-पत्र में जो भी विवरण/प्रविष्टियां अंकित की हैं, वे तथ्यों पर आधारित हैं और सही हैं। आवेदन-पत्र में कोई भी तथ्य न तो उनके द्वारा छिपाया गया हैऔर न ही असत्य घोषित किया है। यदि उनके द्वारा की गयी घोषणा में कोई भी तथ्य गलत, असत्य या छिपाया हुआ पाया जाय तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

विश्वविद्यालय में निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा होने के उपरान्त विश्वविद्यालय प्रस्तावित नये महाविद्यालय/वर्तमान महाविद्यालय में प्रस्तावित नये पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण मण्डल गठित करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे -

1- विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि, जो आचार्य/स्नातकोत्तर प्राचार्य स्तर का हो,

2- प्रत्येक सम्बन्धित विषय का एक विषय विशेषज्ञ जो न्यूनतम उपाचार्य स्तर का हो, किन्तु कृषि संकाय के विषयों हेतु विशेषज्ञ प्रदेश में अवस्थित कृषि विश्वविद्यालयों से नामित किए जाएं।

3- सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अथवा विषय विशेषज्ञ के रूप में पृथक-पृथक महाविद्यालयों के निरीक्षण मण्डल में भिन्न-भिन्न व्यक्ति नामित हों।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित उक्त निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्य एक साथ किसी एक निर्धारित तिथि को महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा महाविद्यालयों के लिए शासन द्वारा निर्धारित/राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकानुसार सभी अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध होने अथवा नहीं होने, जैसी भी स्थल पर स्थिति हो, का तथ्यात्मक उल्लेख अपनी निरीक्षण आख्या में अंकित करते हुए अपनी आख्या/संस्तुति विश्वविद्यालय को निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण के दौरान निरीक्षक मण्डल प्रस्तावित महाविद्यालय भवन के साथ अपनी फोटो भी खिंचाएंगे जिसे निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित कुलाधिपति एवं शासन को अग्रसारित की जायेगी। शासन उक्त आख्या/संस्तुति का पूर्ण रूप से परीक्षण कर प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित करेगा महामहिम कुलाधिपति द्वारा अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा एवम् शिक्षणेत्तर क्रिया कलाप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवम् नियमों के अनुसार सुनिश्चित कराये जायेंगे।

2. औचित्य निर्धारण

(अ) जिस स्थान पर नया महाविद्यालय/संस्थान स्थापित करना प्रस्तावित है वहां औचित्य निर्धारण हेतु यह देखना आवश्यक होगा :-

1. जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी. की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?
2. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?
3. उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या-क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?
4. उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?
5. क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम अर्हता युक्त पर्याप्त छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
6. क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र मानक योग्यतानुसार उपलब्ध हो सकेंगे?
7. संस्था/समिति/ट्रस्ट का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य है अथवा नहीं?
8. प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित न हो। महाविद्यालय का नाम जीवित व्यक्ति के नाम पर न हों अथवा जाति विशेष के नाम न हो।

9. भूमि, मानकानुसार संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो अथवा कम से कम 30 वर्ष के लिये लीज पर हों तथा लीज डीड पंजीकृत हो।

10. क्या महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है?

(ब) इसी प्रकार पूर्व से संचालित महाविद्यालय/संस्थान में नये पाठ्यक्रमों में अनापत्ति/निर्बंधन देने हेतु औचित्य निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

1. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या क्या है?

2. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर, स्वीकृत पाठ्यक्रमों में विगत तीन वर्ष का विषयवार परीक्षाफल क्या था?

3. क्या पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त हैं? नियुक्त शिक्षकों में से कितने तथा किस-किस विषय के शिक्षक आयोग से नियुक्त/विनियमितीकृत हैं अथवा वर्तमान में संचालित किन-किन पाठ्यक्रम में कितने शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4. महाविद्यालय के पास खेलकूद आदि प्रतिस्पर्धाओं के लिए पर्याप्त क्रीड़ा सामग्री तथा भूमि उपलब्ध है।

3. <u>प्राभृत की राशि</u>

क्र.सं.	संकाय/विषय	बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि
1	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषय	रू0 2.00 लाख	रू0 1.50 लाख
2	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू0 50,000/-	रू0 20,000/-
3	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु	रू0 50,000/-	रू0 20,000/-
4	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच परमपरागत विषयों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 2.50 लाख
5	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर बी०एस-सी० (कम्प्यूटर साइंस), बी०एस-सी० (इनफारमेशन टेक्नोलॉजी), आदि नवीन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत	रू0 3.00 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त	रू0 2.50 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त
6	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू0 55,000/-	रू0 25,000/-
7	स्नातकोत्तर स्तर के कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु	रू0 75,000/-	रू0 30,000/-
8	स्नातकोत्तर स्तर पर एम०काम० अथवा प्रत्येक प्रयोगात्मक विषयों हेतु	रू0 2.00 लाख	रू0 50,000/-
9	एल०एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू0 4.00 लाख	रू0 3.00 लाख
10	एल०एल०बी० (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू0 6.00 लाख	रू0 4.00 लाख
11	बी०बी०ए०/बी०सी०ए० पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 1.50 लाख
12	एम०सी०ए० पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 5.00 लाख	रू0 5.00 लाख
13	एम०बी०ए० पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 3.00 लाख

4. भूमि का मानक

(1.1) नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानक निम्नवत होगा :–

(क)	नगर निगम क्षेत्र	5000 वर्ग मीटर
(ख)	नगर पालिका क्षेत्र	7000 वर्ग मीटर
(ग)	अन्य क्षेत्र	20000 वर्ग मीटर

किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।

(1.2) विधि महाविद्यालयों (लॉ कालेज) हेतु भूमि का मानक :–

(क) तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए संस्था/प्रबन्धतंत्र के पास कम से कम 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि अपेक्षित है।

(ख) पांच वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए।

यदि लॉ कालेज में दोनों पाठ्यक्रम, लॉ तीन वर्षीय तथा लॉ पांच वर्षीय संचालित हों तो उस स्थिति में महाविद्यालय में कम से कम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए।

(1.3) कृषि महाविद्यालय के लिए उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भूमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिए उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(1.4) ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार अतिरिक्त भूमि का होना अनिवार्य है।

5. भवन का मानक

प्रत्येक महाविद्यालय के पास आवश्यकतानुसार अपना निजी भवन होना अनिवार्य है जिसमें केवल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में ही शिक्षण प्रदान किया जायेगा। कला/विज्ञान संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों तक के लिए न्यूनतम छः व्याख्यान कक्ष तथा पुस्तकालय–वाचनालय, अध्यापक कक्ष, छात्र/छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष होना आवश्यक है। प्रत्येक कक्ष के लिए आवश्यकतानुसार फर्नीचर का होना आवश्यक होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोगात्मक विषय के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया गया हो तो उसके लिए एक पृथक प्रयोगशाला कक्ष होना अनिवार्य है। इसी भांति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन के लिए एक अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष का होना आवश्यक है एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक प्रयोगशालाएं निर्मित होने की अनिवार्यता होगी। नये महाविद्यालय के लिए प्रारम्भ में भूमि और भवन की न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक निम्नवत् होगा :–

1–	व्याख्यान कक्ष – प्रत्येक कक्ष	85 वर्ग मीटर से 90 वर्गमीटर
2–	प्रत्येक प्रायोगिक विषय हेतु प्रयोगशाला कक्ष	80 वर्ग मीटर
3–	पुस्तकालय–वाचलनालयकक्ष	80 वर्ग मीटर
4–	एक अध्यापक कक्ष	20 वर्ग मीटर
5–	एक छात्रा कक्ष	20 वर्ग मीटर
6–	प्रशासनिक कक्ष जिसमें प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष तथा लेखा कक्ष,	80 वर्ग मीटर
7–	बरामदा	100 वर्ग मीटर
8–	शौचालय (छात्र/छात्रा हेतु पृथक) दो प्रत्येक 4 वर्ग मीटर	8वर्ग मीटर
	योग –	828 वर्ग मीटर

6. पुस्तकालय का मानक

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक विषय के लिए पुस्तकें तथा पत्रिकाओं पर न्यूनतम आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत् होगा :–

स्नातक स्तर

	विषय / मद	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1–	पुस्तकालय फर्नीचर, कार्ड स्टेशनरी रख–रखाव आदि (500 छात्र संख्या तक)	50,000/-	5,000/-
2–	रसायन, भौतिक, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा आई0टी0 पाठ्यक्रम प्रति विषय हेतु पुस्तकों पर व्यय	20,000/-	3,000/-
3–	सांख्यिकी, भूगर्भ, गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रति विषय पुस्तकों पर व्यय	15,000/-	2,000/-
4–	कला संकाय के शेष प्रति विषय	10,000/-	2,000/-
5–	वाणिज्य कुल	50,000/-	5,000/-
6–	विधि संकाय	50,000/-	5,000/-
7–	कृषि कुल	75,000/-	7,000/-
8–	शिक्षा प्रशिक्षण	25,000/-	4,000/-
9–	पुस्तकालय में शब्द कोष व विविध पुस्तकों व शोध, पत्रिकाओं हेतु (500 छात्र संख्या तक)	10,000/-	5,000/-

स्नातकोत्तर स्तर

	विषय	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1–	विज्ञान तथा कृषि का प्रत्येक विषय	75,000/	5,000/-
2–	भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रत्येक विषय	45,000/	5,000/-
3–	कला संकाय के शेष प्रति विषय	35,000/	4,000/-
4–	वाणिज्य, विधि प्रत्येक	50,000/	7,000/-
5–	शिक्षा प्रशिक्षण	35,000/	5,000/-

नोट :– यदि छात्र संख्या से अधिक बढ़ जाती है तो आवर्तक व्यय उसी अनुपात में बढ़ जायेगा।
ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./बार कांउन्सिल आफ इण्डिया की परिधि में आने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित मानक प्रभावी होंगे।

7. **प्रयोगशाला के मानक**

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक प्रयोगात्मक कार्य वाले विषय की प्रयोगशाला हेतु अपेक्षित आवर्तक/अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत् होगा :–

स्नातक स्तर

क्र. सं.	विषय	प्रथम वर्ष में फर्नीचर पर व्यय (रू0)	प्रथम वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय (रू0)	आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष (60 से 75 छात्र स्नातक तक भाग-1 में) रू0	आवर्तक व्यय में वृद्धि प्रति 20 छात्र पर (रू0)
1	ड्राइंग पेंटिंग	10,000/-	12,000/-	2,000/-	500/-
2	संगीत	2,000/-	15,000/-	2,000/-	500/-
3	भूगोल, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान में प्रति विषय	15,000/-	20,000/-	2,500/-	500/-

4	भौतिक, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान प्रति विषय	30,000/-	75,000/-	10,000/-	1,000/-
5	रसायन विज्ञान (गैस व डिस्टिल्ड वाटर सहित)	40,000/-	1.5 लाख	15,000/-	1,500/-
6	कम्प्यूटर विज्ञान, बी०सी०ए० आदि	40,000/-	5.0 लाख	25,000/-	10,000/-
7	भूगर्भ विज्ञान	30,000/-	40,000/-	5,000/-	500/-
8	कृषि एग्रोनामी, सांख्यिकी, कृषि प्रसार, कृषि तकनीकी, कृषि दुग्ध विज्ञान प्रति विषय	8,000/-	2.0 लाख	1,000/-	500/-
9	कृषि पादप रोग, विज्ञान, जेनेटिक्स उद्यान तथा कृषि रसायन प्रति विषय	15,000/-	15,000/-	2,000/-	500/-
10	म्यूजियम प्रति विषय जहाँ अनिवार्य है	8,000/-	20,000/-	5,000/-	500/-
11	अन्य प्रति अतिरिक्त कृषि विषय	7,000/-	10,000/-	2,000/-	500/-
12	शिक्षा प्रशिक्षण (पूरे संकाय हेतु)	15,000/-	7,000/-	2,000/-	500/-

स्नातकोत्तर स्तर

क्र. सं.	विषय	प्रथम वर्ष फर्नीचर पर व्यय रू0	प्रथम वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय रू0	आवर्तक व्यय प्रति 20 छात्र, रू0	प्रति अतिरिक्त छात्र रू0
1-	विज्ञान तथा कृषि प्रत्येक विषय एक ब्रांच के साथ	50,000/–	2.00 लाख	25,000/–	3,000/–
2-	कला/शिक्षा संकाय के प्रत्येक विषय	8,000/–	25,000/–	4,000/–	500/–

8- स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम स्वीकृत करने का मानक

स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम केवल उन्हीं महाविद्यालयों में स्वीकृत किये जायें जहां -

महाविद्यालय को स्नातक स्तर के विषयों में सम्बद्धता प्राप्त हुए तीन वर्ष बीत चुके हों। तीनों वर्षों तक उसकी व्यवस्था, प्रबन्धन तथा शिक्षण स्तर उत्तम रहा हो।

महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा-2(एफ) में पंजीकृत हो चुका हो।

विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल अविच्छिन्न रूप से उत्तम रहा हो तथा 60 प्रतिशत से कम न हो। महाविद्यालय में परीक्षा कार्य का संचालन विश्वविद्यालय के नियमानुसार होता रहा हो।

महाविद्यालय की छात्र संख्या महिला महाविद्यालय की दशामें 300 से अधिक हो एवं सह शिक्षा युक्त महाविद्यालय की दशा में यह संख्या 500 हो चुकी हो।

महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं में क्रमशः पुस्तकें, उपकरण आदि पूर्ववर्ती वर्षों में मानकानुसार क्रय किये गये हों।

महाविद्यालय में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त किये गये हों एवं प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो अथवा शिक्षक उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं कार्यरत हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित महाविद्यालय के 15 किलोमीटर को परिधि के अन्दर किसी अन्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम नहीं हो।

उक्त मानक पूर्ण होने पर ही स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम में एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम दो नवीन पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जा सकेगी।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन सीटों की वृद्धि हेतु मानक

पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हों।

सम्बंधित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय कम से कम एक बैच पास-आउट हो चुका हो तथा परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम न रहा हो।

पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मांग/आवश्यकता का आधारभूत आंकड़ों के अनुसार औचित्य हो।

4. सम्बन्धित विषय में नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शासन द्वारा निर्धारित अर्हता धारण करते हों तथा उनकी नियुक्ति पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

10- सम्बद्धता विस्तरण हेतु मानक

(1) महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित अवस्थापना सम्बन्धी मानक तथा पूर्व में निर्गत सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश में उल्लिखित शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं।

(2) शिक्षकों की नियुक्ति यू.जी.सी./शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप की गयी हो।

(3) विगत वर्षों (अधिकतम तीन वर्ष) का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम न रहा हो।

(4) संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य हो।

(5) महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा हो।

(7) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अवधि में सामूहिक नकल का आरोप न हो।

(8) सम्बद्धता विस्तरण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की संस्तुति सहित सम्बद्धता समाप्त होने की अवधि से तीन माह पूर्व शासन तथा महामहिम कुलाधिपति कार्यालय को प्राप्त होना चाहिए।

11- स्थायी सम्बद्धता हेतु मानक

(1) महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित समस्त अवस्थापना एवं शैक्षिक मानकों की पूर्ति कर लेने का समुचित प्रमाण हो।

(2) विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से न्यून न रहा हो।

(3) निर्धारित योग्यता धारक प्राचार्य तथा समस्त शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रियानुसार कर दी गयी हो तथा यथावश्यक नियुक्ति पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(4) अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा हो।

(5) स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के माध्यम से निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति सहित अस्थायी सम्बद्धता समाप्त होने की अवधि के तीन माह पूर्व शासन/कुलाधिपति को प्राप्त हो जाये।

(6) संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य हो।

(7) प्रबन्ध तंत्र में किसी प्रकार का विवाद न हो तथा प्रबन्ध तंत्र के विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने का प्रमाण हो।

(8) सामूहिक नकल का कोई आरोप न हो।

12- प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

13- शुल्क का निर्धारण

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु समय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त/सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों से लिया जायेगा।

14- सम्बद्धता हेतु समय सारणी

सम्बद्धता के सम्बन्ध में शासन एवं महामहिम कुलाधिपति कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य प्रक्रिया प्राभूत की राशि भूमि, भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु मानकों तथा पूर्व से संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन/सीटों में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।।

निर्बाधन (क्लीयरेंस)/अनापत्ति (एन.ओ.सी.) तथा सम्बद्धता हेतु आवेदन करने के लिए दो अलग-अलग प्रपत्र संलग्न हैं।

भवदीय,
आर0 रमणी
प्रमुख सचिव

संलग्नक - यथोक्त।

संख्या 3075(1)/सत्तर-2-2002 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, सचिवालय, लखनऊ।
6. उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
बी0 डी0 जोशी
संयुक्त सचिव।

संख्या – 452 / XXVI (1)/2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पान्डे

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तरांचल शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 05. अप्रैल, 2005

विषय :– शासकीय निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय निर्माण कार्यो के संपादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के चयन/निर्धारण के सम्बन्ध में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्णय लिया गया है :–

शासकीय निर्माण कार्यो के लिए प्रदेश की निर्माण इकाईयों की तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता के आलोक में निर्माण एजेन्सियों के विस्तार पर रोक लगाने हेतु आवश्यक है कि राज्य के बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को उनके आगणन पर अब कोई भी नया निर्माण कार्य स्वीकृत न किया जाये। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के निर्माण कार्यो की क्षमता के दृष्टिगत इनसे अधिक निर्माण कार्य कराये जायें। साथ ही उत्तरांचल के राजकीय निगमों में प्रमुख रूप से उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को, जिन्हें सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु भी गठित किया गया है, से अधिक से अधिक निर्माण कार्य कराया जाये। गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम की कार्य क्षमता को देखते हुए इनसे भी निर्माण कार्य कराये पर विचार किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत राजकीय निर्माण कार्यो हेतु उक्त निर्माण एजेन्सियों में से चयन के लिए निम्न निर्माण सिद्धान्तों/मापदण्डों का अनुपालन कराया जाय :–

(क) रू0 200.00 लाख तक के सभी भवन निर्माण कार्य (मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवन) उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरांचल राज्य के निगम एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कराये जा सकते हैं।

(ख) रू0 200.00 लाख से अधिक एवं रू0 800.00 लाख तक के (मानकीकृत भवन निर्माण कार्य) किसी भी निर्माण एजेन्सी से कराया जा सकता है, परन्तु राज्य के बाहर की निर्माण एजेन्सी को न्यूनतम टेण्डर के आधार पर ही निर्माण कार्य आवंटित किये जाय।

(ग) रू0 200.00 लाख से अधिक गैर मानकीकृत भवन निर्माण कार्य तथा रू0 600.00 लाख से अधिक के समस्त भवन निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

से आगणन प्राप्त कर निविदा के माध्यम से ओद्योगितात्मक स्पर्धा के आधार पर कराया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम धनराशि का आंकलन निगम को देय सेन्टेज, चार्जेज को घटाकर किया जायेगा।

2. कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से एक स्थान पर प्रस्तावित समस्त निर्माण कार्य एक ही कार्यदायी संस्था से कराया जाये। यदि किसी कारणवश निर्माण कार्य एक कार्यदायी संस्था को देने से निर्धारित समयान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु आबद्ध कर सकता है, परन्तु यह आबद्धता ऐसी होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक निर्माण इकाई को निर्माण कार्य पूरा करने में दूसरी निर्माण इकाई पर किंचित मात्र भी निर्भर न रहना पड़े।

3. निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेन्सियों द्वारा तैयार किया गया आंगणन पूरी तरह लोक निर्माण विभाग की दरों पर आधारित होना चाहिए। प्रतिवर्ष मानक दरों के निर्धारण हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल पेयजल निगम/मुख्य अभियन्ता की एक समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा निर्धारित मानक दरों की सूचना नियमित रूप से सभी सम्बन्धित को दी जायेगी।

4. मानकीकृत भवन की विशिष्टयां लोक निर्माण विभाग द्वारा इन भवनों के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप प्रत्येक कार्यदायी संस्था द्वारा अपने आंगणन में समावेशित किया जाना होगा। यथासम्भव इन मानकीकृत भवनों के मानचित्र लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र पर ही आधारित होंगे।

5. निर्माण कार्य आवंटन के समय ही निर्धारित समय तथा लागत, जिसके अन्दर कार्य पूरा होना है, पारस्परिक विचार–विमर्श द्वारा तय कर लिया जाना चाहिए और तदनुसार निर्माण हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित प्रत्येक विभाग द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में जो निर्माण कार्य पूर्व में जिस कार्यदायी संस्था को आंवटित किया जा चुका है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन इस निर्णय के परिणाम स्वरूप नहीं किया जायेगा। केवल डेबिटेबिल कार्य की स्थिति उत्पन्न होने पर ही निर्माण दायी संस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। यथासम्भव स्वीकृत आंगणन के आधार पर तैयार किये गये विस्तृत आंगणन के अनुरूप ही पूर्व स्वीकृत निर्माण पूरे करा लिये जायें और उनमें किसी प्रकार का संशोधन केवल अपरिहार्य स्थिति में ही कराये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

उत्तरांचल के बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य टेण्डर के आधार पर दिए जायें एवं उत्तरांचल की कार्यदायी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाय।

समस्त निर्माण कार्य निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों द्वारा ही सभी निर्माण एजेन्सियों द्वारा कराये जायें। किसी भी दशा में आंगणन के आधार पर कार्य का सम्पादन नहीं कराया जायेगा।

[illegible] आंगणन का पुनः संशोधित आगणन स्वीकार न किए जाय।

ण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के चयन संबन्धी आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी अर्थात् ऐसे मामले पुनरीक्षित नहीं किए जायेंगे, जहां कार्यदायी संस्था का पूर्व से निर्धारण हो चुका

न्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य का अनुश्रवण भी अत्यन्त आवश्यक है। ण कार्य कराने वाले सभी प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि उनके द्वारा नोडल अधिकारी त किए जांय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा भी नोडल अधिकारी नामित किए जांय, जो निर्माण कार्य का त्त रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर तुरन्त गीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यथाशीघ्र भवन : विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सी से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित होगा। विभागीय सचिव के स्तर पर से कम प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं । से निर्माण कार्य पूरा किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

या 452(1) / XXVII (1) / 2005 तद्‌दिनांक

लेपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरांचल, देहरादून।

प्रबन्धक निदेशक, पेयजल विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।

प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम, नैनीताल।

एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

के0 सी0 मिश्र
अपर सचिव वित्त

संख्या 752/XXIV (6)/2006

प्रेषक,

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

कुलसचिव,
कुमायूं विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

कुलसचिव,
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून, दिनांक : 17 अगस्त, 2006

विषय : प्रदेश में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों के लिए मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4228 ए/70–2–99–2(85)/97, दिनांक 30 अक्टूबर, 1997 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में भूमि की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि के पूर्व में निर्धारित मानक को निम्नांकित विवरणानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

विवरण	वर्तमान मानक (वर्गमी0 में)	संशोधित मानक (वर्गमी0 में)
(अ) पर्वतीय क्षेत्र	5000	5000
(ब) नगर निगम क्षेत्र	5000	5000
(स) नगरपालिका परिषद् क्षेत्र	10000	7000
(द) अन्य क्षेत्र	20000	10000

महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक का 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी। महाविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु यह आवश्यक है कि भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए। संवैधानिक संस्था के अधिकार क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में यदि सम्बन्धित संवैधानिक संस्था द्वारा इससे अधिक भूमि का मानक निर्धारित किया जाता है तो सम्बन्धित संवैधानिक संस्था का मानक ही प्रभावी होगा।

भूमि के मानक के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

एस0 राजू
सचिव।

संख्या 752/XXIV (6)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
2. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
3. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

के0 पी0 पाटनी,
अनु सचिव।

संख्या– 07/XXIV(7)/2007-6(232)06

प्रेषक:

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर।

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 देहरादून: दिनॉक 11 जनवरी, 2007

विषय:– अस्थायी सम्बद्धता की संस्तुति के लिए निरीक्षण मण्डल के गठन के संबंध में।

महोदय,

वर्तमान में विश्वविद्यालयों द्वारा निजी संस्थाओं एवं महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल में विषय विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि, कार्यपरिषद का प्रतिनिधि तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को नामित करने की व्यवस्था प्रचलन में है, निरीक्षण मण्डल द्वारा सरसरी तौर पर आख्या तैयार कर विश्वविद्यालय को भेजी जाती है, उसमें सुस्पष्ट विवरण अंकित न कर संलग्नक 4 देखें, 5 देखें...... अंकित किया जाता है, जिस कारण प्रस्ताव को निर्णय हेतु प्रस्तुत करने में अनावश्यक परेशानी होती है। अतः स्थिति पर सम्यक विचार के उपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न संस्थाओं/महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल का स्वरूप निम्नवत् होगा:–

(1) विश्वविद्यालय का विषय विशेषज्ञ अथवा डीन, जो समिति का संयोजक होगा।

(2) शासन द्वारा निरीक्षण मण्डल के लिए 10 प्राचार्यो का एक पैनल अनुमोदित किया जायेगा, जो कि राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से न्यून नहीं होंगे। इन्हीं 10 प्राचार्यों में से किसी एक प्राचार्य को विश्वविद्यालय द्वारा नामित किया जायेगा। यह पैनल दोनों विश्वविद्यालयों के लिए अलग–अलग होगा।

(3) विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि जो सहायक कुल सचिव से निम्न स्तर का न हो।

(4) कार्य परिषद का एक सदस्य।

(5) संबंधित विश्वविद्यालय से बाहर के विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि जो संबंधित विषय का विशेषज्ञ भी हो।

उक्तवत गठित निरीक्षण मण्डल के संयोजक द्वारा गोपनीय तरीके से निरीक्षण मण्डल की आख्या तैयार कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। निरीक्षण आख्या

में जो भी विवरण अंकित किया जायेगा, वह सुस्पष्ट होना चाहिए, उसमें कहीं पर यह न लिखा हो कि संलग्नक देखें। निरीक्षण मण्डल की आख्या इस तरह की हो कि मात्र आख्या के अवलोकन के उपरान्त ही संस्था की सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके।

2. निरीक्षण आख्या के साथ निरीक्षण मण्डल का प्रबन्ध समिति के किसी एक सदस्य के साथ प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्थान के बाहर खींचा गया फोटो भी संलग्न करना अनिवार्य है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि निरीक्षण मण्डल द्वारा वास्तव में संस्थान का निरीक्षण किया गया और सभी सदस्य एक साथ उपस्थित थे।

3. निरीक्षण मण्डल की आख्या में फैकल्टी के संबंध में सुस्पष्ट विवरण अंकित होना चाहिए, संस्था द्वारा नियुक्त फैकल्टी का विवरण, नियुक्ति पत्र, फोटोग्राफ संलग्न करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष होने के कारण यदि फैकल्टी नियुक्त करने में व्यावहारिक कठिनाई है तो उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति से एक माह का समय दिया जा सकता है, परन्तु शिक्षण सत्र प्रारम्भ करने से पूर्व फैकल्टी अनिवार्य रूप से नियुक्त होनी चाहिए तथा फैकल्टी का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा करने के उपरान्त आख्या शासन को भेजी जायेगी।

4. संस्था के भवन, शिक्षण कक्ष, खेल के मैदान तथा पुस्तकालय आदि के फोटोग्राफ निरीक्षण आख्या के साथ निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

5. निरीक्षण आख्या तैयार करने के उपरान्त उस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निरीक्षण मण्डल द्वारा निम्न आशय का प्रमाण पत्र भी आख्या में ही दिया जाना होगा:-

"निरीक्षण मण्डल के समस्त सदस्य संयुक्त रूप से शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि निरीक्षण आख्या में जो भी विवरण/प्रविष्टियां अंकित की गयी हैं, वे सभी तथ्यों पर आधारित हैं, उनका निरीक्षण मण्डल द्वारा भली-भांति निरीक्षण/अवलोकन कर लिया गया है। किसी भी प्रमाण पत्र के संबंध में हुई शंका का भी समाधान कर लिया गया है। निरीक्षण आख्या में किसी भी तथ्य को न तो छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य लिखा गया है। यदि निरीक्षण आख्या में उल्लिखित कोई भी तथ्य गलत, असत्य या प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के विपरीत होना पाया जाता है तो हमारे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।"

6. अस्थायी सम्बद्धता संबंधी प्रस्ताव कार्य परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त ही महामहिम कुलाधिपति एवं शासन को भेजे जाय। कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निरीक्षण मण्डल के गठन के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

एस० राजू,
सचिव।

संख्या— 07(1)/ XXIV(7)/2007-6(232)06 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
4. राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

के0पी0 पाटनी
अनु सचिव।

संख्या – 504 / II (1) 09-04 (सामान्य)/2008

प्रेषक,

इन्दु कुमार पान्डे

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14294
Date: 19-6-2013
Documentation Centre

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

लोक निर्माण विभाग देहरादून : दिनांक : 13, मार्च, 2009

विषय :– शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषययक शासनादेश संख्या 452 / XXVII (I)/2005 दिनांक 05 अप्रैल, 2005 शासनादेश संख्या 39/ XXVII /2007 दिनांक 14 अगस्त, 2007, शासनादेश संख्या 65/ XXVII /2007 दिनांक 27 सितम्बर, 2007 शासनादेश संख्या 407/94–अधिष्ठान/2006 दिनांक 01 फरवरी, 2008 शासनादेश 1738/ II (1)/08-04 सामान्य /08 दिनांक 17 जुलाई, 2008 का शासनादेश संख्या 2050/ II (1)/08-04 (सामान्य)/08 दिनांक 21 अगस्त, 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त सन्दर्भित समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार अग्रिम आदेश तक निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:–

1. रू0 1.00 करोड़ लागत तक के कार्यो के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया जा सकता है।
2. रू0 1.00 करोड़ से अधिक किन्तु रू0. 5.00 करोड़ से अनाधिक लागत की परियोजनाओं के लिए लोक निर्माण विभाग अथवा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था बनाया जा सकता हैं

3. रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विका निगम से सम्पादित कराये जायेंगे। उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम इसके लि विभागवार कार्यों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए विभाग के लिए उत्तराखण्ड राज अवस्थापना विकास निगम के अन्तर्गत इकाई बनायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
मुख्य सचिव

संख्या 504/III(1)/09-04 (सामान्य)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव
लोक निर्माण विभाग।

संख्या 4557(क)/15-82 (11)-3 (30)/80

डा0 एस0एस0 खन्ना
उपसचिव
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अनुभाग (11) दिनांक : लखनऊ 14 मार्च, 1984

विषय :— समबद्ध सहयुक्त महाविद्यालयों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु मानकों का निर्धारण।

य,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये महाविद्यालयों की स्थापना करने, स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता प्रदान तथा सम्बद्ध/ सहयुक्त महाविद्यालयों में पदों के सृजन के सम्बन्ध में मानकों के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान ग, नई दिल्ली के परामर्श पर शासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों के पदों के सृजन सम्बन्धी मानकों के सम्बन्ध में उक्त समिति की संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरान्त ाल महोदय, उक्त महाविद्यालयों के छात्र संख्या के आधार पर निम्नवत तीन श्रेणियों में विभक्त करते हुए उनमें शिक्षक रियों के पदों के सृजन किये जाने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित करने की संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) 'क' श्रेणी के महाविद्यालय – जहां छात्र संख्या 1500 से अधिक है।
(2) 'ख' श्रेणी के महाविद्यालय – जहां छात्र संख्या 500 से अधिक और 1500 तक है।
(3) 'ग' श्रेणी के महाविद्यालय – जहां छात्र संख्या 500 तक है।

कार्यालय के सामान्य पद

तीय वर्ग कर्मचारी :

(क) 'ग' श्रेणी के महाविद्यालय के लिये–
   (i) प्रधान लिपिक एवं लेखाकार – एक पद
   (ii) रुटीन लिपिक – 200 तक छात्र संख्या होने पर एक पद और उससे अधिक होने पर दो पद।

(ख) 'ख' श्रेणी के महाविद्यालय के लिये :–
   (i) प्रधान लिपिक – एक पद
   (ii) लेखाकार – एक पद
   (iii) आशुलिपिक – एक पद
   (iv) रुटीन लिपिक प्रति 200 छात्र सं0 पर एक पद देय होगा। रुटीन लिपिक के कुल देय पदों में से 20 प्रतिशत पद वरिष्ठ सहायक के पद के वेतन–मान में होंगे।

(ग) 'क' श्रेणी के महाविद्यालय के लिये :

इस श्रेणी के महाविद्यालयों में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 'ख' श्रेणी के महाविद्यालय के मानक के समान होगी, किन्तु यदि महाविद्यालय चाहे तो प्रधान लिपिक के पद के स्थान पर निर्धारित वेतन मान में कार्यालय अधीक्षक का पद रख सकता है। यदि महाविद्यालय के छात्र सं0 2500 से अधिक हो तो निर्धारित वेतन मान में वर्सर का एक नया पद महाविद्यालय में मान्य होगा।

र्थ वर्गीय कर्मचारी :

(i) यदि छात्र संख्या 100 से कम हो तो पांच पद।
(ii) छात्र संख्या सौ (100) से अधिक होने पर एक दफ्तरी का पद भी देय होगा।
(iii) 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर एक अतिरिक्त पद मान्य होगा।
(v) 400 से अधिक, प्रत्येक 200 की छात्र संख्या की वृद्धि पर एक सामान्य चतुर्थ वर्गीय पद देय होगा परन्तु छात्र संख्या 800 होने पर कुल अनुमन्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों में से दो पद स्वीपर के रखना आवश्यक होगा।

पुस्तकालय से सम्बन्धित पद

1– पुस्तकालयाध्यक्ष – प्रत्येक महाविद्यालय में एक पद।

2– उप पुस्तकालयाध्यक्ष – (क) ऐसे महाविद्यालय जहां छात्र संख्या 1000 से अधिक है। एक पद देय होगा।

(ख) ऐसे महाविद्यालय जहां छात्र संख्या 3500 से अधिक हो और कम से कम तीन विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था हो एक अतिरिक्त पद देय होगा।

3– कैटलागर – यह पद केवल उन महाविद्यालयों में निम्नांकित मानकों के आधार पर देय होगा जिन महाविद्यालयों में कम से कम तीन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन होता है –

(क) 1000 से अधिक छात्र संख्या पर – एक पद।

(ख) 4500 से अधिक छात्र संख्या पर – एक और पद।

4– पुस्तकालय लिपिक – रुटीन लिपिक के वेतनमान में –

(क) 300 से अधिक छात्र संख्या पर एक पद।

(ख) 300 की छात्र संख्या के ऊपर प्रत्येक 500 छात्रों की संख्या के पश्चात् एक अतिरिक्त पद। परन्तु जहाँ बुक बैंक है वहां यह पद प्रत्येक 400 छात्रों की संख्या पर देय होगा।

(ग) जहाँ अध्यापकों के अतिरिक्त 20 या अधिक नियमित शोध छात्र पंजीकृत हों– एक अतिरिक्त पद।

5– पुस्तकालय परिसर – चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के वेतनमान में बुक लिफ्टर –

(क) प्रारम्भ में एक पद।

(ख) 300 की छात्र संख्या होने पर एक अतिरिक्त पद।

(ग) 300 की छात्र संख्या के पश्चात् प्रत्येक 500 की छात्र संख्या पर एक अतिरिक्त पद। परन्तु जहाँ बुक बैंक हैं वहां यह पद प्रत्यक 400 छात्रों की वृद्धि पर देय होगा।

6– बुक वाइन्डर – – चतुर्थ श्रेणी के वरिष्ठ वेतनमान में एक हजार से अधिक छात्र संख्या होने पर केवल एक पद।

प्रयोगशालाओं से सम्बन्धित पद

1– प्रयोगशाला सहायक – रुटीन लिपिक के वेतनमान में–

(क) भौतिक शास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र तथा गृहविज्ञान की कक्षाओं में उस विषय की स्नातक स्तर की छात्र संख्या 120 होने पर स्टोर कीपर कम प्रयोगशाला सहायक–एक पद परन्तु 300 से अधिक छात्र होने पर प्रयोगशाला सहायक का एक अतिरिक्त पद देय होगा।

(ख) (i) रसायन विज्ञान–200 तक की छात्र संख्या पर – एक पद।

(ii) 201 से 400 तक की छात्र संख्या पर दूसरा पद तथा 400 से अधिक छात्र संख्या पर तीसरा पद।

(ग) अन्य प्रयोगात्मक स्नातक विषयों (कृषि, संगीत तथा ड्राइंग व पेंटिंग को छोड़कर) में स्टोर कीपर–कम प्रयोगशाला सहायक का एक पद यदि कुल स्नातक छात्र संख्या 150 से अधिक हो, बी0एस0सी0 में केवल कृषि रसायन तथा जिनेटिक तथा दुग्ध शास्त्र प्रयोगशालाओं में एक–एक पद (इस प्रकार कुल तीन पद)

(घ) बी0एस0सी0 (कृषि) में केवल निम्नलिखित–9 प्रयोगशालायें पद सृजन एवं वेतन संदाय हेतु मान्य होंगी।

(1) कृषि रसायन, सोइल कैमिस्ट्री एवं वाईकैमिस्ट्री

(2) कृषि वनस्पति, जिनैटिक्स एवं पादपरोग।

(3) पशुपालन, दुग्धशास्त्र एवं दुग्ध रसायन।

(4) हार्टीकल्चर और फूड प्रीजरवेशन।

(5) कृषि प्राणि विज्ञान एवं कीट विज्ञान।

(6) एग्रोनामी।

(7) कृषि प्रसार।

(8) कृषि तकनीकि एवं सोइल कंजर्वेशन।

(9) कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं गणित।

प्रयोगशाला सहायक पद ऊपर वर्णित–क्रम (1) (2) और (3) की प्रयोगशालाओं में ही मान्य होंगे और इस प्रकार कुल तीन पद अनुमन्य होंगे।

(ङ.) कृषि संकाय, में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विषय में प्रत्येक के लिये एक अतिरिक्त पद।

(च) रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाओं में 40 से अधिक छात्र संख्या होने पर एक अतिरिक्त पद।

(छ) ऐसी प्रत्येक स्नातकोत्तर प्रयोगशाला में जहां नियमित पंजीकृत शोध छात्र छः या अधिक होंगे, वहा प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला परिचर का एक–एक पद शोध प्रयोगशाला हेतु पृथक से देय होगा।

2– प्रयोगशाला परिचर :– निर्धारित वेतनमान

(क) प्रत्येक स्नातक प्रयोगात्मक विषय में आरम्भ में एक पद।

(ख) दूसरा पद यदि छात्र संख्या 200 से अधिक हो।

(ग) रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गृहविज्ञान, एवं कृषि के प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय में एक पद परन्तु रसायन विज्ञान में यदि स्नातकोत्तर स्तर पर एक से अधिक ब्रांच है तो एक अतिरिक्त पद।

3– (i) रसायन शास्त्र में एक पद गैसमैन।

(ii) वनस्पति विज्ञान में एक पद माली।

(iii) भौतिक विज्ञान हेतु एक पद मैकेनिक–कम–इलेक्ट्रिशियन।

(iv) तथा प्राणि विज्ञान में एक पद ऐनीमल कैचर का अनुमन्य होगा।

यदि महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षायें है और शोध कार्य होता है तथा वर्कशाप उपलब्ध है तो आवश्यकतानुसार एक पद मैकेनिक, एक पद कारपेन्टर तथा एक पद ग्लासब्लोअर का अनुमन्य किया जा सकता है। जिन महाविद्यालयों में विज्ञान कक्षायें न हों और छात्र संख्या 2000 से अधिक हो वहां भी महाविद्यालय के भवन व आवश्यकताओं को देखते हुये इलेक्ट्रिशियन तथा कारपेन्टर का एक–एक पद अनुमन्य होगा।

4– संगीत विषय में तबला संगतकार का एक पद देय होगा।

नोट– (1) प्रत्येक महाविद्यालय में रु0 354/– 500/– वेतनमान के प्रयोगशाला सहायकों में से 20 प्रतिशत से अधिक सहायकों को 400/– 615/– का वेतनमान देय होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वह कर्मचारी कम से कम 5 वर्ष की सेवा उस महाविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के रूप में कर चुका हो। इन मानकों के फलस्वरूप जो कर्मचारी फालतू घोषित होंगे उन्हें या तो अन्यत्र समायोजित करने का प्रयास किया जायेगा अथवा सेवा पृथक किया जायगा।

(2) उपर्युक्त मानक वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–(1)/173/दस–84 दिनांक 2 जनवरी, 1984 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(3) मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त मानकों को सम्बन्धित महाविद्यालय में परिचालित करने की शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) शीघ्र ही व्यवस्था करेंगे। मानकों के अनुसार नये पदों का सृजन वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

एस0एस0 खन्ना
उपसचिव

संख्या 4557(क) (1)/15–82 (11)–3 (30)/80 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथोचित कार्यवाही प्रेषित :–

(1) कुल सचिव, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा प्रदेशीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव।

(2) सचिवालय का शिक्षा (10) व (15) अनुभाग।

(3) सचिवालय का वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–II

आज्ञा से,

एस0एस0 खन्ना
उप सचिव

संख्या 4557(ख)/15–82 (11)–3 (30)/80

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय

शिक्षा (11) अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 26 मई, 1984

विषय :— महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों के सृजन तथा उनके कार्यभार के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

महोदय,

महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों के सृजन तथा उनके कार्यभार के मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के परामर्श पर शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों के सृजन एवं उनके कार्यभार के सम्बन्ध में निम्नलिखित मानक निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) विश्वविद्यालय में साप्ताहिक कार्यभार का मानक प्रोफेसर के लिये 12 घन्टे, रीडर के लिए 15 घन्टे और प्रवक्ता के लिए 18 घन्टे (60 मिनट प्रति घन्टा के अनुसार) होगा।

(2) महाविद्यालयों के शिक्षकों का साप्ताहिक कार्यभार 18 घन्टा अथवा 45 मिनट के वादन (पीरियड्स) की दशा में 24 वादन (पीरियड्स) होगा। इसके अतिरिक्त परिसर में न्यूनतम 6 घन्टे प्रति सप्ताह महाविद्यालय के प्रशासनिक एवं शिक्षणेत्तर कार्यों में प्राचार्य को योगदान देंगे और छात्रों की कठिनाईयां दूर करेंगे। प्राचार्य से भी 6 वादन प्रति सप्ताह अध्यापन कार्य की अपेक्षा की जाती है।

(3) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए न्यूनतम पद कार्यभार के आधार पर स्वीकृत होंगे। कार्यभार के आगणन हेतु शिक्षण कार्य (Class Room Teaching) को पूरा घन्टा तथा प्रयोगात्मक कार्य के एक घन्टे के स्थान पर 3/4 घन्टा माना जायेगा। सेमिनार/ट्यूटोरियल कार्य का आगणन कार्यभार के प्रति मान्य नहीं होगा।

(4) प्रत्येक अध्यापक को 40 घन्टे प्रति सप्ताह कार्य करना अनिवार्य होगा जिसमें न्यूनतम् 24 घन्टे प्रति सप्ताह उसे परिसर में रहना होगा। शेष समय अध्यापन की तैयारी, शोध एवं कार्य आदि में देना चाहिए। प्रत्येक सत्र में शैक्षिक कार्य के लिए न्यूनतम 210 दिन अवश्य निर्धारित होंगे।

2— मुझे यह भी कहने की अपेक्षा की गई है कि इन मानकों के फलस्वरूप जो शिक्षक फालतू होंगे उनको अन्यत्र खपाने का प्रयास किया जायेगा अथवा पद समाप्त कर दिये जायेंगे। किसी भी प्रवक्ता पद के रिक्त होने पर, उस पद पर पुनः नियुक्ति हेतु कार्यभार के आधार पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) से अनुमति प्राप्त करनी होगी। किसी स्नातकोत्तर विभाग में कुल अध्यापकों की कम से कम आधी संख्या ऐसे अध्यापकों की होनी चाहिए जो डाक्टरेट कर चुके हों अथवा जिन्होंने उच्चस्तरीय शोध प्रकाशनों द्वारा समकक्ष अर्हता प्राप्त कर ली हो।

3- उक्त मानक वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -ई-11-2403/दस-82 दिनांक 24-11-1982 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानको परिनियमों में सम्मिलित करने की कार्यवाही अलग से की जारही हैं शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) मानकों को सम्बन्धित महाविद्यालयों में परिचालित कराने की व्यवस्था करेंगे। मानकों के अनुसार नये पद का सृजन वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

एस0एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव

संख्या 4557(1)/15-82(11)-3(30)/80 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- सचिवालय का वित्त (व्यय नियन्त्रण-11) अनुभाग।

2- सचिवालय का शिक्षा- 10/15 अनुभाग

आज्ञा से,

एस0एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव

संख्या 2992/15–11–86–3 (30)/80

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (11) अनुभाग | लखनऊ दिनांक : 17 जुलाई 1986

विषय :– नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4557/15–11–82–3 (30)/80 दिनांक 14 मार्च, 1984 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के परिशिष्ट "ग" में प्रयोगशालाओं पर आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय के सामान्य निर्धारित मानक में स्नातकोत्तर स्तर के कला संकाय के विषयों के प्रयोगशालाओं हेतु मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। अतः शासन ने निर्णय लिया है कि नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय की प्रयोगशालाओं के लिये निम्नलिखित तालिका अनुसार अनावर्तक एवं आवर्तक व्यय के मानक निर्धारित किये जाते हैं :–

विषय	प्रथम वर्ष फर्नीचर पर व्यय	दो वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय प्रति वर्ष
एम0ए0 भूगोल एम0ए0, मनोविज्ञान एम0ए0, सांख्यिकी एम0ए0, गृह विज्ञान एम0ए0, सैन्य विज्ञान प्रत्येक विषय	10,000	30,000	2,000
एम0ए0, चित्र कला	5,000	20,000	1,000
एम0ए0, संगीत	2,000	20,000	1,000

2– अतएवं नये सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय खोले जाने तथा वर्तमान सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला संकाय की प्रयोगशालाओं के लिये स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों हेतु उपर्युक्त मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये और सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को अवगत करा दिया जाये। ये मानक तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय,

एस0एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव

दिनांक 21—5—88 को शिक्षा निदेशक के कक्ष में आयोजित बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त लिये गये निर्णय के आधार पर 1—6—88 से शिक्षकों के लिये कार्यभार के आगणन हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैं।

तालिका

वेतन प्रणाली हेतु महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्यभार के आगणन का आधार

कक्षा	विषय	व्याख्यान प्रति सप्ताह (वादन) 45 मिनट प्रति वादन	प्रयोगात्मक प्रति सप्ताह (वादन)
एम0एस0सी0	रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान	16	20
एम0ए0 व	भौतिक	20	24
एम0एस0सी0	सांख्यिकी	20	12
	गणित	24	—
एम0ए0	साहित्य	24	—
	अन्य विषय	20	—
एल0एल0एम0	विधि	24	—

नोट :— यदि अतिरिक्त वैकल्पिक विषय हैं तो प्रति अतिरिक्त प्रश्न—पत्र पर 4 वादन (3 घन्टा प्रति सप्ताह) परन्तु प्रत्येक वैकल्पिक प्रश्न—पत्र में 10 छात्र से कम न होंगे और एक विषय में दो से अधिक अतिरिक्त वैकल्पिक प्रश्न—पत्र मान्य न होंगे।

एम0ए0	भूगोल, गृह विज्ञान मनोविज्ञान एवं सैन्य विज्ञान	16	6
एम0ए0	ड्राइंग—पेंटिंग	12	0
एम0ए0	संगीत	12	0
एम0काम	—	24	—
एम0एस0सी0	कृषि प्रेक्टिकल विषयों में	16	20
	कृषि बिना प्रेक्टिकल के विषय हेतु	24	—
बी0ए0 भाग 1 तथा 2	सामान्य विषय	6	6
	भूगोल, सैन्य विज्ञान	6	4
	सांख्यिकी	6	6
	संगीत	3	6
	ड्राइंग—पेंटिंग	3	6
	मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान	6	3
बी0ए0 भाग—3	प्रत्येक विषय हेतु साहित्यिक विषय छोड़कर	3 वादन प्रति प्रश्नपत्र	4 केवल प्रयोगात्मक विषय में
बी0ए0 1,2,3	साहित्यिक हेतु	4 वादन प्रति प्रश्नपत्र	—
बी0ए0 बी0एस0सी0 भाग—1 व 2	गणित	12	—

बी0ए0, बी0एस0सी0			
भाग–3	गणित	4 वादन प्रति प्रश्न पत्र	–
बी0एस0सी0			
भाग–1 व 2	भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति भूगर्भ, सांख्यिकी	6	8
बी0एस0सी0			
भाग–3	तदैव	3 वादन प्रति प्रश्न पत्र 9 वादन थ्योरी	6
बी0काम0	–	24	–
बी0एस0सी0	कृषि प्रति विषय	3 वादन प्रति पेपर	3 वादन प्रति बैच
विधि स्नातक	–	24	–
बी0ए0,बी0एस0सी0	सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी संस्कृत, उर्दू	3 वादन प्रति पेपर	–
बी0एड0, एम0एड0	–	अध्यापक छात्रसंख्या 1:15 मान्य होंगी।	

आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में एम0काम0 पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध दोनों मिलाकर 24 वादन प्रति सेक्शन प्रति सप्ताह प्रति ग्रुप विषय दिया जाये। एम0काम0 में प्रत्येक ग्रुप : विषय में कम से कम 10 छात्र होना अनिवार्य है। बी.काम. में प्रति ग्रुप 8 वादन अधिकतम 3 ग्रुप 3X8= कुल 24 वादन देय होंगे। बी0काम0 के तृतीय वर्ष के लिये भी 24 वादन होंगे।

1. पद सृजन हेतु व्याख्यान का प्रत्येक वर्ग 70 छात्र का माना जायेगा।
2. कला तथा विज्ञान के प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय में तथा कृषि के प्रत्येक विषय में प्रयोगात्मक कार्य हेतु 20 छात्रों का एक वर्ग माना जायेगा परन्तु यदि एक ही वर्ग है तो 25 छात्र तक एक ही वर्ग माना जायेगा।
3. स्नातकोत्तर विषयों में प्रयोगात्मक कार्य प्रत्येक वर्ग 15 छात्रों का होगा परन्तु 10 छात्रों तक ही एक ही वर्ग माना जायेगा जैसे यदि 10, 15 अथवा 18 छात्र हैं तो केवल एक ही वर्ग माना जायेगा। परन्तु यदि 20, 28, 32 अथवा 35 छात्र हैं तो दो वर्ग माने जायेंगे।
4. फाउण्डेशन कोर्स (Foundation Course) के भाषा के प्रश्न पत्र के लिए 5 वादन प्रति सेक्शन तथा सामान्य ज्ञान के लिए 3 वादन देय होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र (सामान्य ज्ञान) के लिए कार्यभार विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
5. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का तीसरा वर्ष आरम्भ होने पर प्रश्न पत्रों की संख्या में वृद्धि होगी। अतः यह प्रयास किया जायेगा कि स्नातक स्तर के प्रत्येक विषय के लिये न्यूनतम 2 प्रवक्ता और स्नातकोत्तर स्तर के विभाग में 4 प्रवक्ता पद स्वीकृत किये जायें।

भवदीय

डा0 के0एन0जोशी
संयुक्त शिक्षा निदेशक, (उ0शि0)
उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0
इलाहाबाद।

संख्या–37/1/69–का–2/1995

षक,

राम कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर, 1995

विषय :– चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह–ग) के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन के समसंख्यक शासनादेश दिनांक 31 अगस्त, 1982 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) के हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष योग्यता धारण करने वाले कर्मचारियों को, जिन्होंने उक्त पद पर 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, तृतीय श्रेणी (समूह–ग) के न्यूनतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों में 15 प्रतिशत पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. उपरोक्त व्यवस्था पर शासन ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त 15 प्रतिशत के वर्तमान पदोन्नति के प्रावधान के अतिरिक्त सचिवालय तथा सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों को छोड़कर अन्य सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) के इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, को उपर्युक्त लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नतियों में 5 प्रतिशत स्थान नियत किये जायें।

3. अतः अनुरोध है कि भविष्य में तृतीय श्रेणी (समूह–ग) के न्यूनतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों में पदोन्नति के अवसर पर निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए शासन के उपरोक्त निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये और जहां आवश्यक हो संगत सेवा नियमावली में तत्काल संशोधन कर लिया जाये :–

(1) 15 प्रतिशत के वर्तमान कोटे तथा उपरोक्तानुसार बढ़ाये जा रहे 5 प्रतिशत कोटे में की जाने वाली प्रश्नगत पदोन्नतियों में पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए शासनादेशों के अनुसार प्रभावी आदेश लागू होंगे और तदनुसार आरक्षण विषयक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) पदोन्नति के पदों पर 'टाइप' के ज्ञान के संबंध में लागू वर्तमान नियम/आदेश प्रश्नगत अभ्यर्थियों के संबंध में भी लागू होंगे।

भवदीय

राम कुमार
सचिव।

संख्या–37/1/69–का–2/1995 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

सचिवालय के समस्त अनुभाग।
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव।
समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजि सचिव।
सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

राम कुमार
सचिव।

शासनादेश संख्या - 3893/सत्तर-4/97-46(38)/96, दिनांक 30 दिसम्बर, 1997

का संलग्नक

राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रावासों हेतु शिक्षणेत्तर पदों के सृजन के मानक

पुरूष छात्रावास

परिचर	-	प्रति 25 छात्रों पर एक
चौकीदार	-	प्रत्येक छात्रावास के लिये 3 आठ-आठ घन्टे की ड्यूटी पर।
गेट मैन.	-	प्रत्येक छात्रावास के लिये 2 आठ-आठ घन्टे की ड्यूटी पर।
सफ़ाईकार	-	प्रति 50 कक्षों पर एक।
माली	-	एक-यदि छात्रावास में उद्यान हो।

महिला छात्रावास

मैट्रन	-	प्रत्येक छात्रावास के लिये एक
नैत्यिक लिपिक	-	एक
आया	-	प्रति 25 छात्राओं पर एक
माली	-	एक - यदि उद्यान हो।
सफ़ाईकार	-	प्रति 50 कक्षों पर
चौकीदार	-	तीन-प्रत्येक 6-8 घन्टे की ड्यूटी पर।
गेटमैन	-	प्रति गेट पर दो प्रत्येक आठ-आठ घन्टे की ड्यूटी पर
कुक	-	प्रति 20 छात्राओं पर एक
परिचर	-	प्रति 25 छात्राओं पर एक।

एस0 डी0 तिवारी

विशेष कार्याधिकारी।

प्रेषक,

अतुल चतुर्वेदी,
सचिव, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) कुलपति/कुल सचिव/वित्त अधिकारी,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

(2) निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 1997

विषय : **राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रावासों हेतु शिक्षणेत्तर पदों के मानक।**

महोदय,

राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रावासों के लिए शिक्षणेत्तर पदों के सृजन के मानक निर्धारित न होने के कारण पदों के सृजन में कठिनाई अनुभव की जा रही थी। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संलग्नक में उल्लिखित पुरूष छात्रावासों तथा महिला छात्रावासों के लिये मानक निर्धारित कर दिये हैं।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित मानकों के अनुसार कर्मचारियों को वर्षानुवर्ष संविदा पर रखा जायेगा। इन कर्मचारियों की सेवायें नियमित नहीं होंगी तथा इनके वेतनादि का भुगतान छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के छात्रावास शुल्क तथा अन्य सेवा शुल्क में वृद्धि कर भुगतान किया जाय। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इनके वेतन का भुगतान शासन द्वारा स्वीकृत अनुरक्षण अथवा अन्य मदों से कदापि नहीं किया जायेगा। संलग्नक मानकों के अनुसार कर्मचारियों को संविदा पर रखे जाने तथा उनके वेतन भुगतान की व्यवस्था हास्टल शुल्क से की जाय। इसके लिये शासन द्वारा पदों की स्वीकृति नहीं प्रदान की जायेगी। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की व्यवस्था कर लें।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-11/4048/दस-1997 दिनांक 22 दिसम्बर, 1997 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अतुल चतुर्वेदी
सचिव।

संख्या-3393(1)/70-4/97-46(38)/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
(5) उच्च शिक्षा अनुभाग-3/5/6.
(6) निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
(7) निजी सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) विशेष कार्याधिकारी, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
एस० डी० तिवारी
विशेष कार्याधिकारी।

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग – 2

संख्या – 1113/कार्मिक–2/2002

देहरादून : दिनांक : 07 अगस्त, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितिकरण नियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों पर राज्यपाल की नियम विधायी शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली अधिप्रभावी प्रभाव होगा।

परिभाषा

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो–

(एक) किसी पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है।

(दो) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से हैं।

(तीन) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण

4. (1) किसी व्यक्ति को–

(एक) जो सेवा में 30.6.1998 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्ति किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में, निरन्तर सेवारत हो,

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो, और

(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर लीं हो, या

यथास्थिति पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिये, ऐसी रिक्ति में, संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्त करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपर्युक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों में से एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता–क्रम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्त आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हों, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेशों में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हो, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेंगे, और वह उसके नियुक्त प्राधिकारी को भेजेगी।

नियुक्तियां

5. नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 4 के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा।

6. इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियाँ संगत सेवा के आदेशों के यदि कोई हों, अधीन की गई समझी जायेगी।

ज्येष्ठता

7. (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुरूप चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व सभी सेवा नियमों या यथास्थिति नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उनकी, परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।

सेवा की समाप्ति

8. ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो उपर्युक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम–4 के उपनियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

आलोक कुमार जैन
सचिव।

संख्या: 1113/(1)/कार्मिक–2/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर इसकी 1000 प्रतियां उपलब्ध करायें।
8. निबन्धक उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
9. आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
10. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
11. समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को मा0 मंत्रिगणों के सूचनार्थ।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन
सचिव।

उत्तरांचल शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग

संख्या 703/उच्च शिक्षा/2003-3(14) 2001
देहरादून, 25 अगस्त, 2003

अधिसूचना
विविध

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्य नियमों व आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल उत्तरांचल, उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा में भर्ती और उ नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003

भाग एक-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) यह नियमावली उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. सेवा की प्रास्थिति :

उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएं :

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो भारत का नागरिक समझा जाये;

(ग) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल से है;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) 'उपाधि महाविद्यालय (डिग्री कॉलेज)' का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है, जो प्र उपाधि स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रा होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) 'स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज)' का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्याल है, जो किसी एक या अधिक विषयों या संकायों में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनन्य से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो;

(ट) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा से है;

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ड) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि से है;

(त) 'अंशकालिक प्रवक्ता' का आशय शासनादेश संख्या 4234/15–2–86–27(23) 86, दिनांक 22–07–86 द्वारा लागू व्यवस्था के अन्तर्गत एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से है;

(थ) 'विजिटिंग लैक्चरर' से आशय शासनादेश संख्या 457/मा0स0वि0/2001–3(6) 2000, दिनांक 27–01–2001 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2001–2002 से राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमन्त्रित अभ्यर्थियों से है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग :

(1) सेवा में कुल पदों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी शासन द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) सेवा में कुल पदों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उपनियम (1) के अन्तर्गत उसमें परिवर्तन का आदेश पारित न कर दिया जाये :–

श्रेणी	पदनाम	पदों की संख्या
एक	निदेशक, उच्च शिक्षा	01
दो	(क) संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा	01
	(ख) प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	12
तीन	(क) उप निदेशक	02
	(ख) उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्य	23
चार	(क) सहायक निदेशक	02
	(ख) प्रवक्ता/प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान/प्रवक्ता चयन वेतनमान	883

टिप्पणी–30 नवम्बर, 1977 को इनमें से किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति उसी रूप में बने रहेंगे और उनका उस दिनांक को उनके द्वारा धृत पद का नाम वैयक्तिक पदनाम के रूप में बना रहेगा, भले ही उनका उसी वेतनमान में भिन्न पदनाम के पद पर बाद में स्थानान्तरण हो जाये।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत :

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

श्रेणी एक निदेशक:–नियम 4 के उप नियम (2) में उल्लिखित श्रेणी दो के सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा।

श्रेणी दो संयुक्त निदेशक एवं प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय:–नियम 4 के उपनियम (2) में उल्लिखित श्रेणी तीन में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा पदोन्नति।

श्रेणी तीन (क) उप निदेशक:–श्रेणी तीन (ख) के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा।

(ख) प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालय:–उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्यों के समस्त पद नियम 4 के उपनियम (2) की श्रेणी चार में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, योग्यता के सिद्धांत पर विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

श्रेणी चार (क) सहायक निदेशक:–श्रेणी चार (ख) के ऐसे अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे जिन्हें राजकीय उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो।

(ख) प्रवक्ता --आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा [प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/रीडर (पदनाम) कैरियर एडवान्समैन्ट योजना के अन्तर्गत दिये जाने की व्यवस्था है]।

6. आरक्षण :

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/उत्तरांचल के अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लि आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार--अर्हताएं

7. राष्ट्रीयता :

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि --

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी ,1962 से पूर्व भारत आया हो;

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा, तन्जानिया से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए , जिसके पक्ष में राज्य सरकार पात्रता प्रमाण--पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, आसू शाखा, उत्तरांचल से पात्रता प्रमाण--पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण--पत्र एक वर्ष की अ के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

8. शैक्षिक अर्हता :

सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए :--

पद	शैक्षिक अर्हता
प्रवक्ता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित एवं उत्तरांचल शासन द्वारा अनुमोदित अर्हत

9. अधिमानी अर्हता :

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने --

(क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी' प्रमाण--पत्र प्राप्त किया हो;

(ग) वाद--विवादों, संगोष्ठियों, खेल--कूद और अन्य पाठ्येत्तर कार्यकलापों में उच्च स्तर की प्रवीणता प्रदर्शि हो, जिससे महाविद्यालय के कार्यक्रमों में गरिमा के साथ भाग लेने की योग्यता प्रकट हो;

(घ) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के अधिकतम 5 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि विजिटिंग लैक पद पर कार्यरत अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो;

(च) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/सा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के अधिकतम 5 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि अंशकालिक पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो;

(छ) राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद पर चयन के मामले में केवल उन विजिटिंग लैक्चररों तथा अंश प्रवक्ताओं को अधिमान दिया जायेगा, जो सेवा नियमावली की अधिसूचना के दिनांक या उससे पूर्व रूप में कार्यरत रहे हों। यह व्यवस्था स्थायी नहीं है।

10. आयु :

जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, प्रवक्ता के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

(क) परन्तु उपबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

(ख) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं को जो विहित अर्हता पूर्ण करते हैं, को, अधिकतम आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य होगी जितनी पद हेतु आवश्यक हो, बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं की आयु इस रूप में पद का प्रस्ताव प्राप्त होने के समय विहित आयु सीमा के अन्तर्गत रही हो।

11. चरित्र :

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति :

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वास्थ्य :

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, और ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाये :

परन्तु, पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पाँच–भर्ती प्रक्रिया

14. रिक्तियों की अवधारणा :

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया :

(1) चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जो आयोग के सचिव से भुगतान करने पर, यदि कोई हो, प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिए उतने अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों, बुलायेगा, जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों में प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा :

परन्तु, उपबन्ध यह है कि योग्यता सूची के अभ्यर्थियों को उन्हीं पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जा सकेगा जिनके विरुद्ध चयन किया गया है।

(4) अंशकालिक प्रवक्ताओं की दीर्घ सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन मांगे जाने पर आवेदन करने वाले अंशकालिक प्रवक्ताओं को लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार/परीक्षा में उपस्थित होने का अवसर अवश्य दिया जाये।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :

(1) (क) उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जो उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 के अधीन गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) सचिव कार्मिक	सदस्य
(3) सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य

(ख) प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर और प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालयों के पद पर भर्ती योग्यता के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल सरकार, कार्मिक विभाग;

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल सरकार, उच्च शिक्षा विभाग;

(3) निदेशक, उच्च शिक्षा।

टिप्पणी–प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल सरकार, कार्मिक विभाग या प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, जो भी ज्येष्ठ हो, वह चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, सुसंगत चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे, तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

17. नियुक्ति :

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गई सूची में हो।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाये, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थाई या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी और यदि यह पद आयोग के कार्य क्षेत्र में हो तो उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) के विनियम–5 (क) के उपबन्ध के अनुसार होंगी।

18. परिवीक्षा :

(1) सेवा में किसी पद पर या स्थायी रिक्ति में नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये :

परन्तु, उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया हैं या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

19. स्थायीकरण :

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में नियुक्ति को स्थायी कर दिया जायेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण अच्छा बताया जाये;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

20. ज्येष्ठता :

(1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु –

(क) यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी करने के दिनांक से होगा;

(ख) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो ज्येष्ठता वही होगी, जो नियम 17 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो आयोग द्वारा अवधारित की गई हो :

परन्तु, उपबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह वैध कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की वैधता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गई।

भाग सात—वेतन इत्यादि

21. वेतनमान :

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :–

पद का नाम		वेतनमान (रुपये)
1–निदेशक, उच्च शिक्षा		18400—22400
2–श्रेणी दो के पद		16400—22400
3–श्रेणी तीन के पद		12000—18300
4–श्रेणी चार के पद	(i)	8000—13500
	(ii)	10000—15200
	(iii)	12000—18300

22. परिवीक्षा अवधि में वेतन :

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु, यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु, उपबंध यह है कि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

23. पक्ष समर्थन :

पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर,चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

परन्तु, उपबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह वैध कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की वैधता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गई।

भाग सात—वेतन इत्यादि

वेतनमान :

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :—

पद का नाम		वेतनमान (रुपये)
1—निदेशक, उच्च शिक्षा		18400—22400
2—श्रेणी दो के पद		16400—22400
3—श्रेणी तीन के पद		12000—18300
4—श्रेणी चार के पद	(i)	8000—13500
	(ii)	10000—15200
	(iii)	12000—18300

परिवीक्षा अवधि में वेतन :

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु, यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु, उपबंध यह है कि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन :

पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

24. अन्य विषयों का विनियमन :

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेव नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनि और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

25. सेवा की शर्तों में शिथिलता :

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू नि में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह माम न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभि दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है :

परन्तु, जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे उसे शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

26. व्यावृत्ति :

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुस जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य विविध श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित :

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्र

प्रमुख सचिव

संख्या : 855/कार्मिक-2/2003

प्रेषक

आलोक कुमार जैन
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग - 2 देहरादून : दिनांक : 02.9.2003

विषय : **चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली 1985 के नियम-6 में की गयी व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ श्रेणी (समूह घ) के हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष योग्यता धारण करेन वाले कर्मचारियों तथा इण्टरमिडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, को तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के न्यूनतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों में क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 05 प्रतिशत, कुल 20 प्रतिशत पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने की पूर्व में व्यवस्था की गयी है।

2. चूंकि इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मचारियों की संख्या में पूर्व की उपेक्षा गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है अतः इस सम्बन्ध में सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी समूह 'घ' के इन्टरमीडिएट तथा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों, जिन्होने 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली, को उपर्युक्त लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति में 10 प्रतिशत स्थान नियत किये जाय। इस प्रकार समूह 'घ' से समूह 'ग' में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत होगा, जिसमें इन्टरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रतिशत तथा हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु 15 प्रतिशत कोटा होगा।

3. अतः अनुरोध है कि भविष्य में तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के लिपिक वर्गीय पदों में पदोन्नति के अवसर पर निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए शासन के उपरोक्त निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

(1) पदोन्नतियों के समय आरक्षित वर्गों की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रभावी आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) पदोन्नति के पदों पर टंकण के ज्ञान के सम्बन्ध में लागू वर्तमान नियम/आदेश प्रश्नगत अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'घ' से समूह 'ग' के पदोन्नति के कोटे के पदों के विरूद्ध सरकारी सेवक के मृतक आश्रित के परिवार के सदस्य की नियुक्ति न की जाय। मृतक सरकारी सेवक के आश्रितों की नियुक्ति सीधी भर्ती के पदों के विरूद्ध ही की जायेगी।

भवदीय
आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या 1261 /तीस–2/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 11 अगस्त, 2004

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुए /जेल गये आन्दोलनकारियों को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया और सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुए आन्दोलनकारियों तथा सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल भेजे गये आन्दोलनकारियों, जिनकी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल होने और सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल जाने की पुष्टि समस्त अभिलेखों से समुचित रूप से कर ली गयी हो, को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' के पदों पर तथा समूह 'घ' के पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्तियाँ प्रदान कर दी जायें। ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जिले में समस्त विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों का चिन्हान्कन करने के पश्चात् आन्दोलनकारियों की शैक्षिक योग्यता के

चिन्हान्कन करने के पश्चात् आन्दोलनकारियों की शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्हें सूचीबद्ध करते हुए उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारी को नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु निर्देश भेजे जायेंगे तथा उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेंगी। राज्य आन्दोलनकारी की घायल अथवा जेल जाने की शासकीय अभिलेखों से सुनिश्चित पुष्टि करने के पश्चात् की जायेगी।

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सेवायोजन किये जाने के उद्देश्य से समस्त सेवा नियमावलियों के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति दिये जाने की आयु सीमा एवं चयन की प्रकिया को एक बार के लिए शिथिलता प्रदान की जाती है।

3– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्णय के अनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

संख्या (1)/तीस–2/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5– निदेशक, सूचना उत्तरांचल।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन

शिक्षा अनुभाग–7

अधिसूचना

विविध

09 मई, 2005 ई0

संख्या 123/XXIV(7)/2005–3(14) 2001–श्री राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रद शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चा मूल नियमावली कहा गया है) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005

1–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावत 2005 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–नियम 4 एवं नियम 5 में संशोधनः

मूल नियमावली के विद्यमान नियम 4 एवं 5 के स्थान पर स्तम्भ दो में यथा उल्लिखित नियम रखे जाये अर्थात्:–

वर्तमान नियम स्तम्भ 1	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ 2
भाग दो–संवर्ग	भाग दो–संवर्ग
4. सेवा का संवर्ग :	4. सेवा का संवर्ग :
(1) सेवा में कुल पदों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी शासन द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।	(1) सेवा में कुल पदों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों संख्या उतनी होगी, जितनी शासन द्वारा समय–समय अवधारित की जाये।
(2) सेवा में कुल पदों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उप नियम (1) के अन्तर्गत उसमें परिवर्तन का आदेश पारित न कर दिया जाये :–	(2) सेवा में कुल पदों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उप नियम (1) अन्तर्गत उसमें परिवर्तन का आदेश पारित न कर I जाये :–

श्रेणी	पदनाम	पदों की संख्या	श्रेणी	पदनाम	पदों संर
एक	निदेशक, उच्च शिक्षा	01	एक	निदेशक, उच्च शिक्षा	0
दो	(क) संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा	01	दो	(क) संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा	0
	(ख) प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	12		(ख) प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	1
तीन	(क) उप निदेशक	02	तीन	(क) उप निदेशक	0
	(ख) राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्य	23		(ख) राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्य	[illegible]
चार	(क) सहायक निदेशक	02	चार	(क) सहायक निदेशक	[illegible]
	(ख) प्रवक्ता/प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान/ प्रवक्ता चयन वेतनमान	883		(ख) प्रवक्ता/प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान/ प्रवक्ता चयन वेतनमान	[illegible]

:प्पणी :—30 नवम्बर, 1977 को इनमें से किसी पद को ारण करने वाले व्यक्ति उसी रूप में बने रहेंगे और नका उस दिनांक को उनके द्वारा धृत पद का नाम यक्तिक पदनाम के रूप में बना रहेगा, भले ही उनका सी वेतनमान में भिन्न पदनाम के पद पर बाद में ानान्तरण हो जाये।

भाग तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत :

वा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों की जायेगी :—

णी एक निदेशक :—नियम 4 के उप नियम (2) में उल्लिखित श्रेणी दो के सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा।

णी दो संयुक्त निदेशक एवं प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय :—

नियम 4 के उपनियम (2) में उल्लिखित श्रेणी तीन में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा पदोन्नति।

ी तीन (क) उप निदेशक :—श्रेणी 3 (ख) के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा।

(ख) प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालय :—
उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्यों के समस्त पद नियभ 4 के उप नियम (2) की श्रेणी चार में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, योग्यता के सिद्धान्त पर विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

परन्तु यह कि विधि महाविद्यालय के प्राचार्य का पद निःसंवर्गीय पद होगा।

टिप्पणी :—30 नवम्बर, 1977 को इनमें से किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति उसी रूप में बने रहेंगे और उनका उस दिनांक को उनके द्वारा धृत पद का नाम वैयक्तिक पदनाम के रूप में बना रहेगा, भले ही उनका उसी वेतनमान में भिन्न पदनाम के पद पर बाद में स्थानान्तरण हो जाये।

भाग तीन—भर्ती

5. भर्ती का स्रोत :

सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :—

श्रेणी एक निदेशक, उच्च शिक्षा :—नियम 4 के उप नियम (2) में उल्लिखित श्रेणी दो में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।

श्रेणी दो संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय :—

नियम 4 के उपनियम (2) में उल्लिखित श्रेणी तीन में विनिर्दिष्ट सेवा के ऐसे सदस्यों में से, जिन्होंने नियम 4 के उप नियम (2) की श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार में विनिर्दिष्ट पदों में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की हो, योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।

श्रेणी तीन (क) उप निदेशक :—श्रेणी 3 (ख) के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा।

(ख) प्राचार्य, राजकीय उपाधि महाविद्यालय :—
राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्यों के समस्त पद, नियम 4 के उप नियम (2) की श्रेणी चार में विनिर्दिष्ट सेवा के ऐसे सदस्यों में से, जिन्होंने नियम 4 के उप नियम (2) की श्रेणी चार में उल्लिखित पदों पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की हो/न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो, योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि विधि महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर नियुक्ति विधि महाविद्यालय के ऐसे प्रवक्ताओं में से, जो नियम 4 के उपनियम (2) की श्रेणी (चार) के हों और जिनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता विधि के रूप में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली गई हो, योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा की जायेगी।

णी चार (क) सहायक निदेशक :—श्रेणी चार (ख) के ऐसे अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे जिन्हें राजकीय उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो। (ख) प्रवक्ता :—आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/रीडर (पदनाम) कैरियर एडवान्समैन्ट योजना के अन्तर्गत दिये जाने की व्यवस्था है)।	श्रेणी चार (क) सहायक निदेशक :—श्रेणी चार (ख) में उल्लिखित ऐसे अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे जिन्हें राजकीय उपाधि महाविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो। (ख) प्रवक्ता :—आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/रीडर पदनाम कैरियर एडवान्समैन्ट योजना के अन्तर्गत दिये जाने की व्यवस्था है)।

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 410/XXIV (7)/2005

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

में,

1. कुलपति,
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर।

2. कुलपति,
कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

3. निदेशक,
उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल)।

अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक : 19 अगस्त, 2005

विषय : राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय प्रारम्भ करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण।

.य,

राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना एवं नये विषय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में पद सृजन आदि की देयता राज्य .र की होती है। प्रायः यह देखने में आया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा बिना शासन से अनुमति प्राप्त हुए राजकीय .द्यालयों में नये विषय प्रारम्भ करने के लिए निरीक्षण मण्डल का गठन करा कर उसकी संस्तुति के उपरान्त अस्थाई .ता का प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति एवं शासन को भेज दिया जाता है। इस तरह के प्रकरणों में शासन की .तिक सहमति न होने के कारण सम्बद्धता की स्वीकृति न होने के कारण छात्रों द्वारा आन्दोलन आदि भी किया जाता । कि उचित नहीं है।

2–अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा शासन से अनुमति पत्र प्राप्त के उपरान्त ही अस्थाई सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन कर संस्तुति महामहिम कुलाधिपति/शासन को भेजी यदि इस तरह की प्रक्रिया का पालन किये बिना विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव किया गया तो शासन यह मानते हुए कि शिक्षण व्यवस्था करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से वहन की जायेगी, अस्थाई .द्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी। साथ ही राजकीय महाविद्यालयों के सम्बन्ध में बिना शासन की सहमति के .ण आख्या में संस्तुति करने की दशा में निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

.10/XXIV (7)/2005, तद्‌दिनांक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एस0के0 माहेश्वरी
अपर सचिव।

संख्या 785/XXIV (7)/2006-3(15)

प्रेषक,

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कुलपति,
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर, गढवाल।

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक : 24 अगस्त, 2(

विषय : उत्तम शैक्षिक अभिलेख की परिभाषा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 74/XXIV(7)/2005–3(15)/2005, दिनांक 12–9–2005 के द्वारा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर भर्ती हेतु प्रस्तावित उत्तम शैक्षिक अभिलेख को परिनियमावली में समावेशित/प्रतिस्था करने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा विश्वविद्यालयों से की गयी थी। विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदन के उपरान्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर चयन हेतु उत्तम शै अभिलेख को निम्नवत परिभाषित करने का मुझे निदेश हुआ है :–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवक्ता पद हेतु निम्नांकित अभ्यथी उत्तम शैक्षिक अभिलेख का धारक माना जायेग

(क) सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत होगा :–

"सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक परन्तु जो अभ्यर्थी पी0एच0डी0 धारक उनके लिये सुसंगत स्नातक उपाधि में अधिकतम 5 प्रतिशत अंको तक की सीमा की छूट दी जायेगी

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत होगा :–

"सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक परन्तु जो अभ्यर्थी पी0एच0डी0 उप धारित करते हैं, के लिये सुसंगत स्नातक उपाधि में अधिकतम 5 प्रतिशत प्राप्तांक तक की सीमा की अनुमन्य होगी।"

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एस0 राजू,
सचिव।

संख्या 785/XXIV (7)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल।
4. कुलसचिव, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर।

5. कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. कुलसचिव, उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7. कुलसचिव, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

के० पी० पाटनी,

अनु सचिव।

संख्या : 209 /XXVII(7)प्र0श0/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त (वि0 आ0—सा0नि0) अनुभाग – 7 **देहरादून, दिनांक : 16 नवम्बर, 2006**

विषयः— विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत् पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिये सेवा शर्तों का निर्धारण।

महोदय,

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की परियोजनायें संचालित की जा रही है, जोकि पूर्णतः/आंशिक रूप से विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित है। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार के कार्मिकों को बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किया जाता है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त परियोजनाओं में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित कार्मिकों की बाह्य सेवा शर्तों के जो पैकेज निर्धारित किये गये है, वे भिन्न—भिन्न है तथा इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के कार्मिकों के किसी निगम/सार्वजनिक उपकम/स्थानीय निकाय अथवा किसी भी स्वायत्तशासी संस्था में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण होने की दशा में उनके लिये निर्धारित वाह्य सेवा की मानक शर्तों के अनुरूप नहीं है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त् यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के कार्मिकों के बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में सभी स्थानों पर बाह्य सेवा शर्तें समान होनी चाहिए।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होने वाले सरकारी कार्मिकों की सेवा शर्तें भी सरकारी कार्मिकों के किसी निगम/सार्वजनिक उपकम/स्थानीय निकाय अथवा किसी भी स्वायत्तशासी संस्था में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की मानक शर्तों (प्रारूप संलग्न) के अनुरूप होगी। पूर्व में यदि भिन्न शर्ते स्वीकृत की गई हैं तो वे उपरोक्तानुसार संशोधित मानी जायेगी, किन्तु विभिन्न विभागों द्वारा इसप्रकार की परियोजनायें चलाये जाने की दशा में इन परियोजनाओं में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात कार्मिकों पर संलग्न बाह्य सेवा की मानक शर्तें लागू नहीं होगी तथा उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन परियोजना भत्ता उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगा, जिन दरों पर बाह्य सेवा की स्थिति में प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य होता है:—

(i) सेवा स्थानान्तरण पर चयन विधिवत् किसी चयन समिति के माध्यम से हुआ हो।

(ii) परियोजना के सुस्पष्ट निश्चित उद्देश्य हो तथा जिन्हें निश्चित अवधि में पूर्ण किया जाना अपेक्षित हो।

4. यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव

संख्या 209 /XXVII(7)/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय।
5. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।
6. सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तरांचल।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

टी० एन० सिंह
अपर सचिव

1. <u>नियुक्ति/पदस्थापन</u> –

निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है–

विभिन्न पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी तथा प्रतिनियुक्ति हेतु उपयुक्तता के सिद्धान्त के आधार पर ऐसे कार्मिक भी नियुक्ति के पात्र होंगे, जो स्वीकृत पद के ठीक नीचे के वेतनमान में कार्यरत् हो।

प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिक को यह विकल्प रहेगा कि वह अपना संवर्गीय मूल वेतनमान में मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता ले अथवा नियुक्ति के पद का वेतनमान।

सृजित पदों के वेतनमान से भिन्न वेतनमान के कार्मिकों की नियुक्ति की स्थिति में उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग द्वारा पृथक् से विचार किया जायेगा।

बाह्य सेवा की अवधि में यदि कार्मिक उसी स्टेशन पर रहता है, जहाँ उसकी तैनाती है, तो उन्हें वेतन का 5% परन्तु अधिकतम रू0 500 प्रतिमाह तथा यदि तैनाती स्टेशन से बाहर हो, तो वेतन का 10% परन्तु अधिकतम रू0 1000 प्रतिमाह प्रतिनियुक्त भत्ता इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की कुल धनराशि का योग किसी भी समय रू0 22,000 प्रतिमाह से अधिक न हो।

2. <u>महँगाई भत्ता</u>

सभी पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों को बाह्य सेवा पर महँगाई भत्ता उत्तरांचल सरकार के कार्मिकों को स्वीकृत दरों पर अनुमन्य होगा तथा

नगर प्रतिकर भत्ता/पर्वतीय प्रतिकर भत्ता संबधित स्टेशन पर समकक्ष स्तर के राज्य सरकार के कार्मिक को स्वीकृत दर पर अनुमन्य होगा।

3. <u>मकान किराया भत्ता</u> –

बाह्य सेवा पर मकान किराया भत्ता ऐसे कार्मिकों को अनुमन्य होगा, जिन्हें पी0एम0यू0/आई0टी0डी0ए0/पैतृक विभाग/प्रोजेक्ट प्रकोष्ठों तथा सरकार द्वारा आवास उपलब्ध नही कराया गया है। यह भत्ता ऐसे योग्य कार्मिकों को निर्धारित प्रारूप में संलग्नक – 1 पर 2 प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा देय दर के दोगुने अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो, अनुमन्य होगा।

4. <u>परियोजना भत्ता</u> –

बाह्य सहायतित परियोजनाओं आदि में नियुक्त कार्मिकों को निम्नवत् मासिक परियोजना भत्ता अनुमन्य होगा –

क0सं0	कार्मिकों की श्रेणी	अनुमन्य मासिक भत्ता
I	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 4500 प्रतिमाह तक है।	रू0 600
II	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 4501 से रू0 7999 प्रतिमाह तक है।	रू0 800
III	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान सीमा का अधिकतम रू0 8000 से रू0 15199 तक है।	रू0 1200
IV	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 15200 प्रतिमाह या इससे अधिक है।	रू0 1500

5. **चिकित्सा सुविधा –**

बाह्य सेवा में कार्यरत् पूर्णकालिक कार्मिकों को प्रतिवर्ष एक माह की परिलब्धियों (मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता) की सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सक्षम सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित उपचार पर बाउचर प्रस्तुत करने पर देय होगी, किन्तु

किसी भी कार्मिक को बाह्य सेवायोजक द्वारा चिकित्सीय भत्ता देय नही होगा । सरकारी कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर है उन्हें पूर्व से अनुमन्य चिकित्सा सुविधा से कम सुविधा उपलब्ध नही होगी।

6. **यात्रा भत्ता –**

पी0एम0यू0/प्रोजेक्ट सेल आदि में कार्यरत् अधिकारियों को प्रोजेक्ट कार्य हेतु की गई यात्राओं के लिये निम्नवत् यात्रा/दैनिक भत्ता देय होगा – राज्य सरकार के समकक्ष वेतनमान के कार्मिकों के समान नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

राज्य के भीतर की गई यात्रा के दौरान ठहरने के लिये सरकारी व्यवस्था/विभागीय व्यवस्था उपलब्ध न होने पर गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल विकास निगम के आवास गृहों में तद्समय प्रचलित दैनिक दरों की सीमा तक बाउचर प्रस्तुत करने पर ठहरने की अनुमति होगी और तदनुसार ही धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

प्रदेश के बाहर परियोजना कार्य हेतु की गई यात्राओं के लिये राज्य सरकार के पूर्णकालिक कार्मिकों को अनुमन्य दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता, रसीद प्रस्तुत करने पर उक्त सीमा तक ही अनुमन्य होगा। विशिष्ठ परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय ले सकते है।

7. **दूरभाष सुविधा –**

वेतनमान रू0 10000–15200 या उससे उच्चतर वेतनमान के कार्मिकों को आवासीय दूरभाष की सुविधा अनुमन्य होगी। अन्य किसी विशिष्ट परिस्थिति में आवासीय दूरभाष उपलब्ध कराने हेतु विभागीय सचिव एवं वित्त विभाग का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। परियोजना के कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा आवश्यकता का विवरण स्पष्ट होने पर संचालन मंडल के निर्णयों के कम में सीमित फोन भत्ता (मोबाइल फोन भी शामिल) दिया जा सकता है।

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग—7
अधिसूचना
प्रकीर्ण

30 जून, 2009 ई0

संख्या 730/xxxiv(7)23(1)/2009—"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शवि का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

"उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008"

1—संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, : है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—नियम 10 के खण्ड (ख) का प्रतिस्थापन—

उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है नियम 10 के खण्ड (ख) में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये खण्ड के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थ कर दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं को, जो विहित अर्हता पूर्ण करते हैं, को अधिकतम् आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य होगी जितनी पद हेतु आवश्यक हो, बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं की आयु इस रूप में पद का प्रस्ताव प्राप्त होने के समय विहित आयु सीमा के अन्तर्गत रही हो।	(ख) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजि लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं को, जो विहित पूर्ण करते हैं, अधिकतम् आयु सीमा में उतनी छूट अ होगी जितनी पद हेतु आवश्यक हो, बशर्ते कि विजि लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं की आयु इस पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय विहित आयु सी अन्तर्गत रही हो।

3—नियम 15 में एक नये उप नियम (5) का अन्तःस्थापन—

उक्त नियमावली के नियम 15 के उप नियम (4) के बाद एक नया उप नियम (5) अन्तःस्थापित कर दिया ज अर्थात्—

"(5) लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003 के अधीन पद के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने पर आवेदन करने वाले उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों/रा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में कार्य कर रहे अर्ह विजिटिंग प्रवक्ताओं को लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्क सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा।"

आज्ञा स

अंजली प्र

सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 478/XXX(2)/2009–3(1)/2007
देहरादून, दिनांक 08 जुलाई, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309" के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया विषयक कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 169/कार्मिक–2/2003, दिनांक 16.04.2003 को अधिकनित करते हुए उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता–सूची नियमावली, 2003 तथा उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के परिप्रेक्ष्य में पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" एवं "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" एवं "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही 2. यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशो में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया–3. (1) 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' अथवा 'ज्येष्ठता सह श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति में उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता–सूची नियमावली, 2003 के नियम 5 के उपबन्धों के अधीन बनायी गई पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के नामों पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनके ज्येष्ठता क्रम के अनुसार विचार किया जायेगा। सर्वप्रथम वरिष्ठतम अधिकारी के नाम पर विचार कर उसे "उपयुक्त" या "अनुपयुक्त" घोषित करने के बाद दूसरे तथा तीसरे और आगे इसी प्रकार अधिकारियों के नामो पर विचार किया जयेगा, जब तक कि रिक्तियों की तुलना में वांछित संख्या में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो जायं तो उसके बाद के अधिकारियों के नामो पर विचार करने की अवश्यक्ता नहीं होगी।

(2) इस प्रक्रिया हेतु सम्बन्धित अधिकारियों की, प्रोन्नति की ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की अद्यतन 10 वर्ष की उपलब्ध प्रविष्टियां देखी जायेंगी और यदि 10 वर्षो से कम की प्रविष्टियां ही उपलब्ध हो तो उपलब्ध सभी प्रविष्टियां देखी जायेगी।

(3) यदि पात्रता क्षेत्र में शामिल अभ्यर्थी की विगत 10 वर्षों की चरित्र प्रविष्टियों में पॉच या अधिक चरित्र प्रविष्टियों को "उत्तम" या 'उच्चतर' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया हो तथा विचारण के ठीक 2 वर्ष पूर्व की प्रतिष्टियां प्रतिकूल न हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु "उपयुक्त" घोषित किया जायेगा।

(4) यदि किसी वर्ष में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अथवा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित होती है तो जिस वर्ष ऐसी प्रविष्टि अंकित की गयी है उस वर्ष से 05 वर्ष तक ऐसे अभ्यर्थी को पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं समझा जायेगा।

(5) उपयुक्त के अनुसार की जाने वाली पदोन्नति में कार्मिक केवल अपनी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यदि वह पद हेतु उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार अनुपयुक्त सिद्ध होता है तो चयन समिति उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति हेतु संस्तुत कर सकती है।

(6) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करने, उन्हें "उपयुक्त" तथा "अनुपयुक्त" घोषित करने के पश्चात, "उपयुक्त" अभ्यर्थी को उसकी ज्येष्ठता क्रम के अनुसार पदोन्नति हेतु संस्तुत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम की कोई बात समूह 'घ' के कार्मिको की समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/पदोन्नति के मामलों पर लागू नहीं होगी। समूह 'घ' से समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/प्रोन्नति अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संसोधन) नियमावली, 2008 मे निहित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

श्रेष्ठता के आधार पर चयन की प्रक्रिया

4(1) किसी सेवा नियमावली में अथवा कार्मिक विभाग की किसीावली में "योग्यता", "श्रेष्ठता", "सर्वथा श्रेष्ठता" (स्ट्रिक्टली मैरिट) अथवा "मुख्य रूप से श्रेष्ठता (प्राइमरिली ऑन मेरिट) या "समस्त पात्रता क्षेत्र से श्रेष्ठतानुसार कड़ाई से चयन" (रिगरेसली सलेक्शन ऑन मेरिट फ्रॉम दी होल फील्ड ऑफ एलीजीबिलिटी) अथवा "सर्वथा श्रेष्ठतानुसार या "श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता" या किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिसमें पदोन्नति हेतु चयन करने में योग्यता/श्रेष्ठता को आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात "श्रेष्ठता" (मेरिट) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा।

(2) उपरोक्त उप नियम (1) के आधार पर होने वाली पदोन्नति का मुख्य आधार पर "श्रेष्ठता" होगा। "श्रेष्ठता" के मूल्यांकन का आधार पर अधिकारी की सत्यनिष्ठा, नेतृत्व प्रदान करने व त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, तकनीकी/विषयज्ञान, विशिष्ट उपलब्धियॉ/योगदान कार्य के सुगमता से निष्पादन की क्षमता इत्यादि गुण होंगे। इसके लिए वार्षिक चरित्र प्रविष्टियॉ, विशेष प्रविष्टियां, व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध अन्य अभिलेख व विभागीय प्रोन्नति समिति के संज्ञान में लाये गये अन्य तथ्य होंगे।

(3) अधिकारियों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए सम्पूर्ण सेवाकाल की प्रतिष्टियां देखी जायेगी, परन्तु विशेष ध्यान अन्तिम 10 वर्षो की प्रविष्टियों पर दिया जायेगा। इन प्रविष्टियों का मूल्यॉकन उत्कृष्ट, अतिउत्तम, उत्तम, संतोषजनक व प्रतिकूल वर्ग में किया जायेगा। 12 माह की "उत्कृष्ट" प्रविष्टि के लिए 10 अंक, "अतिउत्तम" प्रविष्टि के लिए 08 अंक, "उत्तम" प्रविष्टि के लिए 05 अंक, "संतोषजनक" प्रविष्टि के लिए शून्य अंक तथा प्रतिकूल प्रतिष्टि के लिए 05 ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेगे। 12 माह से कम अवधि के लिए प्राप्त अंक को कुल माह जिनकी प्रविष्टि मूल्यॉकन की गयी : 12 के अनुपात में कम कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंक के कुल योग को कुल माहों (जिनकी प्रविष्टि मूल्यॉकन की गयी) से विभाजित करने पर औसत मासिक अंक प्राप्त होगा जिसे 12 से गुणा करने पर औसत वार्षिक अंक प्राप्त होगा। 06 से कम औसत वार्षिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी श्रेष्ठता के पैमाने पर खरे नहीं माने जायेगे तथा प्रोन्नति के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा। 08 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी को वार्षिक चरित्र पंजिका के मूल्यॉकनार्थ "अतिउत्तम" श्रेणी में तथा 06 व इससे अधिक किन्तु 08 से कम अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक को "उत्तम" श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

(4) श्रेष्ठता के पैमाने में अन्यथा खरे उतरने वाले कार्मिको में से वार्षिक चरित्र पंजिका के आधार पर "अति उत्तम" श्रेणी में वर्गीकृत अभ्यर्थियों को उनके ज्येष्ठताक्रम के अनुसार उपलब्ध पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु संस्तुल किया जायेगा, "अति उत्तम" श्रेणी के उक्त अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात भी यदि रिक्तियां बचती हैं तो शेष रिक्तियों के सापेक्ष "उत्तम" श्रेणी में वर्गीकृत अभ्यर्थियों को उनके ज्येष्ठताक्रम मे अनुसार पदोन्नति हेतु संस्तुत किया जायेगा।

(5) जिस अभ्यर्थी की चयन वर्ष के ठीक पूर्व की दो प्रविष्टियों में से एक भी प्रविष्टि खराब है या जिस अभ्यर्थी की चयन वर्ष के विगत 05 वर्षो में वार्षिक गोपनीय/विशेष प्रतिकूल प्रतिष्टि के रूप मे सत्यनिष्ठा संदिग्ध की गयी है, उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।

(6) श्रेष्ठता के चयन में यदि किसी अभ्यर्थी को अवक्रमित किया गया हे, तब ऐसे अभ्यर्थी को सूचित किया जायेगा किवह पद की अनुपलब्धता अथवा पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण जैसी भी स्थिति हो, संस्तुत नहीं किया गया है।

'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए 'ज्येष्ठता' तथा 'श्रेष्ठता' के चयनों मे न्यूनतम वार्शिक प्रविष्टियों की उपलब्धता–

5. पदोन्नति के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि के दौरान अन्तिम 10 वर्षो में से कम 06 वर्षो की वार्षिक प्रविष्टियाँ उपलब्ध होनी आवश्यक होंगी।

आज्ञा से,

शत्रुघन सिन्हा,
सचिव।

संख्या – 83/ XXvii (7) /2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,,

सचिव वित्त,,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. संरचना में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाना।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादून : दिनांक : 07 जनवरी, 2010

विषय :– वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए संशोधन वेतन संरचना में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाय।

महोदय,

उपरोक्त विषय के समबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छटे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में गठित उत्तराखण्ड वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को तब तक न भरा जाय जब तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रमुख सचिव, वित्त, प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव हो, द्वारा यह समीक्षा न कर ली जाय कि कौन से कार्य वाह्य स्रोतों (out sourcing) द्वारा कराये जा सकते हैं और किस विभाग या उसके निर्दिष्ट कार्यालय/ कार्य के पदों पर नियमित नियुक्ति की जाय। जिन पदों की निरन्तरता का निर्णय लिया जाय तथा जहाँ पर पूर्व से पदों पर व्यक्ति कार्यरत है, ऐसे पदधारकों हेतु मिनिस्ट्रियल संवर्ग की भांति staffing parton निम्नवत लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतन संरचना			समूह 'घ' में सृजित कुल पदों का निर्धारित प्रतिशत
		वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	स्दृश्य वेतन बैंड/वेतनमान	सदृश्य ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	2550–55–2660–60–3200	–1 एस	4440–7440	1300	35%
2	2620–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650	30%
3	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800	25%
4	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900	10%

(3) कुछ अधिष्ठानों/विभागों, जहाँ समूह 'घ' के क्रम संख्या में द उपलब्ध है, वहाँ पर उक्तानुसार प्रतिशत के आधार पर विभाजन में कठिनाई हो सकती है। इसे देखते हुए उचित होगा कि जिन विभागों में समूह 'घ' के पदों की संख्या 10 से कम है, वहां पर इस संवर्ग के पदों का विभाजन विभिन्न ग्रेडों में निम्नानुसार किया जाय :–

क्र0 सं0	समूह 'घ' की पदों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या			
		समूह 'घ' वेतन बैंड एवं ग्रेड पे रू0 4440–7440,1300	समूह 'घ' वेतन बैंड एवं ग्रेड पे रू0 4440–7440,1650	समूह 'घ' वेतन बैंड एवं ग्रेड पे रू0 5200–20200,1800	समूह 'घ' वेतन बैंड एवं ग्रेड पे रू0 5200–20200,1900
1	1	1	–	–	–
2	2	1	1	–	–
3	3	1	1	1	–
4	4	1	1	1	1
5	5	2	1	1	1
6	6	2	2	1	1
7	7	2	2	2	1
8	8	3	2	2	1
9	9	3	3	2	1

भवदीय,

राधा रतूड़ी

सचिव, वित्त

संख्या / XXIV (6)/2010 दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित –

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोशागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शरद चन्द्र पाण

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0 – 2

संख्या 443/XXVII (7)/2010

देहरादून : दिनांक 09 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय : विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के क्रम में वेतन विसंगति समिति के प्रथम प्रतिवेदन में प्रदेश के मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मिनिस्टीरियल संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 (वेतनमान रू0 5000–8000) एवं प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 (वेतनमान रू0 5500–9000) जिनकी दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन बैण्ड–2 में समान ग्रेड पे रू0 4200 हो गयी है, का आवेदन में वेतन बैण्ड –2 रू0 9300–34800 में ग्रेड पे रू0 4200 यथावत् रहेगी।

2– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद प्रोन्नति का पद है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रू0 6500–10500) की पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैंण्ड–2 में ग्रेड़ पे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 तथा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 के समान रू0 4200 हो गयी है। अतः वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के वेतनमान रू0 6500–10500 के दिनांक 1–1–2006 से रू0 7450–11500 में उच्चीकृत करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 में ग्रेड पे रू0 4200 के स्थान पर रू0 4600 किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

3– उपरोक्तानुसार मिनिस्टीरियल सवर्ग के संगठनात्मक ढांचे पर लिये गये निर्णय के अनुरूप संगत सेवा नियमावली में पदनाम एवं वेतनमान परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में भी आवश्यक संशोधन यथाशीघ्र सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

आलोक कुमार जैन

प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 443 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शरद चन्द्र पाण्डे

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 183/XXX(2)/2010
देहरादून : दिनांक 11 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्टीरियल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित पैटर्न में संशोधित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल निम्नांत स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1.	कनिष्ट सहायक	35%	32%
2.	प्रवर सहायक	30%	30%
3.	मुख्य सहायक	25%	18%
4.	प्रशासनिक अधिकारी	10%	20%

2– जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्टीरियल कर्मी हों, वहाँ पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखा जायेगा तथा पूर्व से सृजित वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाप्त नहीं किया जायेगा। इस प्रकार से अनुमन्य लाभ दिनांक 1 जनवरी 2010 से नोशनल रूप से दिया जायेगा।

3– कृपया अपने विभाग के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदो के संबंध में उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित स्टाफिग पैटर्न लागू करते हुए विभागीय संरचनाओं का पुनर्गठन सुनिश्चित करने कर कष्ट करें।

शत्रुघ्न सिंह
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 183 (1)/XXX(2)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्याः1086/XXX(2)2010

देहरादूनः दिनांक 27 दिसम्बर,2010

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय – ज्ञाप संख्या– 23/1/70– नियुक्ति(ख) दिनांक 07 अगस्त, 1970 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल मिनिस्टीरियल संवर्ग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद की राजपत्रित पद घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पद को राजपत्रित घोषित करने के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

दिलीप कुमार कोटिया

प्रमुख सचिव।

संख्याः /XXX(2) 2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

अरविन्द सिंह ह्यांकी

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः 1165/XXX (2) 2010
देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर,2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–183/XXX(2)/2010, दिनांक 11 फरवरी,2010 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 में अंकित अंश **"इस प्रकार से अनुमन्य लाभ दिनांक 01 जनवरी,2010 से नोशनल रूप से दिया जायेगा।"** को विलोपित किया जाता है।

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 फरवरी,2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा कार्यालय ज्ञाप की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

अरविन्द्र सिंह ह्यॉकी
अपर सचिव।

संख्याः 1165/XXX (2) 2010 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमॉऊ मण्डल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7– गार्ड फाईल।

अरविन्द सिंह ह्यॉकी
अपर सचिव।

संख्या- 2050/xxiv (7) 34(1)/2010

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी-नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 21 फरवरी 2011

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री सेवा/6036/2010-11 दिनांक ...-7-2010 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXX(2/2010) दिनांक ...-2-2010 तथा तत्सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1165/XXX(2)/2010 दिनांक ...-2010 द्वारा उक्त शासनादेश में किये गये संशोधन के क्रम में मुझे यह कहने का ...श हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा विभाग के ... के पुनर्गठन के फलस्वरुप उच्च शिक्षा विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कुल स्वीकृत 253 पदों का आवंटन अतिकमित करते हुये अब कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11-2-2010 द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को प्रोन्नति के अवसर प्रदान करने के उदेश्य से निम्न विवरणानुसार मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफिंग पैटर्न के अर्न्तगत पूर्व में अनुमन्य पदों की संख्या के अधीन ही स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क	पदनाम	वेतन वैण्ड तथा ग्रेड पे (रू0 में)	कुल स्वीकृत पद	स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पदों की संख्या
1	बरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे-4600	--	05
2	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे- 4200	05	45
3	मुख्य सहायक	5200-20200 ग्रेड पे-2800	29	46
4	प्रवर सहायक	5200-20200 ग्रेड पे-2400	38	76
5	कनिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड पे-1900	181	81
	कुल योग		253	253

2- उक्तानुसार पदों के वेतनमान तथा संख्या मात्राकरण हेतु संगत सेवा नियमावलियों में आवश्यक संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3— जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्ट्रीयल कर्मी हों, वहाँ पर एक वरि प्रशासनिक अधिकारी का पद रखा जायेगा। इस प्रकार अनुमन्य लाभ दिनांक 01 जनव 2010 से अनुमन्य होगा।

4— उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 4823/xxvii(3)/2010 दिनां 1—2—2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

नितेश कुमार झा
अपर सचिव

संख्या—2050/xxiv (7) 34(1)/2010 तद्दिनांक
प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—
1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— बरिष्ठ कोषाधिकारी हल्द्वानी।
3— वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी।
4— निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून।
5— समस्त प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
6—उप निदेशक, उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून।
7— कार्मिक अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
8— वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
9— विभागीय आदेश पुस्तिका/गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

वेदीराम
अनु सचिव,

संख्याः 875/XXIV(7)न0प्रति0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनः दिनांकः 08 मार्च, 2011

विषयः वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश्ज्ञ के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा सम्यक विचारापरान्त संस्तुति की गयी है कि शासनदेश संख्या:110/XXVII(7)/2006 दिनांक 29 जून, 2006 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु चार ग्रेडो में पूर्व में गठित आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमान में विद्‌यमान चार स्तरीय संवर्गीय ढॉचे के स्थान पर पदों को 50:35:15 के अनुपात में विभाजित करते हुए निम्नानुसार त्रि–स्तरीय ढ़ॉचा रखा जाएः–

क्र0 सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन सरंचना (रू0)		पदों का प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि
		वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आशुलिपिक	5200–20200	2800	50	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान (डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्‌यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्‌यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी)
2.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800	4200	35	यह पद द्वितीय स्तर के होगें। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की संतोषजनक वाले आशुलिपिक पदधारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
3.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800	4600	15	यह पद तृतीय स्तर के होगें। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुए न्यूनतम

					15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के पदधारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण की ली गयी हो, से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

(2) ऐसे विभागीय कार्यलयों जहाँ आशुलिपिक संवर्ग में राज्य स्तरीय पुनर्गठन संभव न हो और राज्य स्तर से निचले किसी भी स्तर के कार्यालय में आशुलिपिकय पदों की संख्या 10 से कम है, वहां आनुपातिक आधार पर पदों के विभाजन में आने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु समिति की संस्तुति है कि इस संवर्ग के पदों का विभाजन एवं पदधारकों का समायोजन निम्नानुसार किया जायः–

संवर्ग में उपलब्ध पदों की संख्या	आशुलिपिक ग्रेड–2 वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	–	–
2	1	1	–
3	2	1	–
4	2	1	1
5	2	2	1
6	3	2	1
7	4	2	1
8	4	3	1
9	5	3	1
10	5	3	2

(3) समिति की मंशा है कि सभी विभागों द्वारा आशुलिपिक संवर्ग का राज्य स्तरीय संवर्ग गठित किया जाये ताकि प्रत्येक विभाग में नियुक्त आशुलिपिकों को प्रस्तावित त्रिस्तरीय प्रोन्नतियाँ अधिकाधिक संख्या में मिल सकें फिर भी ऐसे विभाग जहाँ आशुलिपिक संवर्ग का वर्तमान में एकीकृत संवर्ग नही है तथा एकीकृत संवर्ग बनाया जाना व्यवहारिक भी न हो वहाँ एक ही नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से नियुक्त आशुलिपिकों के जनपदीय संवर्ग/क्षेत्रीय संवर्ग/मण्डलीय संवर्ग को एक अलग इकाई मानते हुए उपरोक्तानुसार संवर्गीय पुनर्गठन कर पदनाम व पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य कराया जाय।

(4) उपर्युक्त संस्तुतियों के अनुसार संबंधित पदों पर उच्चीकृत वेतनमान का लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(5) आशुलिपिक संवर्ग के पदों का राज्य स्तर पर एकीकृत संवर्ग गठित हो जाने के फलस्वरूप यदि किसी विााग को संवर्ग के पदधारकों को पुनर्गठन का लाभ दिये जाने में कठिनाई का अनुभव हो तो उस सििति में संबंधित विभाग संवर्ग को विकेन्द्रित कर उक्त पुनर्गठन का लाभ अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते है।

(6) प्र0वि0 सेवा नियमावली में इस प्रकार का संशोधन कर लें कि आशुलिपिक संवर्ग को राज्य स्तरीय बनाया जा सकें, ताकि पदोन्नति हेतु निर्धारित स्टाफिंग पैर्टन का लाभ अधिक से अधिक कार्मिकों को प्राप्त हो सकें।

(7) संबंधित सेवा नियमावली में, यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही इन कार्यकारी आदेशों के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी की जाएगी।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 170 /XXX(2)/2010
देहरादून: 01 जून, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता की अवधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए यह नियमावली लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हता (जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो) और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, आच्छादित होंगी, किन्तु इसके उपबन्ध उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान सभा, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के कार्यालय और उसके नियंत्रण में अधिष्ठान के पद आच्छादित नहीं होंगे।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियामवली में–

(क) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग" से राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक, प्रवर सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्त हो;

(ङ) "अधीनस्थ पदों" से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण।

4.(1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी–
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) प्रशासनिक अधिकारी–
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) मुख्य सहायक–
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 11 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(4) प्रवर सहायक–
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पदनाम परिवर्तन

5. नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ–जहाँ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक/मुख्य लिपिक–1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ–वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या/1798/xxiv (7)10 (1)/2010

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून:दिनांक 30 सितम्बर 2011

विषय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी निर्गत विनियम 2010 के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) पद हेतु शैक्षिक अर्हताओं के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विज्ञप्ति संख्या–एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) पद हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी विनियम 2010 जो भारत सरकार द्वारा राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित किये गये है, को प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के रूप में अंगीकार किये जाने के हेतु महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदन के उपरान्त तात्कालिक प्रभाव से स्वीकार किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं का निर्धारण निम्नांकित किया गया है:–

.The minimum requirements of a good academic record, 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the master's level and qualifying in the National Eligibility Test (NET), or an accredited test (State Level Eligibility Test - SLET/SET), shall remain for the appointment of Assistant Professors.

. NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities / Colleges / Institutions.

Provided however, that candidates, who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions.

. NET/SLET/SET shall not be required for such Masters Degree Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET accredited test is not conducted.

. A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) will be required at the Master's level for those recruited as teachers at any level from industries and research institutions and at the entry level of Assistant Professors, Assistant Librarians, Assistant Directors of Physical Education and Sports.

A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Differently-abled (Physically and visually differently-abled)

categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.

VI. A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.

VII. Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.

3– उपर्युक्त में उत्तम शैक्षिक अभिलेख का आशय् सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांक) से है। स्नातकोत्तर स्तर पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत प्राप्तांक की सीमा तक शिथिलता प्रदान की जायेगी।

4– प्रवक्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर) पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी पूर्व में निर्गत शासनादेशों को तदनुसार संशोधित/परिवर्तित समझा जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

उत्पल कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1748/xxiv (7)10 (1)/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार।
4- कुल सचिव, हे0न0ब0गढवाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय)/समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय् से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार नियमों के अन्तर्गत संगत परिनियमावली में तद्नुसार संशोधन करने का कष्ट करें।
5- उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय देहरादून।
6- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

वेदीराम
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–7
अधिसूचना
प्रकीर्ण

दिनांक : 16 नवम्बर, 2011

संख्या–2015/XXIV(7)/23(1)/2009–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह–'क') सेवा नियमावली, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

"उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह–'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011.

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह–'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह–'क') सेवा नियमावली, 2003 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम (3) के खण्ड (थ) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित खण्ड
भाग–1 **3. परिभाषा** (थ) **"विजिटिंग लैक्चरर"** से आशय् शासनादेश संख्या–457/मा0स0वि0/2001–3(6) 2000, दिनांक 27.01.2001 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2001–2002 से राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित अभ्यर्थियों से है।	भाग–1 **3. परिभाषा** (थ) **"विजिटिंग लैक्चरर"** से आशय् शैक्षिक सत्र 2001–2002 से शैक्षिक सत्र 2010–11 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित अभ्यर्थियों से है तथा जो वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे है।

नियम–9 का संशोधन 3. उक्त नियमावली के नियम–9 के खण्ड (घ) एवं (च) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित खण्ड
भाग–4 **9. अधिमानी अर्हता:** (घ) प्रदेश के महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के अधिकतम 05 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो	**भाग–4** **9. अधिमानी अर्हता:** (घ) प्रदेश के महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो,
(च) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के अधिकतम 05 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि अंशकालिक प्रवक्ता के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो,	(च) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि अंशकालिक प्रवक्ता के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो,

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या : 4247/15-11-87-18(51)/72

डा० के.एन. जोशी,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(11) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 1988

य : **सम्बद्ध/सहयुक्त/सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक कालेज छोड़कर दूसरे कालेज में कार्यभार ग्रहण करने पर पूर्व कालेज में प्राप्त वेतन संरक्षित किये जाने विषयक अधिकार का प्रतिनिधायन।**

दय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक डिग्री अर्थ/4476/दो-14(70)/87 दिनांक 13-7-1987 के संदर्भ में मुझे पसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों शिक्षकों के वेतन संरक्षण सम्बन्धी प्रकरणों जो कि राजाज्ञा संख्या : 7529/15-73-11-18(51)/72 दिनांक 16 मई, 1975 उल्लिखित प्राविधानों के तहत आते हैं के वेतन संरक्षण का अधिकार एतद्द्वारा शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, ाहाबाद को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रतिनिहित करने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं :

1- शिक्षा समान पद तथा समान वेतनमान् में विधिवत् नियुक्त हुआ हो।

2- शिक्षक ने सेवारत कालेज के प्रबंध तंत्र की अन्य कालेज में सेवा करने हेतु अनुमति प्राप्त कर ली हो। क्षक को इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कालेज के प्रबंध तंत्र से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3- सम्बन्धित शिक्षक के पूर्व कालेज छोड़ने में कोई असामान्य परिस्थितियां नहीं थी। इस आशय का ाण-पत्र कालेज के प्रबंध तंत्र से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

असामान्य परिस्थितियों में कालेज छोड़ने से तात्पर्य निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप कालेज छोड़ने से होगा

(क) कर्तव्य पालन में घोर उपेक्षा।

(ख) दुराचरण।

(ग) शासन अथवा विश्वविद्यालय या शिक्षा निदेशक (उ०शि०) या शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों अथवा पूर्व महाविद्यालयों के प्रति दोषपूर्ण आचरण व कार्यकलाप।

(घ) अनुशासनहीनता।

(ङ) नैतिक पतन अथवा गबन आदि के आरोपों में दोष सिद्धि।

4- शिक्षक द्वारा पूर्व कालेज छोड़ने की तिथि को अंतिम आहरित वेतन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला लय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मूल प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण।

5- शिक्षक की नियुक्ति दोनों ही कालेजों में तत्समय प्रवृत्त अधिनियम/परिनियमों के प्राविधानों के अनुसार ालिक पद पर सम्बन्धित कुलपति के अनुमोदन से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त निर्धारित ेया के अनुसार की गई हो।

6- वर्तमान कालेज में वेतनवृद्धि अन्य बातों के अनुकूल रहते हुए वर्तमान कालेज में एक वर्ष की अवि
5 पश्चात् ही देय होगी।

2- मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 16 मई, 1975 के पैरा-2 व 3 में उल्लिरि तथा अन्य प्रकरण जो इस शासनादेश से अनावृत्त रह जाते हैं, शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा अपनी पूर्ण आर शासन को संदर्भित किये जायेंगे और शासन द्वारा प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा

3- उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी समझे जायेंगे।

4- उपर्युक्त आदेशों से कृपया सभी सम्बन्धित संस्थाओं को आप अपने स्तर से अवगत कराने की व्यवस्था क

5- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं जो उनके अशासकीय संख्या : ई-11/3421/दस-
5-12-1988 में प्राप्त की गयी है।

भवदीय,
के.एन. जोशी,
संयुक्त सचिव।

: 4247(1)/15-11-87-18(51)/72 तद्दिनांक

पि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
प्रदेशीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिव।
समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
सचिवालय का वित्त (ई-11) अनुभाग।

आज्ञा से,
के.एन. जोशी,
संयुक्त सचिव।

संख्या 3937/15 (15)/95–4(1)/80

ेषक,

श्री राय सिंह,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

ेवा में,

(1) निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

(2) कुल, सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–15 लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 1996

विषय :– राज्य विश्वविद्यालयों में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विधिवत चयनित एवं नियुक्त अध्यापकों की नव नियुक्ति के समय पूर्व संस्थाओं में उनके द्वारा प्राप्त वेतनवृद्धि की तिथि का संरक्षण।

होदय,

उपर्युक्त विषयक शासन पत्र संख्या 3741/पन्द्रह (15)–4 (1)/80 दिनांक 20 जून, 1989 एवं पूर्व निर्गत अन्य मस्त शासनादेशों का आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 में ल्लिखित शर्त के अधीन अध्यापकों को उनकी पूर्व संस्था में देय वार्षिक वृद्धि की तिथि को संरक्षित किये जाने की व्यवस्था हीं थी। नव नियुक्त अध्यापक की विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रथम नियुक्ति की तिथि से पूरे बारह कैलेण्डर माह के श्चात् ही ठीक उसी तिथि को प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमन्य होती थी। इस प्रतिबन्ध से अध्यापकों को आर्थिक क्षति उठानी ड़ती थी। अतः शासन से निरन्तर यह मांग की जाती रही है कि अध्यापकों को उक्त आर्थिक क्षति की भी प्रतिपूर्ति की जाय।

इस मांग पर सम्यक विचारोपरान्त महाभहिम राज्यपाल महोदय ने उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर–3 के स्थान पर निम्नलिखित अंश प्रस्तर–3 के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

"अध्यापक द्वारा संरक्षित वेतन वेतनमान के जिस प्रक्रम पर जितनी अवधि के लिये पूर्व संस्था में आहरित किया गया है, उस अवधि की नई संस्था में उसी वेतनमान के उसी प्रक्रम पर वेतनवृद्धि के लिये गणना की जायेगी।"

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश एवं अन्य शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी। उक्त निर्णय महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन संरक्षण सम्बन्धी प्रकरणों पर यथावत् प्रवृत्त होंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के जारी होने के फलस्वरूप पुराने प्रकरण पुनरोद्घटित नहीं होंगे।

भवदीय

राय सिंह
सचिव।

संख्या 3937 (1)/15 (15)/95–41 (1)/80 तद्दिनांक

प्रतिलिपि शिक्षा अनुभाग–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

जगन्नाथ पाल
अनुसचिव

संख्या–4078/मा0सं0वि0/2001–3(163)/2001

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) कुलपति
कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल।

(2) कुलपति
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर।

(3) निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।

मानव संसाधन विकास विभाग। देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर 200

विषयः कैरियर एडवान्समेंट स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में परिनियम बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3200/मा0स0वि0/2001–3(163)2001 दिनांक 18 सितम्बर 2001 का संदर्ग्रहण करें जिसके द्वारा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लागू किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे। उक शासनादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत इस योजना में मुख्यतः चयनसमितियों का गठ ओरिएन्टेशन कोर्स तथा रिफ्रेसर कोर्स पूरी करने की समय सीमा बढ़ाने आदि से सम्बन्धित प्राविधानों में संशोधन हेतु शास से अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उपरिसंदर्भित शासनादे दिनांक 18 सितम्बर 2001 से संलग्न अनुलग्नक के प्रस्तर–1,2,5–ए(4), 5बी–1, 5बी–2, 5सी–3, 5सी–4, 9बी– 9बी–2, 9सी–3,10,11 के परन्तुक 11ए, 11सी तथा 18–1 में आंशिक संशोधन करते हुए इस शासनादेश के संलग्न में प्राविधानित व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। कृपया तद्नुसार उक्त प्रतिस्थापित व्यवस्था को अप विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर समावेशित करने के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चि करने का कष्ट करें।

3– उक्त के अतिरिक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 सितम्बर 2001 के प्रस्तर–3 का भी संशोधनोपरान्त निम्नव प्रतिस्थापित किये जाने का शासन ने निर्णय लिया है:–

"उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित व्यवस्था को अप विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर समावेशित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

4– शासनादेश संख्या 3200/मा0सं0वि0–2001–3(163)2001 दिनांक 18 सितम्बर 2001 की उक्त सीमा तक संशोधि समझा जाये।

संलग्नक उक्तवत्।

भवदीया

मनीषा पंवार
अपर सचिव।

संख्या–4078(1)/मा0सं0वि0/2001–3(163)/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तरांचल।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से

जे0पी0 जोशी
अनु सचिव।

CAREER ADVANCEMENT (SCHEME)

This career Advancement Scheme applies to the state Universities and Associated/Affiliated Colleges cept the colleges affiliated to Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi). It shall come into force from / 27, 1998. Teachers who have become eligible for senior Scale/Selection Grade/Reader (Promotion)/ Prosor (Promotion) under the Career Advancement Scheme in force prior to July 27, 1998 shall be covered by provisions of Govt. order 91-G. 1/14.11.88-14(5)/87 dated 7th of January. 1989 and Statutes made earlier in behalf and Govt. order 1309/15-11-90-32/89 Dated March 17,1990.

With effect from 27th of July, 1998 teachers shall have the opportunities for Career Advancement ieme (Promotion) as given hereafter.

1. A Lecturer in University or in an affiliated/associated college will be eligible for placement in Senior Scale. A Lecturer (Senior Scale) may move into the grade of the Lecturer (Selection Grade) or Reader. Minimum length of service for eligibility to move into the grade of lecturer (Senior Scale) would be four years for those with Ph.D. degree, five years for those with M.Phil. degree, six years for others at the level of Lecturer and for eligibility to move into the grade of Lecturer (Selection Grade)/Reader, the minimum length of service as Lecturer (Senior Scale) shall be uniformly five years.
2. For promotion to the post of Reader and Professors the minimum eligibility criterion would be Ph.D. or equivalent Published work.
3. Only a Reader in the University with a minimum of eight years of service in that grade will be eligible to be considered for appointment as a Professor. Readers in degree and Post Graduate colleges will not be eligible for the post of Professor under Career Advancement Scheme in the colleges.
4. In the case of University, Selection Committee for Lecturer (Selection Grade), Reader and Professor shall be constituted under clause (a) of subsection 4 of section 31 of the UP State Universities Act, 1973 (Which applies in Uttaranchal till further orders).

5. SENIOR SCALE : CONSTITUTION OF SCREENING COMMITTEE :

Placement in Senior Scale will be through a process of Screening Committee to be constituted as under :

(A) In the case of University the Screening Committee shall consist of

(1) Vice Chancellor	Chairman
(2) Dean of faculty concerned	Member
(3) Two Experts of the Subject to be nominated by the Chancellor	Member
(4) Head of Department Concerned	Member

(B) In the case of affiliated/associated colleges (other than colleges maintained exclusively by the State Government). The Screening Committee shall consist of:

(1) Director of Higher Education or his nominee not below the rank of Principal of Govt. Degree/ Post Graduate college	Chairman
(2) Two experts of the subject to be nominated by the Vice-Chancellor amongst whom one shall be from the university and one from the associated/ affiliated college.	Member
(3) Head of the Management or a member of the management nominated by him	Member

(4) Principal of the college — Member-Convener

(C) In case of colleges maintained exclusively by the State Govt. the Screening Committee shall consist

(1) Director of Higher Education — Chairman

(2) Two experts of the subject to be nominated by the Vice-Chancellor among whom one shall be from the university and one from the Govt. colleges. — Member

(3) One nominee of Director of Higher Education (not below the rank of Principal of a Degree or Post Graduate college). — Member

(4) Principal of the college — Member

6. LECTURER (SENIOR SCALE)

A Lecturer will be eligible for placement in a Senior Scale through the procedure of selection, if s he has

(i) Completed 6 years of service after regular appointment with relaxation of one year for th having M.Phil. degree and relaxation of two years for those with Ph.D. degree.

(ii) Participated one Orientation course and one refresher course each of three to four we duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of compar quality, as may be specified or approved by the University Grants Commission.

Provided that these Lecturers who have a Ph.D. degree would be exempted from one fefres course.

(iii) Consistently satisfactory Annual Academic Progress Report and the Performance Appra Report as per appendix A & B

7. LECTURER (SELECTION GRADE)

Lecturer after completion of five years in the senior scale who do not have Ph.D. degree or equiva published work and who do not meet the scholarship and research standards, but fulfil the other criteria for post of Reader by direct Recruitment given in these statutes, and have a good record in teaching and, prefera have contributed in various ways such as to the corporate life of the institution, examination work or thro extension activities and have completed two refresher courses each of at least three to four weeks duration be placed in the selection grade subjected to the recommendations of the selection Committee which is same, as for promotion to the post of Reader, They will be designated as Lecturers in the Selection Grade

Provided that a Lecturer in the Selection Grade could offer himself / herself for fresh assessment, a obtaining Ph.D. degree and fulfilling other requirements for promotion as Reader and, if found suitable coulc given the designation of Reader.

8. READER (PROMOTION)

A Lecturer in the Senior Scale will be eligible for promotion to the post of Reader if she/he has

(i) Completed 5 years of service in the senior scale,

(ii) Obtained a Ph.D. degree or has equivalent published work.

(iii) Made some mark in the areas of scholarship and research as evidenced by s assessment, reports of referees, quality of publications, contribution to educatio innovation, design of new courses and curricula and extension activities.

(iv) Participated in two refresher courses/summer institutes of three to four weeks duration a placement in the Senior Scale, or engaged in other appropriate continuing educat programmes of comparable quality as may be specified or approved by the University Gra Commission.

(v) Possesses consistently good Annual Academic Progress Report and performance Appraisal Report as per Appendix A & B respectively.

9. CONSTITUTION OF SELECTION COMMITTEE :

Promotion as reader will be through a process of selection by a Selection Committee to be constituted as under :

(A) In the case of University, Selection Committee shall be constituted under clause (a) of Sub-section (4) of section-31 of the U.P. State Universities Act, 1973 (which applies in uttaranchal till further orders).

(B) In the case of affiliated/associated colleges (other than colleges exclusively maintained by the state Government) the Selection Committee shall consist of :

(1) Director of Higher Education or his nominee not below the rank of Principal of a Govt. Degree or Post-Graduate College.	Chairman
(2) Three experts of the subject to be nominated by the Vice-Chancellor among whom one shall be from the university concerned one from associated/affiliated college of the concerned university and one from the associated/affiliated college of other University.	Member
(3) The Head of the Management or a member of The Management nominated by him	Member
(4) Principal of the college	Member-Convener

(C) In the case of affiliated or associated college maintained exclusively by the State Government, the Selection Committee shall consist of :

(1) Director of Higher Education	Chairman
(2) Three experts of the subject to be nominated by the Vice-Chancellor amongst whom one shall be from the university one from the associated/affiliated college and one from the Govt. Colleges.	Member
(3) Principal of the college.	Member

10. PROFESSOR (PROMOTION)

(1) In addition to the sanctioned post of professors, promotions may be made from the post of Reader in the University to that of Professor after 8 years of service as Reader.

(2) For the promotion the candidate should present himself/herself before the selection Committee with the following.

(a) Consistently good Annual Academic progress Report and performance Appraisal Report as per appendix A & B respectively.

(b) Research contribution/Books/Articles published.

The best three written contributions of the teachers (as defined by her/him) may be sent by the University in advance to the experts to review before coming for the selection. The candidate will have to submit these in 3 sets.

(c) Certificates of the Seminars/Conferences attended

(d) Details of Contributions of teaching/academic environment/institutional corporate life.

(e) Certificates of extension and field outreach activities.

PLANATION :

The requirement of participation in orientation/refresher courses/summer institutes each of at least 3 or eeks duration and consistently satisfactory Annual Progress Report and Preformance Appraisal Report ll be mandatory requirement for Career Advancement from lecturer to Lecturer (Senior Scale) and from urer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade) Reader.

Wherever the requirement of Orientation/Refresher courses has remained incomplete, the promotion

would not be held up but these requirements must be completed by 31.12.2001.

The requirement for completing these courses would be as follows :

(i) For Lecturer to Lecturer (Senior Scale) one orientation course would be compulsory f University and college teachers. Those without Ph.D. would be required to do one refresh course in addition.

(ii) Two refresher courses for Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

(iii) The Senior teachers like Lecturers (Selection Grade) and Readers may opt to attend t seminars/Conferences in their subject areas and present papers as one aspect of th promotion/selection to higher level or attend refresher courses to be offered by Academic St Colleges for this level.

11. If the number of years required in a feeder cadre are less than those stipulated here above, th entailing hardship to those who have completed more than the total number of years in their en service for eligibility in the Cadre, may be placed in the next higher Cadre if found suitable by selection committee after adjusting the total number of years in the lower scale in the feeder cac Provided that the incumbent.

(a) was appointed to an existing regular post of Lecutrer or Reader or of the equivalent pos teaching and reserach grade of Lecturer/Reader in a National Institute/College or promoted t post in addition to the existing posts in the feeder cadre in the University/the college, or recognized National Institution of the recommendation of the duly constituted Selection Commi in accordance with the prescribed selection procedure as laid down by the university or Natio Institute or the government, and

(b) was not found misfit for Career Advancement promotion by the duly constituted screen selection committee at any instance prior to 27th of July, 1998 and

(c) has rendered continuous service in the feeder cadre i.e. to move from the grade of Rea to the post of Professor, the minimum length of total number of years of continuous ser rendered in the respective posts in the feeder cadre (Lecturer/Lecturer Senior Scale/Lecu Selection Grade/Reader equivalent posts pertaining to teaching/research in National Institut Colleges) would be seventeen years for those with Ph.D. Degree eighteen years for those wit Phil and Published work equivalent to Ph.D. Degree and ninteen years for others. For moven from Senior Scale lecturer into the grade of Reader or Selection Grade Lecturer the total numb years of continuous service rendered in the feeder cadre of Lecturer/Lecturer Senior Scal euqivalent posts of teaching and reserach would be nine years for those with Ph.D. Degree years for those with M.Phil. degree and published work equivalent to Ph.D. Degree and el years for others.

12. A teacher of the University who is eligible for Career Advancement/Promotion shall subm application in triplicate both the Annul Academic Progress Report and the Performance Appr Report containing information about his satisfactory work to the Registrar of the University thr the Head of the Deparment and in case of the teacher of Associated/Affiliated Colleges to the of the Management/Director Higher-Education through Principal of the colleges in the prof given in appendix A & B annexed herewith.

EXPLANATION :

Satisfactory work shall mean the work done with reference to the work expected from a teacher University under the University statutes, ordinances or regulations

13. (i) The Selection Committee constituted under section 31 of UP State Universities Act (V applies in the state of uttaranchal till further orders) for Career Advancement/ Promotion consider all relevant material and Record "required under the Statues" to be placed befo

(ii) In case of University, the recommendations of Screening/Selection Committee sh submitted to the Executive council for decision.

If the Executive Council does not agree with the recommendation made by the Scre Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alon the reasons of such disagreement and the Chancellor's decision shall be final.

If the Executive Council does not take a decision on the recommendation of the Scre Selection Committee within a period of four months from the date of meeting of such Comr than also the mater shall stand referred to the Chancellor and his decision shall be final

(iii) In case of affiliated or associated colleges (other than Colleges maintained exclusively by state Govt.) the recommendations of the Screening/Selection Committee shall be submitted to the Head of the Management of the College for decision of the Management.

If the management does not agree with the recommendations made by the Screening/ Selection Committee, the Management shall refer the matter to the Director, Higher Education along with the reasons of such disagreement and the decision of the Director Higher Education shall be final. If the management does not take a decision on the recommendation of the Screening/Selection Committee with in a period of four months then also the matter shall stand referred to the Director Higher Education and his decision shall be final.

(iv) In the case of Colleges maintained exclusively by the State Govt. the recommendations of the Screening/Selection Committee shall be submitted to the State Govt. for decision and its decision shall be final.

14. If an incumbent Lecturer, Lecturer in Senior Scale, Lecturer in Selection grade/Reader (Promotion) is found suitable and recommended accordingly for promotion to the next higher Senior Scale, Selection Grade/Reder Grade/Professor grade by the duly constituted screening/ Selection Committee at the first instance, the next higher grade would be admissible to him from the date of eligibility or 27th of July 1998 whichever is later, but the designation (if any) shall be given to him from the date of taking over charge.

15. In case the incumbent Lecturer, Lecturer in Senior Scale Lecturer in Selection Grade/Readers is not found suitable for Career Advancement promotion in the first instance he may offer himself again for such advancement/promotion after every one year and he shall be considered by the Screening/Selection Committee along with other candidates who have since become eligible. If he is recommended for promotion in the second or subsequent attempts he will be given the grade as well as the designation U(if any) from date of taking over charge as Lecturer in Senior Scale/ Lecturer in Selection Grade/ Reader (Promotion) Professor (Promotion), as the case may be.

16. The post of Reader or Professor, to which promotion is made, shall be deemed to be in addition to the cadre of Reader or Professor as the case may be up to the date of the retirement of the incumbent, and thereafter the post will revert back to its original.

17. No selection of any teacher of the University under the then existing statutes through the duly constituted Selection Committee for making appointment/promotions to teaching post by direct recruitment or by personal promotion or by Career Advancement prior to the coming into force of the present statutes, having had the then requisite minimum qualification as was prescribed at that time shall be affected by the present statutes.

18. (i) Subject experts and the nominee (if any) for the Screening/Selection Committee be nominated for each calendar year by the Vice-Chancellor/Director Higher Education well in time to facilitate the member-convener to initiate the process of convening the meeting of the Committee, constituted under Career Advancement Scheme. The Screening/selection Committee shall usually meet within six month and in all cases be definitely convened within a year of the date, teacher is eligible for promotion.

(ii) Screening/Selection Committee shall meet at the headquarters of the University in case of the teachers of the University and affiliated/associated colleges (other than the colleges maintained exclusivly by the State Govt.). In the case of teacher of the colleges maintained exclusively by the State Govt., the Committee shall meet in the office of the Director Higher Education uttaranchal.

(iii) The majority of the total membership of the Screening/Selection Committee shall form the quorum of the Committee but the presence of the Chairman and at least one expert shall be necessary.

(iv) No recommendation made by the Screening/Selection Committee shall be considered to be valid unless one of the expert has agreed to the selection.

19. Members of the Selection Committee shall be given not less than 15 days notice of the meeting reckoned from the date of dispatch of such notice. The notice shall be served either personally or by registered post.

20. At least 15 days notice reckoned from the date of dispatch shall be given to the candidates prior to the meeting of the Selection Committee. The notice shall be served either personally or by registered post.

21. The workload of the Lecturer placed in Selection Grade or Promoted as Reader or Professor under Career Advancement Scheme shall remain unchanged.

संख्या—12 / चौबीस(6)—44—2006

एस0राजू
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी(नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग—6(उच्च शिक्षा), देहरादून, दिनांक : 18 दिसम्बर, 2006

विषय :— **सम्बद्ध / सहयुक्त / सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालय / शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर पूर्व महाविद्यालय में प्राप्त वेतन का संरक्षण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—डिग्री अर्थ / 14066 / 2005—06, दिनांक—27.03.06 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध / सहयुक्त / सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालय / शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर पूर्व महाविद्यालय में प्राप्त वेतन का संरक्षण का अधिकार एतद्द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रतिनिहित करने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं :—

1. शिक्षक समान पद तथा समान वेतनमान में विधिवत नियुक्त हुआ हो।
2. शिक्षक ने सेवारत महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रबन्ध तंत्र से अन्य महाविद्यालय में सेवा करने हेतु अनुमति प्राप्त कर ली हो। शिक्षक को इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रबन्ध तंत्र से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
3. संबंधित शिक्षक के पूर्व महाविद्यालय छोड़ने में कोई असामान्य परिस्थितियां न रही हो। इस आशय का प्रमाण पत्र कालेज के प्राचार्य / प्रबन्ध तंत्र से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

   असामान्य परिस्थितियों में महाविद्यालय छोड़ने से तात्पर्य निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप कालेज छोड़ने से होगा—

   (क) कर्तव्य पालन में घोर उपेक्षा।

   (ख) दुराचरण।

   (ग) शासन, विश्वविद्यालय, निदेशक, उच्च शिक्षा या उच्च शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों अथवा पूर्व महाविद्यालय के प्रति दोषपूर्ण आचरण व कार्यकलाप।

(घ) अनुशासनहीनता।

(ड.) नैतिक पतन एवं गबन आदि के आरोपों में दोषसिद्धि।

4. शिक्षक द्वारा पूर्व महाविद्यालय छोड़ने की तिथि को अन्तिम आहरित वेतन के संबंध में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मूल वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तु करना होगा।

5. शिक्षक की नियुक्ति दोनों ही महाविद्यालयों में तत्समय प्रवृत्त अधिनियम/परिनियमों के प्राविधानों के अनुसार पूर्णकालिक पद पर विधिवत निर्धारित प्रकिया के अनुसार की गयी हो।

6. वर्तमान महाविद्यालय में वेतनवृद्धि अन्य बातों के अनुकूल रहते हुए वर्तमान महाविद्यालय में एक वर्ष की अविरल सेवा के पश्चात ही देय होगी।

2. मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे अन्य प्रकरण जो इस शासनादेश से अनावृत्त रह जाते हैं, निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा अपनी पूर्ण आख्या सहित शासन को संदर्भित किये जायेंगे और शासन द्वारा प्रत्येक मामले में गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

3. उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी समझे जायेंगे।

4. उपर्युक्त आदेशों से कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को आप अपने स्तर से अवगत कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय

एस0 राजू

सचिव।

संख्या–12/चौबीस(6)–44–2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. राज्य विश्वविद्यालयों के समस्त कुलसचिव।
3. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–7, उत्तरांचल शासन।
5. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

के0पी0 पाटनी

अनु सचिव।

संख्या– 395/XXVII/(7)/2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनॉक 17 अक्टूबर, 2008

विषयः– वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

छठवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमान के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शासकीय कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या–262/XXVII/(7)/2008 दिनॉक 25 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनॉक 7 अक्टूबर, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधनो के साथ संकल्प संख्या–394 /XXVII/(7)/2008 दिनॉक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों जो दिनॉक 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, के लिए दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढॉचे में संलग्नक–1 के कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम– 3 में इंगित वेतन बैंड (पे बैंड)/वेतनमान का नाम तथा उसके सादृश्य (करेस्पोन्डिंग) क्रमशः कालम–4 तथा 5 में इंगित वेतन बैंड/वेतनमान तथा ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी पद के संशोधित वेतन ढॉचे का तात्पर्य उसके कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर क्रमशः कालम–4 तथा 5 में उल्लिखित वेतन बैंड/वेतनमान तथा ग्रेड वेतन से है।

वेतन बैंड में "वेतन" का तात्पर्य संलग्नक–1 के कालम–4 में दिये गये रनिंग वेतन बैंडों आहरित वेतन तथा 'ग्रेड वेतन' का तात्पर्य पूर्व संशोधित वेतनमानों/पदों की प्रास्थिति पर य धनराशि से है।

संशोधित वेतन ढॉचे में अब मूल वेतन, का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन ड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा, परन्तु इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक तन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियाँ लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों ो केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमानों के विभिन्न सोपानों हेतु वर्तमान वेतनमान एवं उसके ोपानों हेतु संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका के नुसार किया जायेगा।

संशोधित वेतन ढॉचे में वार्षिक वेतन वृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था है। वार्षिक ेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगा, जिसे 10 के अगले गुणॉक में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतन वृद्धि के निर्धारण के उदाहरण निम्नानुसार है:–

उदाहरण –1

1. वेतन बैंड–1 में वेतन (रू0 5200–20200)	–	रू0 5200/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 7000/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 210
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 5200 + 210= रू0 5410
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/

उदाहरण –2

1. वेतन बैंड–2 में वेतन (रू0 9300–34800)	–	रू0 9300/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 13500/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 405 पूर्णांकित रू0 410
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 9300 + रू0 410= रू0 9710
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/

8. वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी। कर्मचारी जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 01–1–2006 से 30–6–2006 के मध्य है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनॉक 1–1–2006 को दी जायेगी तथा जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की ति 1–7–2006 से 31–12–2006 के मध्य होगी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिनॉक 1–7–2006 को जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई ही अनुमन्य कराई जायेगी। जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–1–2006 है कर्मचारियों को पूर्व वेतनमान में वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढॉचे के वे बैंड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा अगामी वेतन वृद्धि दिनॉक 1–1–2007 को अनु होगी।

9. जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जायेगा, तो उसे अधिक स्तर पर पहुचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में रख दिया जायेगा। उच्चतर बैं स्थापन के समय पूर्व प्राप्त मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा परन्तु पद ग्रेड वेतन पूर्ववत रहेगा। उच्चतर वेतन बैंड में तब तक उन्नयन होगा जब तक वेतन बैंड–4 अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी

10. ऐसे प्रकरणो में जहॉ दो वर्तमान वेतनमानों, को एक ही वेतन बैंड तथा एक ही ग्रेड वे अनुमन्य कराया गया है, यदि कनिष्ठ कर्मचारी वेतन संशोधन के पूर्व अपने से वरिष्ठ कर्मच के समान अथवा कम वेतन पा रहा हो तथा संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैंड में वह अ वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करे, तो वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन बैंड में वे उसी दिनॉक से कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाय तथा वरिष्ठ कर्मच को अगली वेतन वृद्धि प्रस्तर –8 के अनुसार अनुमन्य होगी।

1. जहाँ सरकारी कर्मचारी मौजदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 1 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे में लाया जाता है, तो संशोधित तन ढाँचे में बाद की तारीख से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा:–

वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन को जोड़ते हुए किया ायेगा। उस तिथि को लागू मंहगाँई वेतन और पूर्व संशोधित मंहगाँई भत्ता दिनाँक 01 जनवरी, 006 को यथा विद्यमान दरों पर आधारित होगा। यह संख्या 10 के अगले गुणाँक से गुणा की ायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लाग वेतन बैंड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त र्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा।

2. संशोधित वेतन ढाँचे में पदोन्नति अब दो प्रकार से सम्भव हो सकती है:–

1– एक ही वेतन बैंड के अन्दर एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति।

2– एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड में पदोन्नति।

दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढाँचे में एक ग्रे... सरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:–

वेतन बैंड में वेतन में अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के गले गुणाँक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन मे जोड़ दिया येगा। इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन ान किया जायेगा। जहाँ पदोन्नति में वेतन बैंड में परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति में इसी प्रविधान के नुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोन्नति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहाँ वेतन ड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त न बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा।

केन्द्र सरकार के उक्त वेतनमानों को लागू करने पर रनिंग पे बैंड की जो व्यवस्था की गयी उसमें वेतन बैंड का विस्तार (स्पैन) काफी अधिक है तथा वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने की गति में अगला वेतन बैंड अनुमन्य है। स्पष्टतः किसी भी कर्मचारी के प्रकरण में सामान्यतः अधिकतम न पर वेतन वृद्धि रोध (Stagnation) की स्थिति नहीं आयेगी। अतः राज्य सरकार में लागू यमान वेतनमान की व्यवस्था समाप्त की जाती है । चयन/प्रोन्नति उसी स्तर पर अनुमन्य होंगे ाँ पर ग्रेड वेतन अथवा वेतन बैंड में परिवर्तन हो रहा है। दिनाँक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो े समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैंड में प्रतिस्थापित किया येगा परन्तु ग्रेड पे पद की प्रास्थिति के अनुरूप होगी। उक्त तिथि के उपरान्त समयमान वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

14. भारत सरकार द्वारा वेतनमान रू0 8000–275–13500 के वेतनमान को वेतन बैंड–2 तथा वेतन बैंड–3 में रखा गया है। राज्य में दिनॉक 1–1–1986 से ही सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों को समान वेतनमान अनुमन्य था, जिसे दिनॉक 01 जनवरी, 1996 से रू0 8000–275–13500 में पुनरीक्षित किया गया। । अतः वेतनमान रू0 8000–275–13500 को वेतन बैंड–3 में रखा जाय।

15. दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढॉचे में चयन का विकल्प लिखित रूप से संलग्नक–3 पर उपलब्ध फार्म पर देना होगा। उक्त विकल्प सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने के दिनॉक से 90 दिन के अन्दर दे दिया जाय।

16. उपर्युक्तानुसार दिए गए विकल्प की सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्ति स्वीकार कर वेतन निर्धारण आदेश/वेतन पर्ची निर्गत कर तथा इसकी प्रति सेवा पुस्तिका पर चस्पा कर एक प्रति सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित की जाय।

17. यदि सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने नये संशोधित वेतनमान द्वारा शासित चयन होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढॉचे के अनुसार वेतन दिया जायेगा।

18. एक बार जो विकल्प दे दिया जायेगा उसे ही अन्तिम माना जायेगा और इसमें में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

19. जहॉ कोई सरकारी कर्मचारी दिनॉक 01 जनवरी 2006 को निलम्बित हो तथा उसके ड्यूटी पर वापस आने की तारीख, इस शासनादेश के जारी होने को तिथि के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है। निलम्बित सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढॉचे में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

20. जिन कर्मचारियों की सेवा दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है अथवा जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए गए हो, सेवात्याग (इस्तीफा) अनुशासनहीनता के कारणों से सेवामुक्त या बरखास्त किए गए हो, को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गए और कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढॉचे के लिए चयन का विकल्प नहीं के, उनके मामले में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से या के बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों के लिए लाभप्रद हो, संशोधित वेतन ढॉचे तन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए म्बन्धी उचित कार्यवाही की जायेगी।

जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को अर्जित अवकाश अथवा अन्य किसी काश, जो उन्हें अवकाश का हकदार बनाता है, उन्हें अवकाश के इस नियम के लाभ मिलेंगे तद्नुसार ही अवकाश वेतन आदि प्राप्त होगा।

जो कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं उनको देय अवशेषों में से योजना के न देय होने वाले अंशदान के बराबर की धनराशि की कटौती कर ली जाएगी तथा राज्य ार भी उसके समतुल्य अपना अंशदान योजना में जमा करेगी।

वेतन समिति की संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमानो में संशोधित पर देय महगॉई भत्ते के आदेश पृथक से प्रसारित किये जा रहे हैं।

शासन द्वारा जब तक अन्य भत्ते पुनरीक्षित नहीं किए जाते तब तक अन्य सभी भत्ते की भॉति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही देय होगें।

सचिवालय में तैनात विभिन्न सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन, विशेष वेतन, ष भत्ता, वैयक्तिक वेतन आदि के योग की अधिकतम सीमा रू0 22400 प्रति माह से अधिक होती है। दिनॉक 1–1–2006 से नये संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप सीमा में वृद्धि होने पर सम्बन्धित अधिकारी से दिनॉक 31–10–2008 तक विशेष /भत्ते की धनराशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी तथा अब तक अनुमन्य हो रहे विशेष /भत्ते को इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

27. ऐसे पदों जिनके वेतनमानों में दिनॉक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व केन्द्र से समानता थी तथ जिनके वेतनमानों में दिनॉक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात संशोधन /उच्चीकरण हुआ है। उ पदों के लिए संशोधन/उच्चीकरण के दिनॉक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान के सादृश संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन बैंड तथा ग्रेड पे अनुमन्य होगी। परन्तु यदि पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के फलस्वरूप संशोधित वेतन ढॉचे में पे बैंड में परिवर्तन हो रहा है त पद का वेतन नये पे बैंड के न्यूनतम से कम होने पर पे बैंड के न्यूनतम पर निर्धारित करते हु तथा पद की प्रास्थिति यथावत् रखते हुए पद की प्रास्थिति के अनुरूप ग्रेड पे अनुमन्य होगी अर्थात् इस प्रकार के मामलो में केवल वेतन बैंड परिवर्तित होगा तथा पद की ग्रेड पे तथा प की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

28. चूकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप दिनॉक 01 जनवरी, 200 से वेतनमान संशोधित किए जा रहे है; अतः सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तदनुसार विभिन्न सेव संवर्गों की सेवा नियमावली एवं संगठनात्मक ढॉचों में संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता पर क लेगें।

29. राज्य कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान एवं महगॉई भत्ते का दिनॉक 1–9–2008 से नगद भुगतान किया जायेगा और दिनॉक 1–1–2006 से दिनॉक 31–8–2008 तक के पुनरीक्षि वेतनमानों में देय वेतन का अवशेष को दो किश्तो में भुगतान किया जायेगा प्रथम किश्त के रू में 40 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2008–2009 में तथा द्वितीय किश्त के रूप में 6 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2009–2010 में किया जाएगा। अवशेष का भुगतान कर समय देय आयकर धनराशि की कटौती के बाद शेष बची धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते जमा करायी जाएगी । जिन कर्मियों के भविष्य निधि खाते नहीं है उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र रूप में दी जाएगी। ऐसे कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त ह रहे हैं, के भुगतान नकद में किया जाएगा।

इस शासनादेश द्वारा केवल ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान ोधित किए जा रहे है, जो दिनॉक 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहें । चूँकि इस शासनादेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप रिप्लेसमेन्ट ल ही स्वीकृति किए जा रहें हैं। अतः उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान पूर्व ल्लिखित प्रस्तरो के अधीन पुनरीक्षित माने जायेगे और इनके लिए शासन के विभिन्न ागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों जो दिनॉक 31–12–2005 को केन्द्र के समान नमान प्राप्त नहीं कर रहे थे उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित न ढॉचे में वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही दी जायेगी।

लग्नक–

) पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान।
) वेतन निर्धारण हेतु फिटमेन्ट तालिका।
) पुनरीक्षित वेतनमान के विकल्प का प्रारूप।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव।

ख्या– 395(1)/XXVII/(7)/2008 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

– माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।
– सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
– रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, उत्तराखण्ड।
– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

टी0एन0सिंह
अपर सचिव।

ख्या– 395(2)/XXVII/(7)/2008 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून को ूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

टी0एन0सिंह
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 का संलग्नक–1

वर्तमान वेतनमान		दिनांक 01–01–2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढाँचा		
क्र0 सं0	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01–01–2006 के पूर्व)	वेतन बैंड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैंड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
11	5500–175–9000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
12	6500–200–10500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
13	7450–225–11500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4600
14	7500–250–12000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4800
15	8000–275–13500	वेतन बैंड–3	15600–39100	5400
16	8550–275–14600	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
17	10000–325–15200	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
18	10650–325–15850	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
19	12000–375–16500	वेतन बैंड–3	15600–39100	7600
20	14300–400–18300	वेतन बैंड–4	37400–67000	8700
21	16400–450–20000	वेतन बैंड–4	37400–67000	8900
22	18400–500–22400	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000
23	22400–525–24500	वेतन बैंड–4	37400–67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

संख्या: 27/xxvii(7)(स्प0–1)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक: 13फरवरी,2009

विषय:– राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानो की स्वीकृति के संबध में शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008,दिनॉक:17अक्टूबर,2008 के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में विभाग/संगठनों/संस्थाओं द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध मे निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2–उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक: 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–13 में दिनांक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैण्ड में वेतन पुनरीक्षण किया गया है परन्तु ग्रेड–पे उसके मूल पद की प्रास्थिति के अनुरूप देने की व्यवस्था है । ग्रेड–पे की अनुमन्यता की उक्त व्यवस्था में संशोधन के फलस्वरूप अब अनुमन्य समयमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के अनुसार ग्रेड–पे देय होगी।

3–उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश में प्रोन्नति/चयन वेतनमान की तिथि से विकल्प देने की व्यवस्था नहीं थी। एतद्द्वारा प्रोन्नति की तिथि अथवा चयन वेतनमान की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प दिये जाने की सुविधा अनुमन्य होगी ।

4–वार्षिक वेतनवृद्धि के संबध में राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक17अक्टूबर,2008 में स्पष्ट है कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी/जुलाई में ही देय होगी, लेकिन नियुक्ति/प्रोन्नति/उच्चीकरण की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूरा होने पर प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी । यदि उक्तानुसार वेतन वृद्धि का निर्धारण दिनांक 1–1–2006 से वेतनमानों के पुनरीक्षण में नहीं किया गया है तो संबंधित आहरण/वितरण

अधिकारी के द्वारा तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5—दिनांक 1—1—2006 से वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 में ग्रेड—पे, वेतन वृद्धि की तिथि तथा पदोन्नति / चयन की तिथि से भी विकल्प देने की व्यवस्था हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, जबकि उक्त शासनादेश द्वारा विकल्प दिये जाने की तिथि दिनांक:15—1—2009 को समाप्त हो गयी है। अतः उक्तानुसार निर्गत किये जा रहे स्पष्टीकरण के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने की सुविधा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से 'तीन माह' बढ़ायी जा रही है। उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व में दिये अपने विकल्प में परिवर्तन करना चाहता हो तो वह उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्व से दिये अपने विकल्प में परिवर्तन कर सकता है। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद विकल्प की सुविधा अग्रेतर नहीं बढ़ायी जाएगी ।

6—वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर—8 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढाँचें में वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1—1—2007 को अनुमन्य होगी । इस विषय में यह देखा जा रहा है कि अनेक प्रकरणों में पुराने वेतनमान तथा नये वेतनमान दोनों में वेतन निर्धारण किया जा रहा है । अतः ऐसे प्रकरणों में अब पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इनका वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के स्थान पर नये वेतनमानों में ही एक वेतन वृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किया जाएगा और पूर्व में इस संबंध में जो त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये गये हैं उनको संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा ठीक कर लिया जाय।

7—शासनादेश संख्या:395 / XXvii(7) / 2008, दिनांक: 17अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर—29 के कम में अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008—09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009—10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010—11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा ।

8—दिनांक 1—1—2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1—1—2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि के अवशेष का 40प्रतिशत

वित्तीय वर्ष2008--09 में,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009--10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010--11 में भुगतान किया जाएगा ।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव

संख्याः 57(1)/XXVII(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 500प्रतियां प्रकाशनार्थ
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

टी0एन0 सिंह
अपर सचिव ।

संख्या 138 /XXIV(6)/2009

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1– कुलपति,
कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल/उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी/
दून विश्वविद्यालय, देहरादून तथा हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर गढ़वाल ।

2–निदेशक,
उच्च शिक्षा, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 11 नवम्बर, 2009

विषय : राज्य विश्वविद्यालय (कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी तथा दून विश्वविद्यालय देहरादून) राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्ग को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यू0जी0सी0 के अनुरूप पदनाम परिवर्तन एवं वेतनमानों को पुनरीक्षित किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड में भी यथाप्रवृत्त) द्वारा नियंत्रित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के पूर्णकालिक यू0जी0सी0 वेतनधारी शैक्षिक तथा अन्य समकक्ष पदों को भी छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संलग्नक–2 पर उल्लिखित् तालिका के स्तम्भ–3 के पूर्व वेतनमानों में स्तम्भ–4 के अनुसार पदनाम देते हुए स्तम्भ–6 के अनुसार वेतन बैंड तथा स्तम्भ–7 के अनुसार ग्रेड पे के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमानों (विशेष भत्ते को छोड़कर) को दिनांक 01,जनवरी 2006 से लागू करने के आदेश देते हैं । पुनरीक्षित वेतनमान प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों यथा–कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, दून विश्वविद्यालय देहरादून तथा हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने से पूर्व अर्थात 14,जनवरी 2009 तक), राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों पर लागू होंगें ।

2– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या : 1–32/2006–यू–II/यू–I (i) दिनांक 31,दिसम्बर 2008 की धारा 8 की उपधारा (a) से (f) में प्रस्तर (f) की अधिवर्षिता आयु के प्राविधान एवं अन्य मदों से राज्य सरकार के नियम लागू होंगें तथा अन्य उल्लिखित् सभी Terms & Condition को अधीनस्थ राज्य विश्वविद्यालयों एवं निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी द्वारा स्वीकार किया है। भारत सरकार की गाइड लाइन्स से आच्छादित होने वाले शैक्षिक एवं अन्य समकक्ष पदों के

पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1–1–2006 को कार्यरत्/भरे पदों के आधार पर 1–1–2006 से 31–3–2010 तक के अतिरिक्त व्ययभार का 80 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा समायोजित किया जायेगा शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

3– दिनांक 1–1–2006 के उपरांत भरे गए पदों तथा दिनांक 1–4–2010 के उपरान्त सम्पूर्ण सभी पदों का व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

4– वेतनमानों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01,जनवरी 2006 से 30 सितम्बर 2009 तक की अवधि के लिए देय अवशेष की धनराशि अध्यापकों के भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में जमा की जाएगी । जिन अध्यापकों का भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते न खुलें हों और जो अंशदान पेंशन योजना के सदस्य हों उनका देय बकाया धनराशि से आवश्यक अंशदान तथा आयकर काटकर शेष धनराशि को राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी । आयकर की परिधि में आने वाले शिक्षकों के सम्बन्ध में वर्णित अवशेषों का आंकलन कर नियमानुसार आयकर के स्रोत पर कटौती करने के उपरांत यदि (1) आयकर 20 प्रतिशत या उससे अधिक देय है तो समस्त आयकर कटौती के उपरांत अवशेषों को शिक्षकों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, अन्यथा (2) अवशेष पर देय आयकर के 20 प्रतिशत से कम होने की दशा में वास्तविक आयकर की कटौती के उपरांत समस्त अवशेष धनराशि शिक्षक के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी ।

5– पुनरीक्षित वेतनमान निम्न प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किए जायेंगें :–

(क) पुनरीक्षित वेतनमानों के कारण भारत सरकार की उक्त योजना के आधार पर दिनांक 1–1–2006 को कार्यरत/भरे पदों के अनुसार दिनांक 1–1–2006 से 31–3–2010 तक कुल व्ययभार का 80 प्रतिशत भारत सरकार तथा 20 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 1–1–2006 के उपरांत भरे गए पदों का तथा दिनांक 1–4–2010 के पश्चात् सम्पूर्ण व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

(ख) राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शैक्षिक वर्ग एवं समकक्ष वर्ग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 31,दिसम्बर 2008 के प्रस्तर–2 से 6 में उल्लिखित् पदनाम एवं वेतनमान (विशेष भत्ते को छोड़कर) बशर्ते पुनरीक्षित वेतनमानों के समकक्ष पुराने वेतनमान स्वीकृत हों, तथा उक्त दिशा निर्देश में अन्य सेवाशर्तों के प्रस्तर 8 (f) में अधिवर्षिता की आयु के प्राविधान एवं अन्य भतों में राज्य सरकार के नियम लागू होंगे, को जोड़ते हुए तथा शेष प्राविधान को स्वीकार करते हुए वेतनमान यू0जी0सी0 की उक्त के अलावा अन्य सभी नियम, शर्ते तथा समस्त दिशा–निर्देश मान्य होंगे।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या : 1–32/2006–यू– II/यू–I (i) दिनांक 31, दिसम्बर 2008 के प्रस्तर–8 (p),(v),(g) में उल्लिखित् शर्ते भी मान्य होंगी।

(घ) उक्त पुनरीक्षित वेतनमान के साथ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेष वेतन भत्ता देय नहीं होगा ।

6– पुनरीक्षित वेतनमानों पर दिनांक 1–1–2006 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पदों/वेतनमानों के लिए समय–2 पर प्रसारित शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई भत्ता देय होगा ।

7– नवीन वेतनमानों को कार्यान्वित् करने के लिए उक्त प्रस्तर–2 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि की गणना का विवरण विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के मामले में सम्बन्धित् वित्त अधिकारी द्वारा और महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं समकक्ष पदों के मामले में निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी द्वारा तैयार किया जाएगा और उसकी सूचना शासन/यू0जी0सी0 को यथाशीघ्र भेजी, जाएगी, ताकि उसके अनुसार वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी की जा सकें ।

8– दिनांक 01,जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण हेतु शिक्षकों को निम्नानुसार विकल्प देना होगा :–

(1) प्रत्येक शिक्षक जो दिनांक 01 जनवरी 2006 को पूर्णकालिक सेवा में था का वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक शिक्षक वर्तमान वेतनमान में अपनी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक, अथवा उसके पद रिक्त करने या उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक वर्तमान वेतनमान में, वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है ।

(3) सम्बन्धित् शिक्षकों को विकल्प का चयन लिखित रूप से संलग्नक–1 पर उपलब्ध "विकल्प पत्र का प्रारूप" में देना होगा और यह विकल्प सम्बन्धित् शिक्षक के नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी, जो भी सम्बन्धित् शिक्षकों की सेवा पुस्तिका रखता हो, को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर पहुॅंच जाना चाहिए ।

(4) उपर्युक्त भॉंति दिये गये विकल्प की उक्त सम्बन्धित् प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति स्वीकार की जाएगी।

(5) अगर सम्बन्धित् शिक्षक का लिखित विकल्प उपर्युक्त प्रस्तर (3) के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर नहीं प्राप्त होता है तो यह मान लिया जायेगा कि उसे पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार्य है और उसका दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा ।

(6) एक बार जो विकल्प दे दिया जायेगा उसे ही अंतिम माना जायेगा ।

(7) जिन शिक्षकों की सेवायें दिनांक 1–1–2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गयी हों तो स्वीकृत पदों की समाप्ति के फलस्वरूप सेवा मुक्त कर दिये गये हों, सेवा त्याग (इस्तीफा) अनुशासनहीनता के कारण सेवामुक्त या बरखास्त किये गये हों, को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी ।

(8) जो शिक्षक दिनाक 1–1–2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गये और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनरीक्षित वेतनमान के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सकें, के मामले में 1–1–2006 या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो भी उसके आश्रितों के लिए लाभप्रद हो,

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण सम्बन्धित् प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जायेगी ।

9— उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है, कि वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप एरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009—10 में एवं अवशेष 60 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010—11 में देय आयकर तथा नयी पेंशन योजना में अंशदान को काटकर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा किया जाएगा, जिसे आगामी तीन वर्षो तक नहीं निकाला जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त या मृत या सेवा छोड़ चुके कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जायेगा । दिनांक 1—1—2006 या इसके बाद नियुक्त समस्त पदधारकों को एरियर का भुगतान प्रस्तर—11 के अनुसार 03 वर्षो में क्रमशः 40 : 30 : 30 प्रतिशत के अनुसार देय आयकर तथा नई पेंशन योजना के अन्तर्गत देय अंशदान काटकर किया जायेगा ।

10— पेंशन आदि के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या : 1 —32/2006—यू—II/यू—I (i) दिनांक 31,दिसम्बर 2008 की धारा 8 की उपधारा (g) एवं राज्य सरकार की शर्तो के अनुसार अनुमन्य होगी, एवं पेंशनर को पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि की पेशन भुगतान 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009—10, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010—11 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2011—12 में नगद भुगतान किया जाएगा ।

11— विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं समकक्ष पदों को पुनरीक्षित वेतनमानों में मकान किराया भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार अनुमन्य दरों पर जिस दिनांक से राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य किये गये हैं, उसी तिथि से देय होंगें ।

12— मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या : 1—32/2006—यू—II/यू—I (i) दिनांक 31,दिसम्बर 2008 के प्रस्तर—3 (II) के अनुसार अधीनस्थ राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का वेतनमान जो पूर्व में रूपये 25,000/— प्रतिमाह नियत था, को पुनरीक्षित करते हुए रूपये 75,000/— प्रतिमाह नियत किया जाता है, परन्तु विशेष वेतन भत्ता देय नहीं होगा ।

13— वार्षिक वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के शासनादेशों की भॉति प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि जनवरी व जुलाई में ही देय होगी, लेकिन नियुक्ति/प्रोन्नति/उच्चीकरण की तिथि से कम से कम छः माह का समय पूरा होने पर प्रथम वेतनवृद्धि देय होगी ।

14— यदि कोई शिक्षक वर्तमान वेतनमान में दिनांक 1—1—2006 के तुरन्त पहले संवर्ग में अपने कनिष्ठ की तुलना में अधिक वेतन पा रहा है तथा पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन यदि कनिष्ठ शिक्षक के वेतन से कम निर्धारित होता है तो वरिष्ठ शिक्षक का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन उस कनिष्ठ शिक्षक के बराबर कर दिया जायेगा ।

15— इन वेतनमानों में दी गयी योजना के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट, पी0एच0डी0/एम0फिल0 के लिए प्रोत्साहन आदि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड में भी यथाप्रवृत्त) के अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों, आदि में विश्वविद्यालय द्वारा इस आदेश के निर्गमन की तिथि के तीन माह के भीतर आवश्यक प्राविधान कर लिये जायेंगें ।

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान पद एवं वेतनमानों में संशोधनोपरांत प्रस्तावित पदनाम व वेतनमान का विवरण संलग्नक–2 पर प्रस्तुत है।

7– उक्त निर्णय व आदेशों से सभी सम्बन्धित् विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को शीघ्र अवगत करा दिया जायेगा, और इसकी सूचना शासन को भी भेज दी जाएगी ।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 2085 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 09, नवम्बर–2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

शत्रुघ्न सिंह
प्रमुख सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या : 138 / VIII / XXIV(6) / 2009 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2 उपसचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या : 1–32 / 2006–यू– II / यू– I (i) दिनांक 31,दिसम्बर 2008 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
4. अपर सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड लक्ष्मी रोड़, देहरादून ।
5. वित्त अनुभाग–3 एवं 7 उत्तराखण्ड शासन ।
6. उच्च शिक्षा अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन ।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
9. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 200 प्रतियॉ प्रकाशनार्थ ।
10. सम्बन्धित् जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव ।

संलग्नक–1

विकल्प का प्रारूप

(1) मैं..दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता हूँ।

(2) मैं..मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये अनुसार वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ जब तक कि :–

मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि..

मेरी बाद की वेतन वृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन..................................रू0 न हो जाय।

मैं वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ/छोड़ दूँ।

वर्तमान वेतनमान...।

हस्ताक्षर..
नाम..
पदनाम..
कार्यालय का नाम.....................................

दिनांक :
स्टेशन :

- यदि लागू न हों, काट दिया जाय।

संलग्नक–"

1 – उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, दून विश्वविद्यालय देहरादून तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में वर्तमान पद वेतनमानों में संशोधनोपरांत प्रस्तावित पदनाम व वेतनमानों का विवरण :–

क0 सं0	वर्तमान पदनाम	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 1–1– 2006 से पूर्व) (रूपये)	दिनांक 1–1–2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढांचा			
			प्रस्तावित पदनाम	वेतन बैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान (रूपये)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रवक्ता	8000–275–13500	असिस्टेंट प्रोफेसर	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6000
2.	रीडर (उपाचार्य)	12000–420–18300	एसो0 प्रोफेसर	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	8000
3.	प्रोफेसर (आचार्य)	16400–22400	प्रोफेसर	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000
4.	क्यूरेटर (समकक्ष प्रवक्ता पद)	8000–275–13500		वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6000

2– उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय महाविद्यालय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वर्तमान पद एवं वेतनमानों में संशोधनोपरांत प्रस्तावित पदनाम वेतनमानों का विवरण :–

क0 सं0	वर्तमान पदनाम	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 1–1– 2006 से पूर्व) (रूपये)	दिनांक 1–1–2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढांचा			
			प्रस्तावित पदनाम	वेतन बैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान (रूपये)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रवक्ता एवं पु0अ0	8000–275–13500	असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पु0अ0	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6000
2.	प्रवक्ता व0वे0	10000–325–15200	–तदैव–	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7000
3.	प्रवक्ता च0वे0एवं0	12000–420–18300 (ए0जी0पी0 8000 में	–तदैव– एसो0प्रो0	वेतन बैण्ड–3 वेतन बैण्ड–4	15600–39100 37400–67000	8000 9000

	सहा0नि0,	3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर)	एवं स0 नि0				
4.	स्नातक प्रा0 एवं उ0नि0	12000–420–18300 (न्यूनतम 12840)	स्नातक प्रा0एवं उ0नि0	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000	–
5.	स्नातकोत्तर प्रा0एवं सं0नि0	16400–22400 (न्यूनतम 17300)	स्नातको प्रा0एवं सं0नि0	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000	–
6.	निदेशक	18400–500–22400	निदेशक	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000	–

पु0अ0 – पुस्तकालयाध्यक्ष
प्रवक्ता व0वे0 – प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान
प्रवक्ता च0वे0 – प्रवक्ता चयन वेतनमान
सहा0 नि0 – सहायक निदेशक
स्नातक प्रा0 – स्नातक प्राचार्य
स्नताकोत्तर प्रा0 – स्नातकोत्तर प्राचार्य
उ0नि0 – उपनिदेशक
सं0नि0 – संयुक्त निदेशक

संख्या– 1504 /XXIV (7) 24(5)/2009

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

2–निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी–नैनीताल

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 06 अगस्त 2010

विषयः– प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उनसे सम्बद्ध /सहयुक्त शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को यू0जी0सी0 द्वारा संस्तुत कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 2452/15–11–95–14(10)/81, दिनांक 29 फरवरी 1996 द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों/उप पुस्तकालयाध्यक्षों/सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों एवं सम्बद्ध/सहयुक्त शासकीय तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान दिनांक 01–01–1996 से प्रदान किया गया है, किन्तु मेरिट प्रमोशन योजना, जो वर्तमान में कैरियर एडवान्समेंट योजना के नाम से लागू है, का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 1303(एस.बी.)/2005 उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–1–2007 तथा इसके बिरुद्ध योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 14535/2007 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2008 तथा इसी कम में उत्तराखण्ड राज्य के मा॰ उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर याचिका संख्या 337(एस.बी.)/2005 श्री हेमकर चन्द्र त्रिपाठी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड शासन में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2009 के अनुपालन में पुस्तकालय के उक्त संवर्ग के पदधारकों को लाभ प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) शासनादेश संख्या 2452/15-11-95-14(10)/81 दिनांक 29-2-1996 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित अंश "ये पद धारक शिक्षकों के लिये स्वीकृत मेरिट प्रमोशन योजना से आच्छादित नहीं होंगे" के स्थान पर "ये पद धारक यू0जी0सी0 की अर्हता धारित करने पर कैरियर एडवान्समेंट योजना से आच्छादित होंगें" प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश दिनांक 29-2-1996 की शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) उक्त व्यवस्थाओं को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अपनी परिनियमावली में यथास्थान आवश्यक संशोधन कर लेंगें।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पुस्तकालय संवर्ग में विद्यमान त्रिस्तरीय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष की व्यवस्था के बजाय भविष्य में कम्प्यूटर प्रशिक्षित जनशक्ति पर आधारित लाइब्रेरी प्रबन्धन की व्यवस्था के परीक्षण की आवश्यकता है। तब तक इस संवर्ग के रिक्त पद फ्रीज रखे जायेगें। इस हेतु अलग से कार्यवाही की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 4120/xxvii (7)/2010 दिनांक 4-8-2010 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव

संख्या- /xxiv (7) 24 (5)/2009 तद्दिनांक
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3- निजि सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4- सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार।
5- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली।
6- उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय देहरादून।
7- सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य (निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से)।
8- शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड सचिवालय।
9- वित्त (वे0आ0) अनुभाग-7।
10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
11-गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से

राधिका झा
अपर सचिव

संख्या— /xxiv (7) 43(1)/2010

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी—नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग—7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 26 नवम्बर 2010

विषयः— कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अर्न्तगत अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि विस्तारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री अर्थ/आठ(1)विविध/7222/2010—11 दिनांक 9—8—2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 181/xxiv(7)/2007 दिनांक 1—8—2008 के द्वारा कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अर्न्तगत लाभ प्राप्त करने हेतु अभिविन्यास एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अवधि 30—6—2007 तक विस्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में उच्च पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने वाली संस्था की स्थापना अभी तक नहीं हुयी है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उक्त अवधि को दिनांक 30—6—2010 तक विस्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

नितेश कुमार झा
अपर सचिव

संख्या—1516/xxiv (7) 43(1)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— कुल सचिव, हे.न.ब. केन्द्रीय गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढवाल।
2— कुल सचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

आज्ञा से

वेदीराम
अनु सचिव

संख्याः73/XXVII(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 08 दिसम्बर, 2010

विषयः–राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों (सहायता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्याः395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न कर्मचारियों के संघो द्वारा यह जिज्ञासायें की जा रही है कि दिनांक 1–1–2006 को नये वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप यदि किसी वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन अपने कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाता है तो वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन अपने कनिष्ठ कर्मचारी के समान करने की क्या व्यवस्था होगी।

इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–10 के आधार पर ऐसे प्रकरणों में जहां पर दो वर्तमान वेतनमानों, को एक ही वेतन बैण्ड तथा एक ही ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया गया, यदि कनिष्ठ कर्मचारी वेतन संशोधन के पूर्व अपने से वरिष्ठ कर्मचारी के समान अथवा कम वेतन पा रहा हो तथा संशोधित वेतन ढांचे में वेतन बैण्ड में वह अपने वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करें, तो वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन बैण्ड में वेतन उसी दिनांक से कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाए तथा वरिष्ठ कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि उसी तिथि को अनुमन्य होगी, जिस तिथि को उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–8 के अनुसार इन्हें वेतन वृद्धि अनुमन्य हो रही है तथा इसमें अग्रेत्तर वेतन वृद्धि के लिए किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं किया जाऐगा।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त।

संख्या : 7310 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल ।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड

आज्ञा से

शरद चन्द्र पाण्डेय
अपर सचिव ।

संख्या— /xxiv (7) 34(1)/2010

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी—नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग—7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 21 फरवरी 2011

विषयः— उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री सेवा/6036/2010—11 दिनांक 6—7—2010 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXX(2/2010) दिनांक 11—2—2010 तथा तत्सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1165/XXX(2)/2010 दिनांक 27—9—2010 द्वारा उक्त शासनादेश में किये गये संशोधन के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा विभाग के ढांचे के पुनर्गठन के फलस्वरुप उच्च शिक्षा विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कुल स्वीकृत 253 पदों का आवंटन अतिक्रमित करते हुये अब कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11—2—2010 द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को प्रोन्नति के अवसर प्रदान करने के उदेश्य से निम्न विवरणानुसार मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफिंग पैटर्न के अर्न्तगत पूर्व में अनुमन्य पदों की संख्या के अधीन ही स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क	पदनाम	वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे (रु0 में)	कुल स्वीकृत पद	स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पदों की संख्या
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे—4600	—	05
2	प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे— 4200	05	45
3	मुख्य सहायक	5200 20200 ग्रेड पे—2800	29	46
4	प्रवर सहायक	5200—20200 ग्रेड पे—2400	38	76
5	कनिष्ठ सहायक	5200—20200 ग्रेड पे—1900	181	81
	कुल योग		253	253

2— उक्तानुसार पदों के वेतनमान तथा संख्या मात्राकरण हेतु संगत सेवा नियमावलियों में आवश्यक संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3— जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्टीरियल कर्मी हों, वहाँ पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखा जायेगा। इस प्रकार अनुमन्य लाभ दिनांक 01 जनवरी 2010 से अनुमन्य होगा।

4— उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 4823/XXvii(3)/2010 दिनांक 1—2—2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

नितेश कुमार झा
अपर सचिव

संख्या—2650/xxiv (7) 34(1)/2010 तद्दिनांक
प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—
1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी हल्द्वानी।
3— वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी।
4— निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून।
5— समस्त प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
6—उप निदेशक, उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून।
7— कार्मिक अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
8— वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
9— विभागीय आदेश पुस्तिका/गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

वेदीराम,
अनु सचिव,

संख्या: 65/XXVII(7)40(IX)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 04 अगस्त,2011

विषय:–राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्या:10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियन प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित स्पष्टीकरण संख्या:10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 की तालिका में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त समूह 'घ'(अनुसेवक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड ₹4440–7440 एवं ग्रेड वेतन ₹1300/– के स्थान पर दिनांक 01 सितम्बर,2008 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड ₹5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1800/– अनुमन्य होने के फलस्वरूप वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया गया।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या:10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण संख्या–1 में उल्लिखित तालिका के बिन्दु–4,5 एवं 6 में अनुसेवकों के संबंध में कालम–3 में उल्लिखित व्यवस्था अब संलग्न तालिका के कालम–2 के स्थान पर कालम–3 के अनुसार केवल सेवा अवधि के प्रयोजन हेतु आगणित करके अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या:283/XXVII (7) /2010 दिनांक 07–01–2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये लागू की गई स्टाफिंग पैर्टन की सुविधा के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ वापस हो जाएगें।

4– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक का उदाहरण–1 की तालिका के संगत अंश को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए तथा इसकी शेष व्यवस्था यथावत रहेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त।

संख्याः 65 /30(VI)/XXVii(7)/2011तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय ,उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
11. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

शासनादेश संख्याः 65/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 05 अगस्त,2011 का संलग्नक

समूह 'घ' (अनुसेवक) के पद पर दिनांक 01 जनवरी,2006 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 बिन्दु–4,5 व 6 में वर्तमान व्यवस्था	शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 बिन्दु–4,5 व 6 में संशोधित व्यवस्था
1	2	3
समूह "घ" अनुसेवक के पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चीकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 01 सितम्बर,2008 से		
(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 4440–7440 ₹ 1400/	₹ 5200–20200 एवं ₹1900/–.
(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 5200–20200 ₹ 1800/–	₹ 5200–20200 एवं ₹ 2000/–
(iii) अनुसेवक "सी" तृतीय को वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 5200–20200 ₹ 2000/–	₹ 5200–20200 एवं ₹ 2400/–

संख्या:130/XXVII(7)38/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. सचिव शिक्षा/सचिव कृषि,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक,विद्यालयी शिक्षा,
   उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, माध्यमिक, बेसिक,
   अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा,
   उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
   उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:19 अगस्त,2011

विषय:–सहायता प्राप्त शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या:वे0आ0–181/दस–97–1 शिक्षा/97, दिनांक 20–02–1997 के कम में शासनादेश संख्या:134/वि0अनु0–3/2001 दिनांक 01 दिसम्बर,2001 द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किये गये थे। उपर्युक्तानुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के विषय में उन कर्मचारियों के लिए जिनकी अधिवर्षिता आयु 58/60 वर्ष है और जिनके वेतनमान का अधिकतम दिनांक 01–01–1986 से लागू वेतनमानों में ₹3500/–(दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में ₹10500) तक है, के लिए उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार दिनांक 01–03–1995 से प्रभावी समयमान वेतनमान की व्यवस्था संबंधी उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 20–02–1997 के प्रस्तर–1(ख) तथा 1(ग) तथा कतिपय अन्य व्यवस्थाओं में निम्नवत् संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– (क) शासनादेश दिनांक 20–02–1997 के प्रस्तर–1(ख) तथा 1(ग) की व्यवस्था को निम्नवत प्रतिस्थापित किये जाये।

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के उन अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और संबंधित पद पर नियमित हो चुके हों, को पदोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जाये। ऐसे संवर्ग पद जिनके लिए [illegible]

हीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। पर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में देय वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु जिन पदधारकों को दिनांक 01-03-1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन दिनांक 01-03-1995 या उसके पूर्व सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि 08 वर्ष से अधिक की अवधि पर स्वीकृति हुई हो तो 01-03-1995 से प्रभावी व्यवस्थानुसार ऐसे मामलों में नियमित पदधारक को प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पर अनुमन्य किया जायेगा। तद्नुसार अनुमन्य वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में संबंधित कार्मिकों का वेतन पद के साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(ग) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो उपर्युक्त प्रस्तर-1(ख) के अनुसार अनुमन्य प्रथम वैयक्तिक/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते है, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा किन्तु जिन पदधारकों को दिनांक 01-03-1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन दिनांक 01-03-1995 या उसके पूर्व वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 14 वर्ष से अधिक की सेवा पर अनुमन्य हुआ हो, उन्हें दिनांक 01-03-1995 से संशोधित समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ उस वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य होगा। किन्तु यह लाभ किसी भी दशा में दिनांक 01-03-95 के पूर्व देय नहीं होगा।

2- उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 01 दिसम्बर,2001 में समयमान वेतनमान के "अधिकतम ₹10500 तक" की व्यवस्था को "वेतनमान का अधिकतम ₹13500 से कम" के रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3- (क) ऐसे पदधारक जिनकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष अथवा राज्य कर्मचारियों के समान वृद्धि उपरान्त 60 वर्ष है तथा जिन्हें 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि तक सीधी भर्ती के पद के संदर्भ में दो प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अथवा दो पदोन्नतियां अनुमन्य नहीं हुई हों, परन्तु जिन्हे एक पदोन्नति प्राप्त हो चुकी हो और वे सीधी भर्ती के पद पर नियमित हों, उनको 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 मार्च,2000, जो भी बाद में हो, से सीधी भर्ती के पद के संदर्भ में द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करा दिया जाये।

(ख) उपर्युक्त प्रस्तर–3(क) के अनुसार की गयी व्यवस्था से लाभान्वित होने के उपरान्त संबंधित कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन आगे अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01 दिसम्बर,2001 के प्रस्तर–4(1) में लागू व्यवस्थानुसार अगले वेतनमान की अनुमन्यता के मामलों में दिनांक 01 जनवरी,1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में ₹2750–4400 तथा ₹4500–7000 के लिए अगला वेतनमान क्रमशः ₹3200–4900 तथा ₹5000–8000 माना जाये।

(घ) दिनांक 01 जनवरी,1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनमान ₹2550–3200 तथा ₹2610–3540 में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध न हो, उन्हें क्रमशः द्वितीय वैयक्तिक अगला वेतनमान तथा प्रथम वैयक्तिक अगला वेतनमान अनुमन्य कराने हेतु शासनादेश संख्या–प0म0नि0–357 / दस–21(एम)–97 दिनांक 31 दिसम्बर,1997 के संलग्नक–ग पर उपलब्ध वेतनमानों की सूची में उपलब्ध ₹2650–4000 के वेतनमान को संज्ञान में न लेते हुए (इग्नोर करते हुए) ₹2750–4400 का वैयक्तिक अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाये।

4– ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी / अधिकारी को समयावधि के आधार पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होने अथवा समयमान वेतनमान / सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के पश्चात उसी वेतनमान में वास्तविक रूप से प्रोन्नति के फलस्वरूप यदि किसी समय बिन्दु पर संबंधित कार्मिक का वेतन उस वेतन के बराबर या उससे कम हो जाता है जो उसे वास्तविक रूप से प्रोन्नति न होने की दशा में मिलता तो ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी / अधिकारी का वेतन उस समय बिन्दु पर वास्तविक प्रोन्नति वेतनमान में अगले स्तर पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाये। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रोन्नति के पद पर संबंधित कार्मिक को अगली वेतनवृद्धि वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

5– संवर्गीय पुनर्गठन अथवा सेवा शर्तों में संशोधन के परिणामस्वरूप पदोन्नतीय पद की प्रास्थिति में परिवर्तन या वेतनमानों के संविलयन / उच्चीकरण से यदि किसी पद के पदोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन ऐसे पद पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान भी तदनुसार ही अनुमन्य होगा।

6– (i) उपर्युक्त प्रस्तर–5 में उल्लिखित परिवर्तन / संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो जिन्हें पूर्व की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें ऐसे परिवर्तन / संशोधन की तिथि से उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान अनुमन्य होगा तदनुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय अगले वेतनमान में वेतन निम्नवत निर्धारित किया जायेगा।

(क) वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 25 सितम्बर,2006 के पूर्व की तिथि 24 सितम्बर,2006 तक उच्चीकृत होने पर वेतन निर्धारण मूल नियम–22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश–4 के अनुसार किया जायेगा।

(ख) वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 25 सितम्बर,2006 अथवा उसके बाद की तिथि से उच्चीकृत होने पर उच्चीकृत वेतनमान में संबंधित कार्मिक का वेतन मूल नियम–22 के उप नियम (क) के खण्ड (दो)(ग) के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा।

(II) उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके बाद अर्ह कार्मिकों को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान परिवर्तित/संशोधन व्यवस्थानुसार देय होगा और ऐसे मामलों में वेतन शासनादेश संख्या:134/वि0अनु–3/2001 दिनांक 01 दिसम्बर,2001 के प्रस्तर–2(4)/2(5) की व्यवस्थानुसार निर्धारित किया जायेगा।

7– उपर्युक्त प्रस्तर–5 में उल्लिखित परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो परिवर्तन/संशोधन की तिथि के पूर्व अर्ह कार्मिकों को अनुमन्य उच्चतर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान यथावत् रहेगा किन्तु परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके पश्चात् अर्ह कार्मिकों को परिवर्तित स्थिति के अनुसार निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अनुमन्य होगा।

8– उपरोक्तानुसार प्रस्तावित व्यवस्थाएं संबंधित श्रेणी के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जहां पूर्व में समयमान वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान अनुमन्य था।

9– उपर्युक्त समयमान वेतनमान की व्यवस्था दिनांक 31 अगस्त,2008 तक ही लागू होंगी।

10– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी,1997 तथा 01 दिसम्बर,2001 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएं और इसकी शेष सभी शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगें।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या:130/XXvii(7)38/2011 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल पौड़ी।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड
6. समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यलयों के प्रधानाचार्य।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

शरद चन्द्र पाण्डेय
अपर सचिव।

संख्या : 2183/सत्तर-1-97-15(3)/97

प्रेषक,

श्री अतुल चतुर्वेदी,
सचिव, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति/कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 1997

विषय : शैक्षिक पंचांग का अनुपालन, छात्रों की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थित एवं अध्यापकों की प्राइवेट ट्यूशन/कोचिंग पर रोक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासना के पत्रांक 528/16-(उ0शि0-1)/97, दिनांक 11 जून, 1997 एवं 2072/सत्तर-1-97 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर शासन द्वारा विश्वविद्यालयों की अधिनियम/परिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं परन्तु अनुपालन आख्या तथा अद्यावधिक प्रगति से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है।

2- उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उपर्युक्त शासनादेशों के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें :-

(क) <u>शैक्षिक सत्र का नियमन</u>

समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियों में निम्न प्राविधान हैं :-

(1) किसी विद्यावर्ष में 31 अगस्त के पश्चात कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी परीक्षायें 30 अप्रैल तक पूरी हो जायेंगी।

(3) 15 जून तक परीक्षाफल घोषित कर दिये जायेंगे।

उक्त के अनुपालन की सफलता की स्थिति से कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

(ख) <u>छात्र उपस्थिति</u>

परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य की गयी है तथा विशेष परिस्थितियों में कुलपति द्वारा 15 प्रतिशत छूट दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों की उपस्थिति में कहां तक सुधार हुआ है कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

(ग) <u>प्राइवेट ट्यूशन/कोचिंग पर प्रतिबन्ध</u>

विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों में अध्यापकों के लिए आचार संहिता का स्पष्ट प्राविधान है। प्राइवेट ट्यूशन/कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जिससे कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन/कोचिंग में सहयोग न करे। अभी तक अध्यापकों को प्राइवेट ट्यूशन/कोचिंग पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। साथ ही अध्यापकों के लिये निर्धारित न्यूनतम अध्यापन कार्य में कितनी सफलता मिली है, इस पर भी कृपया एक रिपोर्ट भेजने का कष्ट करें। कृपया 15 जनवरी, 1998 तक प्रत्येक अध्यापक के विषय में यह सूचना शासन को प्रेषित की जाय कि 31 दिसम्बर, 1997 तक प्रत्येक शिक्षक द्वारा कितनी कक्षायें ली गयी, छात्रों की उपस्थिति का प्रतिशत क्या रहा एवं कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम पढ़ा दिया गया है।

2- उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अद्यावधिक स्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल चतुर्वेदी
सचिव।

<u>संख्या - 2183(1)/सत्तर-1-97-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निदेशक, उच्च शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालयों के सम्बन्ध में उपरोक्त सूचना क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से एकत्र कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
कुलदीप एन0 अवस्थी
अनुसचिव।

संख्या 1991/70-2/98-16(49)/98

प्रेषक,

विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से
नियंत्रित समस्त विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 17 अक्टूबर 1998

विषय:- प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के गैर स्व. वित्त पोषित अर्थात् सामान्य शुल्क ढांचे का पुनरीक्षण ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में गैर स्व.-वित्त पोषण के अन्तर्गत विभिन्न शुल्कों की दरें 01-07-1981 से प्रभावी की गयी थी, जो निम्नानुसार है:-

	शुल्क दरें	
	शिक्षण शुल्क रुपये	
1.	(क) स्नातक स्तर	11.00 प्रतिमाह
	(ख) स्नातकोत्तर स्तर व एल.एल.बी.	15.00 प्रतिमाह
	(ग) बी0एड0	18.00 प्रतिमाह
2.	महंगाई भत्ता शुल्क (सभी कक्षाओं के छात्रों से)	3.50 प्रतिमाह
3.	प्रयोगशाला शुल्क ऐसे स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रत्येक छात्रों में से जो विज्ञान संकाय के हैं, अथवा जिन्होंने कला संकाय में एक या अधिक प्रयोगात्मक कार्य युक्त विषय ले रखे हैं	4.00 प्रतिमाह
4.	प्रवेश शुल्क/पुनः प्रवेश शुल्क	3.00 प्रतिमाह
5.	पुस्तकालय शुल्क	
	(क) स्नातक स्तर	3.00 प्रतिछात्र प्रतिवर्ष
	(ख) स्नातकोत्तर; बी0एड0, एल0एल0बी0	10.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
6.	विकास शुल्क	20.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
7.	पंखा शुल्क	4.50 प्रति छात्र प्रतिवर्ष (यह शुल्क उन कालेजों [illegible] नहीं लिया जायेगा [illegible] की सुविधा नहीं है।)

2. इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित तीन विन्दु विचारणीय है:-

(क) 01-07-1981 के बाद से रुपये की कीमत में व्यापक ह्रास हुआ है।

(ख) विश्वविद्यालयों को अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अधिकाधिक धन की [illegible] जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित साधनों से पूरा किया जा सकना सम्भव नहीं है।

(ग) विश्व बैंक द्वारा दिये गये उत्तर प्रदेश रिफार्म्स मैट्रिक्स में भी इस बात का [illegible] गया है कि उच्च शिक्षा में कॉस्ट रिकवरी किया जाने का प्रयास किया जाये।

(घ) 01-01-1986 से अध्यापकों के वेतनमानों में प्रस्तावित पुनरीक्षण के फल[illegible] अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

उपरोक्त समस्त पहलुओं पर विचार करके तथा उच्च शिक्षा में पठन-पाठन तथा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:-

(क) पुनरीक्षित वेतनमानों के कारण वित्तीय वर्ष 1998-99 में होने वाले अतिरिक्त व्यय भार का शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

(ख) वित्तीय वर्ष 1999-2000 में होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय भार में से राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले 20 प्रतिशत अंश में से 10 प्रतिशत विश्वविद्यालयों द्वारा एवं शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

(ग) वित्तीय वर्ष 2000-2001 में होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय भार में से राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले 20 प्रतिशत अंश में से 15 प्रतिशत विश्वविद्यालयों द्वारा एवं शेष 5 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाये।

(घ) वित्तिय वर्ष 2001 से होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय भार में से 50 प्रतिशत विश्वविद्यालयों द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

यह भी विदित है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा (7)(14)एवं धारा 52 (3) (सी)के प्राविधानों के अनुसार आप सक्षम अनुमोदन से ऐसे अध्यादेश बनवा सकते हैं अथवा पूर्व में बने अध्यादेशों में संशोधन कर सकते हैं जो आपके विश्वविद्यालय या उससे सम्ब¼/सहयुक्त/घटक महाविद्यालयों में विभिन्न शुल्कों का निर्धारण करते हों।

उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप अपने विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को देखते हुए लिये जाने वाले शुल्कों हेतु अध्यादेश/अध्यादेश संशोधन का प्रस्ताव प्रत्येक दशा मे विलम्बतम एक माह के अन्दर शासन को सहमति हेतु उपलब्ध करा दें।

भवदीय,
विनोद कमार मित्तल
प्रमुख सचिव।

<u>ख्या : 1991 (1)/70-2-98-16 (49)/98, तद्दिनांक</u>

ालिपि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से नियंत्रित प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों/वित्त अधिकारियों को एवं उच्च शिक्षा निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
कुलदीप एन० अवस्थी
अनु सचिव

संख्या 2806/70-4/2000-46(50)99

प्रेषक,

सुधीर कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 10 अगस्त 2000

विषय:- राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले मंहगाई और प्रयोगशाला शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले महंगाई शुल्क का निर्धारण पूर्व में आदेश संख्या-1734/पन्द्रह-15-80(11-12), दिनांक 6--81 द्वारा किया गया था तब से शासन द्वारा समय-समय पर शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। इससे शासन पर व्ययभार कई गुना बढ़ गया है, परन्तु महंगाई शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इसी प्रकार प्रयोगशाला शुल्क भी उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित किया गया था। तब से प्रयोगशाला में उपयोग होने वाली सामग्री के मूल्य में कापी वृद्धि हुई है। परन्तु प्रयोगशाला शुल्क में पुनरीक्षण न होने के कारण महाविद्यालय में प्रयोगशालाओं की स्थिति संतोषजनक नही है।

मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि अब प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रों से प्रतिमाह रु020/ मंहगाई शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

कृपया तत्काल महाविद्यालयों में उपरोक्तनुसार मंहगाई शुल्क व प्रयोगशाला शुल्क को लागू कर दिया जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश स्ववित्त पोषित योजना के अधीन स्थापित किये गये महाविद्यालयों में लागू न होंगे इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये हों उन पर यह आदेश लागू न होंगे।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या-2806(1)/70-4/200-तद्दि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक ।
3. सचिव, वित्त एवं वित्तिय परामर्शदाता (श्री मन्जीत सिंह), उ0प्र0 शासन,
4. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद/निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
6. समस्त उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यायों के कुलसचिव।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ :

विषय:- राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में एल०एल०बी०/बी०एड० आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों शिक्षण शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यायों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हाल में किए गए वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरुप शासन पर वित्तीय भार बहुत बढ़ गया है, जबकि शिक्षण शुल्क की दरों में वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बी0एड0 तथा एल0एल0बी0 जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रदेश के विश्वविद्यालय द्वारा जो शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है वही शिक्षण शुल्क उस विश्वविद्यालय से सम्बन्धी महाविद्यालयों में लिया जायेगा। यदि किसी विश्वविद्यालय में अपने परिसर में बी0एड0 तथा एल0एल0बी0 कक्षायें संचालित नहीं है और इस कारण उस विश्वविद्यालय में इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है तब इन पाठ्यक्रमों में ऐसे विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क उसी दर से लिया जायेगा जो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है।

वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन पाठ्क्रमों के लिए निम्नवत् शिक्षण शुल्क निर्धारित किये गये है:-

1. बी0एड0एम0एड0 रु0 110/-प्रतिमाह
2. एल0एल0बी0/एलएल0एम0 रु0 75/-प्रतिमाह (यदि वार्षिक परीक्षा हो)

रु0 1500/-प्रति सेमेस्टर प्रथम 4 सेमेस्टर में तथा रु0 3,000/- प्रति सेमेस्टर अन्तिम 2 सेमेस्टर में (यदि सेमेस्टर परीक्षा की व्यवस्था हो।)

कृपया तत्काल महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार शिक्षण शुल्क लागू किया जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश स्ववित्त पोषित योजना के अधीन स्थापित किये गये महाविद्यालयों में लागू न होंगे। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये हों उन पर यह आदेश लागू न हों।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या 2807/70-4/2000, तद्‌दि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
3. सचिव, वित्तीय परामर्शदाता (श्री मन्जीत सिंह), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद/निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 ; इलाहावाद।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
6. समस्त उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या : 1610/सत्तर-1-2000

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कुलपति,
राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2000

विषय : विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैगिंग को प्रतिबन्धित किया जाना।

महोदय,

शासन के यह संज्ञान में लाया गया है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने पर रैगिंग के नाम से जूनियर छात्रों से अशिष्ट व्यवहार किया जाता है और उनका उत्पीड़न किया जाता है। इस प्रवृत्ति के दुष्प्रभावों को देखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैगिंग को तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है।

2- इस सम्बन्ध में रैगिंग से तात्पर्य एक वरिष्ठ छात्र द्वारा कनिष्ठ छात्र के प्रति अशिष्ट व्यवहार अथवा उत्पीड़न अथवा कनिष्ठ छात्र को कोई ऐसा व्यवहार या कार्य करने के लिए मजबूर करना जिससे उस कनिष्ठ छात्र को सामाजिक, शारीरिक या मानसिक क्षति हो या उस कनिष्ठ छात्र में डर अथवा शर्म की भावना जागृत हो, रैगिंग समझा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :-

(अ) कनिष्ठ छात्र को अशिष्ट कार्य अथवा आचरण के लिए कहना। वह कार्य ऐसा हो जो ऐसा छात्र सामान्य स्थिति में स्वेच्छा से नहीं करेगा।

(ब) छात्र की जाति और समाज को संदर्भित करते हुए अथवा अशिष्ट भाषा में अथवा गाली गलौज की भाषा में क्षति पहुंचाने की दृष्टि से कनिष्ठ छात्र से व्यवहार करना।

3- यदि कोई छात्र रैगिंग में संलिप्त पाया जायेगा तब उसे कम से कम 2 शिक्षा सत्रों के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा और इस अवधि में उसे किसी अन्य महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

4- जब भी कोई छात्र अथवा उसके संरक्षक अथवा उसके माता पिता या अन्य शुभचिन्तक या कोई छात्र विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र के विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष अथवा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को रैगिंग के सम्बन्ध में शिकायत करते हैं, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य (जैसी भी स्थिति हो) तत्काल शिकायत की जांच करेंगे और यदि प्रथम दृष्टया शिकायत सही पायी जाय तब रैगिंग के दोषी छात्र को तत्काल विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में विस्तृत जांच कर तथा दोषी छात्र को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देते हुए जांच पूरी कर अन्तिम आदेश पारित किये जायेंगे और यदि छात्र दोषी पाया जाता है तो उसे निष्कासित कर दिया जायेगा।

5- यदि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी शिकायत प्राप्त होने पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं करते हैं तब उन्हें कदाचरण और दायित्व में शिथिलता का दोषी माना जायेगा और सक्षम स्तर से उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

6- निष्कासन के आदेश से क्षुब्ध कोई छात्र महाविद्यालय से निष्कासन की स्थिति में कुलपति को और विश्वविद्यालय से निष्कासन की स्थिति में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद को अपील कर सकता है।

7- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में एक माह के अन्दर आवश्यक व्यवस्था कराते हुए इन्हें कड़ाई से लागू किया जाय तथा अध्यादेश की एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करा दी जाय।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या - 1610(i)/सत्तर-1-2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त कुलसचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय।
2. निदेशक, (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव कुलाधिपति।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या--2542/मा0सं0वि0/2001-3(100)/2001

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर, (गढ़वाल)।

2-कुलपति,
कुमार्यूं विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

3-संयुक्त निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

मानव संसाधन विकास विभाग | देहरादून : दिनांक 24 जुलाई, 2001

विषय : विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में द्वितीय पाली/सांध्यकालीन कक्षायें प्रारम्भ किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-2903/15-11-95, दिनांक 18-10-1995 तथा संख्या-207/70-2-2000-16 (1) 99, दिनांक 15 फरवरी, 2000 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है कि जिसके द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सांध्यकालीन कक्षायें चलाये जाने की व्यवस्था कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की गयी थी तथा यह भी निर्देश दिये गये थे कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में सांध्यकालीन कक्षायें चलाये जाने सम्बन्धी प्रकरणों पर गम्भीरता से परीक्षण करने के उपरान्त ही अनुमति प्रदान की जाय।

2-प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में सांध्यकालीन/द्वितीय पाली की कक्षायें चलाये जाने की अनुमति प्रदान करते समय निम्नलिखित शर्तों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

1. सांध्यकालीन कक्षाओं की फीस आदि से प्राप्त राशि का 60 प्रतिशत अध्यापकों के शिक्षण कार्य हेतु मानदेय के रूप में दिये जाने एवं 40 प्रतिशत राशि अनुरक्षण/निर्माण कार्यों हेतु व्यय किया जायेगा।
2. शासन द्वारा सांध्यकालीन कक्षाओं हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।
3. शिक्षकों को रू0 100=00 प्रति व्याख्यान की दर से तथा अधिकतम रू0 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) प्रति माह मानदेय दिया जायेगा।
4. सांध्यकालीन कक्षाओं में शिक्षण कार्य सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग/शासन द्वारा विहित शैक्षिक अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से कराया जायेगा। इन कक्षाओं में यह कार्य किसी भी दशा में नियमित कक्षाओं के शिक्षकों से कदापि न लिया जाय।
5. सांध्यकालीन कक्षायें चलाये जाने की अनुमति कुछ सीमित तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु ही प्रदान की जाय तथा इनमें छात्रों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या भी निर्धारित की जायेगी।
6. सांध्यकालीन कक्षाओं में छात्रों से वहन किये जाने वाले शुल्क इत्यादि का ढांचा कुलपति, कार्यपरिषद् के अनुमोदन से निर्धारित करेंगे तथा ऐसे निर्धारण के समय यह देखा जाना आवश्यक होगा कि शुल्क का ढांचा इस प्रकार का हो कि कक्षायें स्वावित्त पोषित रूप से चल सकें तथा छात्रों का किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो।
7. सांध्यकालीन कक्षाओं से प्राप्त शुल्क की धनराशि का अनिवार्य रूप से सम्परीक्षा करवाई जायेगी।
8. सांध्यकालीन कक्षाओं में प्रवेश पर भी आरक्षण के नियम जैसे शासन द्वारा निर्गत किये गये हैं अनवार्य रूप से लागू होंगे।

3–सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति देने के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति अधिकृत होंगे, ज महाविद्यालय से सूचना प्राप्त होने पर महाविद्यालय का निरीक्षण कराके सम्बन्धित विश्वविद्यालय की कार्य परिष स्वीकृति के उपरान्त ही इस प्रकार की कक्षायें चलाये जाने की अनुमति दे सकेंगे।

भवदीय,

एन0 रवि श

सचिव।

संख्या : 2542(1)/मा0सं0वि0/2001–3(100)2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–कुल सचिव, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

2–कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।

3–प्राचार्य समस्त अशासकीय महाविद्यालय, उत्तरांचल द्वारा संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल।

4–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एन0 रवि शं

सचिव।

संख्या 50/उच्च शिक्षा/2003

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक 12 मई, 2003

य : महाविद्यालय स्तर पर बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

दय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिलाओं की उच्च शिक्षा के प्रति जागरुकता जाने के लिए स्नातक स्तर पर बी0एड0 तथा विधि पाठ्यक्रम जो सीधे रोजगारपरक हैं को छोड़कर, अन्य क्रमों में बालिकाओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिया या है। कृपया तद्नुसार अगले शिक्षण सत्र से अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

संख्या– 411 /xxiv (7) घो0–12/2010

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी–नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 16 मार्च 2011

विषयः– राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 12 मई 2003 द्वारा महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, इसके कम में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 214/2010 के अनुपालन में राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यकमों यथा– बी0एड0, विधि, बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, आदि को छोडकर शैक्षिक सत्र 2011–12 से स्नातक स्तर पर समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 712(p) /xxvii (3)/2010 दिनांक 10–3–11 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं

भवदीय

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव

सं0 411 (1)/ xxiv (7) घो0–12/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त गढवाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4– समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय उत्तराखण्ड।
5– गार्ड पत्रावली/घोषणा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

वेदीराम,
अनु सचिव

संख्या-1960/सत्तर-2-97-2(85)/97.

प्रेषक,

श्री अतुल चतुर्वेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 1997

विषय :- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरान्त शासन ने स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

अ- ए0आई0सी0टी0ई0 के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम

(1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) के अधीन आने वाले ऐसे पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय परिसर में चलाये जा रहे हैं अथवा चलाया जाना प्रस्तावित है, को शासन की स्वीकृति के लिए भेजने के पूर्व विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय के समग्र सक्षम बाडीज जैसे - विद्या परिषद, कार्य परिषद आदि ने प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। ऐसे प्रस्ताव केन्द्रीय संस्थान (ए0आई0सी0टी0ई0) को भेजने से छः माह पूर्व शासन में उपलब्ध करा दिये जायें। सम्बद्ध महाविद्यालयों में चलाये जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु भी यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्तावों का अपने स्तर पर सम्यक् परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन को अपनी संस्तुति भेजेंगे। सभी प्रस्ताव ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुरूप तथा उनके प्रारूप पर पूर्णतया तैयार किये जायें जिससे भूमि, अस्थायी रूप से चलाये जाने की व्यवस्था, पर्याप्त धन, छात्रावास, भविष्य की योजनाएं, कोर फैकल्टी तथा गेस्ट फैकल्टी आदि की सूचनायें विस्तृत रूप से उल्लिखित हों।

(2) इस प्रकार के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस सम्बन्ध में उसका ड्राफ्ट आर्डिनेन्स, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण शुल्क, बजट में पर्याप्त धन का प्राविधान, पाठ्यक्रम की रूपरेखा, परीक्षा, मूल्यांकन, प्रबंध आदि का विस्तृत रूप से उल्लेख हो, बना लिये गये हैं तथा यह भी परीक्षण किया जायेगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित संकाय के परिनियम में प्राविधान कर लिया गया है और प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु मानकों का पालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था कर ली गयी है।

(3) निजी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें अनापत्ति प्रमाण पत्र ए0आई0सी0टी0ई0 से प्राप्त किया जाना है, हेतु शासन को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की अन्य बातों के साथ निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित कर लेने की सूचना भी दी जायेगी।

(1) संस्थान का संचालन नियमतः रजिस्टर्ड सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित है।

(2) प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु भूमि सोसाइटी/संस्थान के नाम है अथवा कम से कम 99 वर्ष के लिए लीज की व्यवस्था है।

(3) प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु स्थाई रूप से चलाने के लिए भवन, छात्रावास, कोर फैकल्टी तथा गेस्ट फैकल्टी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन की स्थिति।

(4) ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुरूप पूर्ण प्रस्ताव।

(4) विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा निजी संस्थानों में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु तीन तरह की सीटें निम्नानुसार होंगी :-

1. नार्मल
2. सेल्फ सपोर्टिंग
3. एन0आर0आई0 / एन0आर0आई0 स्पान्सर्ड

क- कुल सीटों में से 15 प्रतिशत एन0आर0आई0, 35 प्रतिशत सेल्फ स्पोर्टिंग तथा 50 प्रतिशत नार्मल सीटें होंगी, परन्तु किसी विधि की अन्यथा व्यवस्था पर एन0आर0आई0 की सीटों का प्रतिशत परिवर्तनीय होगा।

ख- जब तक कि अन्यथा विधिक व्यवस्था नहीं हो जाती एन0आर0आई0 कोटे की सीटों को छोड़कर शेष समस्त सीटों पर प्रवेश हेतु प्रदेश स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाना उचित होगा।

ग- इन पाठ्यक्रमों में मानकों का परीक्षण राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य उच्च शिक्षा परिषद परीक्षण करते समय यदि उचित समझें तो विशेषज्ञों को नामित कर सकती है और यदि परिषद आवश्यक समझे तो स्थल निरीक्षण भी कर सकती है। यदि किसी समय परिषद कार्यशील न होगी तो प्रस्ताव शासन को सीधे भेजा जायेगा।

घ- संस्थानों द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव 31 जुलाई तक सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिये जायेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त 30 सितम्बर तक प्रस्ताव शासन में उपलब्ध करा दिया जायेगा। 31 दिसम्बर तक ए0आई0सी0टी0ई0 को प्रस्ताव भेज दिये जायेंगे।

(5) ए0आई0सी0टी0ई0 के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित अधिकतम शुल्क रखा जा सकता है:-

1.	नार्मल कैटेगरी	रू0 8,000.00 प्रति वर्ष
2.	सेल्फ सपाटिंग	रू0 30,000.00 प्रति वर्ष
3.	एन0आर0आई0	रू0 75,000.00 प्रति वर्ष

ब- <u>ए0आई0सी0टी0ई0 के परिक्षेत्र से बाहर के पाठ्यक्रम</u>

ए0आई0सी0टी0ई0 परिक्षेत्र से बाहर के पाठ्यक्रम यथा बी0बी0ए0 / बी0सी0ए0 / बी0वी0एम0 / बी0एस-सी0 / बी0ए0 / बी0काम0 / एल0एल-बी0 आदि पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता के लिए भी विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। ये पाठ्यक्रम वि0वि0 के अधीन स्नातक पाठ्यक्रम के समकक्ष हैं। अतः इन पाठ्यक्रमों हेतु निम्न मानक निर्धारित किये गये हैं :-

(1) इन पाठ्यक्रमों के मानक शासन द्वारा जारी नये महाविद्यालयों को खोले जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0 4557 / 15-82(11)-3(30) / 80 दिनांक 14-3-1984 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।

(2) परातकनीकी (Paratechnical) पाठ्यक्रमों पर प्रशासकीय स्वीकृति देने से पूर्व इन पर शासन के सम्बन्धित विभाग (चिकित्सा शिक्षा, कृषि, प्राविधिक शिक्षा) का भी अभिमत प्राप्त किया जायेगा।

(3) किसी वि0वि0 से सम्बद्ध संस्था अथवा महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही किया जायेगा।

(4) इन पाठ्यक्रमों हेतु अध्यापकों की नियुक्ति उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखी गयी है, किन्तु महाविद्यालय अथवा संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विशेषज्ञ सम्बन्धित वि0वि0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) इन महाविद्यालयों / संस्थानों का शिक्षण शुल्क वेतन संदाय खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

(6) इन अध्यापकों पर उनकी सेवाकाल में अथवा सेवा निवृत्ति उपरान्त पड़ने वाला किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार किसी दशा में शासन वहन नहीं करेगा।

(7) इन अध्यापकों को यू0जी0सी0 / शासन द्वारा निर्धारित वेतन दिया जायेगा परन्तु इससे अधिक वेतन देने के लिए महाविद्यालय / संस्था स्वतंत्र होगी।

(8) मानकों के अनुसार कम-से-कम 75 प्रतिशत कोर फैकल्टी रखी जायेगी तथा गेस्ट फैकल्टी 25 प्रतिशत से अधिक न होगी।

(9) पूर्व में आर्डिनेन्स में निर्धारित शिक्षण शुल्क इन महाविद्यालयों/संस्थाओं में लागू नहीं होगा।

(10) इन स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की संस्थाओं में सामान्यतया निगमित निकाय (Corporate Body) के नियम लागू होंगे।

(11) इस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव सम्बन्धित वि0वि0 को 31 जुलाई तक तथा शासन को 30 सितम्बर तक उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए।

(12) क- बी0पी0एड0/बी0एड0/एल-एल0बी0/बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 तथा अन्य रोजगार परक स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रकार की सीटें होंगी -

अ-	नार्मल	50 प्रतिशत
ब-	सेल्फ स्पोर्टिंग	35 प्रतिशत
स-	एन0आर0आई0/एन0आर0आई0 स्पान्सर्ड	15 प्रतिशत

एन0आर0आई0/एन0आर0आई0 स्पान्सर्ड सीटों का प्रतिशत इस सम्बन्ध में किसी विधि की अन्यथा व्यवस्था पर परिवर्तनीय होगा।

ख- बी0ए0/बी0एस-सी0/बी0काम0 आदि पाठ्यक्रमों के लिए केवल एक ही प्रकार की सीट होगी जिसमें समस्त छात्रों से समान शिक्षण शुल्क लिया जायेगा।

ग- बी0पी0एड0/बी0एड0/एल-एल0बी0/बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 तथा अन्य रोजगार परक स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए निम्नतम् अधिकतम शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है :-

अ-	नार्मल	रू0 6,000.00 प्रति वर्ष
ब-	सेल्फ स्पोर्टिंग	रू0 20,000.00 प्रति वर्ष
स-	एन0आर0आई0	रू0 30,000.00 प्रति वर्ष
घ-	बी0ए0/बी0काम0/बी0एस-सी0	रू0 5,000.00 प्रति वर्ष

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित आरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगी।

3. जो पाठ्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं, उन पर उपर्युक्त मानक प्रभावी होंगे।

4. अतः अनुरोध है कि कृपया स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 1-7-98 से प्रारम्भ किये जाने वाले समस्त पाठ्यक्रम में सम्बन्धित क्लीयरेन्स/अनुमति, अस्थाई सम्बद्धता आदि प्रस्ताव उपर्युक्त मानकों के आधार पर ही परीक्षण/निरीक्षण कराकर भेजे जायें।

भवदीय,
अतुल चतुर्वेदी
सचिव

संख्या 1960(1)/सत्तर-2-97-2(85)/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. उ0शि0 अनुभाग-1 को उक्त मानकों के अनुसार परिनियमों में अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही हेतु।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
कुलदीप एन0 अवस्थी
अनुसचिव।

संख्याः 35 /सत्तर–6/99–77/!

प्रेषक,

शंकर दत्त तिवारी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 19 मई, 19

विषय :–निजी प्रबन्ध तन्त्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हे अनुदान के लिये मानकों का निर्धारण।

महोदय,

असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोले जाने हेतु निजी प्रबन्धतन्त्र/संस्थाओं को प्रोत्साहित किये जा के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निजी संस्थाओं को अपने सम्पूर्ण अवधि स्नातक स्तर पर भवन निर्माण, पुस्तकालय तथा उपकरण हेतु एक संकाय के लिए अधिकतम् रु0 30 लाख तथा 2 संका अथवा उससे अधिक संकायों के लिए अतिरिक्त 20 लाख रुपये कुल अधिकतम् 50 लाख तक का अनुदान स्वीकृत कि जायेगा। किसी विकास खण्ड में यदि एक ही महाविद्यालय संचालित है और वह नया संकाय, जो पहले से वहां पर संचालि न हो, खोलना चाहते हैं, तो ऐसे महाविद्यालय भी इस योजना से आच्छादित होगें। प्रबन्धतन्त्रों/संस्थाओं को नये महाविद्याल खोलने हेतु अनुदान दिये जाने हेतु निम्नमानक निर्धारित किये जाते हैं।

1– 16 किमी0 की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय स्थापित न हो अथवा ब्लाक में पहले से कोई महाविद्यालय न हो
2– महाविद्यालयों में स्नातक स्तरीय प्रस्तावित कक्षाओ में विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए
3– ऐसे स्नातक महाविद्यालयों को एक साथ अथवा अलग अलग कला विज्ञान तथा वाणिज्य आदि विषयों व यथावश्यकता क्लियरेन्स/सम्बद्धता दी जा सकेगी।
4– निर्धारित मानकों के अनुसार प्राभूत की राशि जमा कर विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम बन्धक रखनी होगी
5– शहरी क्षेत्रों में केवल महिला महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुदान दिया जायेगा, जहां पहले से कन्या महाविद्यालय न हो
6– स्नातक स्तर पर एक संकाय के लिये उपरोक्तानुसार भवन निर्माण/पुस्तकालय/उपकरण के लिये अधिकत एकमुश्त अनुदान रु0 30 लाख तक दिया जायेगा। दो/तीन संकाय के लिये अनुदान की अधिकतम राशि रु0 50.00 लाख होगी। अनुदान दो किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा। अनुदान की राशि का उपयोग किश्त जा करने के एक वर्ष के भीतर करना होगा। प्रथम किश्त अवमुक्त करने के पूर्व प्रबन्धतन्त्र को बचनबद्धता/शपथप द्वारा देनी होगी कि जो परिसम्पत्तियाँ सृजित होगी, उनके निर्माण में प्रस्तावित आगणन को 50 प्रतिशत धनराशि प्रबन्ध तन्त्र द्वारा स्वयं लगायी जायेगी। प्रथम किश्त अवमुक्त तभी होगी जब कि संस्था अपने बैंक के खाते में आगण का न्यूनतम 10 प्रतिशत जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें एवं यह अंडरटेकिंग दे कि वह एक वर्ष के अन्द आगणन का 25% जुटाने में सक्षम है। द्वितीय किश्त तभी अवमुक्त होगी जब आगणन का 50% व्यय संस्था व संसाधनों व प्रथम किश्त से प्राप्त धनराशि द्वारा किया जा चुका हो। इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र संस्था द्वार जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जायेगा।
7– स्वीकृत अनुदान की राशि का दुरूपयोग करने अथवा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में 6 माह से अधिक विलम्ब होने प इसकी वसूली 16% ब्याज की दर से भू राजस्व में बकायादार के रूप में वसूली प्रबन्धसमिति के अध्यक्ष तथा सदस्य से यथास्थिति प्रस्तावक से की जायेगी।
8– स्ववित्त प्रबन्धन पाठ्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होगें।
9– भूमि, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला पर निर्धारित मानकों के अनुरूपव्यय किया जायेगा, भूमि भू–अभिलेखों में महाविद्यालय के नाम दर्ज होना अनिवार्य है। भूमि का क्रय, शासन से स्वीकृत अनुदान की राशि से नहीं किया जायेगा भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित दर पर आगणन में सम्मिलित जा सकेगा परन्तु यह अधिकतम 5 लाख रु0 अनुमन्य होगा।
10– महाविद्यालय की भूमि भवन 15 वर्षों के लिये शासन के पक्ष में बन्धक रखी जायेगी।
11– अध्यापकों की नियुक्ति प्रबन्धतन्त्र द्वारा की जायेगी परन्तु शैक्षिक अर्हतायें वही होगी जो यू0जी0सी0/परिनियम/शासन

...ा निर्धारित हों।

शासन द्वारा प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के आधार पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। परन्तु उन निजी संस्था/प्रबन्ध तन्त्र को प्राथमिकता दी जायेगी जो प्रारम्भ में ही अधिक संसाधन प्रमाणित रूप से निवेश हेतु दिखा सकें।

प्रस्ताव निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से शासन में प्राप्त होना आवश्यक है निदेशक, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति कर ली गयी है।

निर्धारित आवेदन पत्र रू0 500/– मूल्य का होगा जिसे शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों/यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन करना होगा।

छात्रों के प्रवेश/परीक्षा आदि के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

संस्था की वार्षिक आय के स्रोत शिक्षण शुल्क सहित रू0 5.00 लाख से अधिक हो।

इन महाविद्यालयों को शासन द्वारा भविष्य में कभी भी अनुदान सूची पर नहीं लिया जायेगा।

(2) निदेशक प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर शासन को एक माह में प्रस्तुत करेंगे। शासन स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा। जिसमें उपरोक्त प्रस्तर 12 में दी गयी वरीयताओं का ध्यान रखा जाएगा तथा प्रस्तर–17 में संस्था द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का भी परीक्षण किया जाएगा।

राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार प्रस्तावित हैः–

1–	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा	–	अध्यक्ष
2–	राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य जिसका कार्यकाल एक वर्ष होगा।	–	सदस्य
3–	प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित एक अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर के हों।	–	सदस्य
4–	विशेष सचिव उच्च शिक्षा।	–	सदस्य
5–	निदेशक, उच्च शिक्षा।	–	सदस्य/संयोजक

(3) संस्था/प्रबन्धतन्त्र द्वारा केवल आवेदन पत्र देने के कारण उनका अनुदान प्राप्त करने का कोई क्लेम नहीं बनेगा व राज्य स्तरीय समिति को बिना कोई कारण बताये किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी होगा व इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(4) उपरोक्त मानकों के आधार पर इस योजना का निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार का उपरोक्त मानकों के आधार पर महाविद्यालयों के खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(5) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11/1401/दस–99 दिनांक 14 मई, 1999 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शंकर दत्त तिवारी
विशेष कार्याधिकारी

संख्याः 35 /सत्तर–6–99–77/99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।
अध्यक्ष राज्य उच्च शिक्षा परिषद।
संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

आज्ञा से

शंकर दत्त तिवारी
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या : 1753/70-4/99-7(7)/94

प्रेषक,

डा0 एस.डी. तिवारी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 28 जून, 1999

विषय : **विश्वविद्यालयों/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में मानक।**

महोदय,

विश्वविद्यालयों/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिये शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मानक निर्धारित किये गये हैं जिसके अनुसार ही स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिये शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी।

2- निर्धारित मानकों की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3- ये आदेश वित्त विभाग में प्राप्त उनके अशासकीय सं0 ई-11/1694/दस-1999, दिनांक 23 जून, 1999 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
एस0डी0 तिवारी
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या : 1753/70-4/99-7(7)/94 तद् दि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) वित्त ई-11 अनुभाग।
(5) उच्च शिक्षा अनुभाग-2/6.

आज्ञा से,
एस0डी0 तिवारी
विशेष कार्याधिकारी

शासनादेश संख्या : 1753/70-4/99-7(7)/94, दिनांक 28 जून, 1999 का संलग्नक

विश्वविद्यालयों/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मानक :-

1. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन शासन द्वारा नहीं किया जायेगा और इस हेतु अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

2. विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार तथा मानकानुसार संविदा पर शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी।

3. यदि प्रश्नगत पाठ्यक्रम वर्तमान अथवा भविष्य में स्ववित्त पोषण के आधार पर संचालित किया जाना सम्भव न हो तो इस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाय तथा संविदा पर रखे गये शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी।

4. संविदा पर रखे गये शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिया जाने वाला मानदेय पुनरीक्षित वेतनमान के मध्य स्तर (मिडिल प्वाइंट) के बराबर होगा तथा इस पर कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

5. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से होने वाली आय का अलग लेखा रखा जायेगा। विश्वविद्यालयों की यह आय उनके पूल आय में जमा होगी तथा विश्वविद्यालयों की वार्षिक आय में इसे सम्मिलित किया जायेगा।

6. संविदा पर रखे जाने वाले शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में वित्त समिति तथा कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। वित्त समिति तथा कार्य परिषद की संस्तुति पर सृजित पदों के सम्बन्ध में शासन के प्रशासकीय विभाग की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

7- स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से होने वाली आय का 60 प्रतिशत व्यय संविदा पर रखे गये शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मानदेय तथा आकस्मिक व्यय मद में अनुमन्य होगा तथा 40 प्रतिशत आय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक [illegible]

पुस्तकालय आदि के रख-रखाव पर व्यय के उपयोग में लाया जायेगा तथा डेफिसिट निकालते समय इन प्राप्तियों को ध्यान में रखा जायेगा।

स्ववित्त पोषित लेखों का संचालन एवं आहरण वितरण का कार्य वित्त अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से प्राप्त आय में से कोई भी वाहन एयर कंडिशनर, सेल्यूलर फोन आदि के क्रय की अनुमति नहीं होगी।

इन पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों से कार्य नहीं कराया जायेगा। इन पाठ्यक्रमों में केवल संविदा में ही नियुक्तियां की जायेंगी। प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों के ख्याति प्राप्त प्रोफेसर को आमंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार गेस्ट लेक्चर/विजिटिंग प्रोफेसर के लिए मानदेय दिया जायेगा। उक्त मानदेय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर देय होगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर को गेस्ट लेक्चर देने हेतु आमंत्रित किये जाने की अनुमति होगी।

इन पाठ्यक्रमों से होने वाली आय में से किसी प्रकार का मानदेय विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नहीं दिया जायेगा।

संख्या : 4228ए/सत्तर–2–99–2(85)

प्रेषक,

श्री आर0एन0 त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 30 अक्टूबर,

विषय :– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निध

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या–1960/सत्तर–2–97–2(85)/97 दिनांक 11–11–‍ ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरे‍ अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरान्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ क‍ लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। इन मानकों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रान्तर्गत आ‍ प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों और इसके परिक्षेत्र के बाहर के पाठ्यक्रमों के लिए अलग–अलग मानक निर्धारित हैं परि‍ परिक्षेत्र के बाहर के पाठ्यक्रमों के लिए अलग–अलग मानक निर्धारित हैं। परिषद के परिक्षेत्र के बाहर के पाठ‍ यथा– बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/बी0बी0एम0/बी0एस0सी0/बी0ए0/बी0काम0 आदि पाठ्यक्रमों को संचालित‍ हेतु नये महाविद्यालयों एवं निजी संस्थाओं के लिए भूमि, भवन तथा वित्तीय संसाधान आदि की उपलब्धता ‍ मानक रखे गये हैं जो नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर ‍ अतिरिक्त विषयों को प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–4557/15–82(II)–3(3‍ दिनांक 14–3–84 में विहित हैं। दिनांक 11–11–97 के प्रश्नगत शासनादेश में ऐसी संस्थाओं और महाविद्या‍ उल्लिखित पाठ्यक्रमों हेतु अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उनको अनुमन्य किये जाने वाले वेतन की स्थि‍ विहित की गयी है।

2– उपर्युक्त दिनांक 11–11–97 के इंगित शासनादेश में विहित शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, उनका वेतन निर्धारण, मामलों में विश्वविद्यालय की भूमिका, शिक्षा का स्तर तथा उपलब्ध भूमि की सीमितता को देखते हुए भूमि की ‍ आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचार किया गया। विचारोपरान्त शासन के ‍ परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया है:–

(1) संस्था को प्राप्त होने वाली कुल फीस का 75% भाग संस्था द्वारा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचा‍ वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा तथा यह अनिवार्य नहीं होगा कि शिक्षकों को विश्वविद्यालय ‍ आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान ही दिया जाय।

(2) शिक्षकों के चयन में विशेषज्ञ, उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा नामित किया जायेगा। परिषद् द्वारा विशेष‍ एक पैनल बनाया जायेगा जिसमें ऐसे शिक्षक होंगे जिनको न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव हो अथवा ‍ से कम रीडर हों अथवा सम्बन्धित विषय में सेवानिवृत्त प्रोफेसर हों।

(3) शैक्षिक मामलों में विश्वविद्यालय की भूमिका सर्वोच्च रहेगी। विश्वविद्यालय का प्रवेश, परीक्षा, मू‍ आदि शैक्षणिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण रहेगा।

(4) शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए निजी संस्थाओं की अवस्थापना सुविधाओं का समय–समय पर निरीक्षण क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी या निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। विश्वविद्यालय अपने नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण करायेंगे।

(5) भूमि के सम्बन्ध में मानक निम्नवत् होगा :–

(अ) पर्वतीय क्षेत्र	5000 वर्ग मीटर
(ब) नगर निगम क्षेत्र	5000 वर्ग मीटर
(स) नगरपालिका परिषद क्षेत्र	10000 वर्ग मीटर
(द) अन्य क्षेत्र	20000 वर्ग मीटर

महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक का 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।

कृपया दिनांक 11–11–97 का शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
ह0
आर0एन0त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या : 4220ए(1)/सत्तर–2–99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
4– सचिव, महामहिम कुलाधिपति।
5– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 को उक्त संशोधित मानकों के अनुसार परिनियमों में अपेक्षित संशोधनों की कार्यवाही हेतु।

उक्त शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।

कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय।

आज्ञा से

हेमन्त राव
विशेष सचिव।

संख्या : 0214/70-4/2000-7(7)/94

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक : 4 फरवरी, 2000

विषय : विश्वविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में मानक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1753/70-4/99-7(7)/94, दिनांक 28 जून, 1999 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। विश्वविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित मानक का उक्त शासनादेश निरस्त करते हुए सम्यक विचारोपरांत विश्वविद्यालयों के लिए संशोधित मानक निर्धारित किये गए हैं, जो इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह मानक केवल विश्वविद्यालयों में ही लागू होंगे।

3. ये आदेश वित्त विभाग में उनके अशासकीय सं0-ई-11/116/दस 2000, दिनांक 27 जनवरी, 2000 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार संलग्न।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या-0214(1)/70-4/2000, तद दि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) सचिव, कुलाधिपति।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(5) वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(7) वित्त ई-11 अनुभाग।
(8) उच्च शिक्षा अनुभाग-2/3।

आज्ञा से,
के0 एम0 सन्त,
विशेष सचिव।

शासनादेशसंख्या-214/70-4/2000-7(7)/94 दिनांक 4 फरवरी, 2000

1. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन शासन द्वारा नहीं किया जायेगा और इस हेतु कोई अनुदान भी स्वीकृत नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा शासन एवं यू0जी0सी0/ए0आई0सी0 टी0ई0 आदि वैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पदों का सृजन (संविदा पर) वित्त समिति एवं कार्य परिषद की स्वीकृति से किया जायेगा। पद सृजन की सूचना अनिवार्य रूप से शासन को दी जाएगी।

2. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर की जायेगी। संविदा पर रखे गए अध्यापकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान वित्त समिति द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा, जो वेतनमान के मध्य स्तर से कम तथा अधिक दिया जा सकेगा।

3. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सम्पूर्ण योजना तैयार की जाएगी, जिसमें अध्यादेश का प्रारूप, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम की रूपरेखा, निर्धारित मानकों के अनुरूप पदों की आवश्यकता, फर्नीचर, उपकरण, आय-व्ययक प्रबंधन आदि का उल्लेख हो। इस योजना पर शासन से पूर्व क्लियरेन्स प्राप्त करना होगा। शासन से क्लियरेन्स के बाद ही पदों के सृजन की कार्यवाही की जाएगी।

4. यदि प्रश्नगत पाठ्यक्रम वर्तमान अथवा भविष्य में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम मानकों के आधार पर संचालित किया जाना संभव न हो तो इस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा तथा संविदा पर रखे गए शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जाएगी।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से होने वाली आय का लेखा-जोखा अलग रखा जाएगा। विश्वविद्यालय अपने बजट में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के आय-व्ययक को एक अलग मद के रूप में पृथक से प्रदर्शित करेंगे।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में होने वाली आय का 60 प्रतिशत व्यय संविदा पर रखे गए शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संविदा की धनराशि (वेतन)/मानदेय तथा आकस्मिक व्यय मद में अनुमन्य होगा तथा 40 प्रतिशत आय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व्यय, भवन, पुस्तकालय आदि के रख-रखाव पर व्यय के उपयोग में लाया जायेगा तथा विश्वविद्यालय की ओवर आल डेफिसिट निकालते समय इन 40 प्रतिशत प्राप्तियों को ध्यान में रखा जायेगा। उक्त 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत में विचलन विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य होगा जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी।

स्ववित्त पोषित लेखों का संचालन एवं आहरण वितरण का कार्य वित्त अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से प्राप्त आय में से कोई भी वाहन, एयर कंडिशनर, सेल्यूलर फोन आदि के क्रय आदि की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में कम्प्यूटर लैब हेतु एयरकंडिश्नर क्रय करने हेतु वित्त समिति एवं कार्य परिषद का अनुमोदन आवश्यक होगा। स्ववित्त पाठ्यक्रमों के वर्तमान वाहनों का पूल बनाया जाएगा जिसे कुलपति के अधिकार क्षेत्र में रखा जाएगा।

इन पाठ्यक्रमों में 75 प्रतिशत कोर फकल्टी तथा 25 प्रतिशत गेस्ट फैकल्टी होगी प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों के ख्याति प्राप्त शिक्षकों/रिसोर्स परसन्स को आमंत्रित किया जा सकता है। गेस्ट लेक्चरर्स/रिसोर्स परसन्स को वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर मानदेय देय होगा।

विश्वविद्यालय के किसी नियमित अध्यापक को एक माह में प्रति सप्ताह निर्धारित कार्यभार के केवल 20 प्रतिशत के बराबर गेस्ट लेक्चर देने की अनुमति होगी। यह अनुमति भी विशेष परिस्थितियों में प्रश्नगत पाठ्यक्रम हेतु अध्यापकों की नियुक्ति होने तक अनुमन्य होगी। विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों को मानदेय की अधिकतम सीमा उनके मूल वेतन के 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। मानदेय की दर वित्त-समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी। शिक्षकों के लिये विश्वविद्यालय के बाहर स्थानीय संस्थाओं में शिक्षण कार्य इंक्लूडिंग गेस्ट लेक्चर्स पर प्रतिबंध रहेगा।

इन पाठ्यक्रमों से होने वाली आय में से किसी प्रकार का मानदेय विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नहीं दिया जायेगा।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम का संचालन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मानदेय दिया जायेगा प्रस्तावित मानदेय का उल्लेख स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की योजना में किया जायेगा। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पूर्व से सृजित पदों पर भी यह शासनादेश लागू होगा।

के.एस. संत
विशेष सचिव।

संख्या : 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97

प्रेषक,

श्री हेमन्त राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 09 मई, 2000

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या-1960/सत्तर-2-97-2(85)/97, दिनांक 11-11-97 तथा शासनादेश संख्या-4228ए/सत्तर-2-99-2(85)/97, दिनांक 30-10-99 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है। इन मानकों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों तथा इसके परिक्षेत्र के बाहर के पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित हैं। उक्त दिनांक 11-11-97 के शासनादेश में ऐसी संस्थाओं तथा महाविद्यालयों में उल्लिखित पाठ्यक्रमों हेतु अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा इन्हें अनुमन्य किये जाने वाले वेतन की स्थिति भी स्पष्ट की गयी थी। शासनादेश दिनांक 30-10-99 द्वारा शिक्षकों के चयन एवं उन्हें अनुमन्य वेतन के सम्बन्ध में समुचित विचार करने के उपरान्त कतिपय संशोधन भी किये गये।

2- उपर्युक्त शासनादेशों में विहित शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, उनका वेतन निर्धारण एवं अर्हताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचार करने के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया है :-

(1) स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्यापकों के चयन के लिए विशेषज्ञ का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। चयन का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराया जायेगा, जिससे चयनित व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध हो जायेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति कार्य परिषद के अनुमोदन से प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनायेंगे, जो तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा। प्रबन्ध तंत्र को जिस विषय में अध्यापक का चयन कराना हो इन पैनल में से विशेषज्ञों का चयन प्रबन्ध तंत्र द्वारा कर लिया जायेगा।

(2) स्ववित्त प्रोषित महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष की संविदा पर की जायेगी। संविदा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रबन्ध तंत्र द्वारा फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने करने पर पूर्व में कार्यरत व्यक्ति के नाम पर निश्चित रूव से विचार किया जायेगा। इन महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षक संस्था के प्रबन्ध तंत्र को तीन माह का नोटिस देकर सेवा से त्यागपत्र दे सकता है। परन्तु यदि प्रबन्ध तंत्र शिक्षक के शिक्षण कार्य से सन्तुष्ट न हो तो प्रबंध तंत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सम्बन्धित शिक्षक को सेवा से हटा सकते हैं परन्तु अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति में कुलपति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) संस्था को छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत भाग संस्था द्वारा वेतन मद में खर्च किया जायेगा। परन्तु अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन तथा वेतनमान के सम्बन्ध में वचनबद्धता (कमिटमेन्ट) न किया जाय। अध्यापकों को देय वेतन शिक्षण शुल्क की मात्रा पर निर्भर करेगा।

(4) शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में इन्हें दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अनुबन्ध पत्र की एक प्रति अध्यापक को, एक प्रति महाविद्यालय में रखी जाय तथा एक प्रति विश्वविद्यालय में जमा करायी जाय।

(5) स्ववित्त पोषित संस्थाओं के शिक्षकों के लिए अर्हताएं तथा शर्तें वहीं होंगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आयोग द्वारा निर्धारित हैं।

(6) अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू की जाय।

उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्थाओं को लागू करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की परिनियमावली में तदनुसार प्राविधान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
हेमन्त राव
विशेष सचिव।

संख्या-2443(1)/सत्तर-2-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिव, महामहिम कुलाधिपति।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) अपर सचिव, शिक्षा परिषद, लखनऊ।
(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
(6) निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,
हेमन्त राव
विशेष सचिव।

संख्या–2211/सत्तर–2–2000–2(239)/98 टी0सी

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 20 मई, 20

विषयः– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या–1960 सत्तर–2–97–2(85)/97, दिनांक 11–11–97 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है जिसे समय–समय पर संशोधित भी किया गया है। किसी भी संस्था/महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण मण्डल का गठन किया जाता है। निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता की संस्तुति की जाती है। शासन में इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि प्रस्तावित/पूर्व से संचालित संस्था की अस्थायी सम्बद्धता/स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के द्वारा निरीक्षण स्थल पर न जाकर अपने कक्ष में ही बैठकर निरीक्षण आख्या पर हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं। इससे भी यह आभास होता है कि निरीक्षक मण्डल ने स्थल पर निरीक्षण कर विचार–विमर्श नहीं किया है। निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के ऐसे कृत्य से यह सम्भव है कि संस्था/महाविद्यालय के पास आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था न हो।

2– निजी संस्थाओं/महाविद्यालयों को स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी निरीक्षण आख्याओं के अवलोकन से यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय सदस्यों द्वारा निरीक्षण आख्या में मन्तव्य निरीक्षण आख्या पर अपने हस्ताक्षर के सामने ही अंकित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

3– उक्त स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से निरीक्षण आख्या के अंत में यह अण्डरटेकिंग भी दर्ज करायी जाय कि :

(1) मैनें अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में स्वयं अभिलेखों एवं स्थल का निरीक्षण कर लिया है और मानक पूर्ण होने की स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।

(2) यदि निरीक्षण टिप्पणी में कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती

4– कृपया उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या–2211(1)/सत्तर–2–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2– सचिव, महामहिम कुलाधिपति।
3– अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– उच्च शिक्षा अनुभाग–6
7– निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के आवलोकनार्थ।

आज्ञा से

डा0 लालता प्रसाद
विशेष कार्याधिकारी

संख्या : 1560(1)/सत्तर-6/2000-51/99

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 — लखनऊ: दिनांक : 30 अगस्त, 2000

विषय : असाहयता प्राप्त महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के असहायता प्राप्त (वित्त विहीन) पाठ्यक्रमों को स्ववित्त पोषित आधार पर चलाये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में अनेकों ऐसे असहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं जिन्हें राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त होती है। इसी प्रकार कई ऐसे अशासकीय महाविद्यालय हैं जिन्हें राज्य सरकार से सहायता तो प्राप्त होती है, परन्तु इनमें चल रहे कतिपय पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन संदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-1560/सत्तर-6/2000-51/99 दिनांक 21 अगस्त, 2000 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में किसी भी अनानुदानित अशासकीय महाविद्यालय को एवं अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय के असहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों को किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

3- उक्त महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में अधिकांश में सामान्य शिक्षण शुल्क ही लिया जाता है, अर्थात् स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षा हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। ऐसे महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों को वित्त विहीन की संज्ञा दी जाती है।

4- उक्त वित्त विहीन महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में वित्त पोषण की समस्या एवं शासन की कठिन अर्थोपाय की स्थिति को देखते हुए श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष यह आदेश देते हैं कि उक्त महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित उच्च, शिक्षा हेतु शासनादेश संख्या-1960/सत्तर-2-97(85)/97 दिनांक 11 नवम्बर, 1997 द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जा सकता है अर्थात यह महाविद्यालय/पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत चलेंगे। अब राज्य सरकार द्वारा किसी भी महाविद्यालय/पाठ्यक्रम को वित्त विहीन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या : 1560(1)/सत्तर-6/2000-51/99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
उप सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
कुलसचिव/वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग।
निजी सचिव, उच्च शिक्षा जी।

आज्ञा से,
कुलदीप एन0 अवस्थी
अनुसचिव।

संख्या : 1109/सत्तर-6/2000-77/98 टी0सी0

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: 01 सितम्बर, 2000

विषय : निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान के लिये मानकों का निर्धारण।

महोदय,

असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोले जाने हेतु निजी प्रबन्ध तन्त्रों/संस्थाओं को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या-35/सत्तर-6/99-77/98 दिनांक 19 मई, 1999 तथा शासनादेश संख्या-122/सत्तर-6/2000-77/98 टी0सी0 दिनांक 2 फरवरी, 2000 द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में निजी प्रबन्धतन्त्रों/संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

1- शासनादेश संख्या-122/सत्तर-5/2000-77/78 टी0सी0 दिनांक 02 फरवरी, 2000 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2- भवन-निर्माण किसी राजकीय एजेन्सी से बनाने की अनिवार्यता समाप्त कर अब प्रबन्धतंत्र को स्वयं निर्माण कार्य कराने की छूट प्रदान की जाती है, किन्तु निर्माण राजकीय महाविद्यालयों के अनुमोदित नक्शे के अनुसार ही कराया जायेगा।

3- अनुदान की धनराशि 3 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी-प्रत्येक किश्त दस-दस लाख रूपये की होगी। अनुदान का उपयोग 4 माह के अन्दर निश्चित रूप से करा लिया जायेगा। प्रथम किश्त अवमुक्त होने के पश्चात् संस्था को लोक निर्माण विभाग के जनपद के अधिशासी अभियन्ता से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कम से कम रू0 25 लाख का कार्य (भूमि की लागत को सम्मिलित करते हुए) कर लिया गया है, तभी द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी। तृतीय किश्त अवमुक्त करने के पूर्व पुनः संस्था को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अब तक कम से कम 45 लाख की धनराशि का भवन निर्माण का कार्य वास्तव में कराया जा चुका है। तृतीय किश्त का उपयोग करते हुए फर्नीचर, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था होने के बाद ही सम्बद्धता की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। यदि किसी महाविद्यालय को फर्नीचर एवं पुस्तकालय हेतु भी अनुदान स्वीकृत हुआ तो यह धनराशि प्रथम बार में ही उपलब्ध करायी जायेगी।

4- प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व भूमि महाविद्यालय के नाम कराया जाना आवश्यक होगा।

5- संस्था को इस आशय का अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि अनुदान की धनराशि का दुरूपयोग किया जाता है तो इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति की जा सकेगी।

6- अनुदान की धनराशि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अवमुक्त की जायेगी।

7- भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के लिये जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हों उनका जनपद स्तर पर परीक्षण और संस्तुति निदेशक उच्च शिक्षा को प्रेषित करने के लिये जनपद स्तर पर जिलाधिकारी या उसके प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की समिति परीक्षण कर संस्था द्वारा किये गये दावों की सत्यता की जांच कर अपनी आख्या/संस्तुति निदेशक उच्च शिक्षा को प्रेषित करेगी। जिसपर शासन स्तर पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

8- शेष प्रतिबन्ध शासनादेश संख्या-35/सत्तर-6/99-77/98 दिनांक 19 मई, 1999 के अनुसार रहेंगे।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या - 1109/सत्तर-6/2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।
5- अध्यक्ष राज्य उच्च शिक्षा परिषद।
6- संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
7- उच्च शिक्षा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

उत्तरांचल शासन
शिक्षा अनुभाग–7
संख्या : 338/XXIV(7)/2005
देहरादून : दिनांक 25 अप्रैल, 2005

कार्यालय ज्ञाप

विधि, बी0एड0 आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संस्थाओं/महाविद्यालयों की अनापत्ति के लिए प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत किया जाना होता है जिस पर यथा विधि प्रकरण पर सम्यक् विचार के उपरान्त मान्यता प्रदान करने/अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है, परन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि इस तरह के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए सम्बन्धित प्रस्तावकों द्वारा प्रार्थना–पत्र सीधे उच्च स्तर पर प्रस्तुत किये जाते हैं। फलस्वरुप विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत इन प्रस्तावों के समस्त पहलुओं का यथाविधि परीक्षण किया जाना कठिन हो जाता है। अतः इस सम्पूर्ण परिस्थिति पर सम्यक् विचार के उपरान्त शासन द्वारा बी0एड0, विधि आदि उच्च शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में अनापत्ति के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) किसी भी शैक्षणिक सत्र में इस प्रकार का पाठ्यक्रम आरम्भ करने अथवा संस्था खोलने हेतु प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित शैक्षणिक वर्ष के पूर्व के दिसम्बर माह अथवा भारत सरकार की संवैधानिक संस्था द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से ठीक तीन माह पूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा किये जायेंगे जिसकी एक प्रति उप सचिव/अनु सचिव (उच्च शिक्षा) शिक्षा अनुभाग–6, उत्तरांचल सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून–248001 को भी पृष्ठांकित की जाय।

(2) इस प्रक्रियानुसार न प्रस्तुत तथा इस प्रकार निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्रार्थना–पत्र के साथ अपेक्षित प्रारम्भिक विवरण जैसे परियोजना रिपोर्ट आय के स्रोत का विवरण, संस्था के पंजीकरण सम्बन्धी आवश्यक सूचनायें, पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का पर्याप्त औचित्य, पढ़ाई पूर्ण करने पर व्यावसायिक कार्य में लगने हेतु अवसरों का उल्लेख, भूमि–भवन व्यवस्था अपेक्षित प्रमाण सहित आदि सूचनाएं भी संलग्न की जायेंगी। प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के साथ इन समस्त वांछित सूचनाओं/विवरणों के उपलब्ध कराये जाने पर ही प्रकरण विशेष पर विचार किया जायेगा।

(4) अधूरे प्रार्थना–पत्रों को प्राप्ति के स्तर पर ही निरस्त किया जायेगा।

(5) प्रत्येक प्रार्थना–पत्र के साथ एक निर्धारित प्रक्रिया शुल्क (Processing Fees) भी जमा करना होगा। यह शुल्क विश्वविद्यालयों द्वारा शासन की सहमति के उपरान्त निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् एतत्सम्बन्धी प्रयोजन हेतु गठित समिति अथवा विभाग अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रकरण के प्रत्येक पहलू को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक् जांच करते हुए एक माह के भीतर अपनी संस्तुति शासन के उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर विचार करके शासन स्तर पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(7) इस तरह की प्रस्तावित सभी संस्थाओं आदि द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय यथा नगर पालिका परिषद, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र तथा छावनी परिषद् आदि के द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में निर्धारित समस्त शर्तों एवं मानकों को पूरा करने के सम्बन्ध में सूचना/विवरण प्रस्तुत की जायेगी।

2–उक्त समस्त बिन्दुओं पर यथा आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही विश्वविद्यालयों द्वारा की जायेगी जिसमें यह ध्यान में रखा जायेगा कि इस तरह के प्रकरणों में संस्तुति करते समय आवश्यकता एवं वर्तमान उपलब्ध स्थिति को भी ध्यान में रखा जायेगा।

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 338(1)/XXIV(7)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :—

1—कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।

2—कुलपति, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

3—निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी—नैनीताल।

4—निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।

5—निदेशक, सूचना, उत्तरांचल को व्यापक प्रसार हेतु।

6—विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

एस0 के0 माहे

अपर सचि

संख्या 46/XXIV (6)/2006

प्रेषक,

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर।

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

कुलसचिव,
प्राविधिक विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून, दिनांक : 03 नवम्बर, 2006

विषय : निजी संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण एवं प्रवेश परीक्षा समिति के सदस्यों को मानदेय एवं अन्य व्ययों का भुगतान।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 350/1993 इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में दिये गये निर्णय के अनुपालन में निजी स्ववित्त पोषित संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क ढांचा एवं प्रवेश परीक्षा समिति के अध्यक्ष को वेतनादि का भुगतान क्रमशः तकनीकी शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा विभाग द्वारा किया जाता है। समिति के अन्य सदस्यों को मानदेय एवं समिति के अध्यक्ष को यात्रा भत्ता आदि के भुगतान के संबंध में कोई सुस्पष्ट निर्देश न होने के कारण भुगतान में कठिनाई होती है। अतः स्थिति पर सम्यक् विचार के उपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिस भी संस्था का शुल्क निर्धारण/प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की जानी हो, के सम्बन्ध में होने वाले उपरोक्त व्ययों का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,
एस0 राजू,
सचिव।

संख्या 46/XXIV (6)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अनु सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन।
2. अनु सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तरांचल शासन।
4. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
के0पी0 पाटनी,
अनु सचिव।

उत्तरांचल शासन

शिक्षा अनुभाग–6

संख्या 46 / XXIV (6) / 2006

देहरादून : दिनांक 27 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम 2006 पारित हो गया है। इस अधिनियम के अध्याय –1 प्रारम्भिक की धारा –3 (थ) की व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रान्तर्गत के निम्नांकित पाठ्यक्रमों को व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम घोषित किया जाता है–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1.	बी0 एड0	एक वर्षीय
2.	बी0 पी0 एड0	एक वर्षीय
3.	विधि	तीन तथा पाँच वर्षीय

एस0 राजू

सचिव।

संख्या 46 (1) / XXIV (6)/2006 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर।
3. कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. कुलपति, उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल।
6. उप निदेशक, उच्च, शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
7. समस्त स्ववित्त पोषित संस्थायें उत्तरांचल।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लिथो प्रेस, रूड़की।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

के0 पी0 पाटनी

अनु सचिव।

संख्या : 33 / XXIV (7) / 2008-09

प्रेषक,

इन्दुधर बौडाई,
अपर सचिव (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

उच्च शिक्षा अनुभाग -7 देहरादून दिनांक 19 सितम्बर, 2008

विषय : **प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2008 को निदेशालय में बी0एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर सम्पन्न बैठक के कम में, बी0एड0 पाठ्यकम से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्यों को निम्न वर्णित कार्यकमानुसार सम्बन्धित महाविद्यालयों व्दारा सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

कम सं0	आवश्यक कार्य	निर्धारित तिथि
01	शैक्षणिक एवम् शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति हेतु विज्ञापन	समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय एक ही तिथि 19.9.2008 को पृथक-पृथक रुप से निदेशक उच्च शिक्षा व्दारा निर्धारित प्रारूप में विज्ञापन कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित करेगे जिनका प्रचलन प्रदेश स्तर पर हो।
02	नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	30.9.2008 सांय 5.00 बजे तक
03	स्कीनिगं समिति व्दारा आवेदन पत्रों का परीक्षण एवम् योग्यता सूची का निर्धारण।	सभी सम्बन्धित महाविद्यालय 30.9.08 से 06.10.2008 के मध्य स्कीनिग समिति की बैठक कर सभी पदों की योग्यता सूची दिनाक 06.10.2008 तक अवश्य तैयार करना सुनिश्चित करेंगें।
04	आमंत्रण पत्रों का निर्गमन	सभी शैक्षणिक एवम् शिक्षणेत्तर पदों हेतु, जिनके लिये विज्ञापन किया गया है, आमंत्रण पत्र दिनांक 06.10.2008 तक अवश्य निर्गत कर दिये जायेंगें ।
05	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक निगम (उपसुल) अथवा पी0आर0डी0 अथवा दोनो के माध्यम से प्रशासनिक स्टाफ की व्यवस्था।	एन0सी0ई0टी0 के मानकों के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक स्टाफ की व्यवस्था उपसुल अथवा पी0आर0डी0 अथवा दोनो के माध्यम से दिनांक 06.10..2008 तक किया जाना भी महाविद्यालयों को सुनिश्चित करना होगा।
06	अभ्यर्थियों व्दारा शपथ पत्र भरा जाना	06 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2008 के मध्य : चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी व्दारा एन0सी0टी0ई0 के

		व्दारा निर्धारित प्रारूप में 10 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2008 तक अवश्य भरवा लिये जायें। नोटः— चयनित अभ्यर्थियों से संविदा पत्र उनके व्दारा कार्य आरम्भ करने की तिथि पर ही पूरित करवाया जाये।
07	वेब साईट का अपडेट किया जाना	दिनांक 14.10.2008 तक सम्बन्धित महाविद्यालय बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु तैयार की गयी वैबसाईट पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम,योग्यता, अनुभव, एवम् फोटो आदि का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।
08	एन0सी0टी0ई0 को निर्धारित प्रारूप में चयनित अभ्यर्थियों की सूची का प्रेषण।	समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 को निर्धारित प्रारूप में (शपथ पत्र) चयनित अभ्यर्थियों की सूची 14.10.2008 तक अवश्य भेजा जाना सुनिश्चित करेगें।
09	औपचारिक मान्यता आदेश (एल0ओ0पी0) की प्राप्ति	18—10—2008 तक
10	सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को औपचारिक मान्यता आदेश का प्रेषण।	20—10—2008 तक समस्त महाविद्यालय औपचारिक मान्यता आदेश को सम्बन्धित विश्वविद्यालय तक पहुचाना सुनिश्चित करेगे।

2. सम्बन्धित महाविद्यालयों व्दारा उपरोक्त कार्यक्रम का कढाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। महाविद्यालयों को यह भी निर्देशित किया जाय कि वे तत्काल सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से बी0एड0 पाठ्यक्रम की सम्बध्दता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

3. सम्बध्दता प्राप्ति के पश्चात सम्बन्धित महाविद्यालयों में बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश, सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की बी0एड0 प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4. समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त माह नवम्बर 2008 के व्दितीय सप्ताह तक सम्बन्धित महाविद्यालयों में बी0एड0 पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

इन्दुधर बौड़ाई
अपर सचिव.

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून :शुक्रवार, 26 मार्च, 2010 ई0

चैत्र 05, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 145/XXXVI (3)/13(1)/2010

देहरादून, 26 मार्च, 2010.12.11

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड अनानुमानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन)

विधेयक, 2010 पर दिनांक 25 मार्च 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अनानुदानिक निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) अधिनियम 2010.12.11

(अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजि व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम हो-

संक्षिप्त नाम (प्रवेश और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त है।

"उत्तरांचल शब्द के स्थान पर उत्तराखण्ड" शब्द पढ़ा जाना

2. उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 14, सन् 2006) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में जहाँ-जहाँ "उत्तरांचल" शब्द आया है, वहाँ-वहाँ "उत्तराखण्ड" शब्द जायेगा।

धारा 4 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) राज्य सरकार प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे-

(क) राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	–	अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा (पदेन)	–	सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा (पदेन)	–	सदस्य
(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय (पदेन)	–	सदस्य
(ड़) राज्य सरकार द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न स्तर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो	–	सदस्य
(च) राज्यपाल द्वारा नामित राज्य विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व कुलपति	–	सदस्य
(छ) राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिष्ठान शिक्षाविद्	–	सदस्य
(ज) राज्य सरकार द्वारा नामित नियमों में परिभाषित एक प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट	–	सदस्य
(झ) प्रमुख सचिव/ सचिव, उच्च शिक्षा (पदेन)	–	सदस्य- सचिव"

धारा 12 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्न खण्ड रख दिया रख दिया जायेगा : अर्थात् :–

(क) राज्य सरकार द्वारा नागित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश – अध्यक्ष''

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

संख्या : 511 /XXIV(7)/51(3)/2010

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून : दिनांक 07 ~~अप्रैल~~ मार्च, 2010

विषय :– राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की व्यवस्था हेतु नवीन मानदण्डों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक शि0का0/1078/बी0एड0/2010, दिनांक 17 फरवरी, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर नई नियुक्तियां करने के उद्देश्य से एन0सी0टी0ई0 के मानदण्ड एवं दिशा–निर्देश विनिमय 2009, में विहित नये मानकों के दृष्टिगत दिनांक 24 नवम्बर, 2009 को राज्य स्तरीय गवर्निंग बॉडी की आहूत बैठक में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रयोजन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं योग्यता सूची निर्धारण के लिए मानदण्डों को निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. शैक्षणिक स्टाफ हेतु मानदण्ड : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुरूप निर्धारित संख्या में शैक्षणिक स्टाफ के विभिन्न पदों के लिए पृथक–पृथक योग्यता सूची तैयार करने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:–

क. प्रवक्ता – आधारिक पाठ्यक्रम

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता :

अ. विज्ञान/मानविकी/कला में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।

ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एम0एड0 डिग्री।

स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0 अथवा शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

अ. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित शिक्षाशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बी0एड0 डिग्री।

स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0 अथवा शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा उत्तीर्ण।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण – अधिकतम अंक – 100

अ. एम0एड0 के अतिरिक्त अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत का दस प्रतिशत ।
(दो विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि होने की दशा में सम्बन्धित विषय के प्राप्तांकों को लिया जायेगा। कतिपय दशाओं में एक से अधिक सम्बन्धित विषय होने की दशा में अधिक प्राप्तांक वाले विषय को लिया जायेगा।)

ब. एम0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

स. बी0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

द. पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र – दस अंक।

य. शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा–दस अंक।

र. शिक्षाशास्त्र में एम0फिल0 –पांच अंक।

ल. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी अथवा विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता–पांच अंक।
(विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे तथा दोनो विशेषज्ञता होने पर किसी एक विशेषज्ञता हेतु ही अंक देय होंगे।)

व. साक्षात्कार–बीस अंक।

ख. प्रवक्ता – प्रविधि पाठ्यक्रम

पद संख्या : छः

अनिवार्य योग्यता :

अ. किसी स्कूल विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।

ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एम0एड0 डिग्री।

स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0 अथवा शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा उत्तीर्ण।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण – अधिकतम अंक – 100

अ. एम0एड0 के अतिरिक्त अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत ।
(दो विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि होने की दशा में सम्बन्धित विषय के प्राप्तांकों को लिया जायेगा। कतिपय दशाओं में एक से अधिक सम्बन्धित विषय होने की दशा में अधिक प्राप्तांक वाले विषय को लिया जायेगा।)

ब. –एम0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

स. बी0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

द. पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र – दस अंक।

य. शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा–दस अंक।

र. शिक्षाशास्त्र में एम0फिल0 –पांच अंक।

ल. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी अथवा विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता–पांच अंक।
(विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे तथा दोनों विशेषज्ञता होने पर किसी एक विशेषज्ञता हेतु ही अंक देय होंगे।)

व. साक्षात्कार–बीस अंक।

ग. विभागाध्यक्ष

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता :

अ. किसी स्कूल विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।

ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एम0एड0 डिग्री।

स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0।

द. दस वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव माध्यमिक शिक्षण संस्थान में हो।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण – अधिकतम अंक – 100

अ. एम0एड0 के अतिरिक्त अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत ।
(दो विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि होने की दशा में सम्बन्धित विषय के प्राप्तांकों को लिया जायेगा। कतिपय दशाओं में एक से अधिक सम्बन्धित विषय होने की दशा में अधिक प्राप्तांक वाले विषय को लिया जायेगा।)

ब. एम0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

स. बी0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

द. पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र – दस अंक।

य. शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा–दस अंक।

र. शिक्षाशास्त्र में एम0फिल0 –पांच अंक।

ल. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी अथवा विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता–पांच अंक।
(विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे तथा दोनो विशेषज्ञता होने पर किसी एक विशेषज्ञता हेतु ही अंक देय होंगे।)

व. साक्षात्कार–बीस अंक।

टिप्पणी : पात्रता के उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा शास्त्र में सेवा निवृत प्रोफेसरों/अध्यक्ष को एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

प्रविधि पाठ्यक्रमों हेतु प्रवक्ताओं की नियुक्ति निम्न विषयों में की जायेगी:–

प्रवक्ता अंग्रेजी–1, प्रवक्ता हिन्दी –1, प्रवक्ता गणित–1, प्रवक्ता भौतिकी/रसायनशास्त्र–1, प्रवक्ता जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान–1, प्रवक्ता सामाजिक शास्त्र (इतिहास/राजनीति विज्ञान/भूगोल/अर्थशास्त्र)–1 प्रवक्ता-आधारिक पाठ्यक्रम सामाजिक शास्त्र(इतिहास/राजनीति विज्ञान/भूगोल/अर्थशास्त्र) विषयों में से किसी एक विषय का होना चाहिए और उसका विषय प्रविधि पाठ्यक्रम में नियुक्त प्रवक्ता सामाजिक शास्त्र के विषय से भिन्न हो।

2. तकनीकी सहयोगी स्टाफ हेतु मानदण्ड

क. पुस्तकालयाध्यक्ष

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता : पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण – अधिकतम अंक – 100

अ. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के अंकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

ब. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री के अंकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

स. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पी0एच0डी0–दस अंक।

द. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में यू0जी0सी0 की नेट परीक्षा–दस अंक।

य. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में एम0फिल0–पांच अंक।

र. सूचना विज्ञान में विशिष्टता हेतु अधिकतम अंक–पन्द्रह।
(सूचना विज्ञान में विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे)

र. साक्षात्कार –बीस अंक।

ख. प्रवक्ता – शारीरिक शिक्षा

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता : शारीरिक शिक्षा विषय में न्यूनतम प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण – अधिकतम अंक – 75

अ. शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत ।

ब. बी0पी0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत।

स. पी0एच0डी0 शारीरिक शिक्षा – दस अंक।

द. शारीरिक शिक्षा में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा–दस अंक।

य. शारीरिक शिक्षा में एम0फिल0 –पांच अंक।

र. साक्षात्कार–बीस अंक।
(साक्षात्कार समिति द्वारा अंक प्रदान करने हेतु अभ्यर्थी की जिला स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय/प्रदेश स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाएगा।)

3- सहयोगी प्रशासनिक स्टाफ हेतु मानदण्ड

निम्नलिखित प्रशासनिक स्टाफ की व्यवस्था आउट सोर्सिंग के आधार पर युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग अथवा उपनल (उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0) अथवा हिल्ट्रान के माध्यम से तत्सम्बन्धी शासनादेशों/संबंधित आदेशों के आधार पर की जायेगी।

कार्मिक	पद संख्या	अर्हता
(अ) कार्यालय एवं लेखा सहायक	01	वाणिज्य में स्नातक [illegible] टैली का ज्ञान।
(ब) कार्यालय सहायक एवं टंकक	01	इण्टरमीडिएट एवं कम्प्यूटर में [illegible] ऑफिस का ज्ञान।
(स) स्टोरकीपर	01	इण्टरमीडिएट एवं कम्प्यूटर में [illegible] ऑफिस का ज्ञान।
(द) तकनीकी सहायक/कम्प्यूटर सहायक	01	इण्टरमीडिएट एवं कम्प्यूटर में [illegible] ऑफिस का ज्ञान।
(ध) परिचर/सहायक/सहयोगी स्टाफ	02	कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण।

4– शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ का पारिश्रमिक :

समस्त शैक्षणिक स्टाफ, पुस्तकालयध्यक्ष/सह पुस्तकालयध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अध्यापक तथा तकनीकी /प्रयोगशाला सहायक के पारिश्रमिक का भुगतान, इस उद्देश्य के लिए समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग अथवा उपनल (उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0) अथवा हिल्ट्रान के माध्यम से नियुक्त प्रशासनिक स्टाफ के पारिश्रमिक का भुगतान तत्संबंधी शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को पारिश्रमिक का भुगतान आदाता के खाते में देय चैक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गये बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जायेगा।

5–शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति हेतु विज्ञापन :–

शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रस्तर 07 में वर्णित समिति द्वारा अलग–अलग कम से कम दो ऐसे समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा, जिनका व्यापक प्रचलन प्रदेश स्तर पर हो, परन्तु विज्ञापन का प्रारूप निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसमें पद का नाम, संख्या, अर्हता, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु, पारिश्रमिक (संदाय), आवेदन–पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि आदि अन्य आवश्यक तथ्यों का समावेश होना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- आरक्षण :

विभिन्न पदों पर आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा तत्समय प्रवृत्त यथा आदेशों/नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7- चयन समिति का गठन :

शैक्षणिक स्टाफ तथा तकनीकी सहयोगी स्टाफ के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग, योग्यता सूची निर्धारण एवं चयन हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है:–

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा	संयोजक
(2) सम्बन्धित विश्वविद्यालय के बी0एड0 विभाग के दो प्रतिनिधि	विषय विशेषज्ञ
(3) उच्च शिक्षा विभाग से एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 वर्ग के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
(4) राज्य सरकार का एक नामिति	सदस्य

8. योग्यता सूची का तैयार किया जाना :

चयन समिति द्वारा विभिन्न पदों हेतु योग्यता सूची का निर्धारण उपरोक्त निर्धारि मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

9. नियुक्ति पत्र का निर्गमन :

चयन समिति द्वारा योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को कार्य करने हे आमंत्रित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के भीतर योगदान न देने की दशा में योग्यता सूची क्रमशः अगले अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जायेगा। समस्त नियुक्तियां संविदान्तर्गत एक शैक्षणि सत्र या अधिकतम सीमा जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होगी। नियुक्ति हेतु आमंत्रण पत्र ए संविदा पत्र का प्रारूप निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा तैयार किया जायेगा। इन दोनों प्रारूपों में ट स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि महाविद्यालयों में बी0एड0 पाठ्यक्रम स्ववित्त योजना अन्तर्गत संचालित हैं तद्नुसार अर्ह अभ्यर्थियों की व्यवस्था नितान्त अस्थायी रूप से संविदान्तर्ग की जा रही हैं तथा राज्य सरकार पर इसका कोई वित्तीय भार निहित नहीं होगा।

10. चयनित अभ्यर्थियों की सूची का एन0सी0टी0ई0 को आवश्यक प्रेषण :

चयन समिति एवं समस्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों । सूची, एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर (शपथ–पत्र के रूप में) एन0सी0टी0ई0 जयपुर । प्रेषित करेंगे एवं ऐसे महाविद्यालय जिनमें प्रथमबार पाठ्यक्रम संचालित होना है, पाठ्यक्रम छात्र–छात्राओं के प्रवेश हेतु उनसे औपचारिक मान्यता आदेश प्राप्त करेंगे।

11. महाविद्यालयों द्वारा बेबसाइट का निर्माण एवं अपडेट करना :

चयन समिति एवं संबंधित महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार बी0एड पाठ्यक्रम की एक बेबसाइट तैयार करेंगे एवं चयनित प्रत्येक शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर क की योग्यता, अनुभव एवं फोटो सहित अन्य विवरण का उसमें समावेश करेंगे। समय–समय । शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों में परिवर्तन होने पर वेबसाइट में तद्नुसार परिवर्तन किया जा संबंधित महाविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता :

समस्त महाविद्यालय, जिन्हें एन0सी0टी0ई0 से औपचारिक मान्यता आदेश प्राप्त हुआ स्ववित्त पोषित आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालनार्थ आवश्यक सम्बद्धता हेतु संबंधि विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

13– उक्तानुसार निर्धारित मानकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थी कालान्तर में अपनी सेवा के आधार पर राजकीय सेवा/प्रबन्धकीय महाविद्यालय आदि में नियमितीकरण/समायोजन/संविलियन/सेवास्थानान्तरण के हकदार नहीं होगें, ना ही ऐसा कोई दावा विधिमान्य होगा।

14– स्ववित्त पोषित बी0एड0 महाविद्यालय में शैक्षिक सत्र के समापन अथवा इस निमित्त महाविद्यालय के वित्तीय स्रोत समाप्त होने के साथ ही स्वतः संविदाधारक की सेवा समाप्त हो जायेगी।

15– शैक्षिक सत्र के दौरान संविदा कर्मी की सेवाएं, अनुशासनहीनता, कदाचार अथवा पठन–पाठन में उदासीनता, उच्चादेशों की अवहेलना, परीक्षा में नकल कराने या अन्य किसी प्रकार के समाज विरोधी अनैतिक कार्यवाही में संलिप्त पाये जाने, असामाजिक व्यवहार का कृत्य पता चलने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायगी एवं ऐसे संविदाधारक के विरूद्ध विधिवत् समस्त कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

16– उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझे जायेगें।

भवदीया,

राधिका झा
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 371(1)/XXIV(7)/51(3)/2010/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री (मा0 मुख्यमंत्री जी) उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री आर0के0 सिंह, विशेषकार्याधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. डॉ0 एम0एम0 करगेती, विशेषकार्याधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. कुलसचिव, गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर, गढ़वाल।
8. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
9. स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रमों से संबंधित समस्त प्राचार्य स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
10. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. उच्च शिक्षा अनुभाग 6 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

पी0एल0 शाह
उप सचिव

संo— 128 / 15—1—2002

प्रेषक

लव वर्मा
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ / इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग —1 लखनऊ : दिनांक 9 अप्रैल, 1992

विषय :— राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता आयु के बाद उन्हें दिये गये सेवा विस्तरण अवधि की गणना उनकी पेंशन के निर्धारण में करने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों / प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यो की जो शिक्षा सत्र के मध्य में (अर्थात् 1 जुलाई के बाद और 30 जून के पहले) अधिवर्षता आयु (58 वर्ष) प्राप्त कर रहे हों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—2 भाग—2 से 4 के मूल नियम 56(ग) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या—7022 / 15(1) / 8331 (16) / 77, दिनांक 21—3—84 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र के अन्त तक (अर्थात् 30 जून तक) सेवा विस्तरण, प्रत्येक मण्डल के गुणावगुण पर विचार करके शासन द्वारा दिया जाता है।

2. राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के ऐसे अध्यापकों / प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों जो सेवा विस्तरण अवधि के उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हैं उनके प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि उनके पेंशन आदि के निर्धारण के लिए उनकी सेवा विस्तरण अवधि की गणना नहीं की गयी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के वित्त विभाग के परामर्श के आधार पर शासन के शिक्षा अनुभाग—18 से जारी किये गये शासनादेश सं0 —3617 / 15—18—6(17) / 9, दिनांक 25—11—91 में पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यदि सरकारी सेवकों को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 520 के अधीन सेवा में पुनर्योजित किया जाता है तब उनके पुनर्योजन की अवधि की गणना पेंशनरी लाभों के लिए अनुमन्य नहीं है परन्तु जिन सरकारी सेवकों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—2 भाग—2 से 4 के मूल नियम—56 के अधीन सेवा—विस्तरण दिया गया है उनकी सेवा विस्तरण की अवधि पेंशनरी लाभों के लिए अनुमन्य हो सकती है।

4. अतः आप कृपया समस्त संबंधित को निदेश जारी करने का कष्ट करें कि राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के ऐसे अध्यापकों / प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों जो सेवा विस्तरण अवधि के उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हैं को पेंशनरी लाभों एवं अन्य सभी प्रयोजनों के लिए उनकी सेवा में सेवा विस्तरण अवधि की गणना की जाय।

भवदीय

लव वर्मा,
विशेष सचिव

संख्या– 503/सत्तर–6/98–3(7)/97पी0सी0

प्रेषक

श्री आर0पी0 शुक्ल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त कुलपति,
राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

2– निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 21 मई, 1998

विषय :– राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सुविधा।

महोदय,

राज्य विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संघों द्वारा लम्बे अरसे से राज्यकर्मचारियों की भांति स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग की जाती रही है। शासन द्वारा उनकी उक्त मांग पर गहन विचार किया गया।

2. सम्यक् विचारोपरान्त इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–50 की उपधारा–6 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों/सहायता प्राप्त अशासकीय महावि0 के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जिन शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने 20 वर्ष की अर्हकारी नियमित सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और स्वेच्छया सेवा निवृत्ति चाहते हों, को तीन माह पूर्व इस आशय की नोटिस विश्वविद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों के संबंध में कार्य परिषद की संस्तुति से शासन को भेजी जायेगी तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महा0वि0 के संबंध में प्रबन्धतंत्र के माध्यम से संस्तुति सहित शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) को भेजी जायेगी।

(2) विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के संबंध में कार्य परिषद तथा महावि0 के संबंध में प्रबन्ध समिति इस आशय का प्रस्ताव पारित करके, कि आवेदक शिक्षक/कर्मचारी को कथित दिनांक से सेवा निवृत्त किये जाने में आपत्ति नहीं है, क्रमशः उ0प्र0 शासन तथा निदेशक उ0शि0 को 15 दिन में प्रस्तुत करेंगे।

(3) विश्वविद्यालयों के संबंध में उ0प्र0 शासन तथा महावि0 के संबंध में निदेशक उच्च शिक्षा क्रमशः कार्य परिषद तथा प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर विचार कर अन्तिम निर्णय लेंगे तथा निर्णय से नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह के भीतर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु अनुज्ञा प्रदान करेंगे।

(4) विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त पदों को भरने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

(5) यह समाधान करने के लिए कि क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा करना लोकहित में होगा या नहीं, नियुक्ति

अधिकारी किसी सुसंगत बात पर विचार कर सकता है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 की अधीन गठित सतर्कता अधिष्ठान की किसी रिपोर्ट पर विचार करना अपवर्जित है।

(6) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति अनुमन्य किये जाने पर सुसंगत नियमों के अनुसार तथा उसके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे, परन्तु पेंशन आगणन के लिए उतनी ही सेवावधि आगणित की जायेगी, जितनी नियमित अर्हकारी सेवा वास्तव में की हो।

(7) राजाज्ञा में उल्लिखित "शिक्षक" शब्द का वही अर्थ लिया जायेगा जैसा कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में परिभाषित है।

(8) समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपनी परिनियमावली में उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक संशोधन कर लेंगे।

(9) ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे तथा वित्त विभाग के आज्ञा संख्या–ई–11–1716/दस–98 दिनांक 21–5–98 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आर0पी0 शुक्ल।
विशेष सचिव।

संख्या – 503/सत्तर–6/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यों को उक्त राजाज्ञा की चक्रमुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 विश्वविद्यालय/महावि0 शिक्षक संघ द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. श्री राम सुफल दीक्षित मंत्री अशासकीय महावि0 शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ महिला महा0वि0 लखनऊ।
7. श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महावि0 पेंशनर परिसंघ गंगा भवन, 270/17 विरहाना लखनऊ।
8. उच्च शिक्षा अनुभाग – 1/2/3/4/5
9. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी गण।
10. निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

शंकर दत्त तिवारी
विशेष कार्याधिकारी

प्रेषक :

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव वित्त,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

1— प्रमुख सचिव/ सचिव
उत्तरांचल शासन।

2— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल

वित्त (सामान्य) अनुभाग देहरादून : दिनांक 29 दिसम्बर, 2000

विषय :— 9 नवम्बर 2000 या तदुपरान्त सेवानिवृत्त उत्तरांचल राज्य हेतु नियुक्त या विकल्प देने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवानैवृतिक लाभ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के क्रम में मुझसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 9 नवम्बर 2009 के पूर्व जिनके नियुक्ति प्राधिकारी उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक सीमा के अधीन स्थित थे या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पर्वतीय उप संवर्ग (हरिद्वार को वर्तमान में शामिल करते हुए) के लिए नियुक्त हो अथवा 9 नवम्बर, 2000 या तदुपरान्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य आवंटित/विकल्प स्वीकृत किया गया हो, सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय :—

(क) वर्ग "घ" के कर्मचारियों के प्रकरण में पूर्व की भांति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृतियां निर्धारित प्रक्रिया के अधीन जारी किया जाय।

(ख) वर्ग "ग" एवं "ख" के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रकरण में पूर्व निर्धारित नियम/प्रक्रिया के अधीन पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की स्वीकृति मंडलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन द्वारा स्वीकृत किया जाये।

(ग) वर्ग "क" के अधिकारियों हेतु पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल देहरादून होंगे। निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें के कार्यालय में कम्प्यूटर आदि के स्थापना तक अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन—गढ़वाल मंडल के कम्प्यूटर से स्वीकृतियां जारी की जायेगी। अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल मंडल तत्काल प्रभाव से स्टाफ एवं कम्प्यूटर सम्बन्धी सभी उपकरण सहित निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल देहरादून से सम्बद्ध किया जाता है जहां से वह उत्तरांचल के वर्ग "क" एवं "ग" के पेंशन आदि सम्बन्धी प्राधिकार पत्र जारी करेगें।

(घ) विशेष परिस्थिति में सेवानिवृत्त की तिथि पर सेवा नैवृत्तिक लाभ न स्वीकृत करने की स्थिति में पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन अन्तिम पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाये।

(च) सेवा निवृत्त होने पर देय अवकाश नकदीकरण सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को अर्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाये।

(छ) 90 प्रतिशत भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासबुक के आधार पर किया जाय। भविष्य निधि की पासबुक में वेतन/महंगाई

भत्ता आदि से कटौतियों द्वारा जमा निर्देशों के साथ-साथ प्रतिवर्ष लिये गये अग्रिम (यदि कोई हो) हेतु निर्धारित स्तम्भों को भी प्रमाणित किया जाये चाहे अग्रिम शून्य ही हो। निर्धारित प्रपत्र पर सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व के वर्षों की आंगणन सीट का परीक्षण नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी अथवा विभाग में इस सेवा के अधिकारी न होने पर सम्बन्धित कोषागार अधिकारी द्वारा पूर्व की भांति करने के बाद ही भुगतानादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाय तथा शेष 10 प्रतिशत हेतु वर्ग "घ" के कर्मचारियों को छोड़कर महालेखाकार को समस्त अभिलेख भेजा जाय।

(ज) पेंशन पुनरीक्षण के प्रकरणों में अथवा विशिष्ट कारणों से लम्बित पुराने पेंशन प्रकारणों हेतु सम्बन्धित राज्य के उस दिनांक पर घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाय। जहां पर दो लेखा प्राधिकारी (महालेखाकार) का कार्यक्षेत्र अलग-अलग राज्य हेतु हो वहां एक लेखा प्राधिकारी दूसरे को "सील अथार्टी" की निर्धारित प्रक्रिया के अधीन प्राधिकार पत्र जारी किया जाय।

(झ) सामुदायिक बीमा सम्बन्धी स्वीकृतियां पूर्व की भांति उत्तरांचल राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सम्बन्धित कोषागार से निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जाय।

उपरोक्त आदेश 9 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्रभावी होगें।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव

पृष्ठांकनसंख्या-0045/स0वि0उ0/कैम्प/2000 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल (ले0 एवं ह0) 11, 5-ए थार्नहिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
2- रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरांचल नैनीताल।
3- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
4- रेजिडेंट कमिश्नर, उत्तरांचल-नई दिल्ली।
5- पुर्नगठन आयुक्त उत्तरांचल, विकास भवन सचिवालय-लखलऊ उत्तर प्रदेश।
6- मण्डली अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन पौड़ी/हल्द्वानी-नैनीताल।
7- समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
8- समस्त अनुभाग सचिवालय उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से

के0 सी0 मिश्र,
अपर सचिव।

संख्या 2613 /मा0स0वि0/200

राज कुमार सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

संसाधन विकास विभाग देहरादून : दिनांक : 3 अक्टूबर 200

विषय :– विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध ालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। इस संदर्भ । उच्च न्यायालय में योजित की गई रिट याचिका में भी अधिवर्षता आयु बढ़ाये जाने का प्रकरण निस्तारित कर दिय

भवदीय,

राजकुमार सिंह
अपर सचिव

संख्या – 2613 (1)/मा0स0वि0/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
कुलपति / कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राज कुमार सिंह
अपर सचिव

संख्या 130/उच्च शिक्षा/2002–3(1)2000

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)

उच्च शिक्षा विभाग — देहरादून: दिनांक: 06 मार्च, 2002

विषय :– राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ता/प्राचार्यों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 7022/15(1)83–31(16) 77 दिनांक 31–3–1984 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश के द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं तथा प्राचार्यों को जो शिक्षा सत्र के मध्य में (अर्थात् 1 जुलाई के बाद और 30 जून से पहले) अधिवर्षता की आयु 58 वर्ष प्राप्त कर रहे हैं को सम्बन्धित शैक्षिक सत्र के अन्त तक सेवा विस्तरण प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2– उक्त संदर्भित शासनादेश में स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा शिक्षकों को सेवा विस्तरण प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर शासन की सहमति ली जाती है। जबकि इस तरह के प्रकरण सामान्य प्रकृति के हैं।

3– उक्त स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं/प्राचार्यों को सम्बन्धित शैक्षिक सत्र के अन्त तक सेवा विस्तरण के समस्त प्रकरण, निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा ही करने की अनुमति प्रदान की जाती है। परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर सचिव

संख्या– 130 (1)/उच्च शिक्षा/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2– समस्त प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय, उत्तरांचल द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तरांचल
3– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
4– कार्मिक अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आलोक कुमार
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग – 2
संख्या – 806(1)/ का 2–2002
देहरादून : दिनांक : 15 जून 2002

अधिसूचना

राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने की राज्यपाल महोदय एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश 1 जून, 2002 से लागू होंगे।

3. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II भाग– II के IV के मूल नियम 58 यथा–आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।

4. उपर्युक्त से संबंधित आवश्यक उपबंधों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

आलोक कुमार जैन
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 806(1)/2002–तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव राज्यपाल, उत्तरांचल।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, उत्तरांचल को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव

संख्या 582/XXIV(1)/2004-3(1)2000

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग | देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2004

विषय : राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं एवं प्राचार्यों को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक : डिग्री सेवा : 2643/2004-2005, दिनांक 28 जून, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं एवं प्राचार्यों को शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिए शिक्षण सत्र के मध्य में सेवा निवृत्ति की आयु (58 वर्ष) प्राप्त करने पर कतिपय शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र के अन्त तक (अर्थात 30 जून तक) सेवा विस्तार दिये जाने की व्यवस्था पूर्व में थी। राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष कर दी गयी है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस दिन प्रवक्ता/प्राचार्य की अधिवर्षता आयु पूरी होगी उसी दिन सेवा निवृत्ति प्रभावी होगी। सभी सेवा निवृत्तिक लाभ अधिवर्षता के दिनांक के अनुमन्यता के आधार पर ही आगणित किये जायेंगे। यद्यपि शिक्षण व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न न हो इसके लिए रिक्त होने वाले पदों पर स्थापित प्रक्रिया के अधीन समय से चयन प्रक्रिया पूर्ण किया जाना आवश्यक है। फिर भी शिक्षण सत्र तक व्यवस्था में निरन्तरता बनाये रखने के लिए जिन शिक्षण सम्बन्धी पद धारकों का कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक हो, वे मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा वे किसी विषय को नियमित रूप से पढ़ाता हो, को सेवानिवृत्ति से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पुनर्नियुक्ति प्रदान की जा सकती है, परन्तु पुनर्नियुक्ति की अवधि की गणना पेंशन आदि के लिए आगणित नहीं की जायेगी। सेवा निवृत्त सम्बन्धी लाभ का भुगतान अधिवर्षता पर ही अनुमन्य होगा। पुनर्नियुक्ति की अवधि में अन्तिम आहरित वेतन में राशिकरण के पूर्व पेंशन को घटाकर आने वाली धनराशि का ही भुगतान किया जायेगा, जिसमें उनके विकल्प के अनुसार उनकी पेंशन अथवा इस पद के वेतन किसी एक पर ही महंगाई भत्ता देय होगा। उक्त पुनर्नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी जिन शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक पद धारकों की आवश्यकता हो, उन्हीं में शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति दी जायेगी और यदि पर्याप्त मात्रा में संदर्भगत विषय के शिक्षक हैं तो इस स्थिति में यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कम है तो उस स्थिति में उपलब्ध शिक्षकों से समायोजन द्वारा कार्य चलाया जायेगा तथा पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा। पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ उक्त आशय की सूचनायें एवं प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

2-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1879/वित्त अनु-3/2004, दिनांक 30 नवम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 582(1)/XXIV(1)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2-समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तरांचल।
3-समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4-वित्त अनुभाग-1/3, उत्तरांचल शासन।
5-लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6-उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
7-माध्यमिक शिक्षा अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या – 220 / XXVII (3) अ0 आ0 / 2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पान्डे

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
   उत्तरांचल शासन।
2. सचिव शिक्षा,
   उत्तरांचल शासन।
3. सचिव कृषि,
   उत्तरांचल शासन।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक : 18, जून, 2005

विषय :– राज्य के विश्व विद्यालय कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध / सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विश्व विद्यालयों कृषि विश्व विद्यालय तथा उनसे संबद्ध / सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के शासन द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष के अलग–अलग सेवानैवृत्तिक लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक(ग्रेच्युटी) सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार एक मानक सिद्धान्त होने पर संस्थाओं में 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा। तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. ग्रैच्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्हीं शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में विश्वविद्यालय / राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एव उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिन के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे।
4. 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा। जिन शिक्षकों से सत्रांश तक

ये लिया जाना आवश्यक हो ऐसे प्रकरणों में पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के अधीन जायेगी तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर–520 के अनुसार वेतन में पेंशन धनराशि घटाकर वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा मंहगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में से मात्र एक ही न अनुमन्य होगा।

उक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय के संबंध में राज्य के विश्वविद्यालय सम्बन्धी धेनियम/नियम, कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिनियम/नियम एवं माध्यमिक शिक्षा धेनियम/नियम आदि में उपरोक्त विषयक यथावांछित संशोधन किया जाना प्रशासनिक विभाग का दायित्व गा।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 220/ XXVII (3) अ.आ./2005 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी, नैनीताल।
4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
6. कुलसचिव, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल/कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल/कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, नैनीताल।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल।
8. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
11. रीजिनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तरांचल, देहरादून।
12. शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग/कृषि एवं जलागम अनुभाग।
13. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
14. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

टी0 एन0 सिंह
अपर सचिव

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1.अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2.सचिव,शिक्षा,
उत्तरांचल शासन ।
3.सचिव,कृषि,
उत्तरांचल शासन ।

वित्त अनु–3 देहरादून:दिनांक 25 जून,2005

विषय:– राज्य के विश्व विद्यालय,कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों,अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तार कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–220/XXVII (3)अ.आ./2005 दिनांक 18जून,2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 की प्रथम पंक्ति में 58 वर्ष की आयु के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पढ़ा जाय ।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या 258 XXVII(3)अ.आ./2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1.महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2.सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तरांचल ।
3.निदेशक,उच्च शिक्षा,हल्द्वानी नैनीताल ।
4.निदेशक,विद्यालयी शिक्षा,उत्तरांचल,देहरादून ।
5.निदेशक,प्राविधिक शिक्षा,उत्तरांचल ।
6.कुलसचिव, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल/ कुमॉयू विश्वविद्यालय, नैनीताल/कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर,नैनीताल ।
7.निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर,उत्तरांचल ।

8.मण्डलायुक्त,कुमायूं/गढ़वाल ।
9.समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
10.समस्त वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
11.रीजिनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,उत्तरांचल,देहरादून ।
12.शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग/कृषि एवं जलागम अनुभाग ।
13.वित्त विभाग के समस्त अनुभाग ।
14.निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।
15.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

टी0 एन0 सिंह
अपर सचिव

संख्या–583 /XXIV(6)/2005

प्रेषक:

एम0रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कुमायूं विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल।

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी–नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून:दिनाँक 30 जून,2005

विषय:– राष्ट्रीय स्तर की फैलोशिप/पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापकों की अधिवर्षता आयु में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त फैलोशिप (एफ.एन.ए.), भारतीय विज्ञान अकादमी,बंगलौर द्वारा प्रदत्त फैलोशिप (एफ.ए.एस.सी.) तथा राष्ट्रीय अकादमी इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त फैलोशिप (एफ.एन.ए.एस.सी.) प्राप्त शिक्षकों को दो वर्ष का सेवा विस्तार दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं,बशर्ते कि सम्बन्धित शिक्षक शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णत: स्वस्थ हो यदि भविष्य में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु में वृद्धि की जाती है तो राष्ट्रीय स्तर की उक्त फैलोशिप/पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को तत्समय निर्धारित अधिवर्षता आयु के उपरान्त स्वत: ही अगले दो वर्षों के लिए सेवा विस्तार का लाभ अनुमन्य होगा।

2— सेवा विस्तार की अवधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की परिनियमावली के संगत नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही इस शासनादेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित करा ली जायेगी।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–552/XXVII(7)2005 दिनॉक 28 जून,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय

एम0रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 583 (1)/ XXIV(7)/2005 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तरांचल।
(2) महालेखाकार,उत्तरांचल।
(3) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल।
(4) समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
(5) उप निदेशक,उच्च शिक्षा,शिविर कार्यालय,देहरादून।
(6) निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,उत्तरांचल।
(7) वित्त अधिकारी,सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल।
(8) वित्त अनुभाग–।,उत्तरांचल शासन।
(9) विभागीय आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

के0 पी0 पाटनी
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या:561/XXVII (7)/ 2010
देहरादून: दिनांक:30 मार्च, 2010

कार्यालय ज्ञाप

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या: 806/ का–2–2002 दिनांक 15 जून, 2002 के विक्त विभाग के द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या: 431/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 11 जुलाई,20 द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका के मूल नियम–56 के में संशोधन किया गया था। कतिपय श्रोतों जिज्ञासा की गयी है कि ऐसा सरकारी सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास के प्रथम दिवस ो क्या उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिवस को होगी?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस सरकारी सेवक की जन्मतिथि किसी म प्रथम दिवस को हो तो वह पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेग कारण ऐसे सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिवस को होगी। सरकारी सेवक की जन्मतिथि प्रथम तिथि से भिन्न हो वह उस मास के पूर्ववर्ती दिवस को की आयु प्राप्त करेगा, इसलिए उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि उस मास के अन्तिम दिवस को हे

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव।

संख्या:507(1)/ XXVII (7)/2010 तददिनांक
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव,श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग,उत्तराखण्ड,हरिद्वार।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

शरद चन्द्र पा
अपर सचिव

832
संख्याः /xxvii(7)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव/सचिव,
चिकित्सा शिक्षा,उच्च शिक्षा,
संस्कृत शिक्षा,तकनीकी शिक्षा,
कृषि एवं विपणन,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:04 मार्च,2011

विषयः–अधिसूचना संख्या:21/XXVII(7)अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर,2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अनुसार चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा,संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग के शिक्षण संस्थाओं में लागू करने के विषय में व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या:21/XXVII(7)अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर,2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है दिनांक 01 अक्टूबर,2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है। शासन के नियंत्रणाधीन तथा इससे पूर्व अन्यत्र(उत्तराखण्ड राज्य सेवा एवं संस्थाओं के साथ–साथ अन्य केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों की सेवा में तथा उनके स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में) कार्यरत थे तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिटस रूल्स 1961 या इसी प्रकार की पुरानी हित पेंशन लाभ योजना से आच्छादित थे, को पुरानी हित पेंशन लाभ योजना का लाभ नहीं अनुमन्य हो पा रहा है।

अंतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार में उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व कृषि विभाग के शिक्षक/शिक्षणेत्तर संवर्ग में दिनांक 1/10/2005 या उसके बाद नये नियुक्त हुए शिक्षक/शिक्षणेत्तर संवर्ग के कार्मिकों, यू0जी0सी0 के दिशा निर्देश से नियंत्रित अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों,चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय, भारत सरकार के विश्वविद्यालय एवं संस्थानों, सी0एस0आई0आर0, आई0सी0 ए0आर0 आदि तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पुरानी पेंशन योजना के अधीन की गई सेवाओं को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन पुरानी पेंशन हितलाभ योजना में आच्छादित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) संबंधित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा पूर्व धारित पद विधिवत सृजित हो तथा उस पद पर नियुक्ति विधिवत एवं नियमित रूप से की गयी हो।

(ii) जिन संस्थाओं की पूर्व में की गई सेवा में पेंशन हेतु जोड़ी जानी हो, वह सेवाएं पेंशनेबल हो,।

(iii) यदि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि विश्वविधालय,आई0सी0ए0आर0 के द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों, में पेंशन देने का दायित्व

राज्य सरकार का हो, तो केवल वहां ही पेंशनरी एवं अवकाश वेतन का अंशदान जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी,क्योंकि भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू होने के पूर्व सी0पी0एफ0 का प्रबन्धकीय अंशदान राजकोष में जमा करना होता है। यदि पूर्व सेवा के द्वारा संबंधित शिक्षक/कर्मचारी को सी0पी0एफ0 प्रबन्धकीय अंशदान प्राप्त हो गया हो तो प्रबन्धकीय अंशदान जी0पी0एफ0 में तत्समय लागू ब्याज दर सहित राजकोष में जमा कर दिया जाय।

(iv) जिन संस्थाओं को उनके कर्मचारियों के वेतनादि एवं पेंशन आदि के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है, यदि उनके अध्यापक/कर्मचारी किसी सहायता प्राप्त कृषि/अन्य महाविद्यालयों की सेवा में चले जाते हैं, तो उनकी पूर्व सेवायें पेंशनादि के प्रयोजना हेतु तभी जोड़ी जायेगी, जब नियोजक शासन के नियमों के अनुसार आगणित कैपिटलाइज्ड वैल्यू आफ पेंशन की पूर्व की राशि राज्य कोष में जमा कर दें चाहे संबंधित शिक्षक/कर्मचारी उस संस्था के पेंशन नियमों से आच्छादित भी रहा हो।

उपरोक्त शर्तों के अधीन एक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की गई सेवा की गणना दूसरी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में की जा सकती है। पेंशन के पात्र वहीं शिक्षक//शिक्षणेत्तर कर्मचारी होंगे, जो नियमित रूप में चयनित हों तथा नियमित एंव पूर्ण कालिक पद पर नियुक्त हो। तदर्थ सेवायें पेंशन के लिए नहीं जोड़ी जायेगी। इस प्रयोजन हेतु पदों का स्थायी होना आवश्यक नहीं है।

(v) एक संस्था से दूसरी संस्था में नियुक्ति की स्थिति में अधिकतम व्यवधान उस अवधि तक का मर्षित किया जा सकता है जितनी अवधि का राज्य कर्मचारियों को स्थानान्तरण होने पर कार्यभार ग्रहण काल(Joining time) देय होता है।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त।

संख्या 832(1)/XXVII(7)/2011तददिनांक।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2—निदेशक, लेखा एंव हकदारी,23 लक्ष्मीरोड, डालनवाला,देहरादून।
3—निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उत्तराखण्ड।
4—कुल सचिव,कुमायूँ विश्व विद्यालय/तकनीकी विश्वविद्यालय/पंतनगर विश्वविद्यालय/अन्य सरकारी विश्वविद्यालय, राजकीय मेडिकल कालेज,उत्तराखण्ड।
5—मुख्य सचिव, समस्त प्रदेश, भारत।
6—महानिदेशक,भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,कृषि मंत्रालय,नई दिल्ली।
7—अध्यक्ष,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,नई दिल्ली।
8—निदेशक चिकित्सा/निदेशक,उच्च शिक्षा/निदेशक संस्कृत शिक्षा/निदेशक तकनीकी शिक्षा/निदेशक कृषि, उत्तराखण्ड।
9—महानिदेशक, काउन्सिल आफ साईन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च,नई दिल्ली।
10—वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु—3/कृषि अनु0—2/तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा अनुभाग।

आज्ञा से,

शरद चन्द्र पाण्डे
अपर सचिव,वित्त।

संख्या 3/1–1979 –कार्मिक–1

प्रेषक,

श्री के0के0एन0 सिंह,
उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 18 अक्टूबर, 1979

विषय :– आकस्मिक अवकाश के आरम्भ या अन्त में छुट्टियों या अन्य अकार्य दिवसों (non-working days) का जोड़ा जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के परिच्छेद 90 के उप परिच्छेद (iv), जो शासनादेश संख्या 2093/2/बी–181–1975, दिनांक 1 दिसम्बर, 1958 द्वारा परिचालित किया गया था, में यह व्यवस्था की गयी है कि आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में पड़ने वाले रविवार, छुट्टियां तथा अन्य अकार्य दिवसों (non working days) की आकस्मिक अवकाश की संख्या में गणना की जायेगी।

2– इस प्रकरण पर सम्यक्‌रूप से विचार किया गया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उक्त प्रतिबन्ध नहीं लगाया है और भारत सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत अवकाश की अवधि के बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को आकस्मिक अवकाश की संख्या में गणना न किये जाने की सुविधा उपलब्ध है, शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्याधीन सेवा के कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाय, अर्थात् आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में जो रविवार छुट्टियां तथा अन्य अकार्य दिवस पड़ जाते हैं, उनकी गणना आकस्मिक अवकाश की संख्या में नहीं की जायेगी तद्नुसार उपर्युक्त शासनादेश द्वारा परिचालित मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के परिच्छेद 90 के उप परिच्छेद (IV) को निम्न प्रकार पढ़ा जाय :–

"Sundays, holidays and non-working days falling during the period of casual leave shall not be counted as casual leave".

भवदीय,

के0के0एन0 सिंह,
उप सचिव।

संख्या 3/1–1979(I) –कार्मिक–1, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3– राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के सचिव।
4– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5– निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

के0के0एन0 सिंह,
उप सचिव।

संख्या 3/1–1979 (II)–कार्मिक–1, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि विशेष कार्याधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संशोधित मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स में उपरोक्तानुसार व्यवस्था कराने की कृपा करें।

आज्ञा से,

के0के0एन0 सिंह
उप सचिव।

संख्या 3/1–1981 –कार्मिक–

प्रेषक,

श्री मोहन चन्द्र जोशी,

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

2– समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 1 दिसम्बर, 198

विषय :– परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या 3/1–1981–कार्मिक–1, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 की ओ आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमे यह आदेश जारी किये गये थे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले राज्याधीन कर्मचारियों (औद्योगिक एवं गैर–औद्योगिक), जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य (राज सरकार के अधीन कार्यरत) भी सम्मिलित हैं, को कतिपय उल्लिखित शर्तों के अधीन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किय जाय।

2– इस दिशा में और अधिक प्रेरणा दिये जाने तथा उपर्युक्त प्रस्तर–1 में संदर्भित वर्तमान आदेशों को और उदार बनाये जा के प्रश्न पर प्रदेश शासन द्वारा विचार किया गया है और सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त संदर्भि आदेशों में निम्नलिखित संशोधन किये जायं :–

1– जो सरकारी कर्मचारी पहली बार वैसेक्टोमी आपरेशन कराते हैं, उनके मामले में विशेष आकस्मिक अवकाश व गणना केवल कार्य दिवस (working days) के सन्दर्भ में की जाय। विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि व गणना करते समय इस अवधि के बीच पड़ने वाले रविवारों तथा राजपत्रित अवकाशों को ध्यान में नहीं रखन चाहिए।

2– जो महिला सरकारी कर्मचारी पहला आपरेशन विफल हो जाने के कारण दूसरी बार ट्यूबक्टेमी आपरेशन करात है, उनके मामले में निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि पहल आपरेशन विफल होने के कारण दूसरा आपरेशन किया गया था, अधिक से अधिक 14 दिनों का विशे आकस्मिक अवकाश पुनः स्वीकृत किया जाय।

3– जिन महिला सरकारी कर्मचारियों ने अंतरा–गर्भाशय गर्भ निरोधक (आई0यू0डी0) युक्ति पुनः अपनाई है, उ अन्तरा–गर्भाशय गर्भ निरोधक युक्ति के पुनः स्थापन के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय

4– वैसेक्टोमी/ट्यूबक्टोमी आपरेशन के बाद उत्पन्न समस्याओं के मामले में जहां अस्पताल में रहना आवश्यक ना है वहां विशेष आकस्मिक अवकाश क्रमशः 7/14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐ मामलों में विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि असीमित नहीं हो सकती है।

5– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन नसबन्दी/नस को पुनः जुड़वाने से सम्बन्धित विशेष आकस्मिक अवका

को नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश से पहले तथा बाद में जोड़ दिया जाय। परन्तु विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अथवा आकस्मिक दोनों ही प्रकार के अवकाशों से पहले जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विशेष आकस्मिक अवकाश को या तो नियमित अवकाश से अथवा आकस्मिक अवकाश से पहले जोड़ा जाना चाहिए न कि दोनों प्रकार के अवकाशों के साथ। इसी प्रकार विशेष आकस्मिक अवकाश को या तो नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश के बाद जोड़ा जाना चाहिए न कि दोनों प्रकार के अवकाशों के साथ बीच में पड़ने वाले अवकाशों और/अथवा रविवारों को नियमित अवकाशों से पहले/बाद में, जैसी भी स्थिति हो, जोड़ दिया जाना चाहिए।

3– ये संशोधित अनुदेश न केवल उन मामलों में लागू होंगे जहां आपरेशन उक्त अनुदेशों के जारी होने के बाद किया गया हो बल्कि उन मामलों पर भी लागू होंगे जो उक्त अनुदेशों के जारी किये जाने की तिथि को नियमन के लिये विचार किया जा रहा है।

भवदीय,

मोहन चन्द्र जोशी
सचिव।

संख्या 3/1–1981 (1)–कार्मिक–1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

सचिवालय के समस्त अनुभाग।

राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के सचिव।

सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,

मोहन चन्द्र जोशी
सचिव।

1848/15-84(11)/14(1)/82

प्रेषक,

डा0 एस.एस. खन्ना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(1) अनुभाग — दिनांक लखनऊ 28 मई 1984

विषय : गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये तृतीय श्रेणी के पदों में आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा मांग की जाती रही है कि इन महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए उसी महाविद्यालय में तृतीयश्रेणी के पद रिक्त होने पर कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें। इस मांग पर समुचित विचारोपरान्त शासन द्वारा यह स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि प्रदेश के गैर सरकारी महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के लिपिक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पन्द्रह प्रतिशत उक्त महाविद्यालय में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नति के आधार पर भरा जायेगा जिन्होंने उस कालेज में 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा जिनके सेवा अभिलेख सन्तोष जनक हों। यह पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी। पन्द्रह प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधे से कम भाग को छोड दिया जायगा तथा आधे से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आरक्षित कोटे की पूर्ति भविष्य में होने वाली रिक्तियों द्वारा की जायेगी।

3. कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तदनुसार परिनियमावलियों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय,
एस.एस. खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या 1848(1)/15-84(11)/14(1)/82 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।

भवदीय,
एस.एस. खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या - 3645/15-84(11)-14(22)/82

डा0 एस0 एस0 खन्ना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
(उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (11) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 1984

विषय : **महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा शिक्षण तथा परीक्षा कार्य का किया जाना।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के महाविद्यालयों के कतिपय शिक्षकों द्वारा समय से शिक्षण कार्य न करने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सहयोग न देने की शिकायतें शासन को प्राप्त होती रही हैं। ऐसा करने से परीक्षाओं में व्यवधान होता है और सत्र के नियमितीकरण में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि :-

(क) महाविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से करेगा। वह कक्षा शिक्षण कार्य, परीक्षा कार्य तथा पाठ्येत्तर कार्यों के सम्बन्ध में प्राचार्य/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आदेशों का पालन करेगा और अपने कर्तव्य पालन में समय की नियमितता बरतेगा।

(ख) कोई भी प्राध्यापक किसी ऐसी पुस्तक जो कुंजी/गाइड आदि कही जाती है, के प्रकाशन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं देगा।

(ग) कोई भी प्राध्यापक जो पूर्णकालिक पद पर नियुक्त है, कोई अंशकालिक (पार्ट टाइम) कार्य जिसमें न्यायालयों में विधि की प्रैक्टिस करना, प्राइवेट कोचिंग संस्था चलना अथवा ऐसी किसी संस्था में शिक्षण कार्य करना सम्मिलित है, नहीं करेगा। वह किसी ऐसे व्यवसाय अथवा कार्य में जिससे उसके कर्तव्य पालन में बाधा होती है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं करेगा। विधि विभाग के दिनांक 16 अगस्त, 1978 से पूर्व नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जिन्हें न्यायालय में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गयी थी उक्त सुविधा का उपभोग पूर्ववत करते रहेंगे।

(2) मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त उपबन्धों का उल्लंघन परिनियमों के अन्तर्गत "कर्तव्य की जान बूझ कर उपेक्षा" समझा जायेगा और ऐसे प्राध्यापक को परिनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार दण्ड दिया जा सकेगा। कृपया सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को तद्नुसार सूचित कर दें तथा कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत करायें।

भवदीय,
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या 3645(1)/15-84(11) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक।
2. उत्तर प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
3. उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति।

आज्ञा से,
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या - 1974/15(11)/95-14(2)/95

प्रेषक,

श्री एम0 रामचन्द्रन,
सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

(2) शिक्षा निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

शिक्षा (11) अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 24 मई, 1995

विषय : विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित आचार संहिता एवं कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या का अनुपालन।

महोदय,

उच्च शिक्षा को सदैव ही शैक्षिक उन्नयन तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। शिक्षा का निरन्तर गिरता हुआ स्तर चिन्ता का विषय है। अतः जो शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है वह जिम्मेदारी विहीन नहीं हो सकतीहै। शासन ने शिक्षकों के वेतन तथा सेवा संबंधी मामलों में पर्याप्त सुधार कर दिया है। अतः हमारे अध्यापकों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं कार्ययोजना 1992 में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप अध्यापकों के लिए आचार संहिता तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या तैयार कर सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुपालन हेतु वर्ष 1989 में प्रेषित कर दी थी। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा ने भी उपर्युक्त विषयक प्रपत्र वर्ष 1989 में सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को उसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भेजा था।

2- आचार संहिता में मुख्य रूप से अध्यापकों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे निरन्तर अध्ययन एवं शोध के द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास, शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्णनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से, प्रवेश, परीक्षा संचालन, निरीक्षण, परिप्रेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में, सहयोग, अन्य रोजगार, प्राइवेट ट्यूशन एवं कोचिंग नहीं करेगा इत्यादि।

3- कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या में अध्यापक द्वारा सत्र में सम्पन्न किये गये कार्य कलापों का विवरण एवं उपलब्धियों तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यों में उसकी भूमिका/योगदान क्या रहा है, का लेखा-जोखा है।

4- सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों/महाविद्यालय के प्राचार्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि आचार संहिता का पालन एवं कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या का विवरण/अभिलेख रख रहे होंगे। महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्येक अध्यापक के संबंध में उपर्युक्त विवरण निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा तथा संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को यथास्थिति 31 मार्च (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) की प्रगति प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक उपलब्ध करायेंगे।

5- कुलपति/महाविद्यालय के प्राचार्य अपनी आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि संबंधित अध्यापक ने आचार संहिता का पालन किया अथवा नहीं तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या संतोषजनक/असंतोषजनक जो भी स्थिति हो, का उल्लेख भी करेंगे।

6- शासनादेश संख्या 91/जी0आई0/15-11-88-14(5)/87 दिनांक 7 जनवरी, 1989 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अध्यापकों को वरिष्ठ/चयन वेतनमान की अनुमन्यता के लिए अविछिन्न रूप से कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या का संतोषजनक होना अनिवार्य है। अतः भविष्य में उपर्युक्त अभिलेख उपलब्ध न रहने की स्थिति में वरिष्ठ/चयनवेतनमान की अनुमन्यता के लिए संबंधित अध्यापक के प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
एम0 रामचन्द्रन,
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-1974(1)/15(11)/95-14(2)/95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को सूचनार्थ।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी।
5. निजी सचिव, सचिव (उच्च शिक्षा)।

आज्ञा से,
एम0 रामचन्द्रन,
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा–4–394/दस–99–216–79

लखनऊ, दिनांक 4 जून, 1999

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि।

Subject :- Increase in the Limit of Maternity Leave.

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2–4 के सहायक नियम–153(1) के अनुसार महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थाई हो अथवा अस्थाई, प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह तक हो सकती है तथा ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

2– वेतन समिति 1998 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सहर्ष यह आदेश प्रदान करते हैं कि उक्त नियम के अन्तर्गत प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ होने के दिनांक से 135 दिन हो सकती है तथा ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान किसी भी दशा में जिसके अन्तर्गत अस्थाई सेवा भी है, दो बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3– उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

4– उपर्युक्त आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे।

5– संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

मु0 हलीम खाँ,
सचिव

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संख्या सा–4–394(1)/दस–99–216/79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3– सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– निदेशक, वित्तीय प्रबन्धक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

6– वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग।

आज्ञा से
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–4
संख्या सा–4–392/दस–99–203/86
लखनऊ, दिनांक 4 जुलाई, 1999

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

Subject : Increase in the maximum limit of accumulation earned leave.

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निर्देश हुआ है कि अधिसूचना संख्या सा–4–1071/दस–92–201/76, दिनांक 21–12–1992 एवं सा 4–1072/दस–92–201/76, दिनांक 21–12–1992 द्वारा संशोधित वित्तीय नियमावली खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 81–बी (1) एवं सहायक नियम–157–ए (1) में यह प्रतिबन्ध है कि जब सरकारी सेवक द्वारा अर्जित किये गये कुल उपार्जित अवकाश का योग 240 दिन हो जायेगा तो वह ऐसा अवकाश अर्जित नहीं करेगा।

2. उपर्युक्त के संबंध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1998) के सातवें प्रतिवेदन तथा उस पर लिये गए निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय ने सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 240 दिन के स्थान पर 300 दिन निर्धारित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

4. संबंधित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय पृथक से किया जायेगा।

मु0 हलीम खां,
सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संख्या सा–4–392(1)/दस–99–203/86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– वित्त वेतन आयोग–1 ।
4– सचिव विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
5– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
6– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव।

संख्या 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

नैक विभाग देहरादून : दिनांक जुलाई 18,2001

विषय :– राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

दय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं/सार्वजनिक भों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में सम्यक रूप विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अंतिम आंकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या (रैपिड सर्वे) के कड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये ने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन ा निर्णय लिया गया है :

(1) अनुसूचित जाति 19%
(2) अनुसूचित जनजाति 04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग 14%

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आश्रितों को निम्नानुसार हारिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :–

(i) महिलाऐं 20%
(ii) भूतपूर्व सैनिक 02%
(iii) विकलांग व्यक्ति 03%
(iv) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02%

जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी वर्ग में हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा। आरक्षण के संबंध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश शर्मा
सचिव

संख्या 1145 (1)/कार्मिक–2–2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल देहरादून।
सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
सचिवालय के समस्त अनुभाग।
गार्ड फाइल

आज्ञा से,

आर०सी० लोहनी
अनु सचिव

संख्या 1455/कार्मिक-2/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल शासन।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 31 अगस्त ,2001

विषय :- पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या : 1144/का-2/2001-53(1)/2001 दिनांक 18, जुलाई, 2001 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के लिए 19% तथा अनु0 जनजातियों के लिए 04% आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पदोन्नतियों मे आरक्षण विषयक रोस्टर शासन द्वारा निम्नवत् तैयार किया गया है :-

(1) अनुसूचित जाति
(2) अनारक्षित
(3) अनारक्षित
(4) अनारक्षित
(5) अनारक्षित
(6) अनूसूचित जाति
(7) अनारक्षित
(8) अनारक्षित
(9) अनारक्षित
(10) अनारक्षित
(11) अनुसूचित जाति
(12) अनारक्षित
(13) अनारक्षित
(14) अनारक्षित
(15) अनारक्षित
(16) अनूसूचित जाति
(17) अनारक्षित
(18) अनारक्षित
(19) अनारक्षित
(20) अनारक्षित
(21) अनुसूचित जाति
(22) अनारक्षित
(23) अनारक्षित
(24) अनुसूचित जनजाति
(25) अनारक्षित
(26) अनुसूचित जाति
(27) अनारक्षित
(28) अनारक्षित
(29) अनारक्षित
(30) अनारक्षित
(31) अनुसूचित जाति
(32) अनारक्षित
(33) अनारक्षित
(34) अनारक्षित
(35) अनारक्षित
(36) अनुसूचित जाति
(37) अनारक्षित
(38) अनारक्षित
(39) अनारक्षित
(40) अनारक्षित
(41) अनुसूचित जाति
(42) अनारक्षित
(43) अनारक्षित
(44) अनारक्षित
(45) अनारक्षित
(46) अनुसूचित जाति
(47) अनारक्षित
(48) अनुसूचित जनजाति
(49) अनारक्षित
(50) अनारक्षित
(51) अनुसूचित जाति
(52) अनारक्षित
(53) अनारक्षित
(54) अनारक्षित
(55) अनारक्षित
(56) अनुसूचित जाति
(57) अनारक्षित
(58) अनारक्षित
(59) अनारक्षित
(60) अनारक्षित
(61) अनुसूचित जाति
(62) अनारक्षित
(63) अनारक्षित
(64) अनारक्षित
(65) अनारक्षित
(66) अनुसूचित जाति
(67) अनारक्षित
(68) अनारक्षित
(69) अनारक्षित

(70) अनारक्षित	(81) अनुसूचित जाति	(92) अनारक्षित
(71) अनुसूचित जाति	(82) अनारक्षित	(93) अनारक्षित
(72) अनुसूचित जनजाति	(83) अनारक्षित	(94) अनारक्षित
(73) अनारक्षित	(84) अनारक्षित	(95) अनारक्षित
(74) अनारक्षित	(85) अनारक्षित	(96) अनुसूचित जनजाति
(75) अनारक्षित	(86) अनुसूचित जाति	(97) अनारक्षित
(76) अनुसूचित जाति	(87) अनारक्षित	(98) अनारक्षित
(77) अनारक्षित	(88) अनारक्षित	(99) अनारक्षित
(78) अनारक्षित	(89) अनारक्षित	(100) अनारक्षित।
(79) अनारक्षित	(90) अनारक्षित	
(80) अनारक्षित	(91) अनुसूचित जाति	

3. अनुरोध है कि पदोन्नतियों के मामलों में उपरोक्तानुसार रोस्टर को अनुवरत रूप से लागू किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश शर्मा
सचिव

संख्या 1455/(1) कार्मिक/2/2001 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तरांचल।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्राधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तरांचल प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी संबंधित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल।
6. समस्त महा प्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तरांचल।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, देहरादून।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद/नगर महापालिका/नगर पालिका/टाऊन एरिया, उत्तरांचल।
9. निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तरांचल।
11. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
12. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
13. निदेशक, उत्तरांचल प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,

आर0सी0लोहनी,
उप सचिव।

संख्या 1454/कार्मिक–2–2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा, सचिव,
कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल शासन।

(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 31 अगस्त 2001

विषय :– सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।

महोदय,

उत्तरांचल में आरक्षण नीति लागू करने विषयक शासनादेश संख्या : 1144/कार्मिक–2/2001–53(1) दिनांक 18 जुलाई, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिए 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु सीधी भर्ती में रोस्टर निम्नवत् तैयार किया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति
(2) अनारक्षित
(3) अनारक्षित
(4) अनारक्षित
(5) अनारक्षित
(6) अनुसूचित जाति
(7) अन्य पिछड़ावर्ग
(8) अनारक्षित
(9) अनारक्षित
(10) अनारक्षित
(11) अनुसूचित जाति
(12) अनारक्षित
(13) अनारक्षित
(14) अन्य पिछड़ावर्ग
(15) अनारक्षित
(16) अनुसूचित जाति
(17) अनारक्षित
(18) अनारक्षित
(19) अन्य पिछड़ा वर्ग
(20) अनारक्षित
(21) अनुसूचित जाति
(22) अनारक्षित
(23) अनारक्षित
(24) अनुसूचित जनजाति
(25) अनारक्षित

(76) अनुसूचित जाति	(85) अनारक्षित	(94) अनारक्षित
(77) अन्य पिछड़ावर्ग	(86) अनुसूचित जाति	(95) अनारक्षित
(78) अनारक्षित	(87) अनारक्षित	(96) अनुसूचित जनजाति
(79) अनारक्षित	(88) अनारक्षित	(97) अनारक्षित
(80) अनारक्षित	(89) अनारक्षित	(98) अन्य पिछड़ावर्ग
(81) अनुसूचित जाति	(90) अनारक्षित	(99) अनारक्षित
(82) अनारक्षित	(91) अन्य पिछड़ावर्ग	(100) अनारक्षित।
(83) अनारक्षित	(92) अनारक्षित	
(84) अन्य पिछड़ावर्ग	(93) अनुसूचित जाति	

3. अनुरोध है कि सीधी भर्ती के मामले में उपरोक्त रोस्टर को अनवरत रूप से लागू किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश शर्मा
सचिव

संख्या 1454/(1) कार्मिक/2/2001 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :—

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी संबंधित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल।
6. समस्त महा प्रवन्धक, जल संस्थान, उत्तरांचल।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, देहरादून।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद/नगर महापालिका/नगर पालिका/टाऊन एरिया, उत्तरांचल।
9. निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तरांचल।
11. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
12. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
13. निदेशक, उत्तरांचल प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,

आर०सी० लोहनी
उप सचिव।

संख्या : 745/मा0सं0वि0/2002—03

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)

मानव संसाधन विकास विभाग — देहरादूनः दिनांक 01 अगस्त, 2002

विषय :— विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा विदेश में शोध—पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा विदेश में शोध—पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की जाती है:—

(1) यदि विदेश प्रवास 15 दिन से कम का हो और जिसका व्ययभार शासन पर निहित न हो, तब इस अवकाश स्वीकृति का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।

(2) यदि विदेश प्रवास दो माह तक का हो तथा जिसका व्ययभार शासन पर निहित न हो, तब इस अवकाश स्वीकृति का अधिकार निदेशक (उच्च शिक्षा)/कुलपति को होगा। यह स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि माह दिसम्बर से मार्च तक, जब पठन—पाठन का कार्य अपनी पराकाष्ठा पर होता है, ऐसी स्थिति में इसमें सामान्यतः स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(3) क्रमांक—01 एवं 02 के अतिरिक्त दो माह से अधिक अवधि के विदेश प्रवास के लिए हो, की अनुमति का प्रस्ताव पूर्व की भांति शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) जहां व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जाना हो, ऐसे प्रस्ताव भी पूर्व की भांति शासन को संदर्भित किये ज

अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव।

संख्याः 745/मा0सं0वि0/2002—03 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— कुल सचिव, गढ़वाल/कुमांऊ विश्वविद्यालय।

2— प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, उत्तरांचल।

3— गार्ड पत्रावली

अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव।

संख्याः 1009/कार्मिक–2/2003

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 08 जुलाई, 2003

विषयः विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 662/कार्मिक–2/2002 दिनांकः 18 जुलाई, 2002 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है । उक्त शासनादेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रादेशिक सिविल सेवा, विभागाध्यक्ष, निगमों के अध्यक्ष एवं निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के विदेश सेवायोजन विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार, विचार गोष्ठी, स्टेडी टूर, सिम्पोजियम, वर्कशाप, स्कालरशिप /फैलोशिप, विदेश प्रशिक्षण, निजी कार्य, निजी व्यय पर विदेश यात्रा से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्याः 662 /कार्मिक–2 /2002 दिनांकः 18 जुलाई, 2002 में विदेश सेवायोजन एवं विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार, विचार गोष्ठी, स्टडी टूर, सिम्पोजियम, वर्कशाप एवं स्कालरशिप/ फैलोशिप, विदेश प्रतिनियुक्ति एवं विदेश प्रशिक्षण, निजी कार्य एवं निजी व्यय पर विदेश यात्रा के सम्बन्ध में

अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रस्तावों पर भी कार्मिक विभाग तथा मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

3. अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

मधुकर गुप्ता
मुख्य सचिव ।

संख्याः 1009 /कार्मिक–2/2003, तद्दिनांक/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
2– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3– समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तरांचल ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
5– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या 1270 /तीस–2/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तरांचल।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

5– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2004

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान सात दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक, नियुक्ति हेतु चयन में 5 प्रतिशत का अधिमान दिये जाने तथा अगले 05 वर्षो (अर्थात चयन वर्ष 2004–2005 से 2008–2009) के लिये उनको 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या (1)/तीस–2/2004 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-1058 / xxxii /   2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तरांचल शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
(3) मण्डलायुक्त, कुमायूँ / गढ़वाल,उत्तरांचल।
(4) समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग – 2   देहरादून :   दिनांक 07 अप्रैल 2006

विषयः– उत्तरांखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल गये आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1270 / तीस–2 / 2004 दिनांक 11 अगस्त 2004 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5 प्रतिशत का अधिमान दिया जाय तथा अगले 5 वर्षो(चयन वर्ष 2004–2005 से चयन वर्ष 2008–2009) के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाय।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त शासनादेश के अनुसार राजकीय सेवाओं में रिक्त पदों पर चयन हेतु उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम अवधि के लिए जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्याधीन सेवाओं में रिक्त पदों पर चयन हेतु सीधी भर्ती के प्रकम पर उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि चयन वर्ष 2004–2005 तथा 2005–2006 में सीधी भर्ती के प्रकम पर किये गये चयनों में यदि राज्य आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसकी सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि किन–किन पदों में राज्य आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि किन–किन पदों पर किये गये चयन में 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण राज्य आन्दोलनकारियों को प्रदान नहीं किया गया है। कृपया भविष्य में होने वाले सीधी भर्ती के सभी चयनों में 10 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण आगणित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव

संख्या:04 /xxx(2)/20

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक जून 13, 200

विषयः **राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमं करने हेतु जारी विज्ञापनों में महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्त व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आदि को प्र आरक्षण की सुविधा को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। शासनादेश सं 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 द्वारा उत्तरांचल राज्य की राज्याधीन सेवाओं/पदों महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्त व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को क्रमशः 20%, 02%, 03 तथा 02% का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा भूतपूर्व सैनिकों हेतु अनुमन्य 02% क्षैति आरक्षण को बढ़ाकर को शासनादेश संख्याः 570/कार्मिक–2/2004 22 मई 2004 द्वारा 05% किया गया है। शासना संख्याः 1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त 2004 द्वारा उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को, जो 07 दिन से कम जेल हो, को राजकीय सेवा में अगले 05 वर्षों तक 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भर्ती हेतु प्रकाशित किये जाने व विज्ञापनों में महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्त व्यक्तियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा उत्तराख आन्दोलनकारियों को शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण, जो निम्न प्रकार से है, को सुस्पष्ट रूप उल्लिखि किया जाय तथा उक्त वर्ग के व्यक्तियों को आयु सीमा में अनुमन्य छूट को भी विज्ञापनों में सुस्पष्ट रूप से उल्लिखित कि जायः–

1–	महिलायें	20 प्रतिशत
2–	भूतपूर्व सैनिको	05 प्रतिशत
3–	निःशक्त व्यक्तियों	03 प्रतिशत
4–	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों	02 प्रतिशत
5–	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी	10 प्रतिशत

कृपया उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव।

संख्याः 1968 /XXX(2)/2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ,
उत्तरांचल ।
5. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 25 जुलाई, 2006

विषयः उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं/निगमों/सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 के प्रस्तर 2 (i) द्वारा उत्तरांचल राज्य की महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है ।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तरांचल राज्य की राज्याधीन सेवाओं, निगमों, सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उत्तरांचल राज्य की महिलाओं के लिये वर्तमान क्षैतिज आरक्षण 20 प्रतिशत को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है । उक्त 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहाँ चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी हो और विज्ञापन प्रकाशित हो गया हो । और कोई पुराने प्रकरण पुनरूद्घाटित नहीं होंगे ।

3. कृपया उपरोक्तानुसार उत्तरांचल राज्य की महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण दिया

जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव ।

संख्या:1966 (1)/XXX(2)/2006 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन ।
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार ।
निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
समस्त मंत्रियों के निजी सचिव को मा0 मंत्रीगणों के सूचनार्थ ।
सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
विभागीय आदेश-पुस्तिका ।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र लोहनी
संयुक्त सचिव ।

संख्याः 2461 /XXX(2)/2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ,
उत्तरांचल ।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 6 अक्टूबर, 2006

विषयः **राज्य सरकार के अधीन सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों तथा शिक्षण संस्थाओं में सेवायोजन में विशिष्ट खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को राज्याधीन सेवाओं, निगमों, परिषदों, विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थान जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से आच्छादित हैं, में सेवायोजन हेतु 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । आरक्षण का लाभ निम्नलिखित श्रेणी के खिलाड़ी को उपलब्ध होगाः–

श्रेणी–1
(क) ओलम्पिक/शीत ओलम्पिक/विश्व कप खेलों में मेडल प्राप्त
(ख) राष्ट्रमण्डल/एशियायी/विन्टर एशियायी/एफ्रो एशियायी खेलों में मेडल प्राप्त
श्रेणी–2
(क) ओलम्पिक/शीत ओलम्पिक/विश्व कप खेलों में प्रतिभाग
(ख) राष्ट्रमण्डल/एशियायी/विन्टर एशियायी/एफ्रो एशियायी खेलों में प्रतिभाग
(ग) सैफ खेलों में मेडल प्राप्त
श्रेणी–3
(क) सैफ खेलों में प्रतिभाग

(ख) राष्ट्रीय खेलों/मान्यता प्राप्त सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में मेडल प्राप्त

श्रेणी–4

(क) अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त
(ख) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त
(ग) अखिल भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त
(घ) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कम से कम तीन बार प्रतिभाग
(ड़) भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त
(च) राष्ट्रीय सब जूनियर चैम्पियनशिप में मेडल प्राप्त

यदि किसी भर्ती के चयन में उपरोक्त में से एक से अधिक श्रेणी के अभ्यर्थी आवेद करते हैं, तब उन्हें उपरोक्त श्रेणियों के कम में अधिमान दिया जायेगा ।

उक्त 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहाँ चयन प्रकि प्रारम्भ हो गई हो और विज्ञापन प्रकाशित हो गया हो और कोई पुराने प्रकरण पुनरूद्धारित नहीं होंगे

3. आरक्षण के लिए चिन्हांकित खेलों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न की जा रही है ।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव ।

संख्या:2461 (1)/xxx(2)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार ।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
5. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव को मा0 मंत्रीगणों के सूचनार्थ ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7. विभागीय आदेश–पुस्तिका ।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव ।

परिशिष्ट–1

सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण हेतु खेलों की सूची:–

1. आरचरी
2. एथेलेटिक्स
3. आत्या/पात्या
4. बैडमिंटन
5. बाल–बैडमिंटन
6. बास्केटबाल
7. बिल्यर्डस् एण्ड स्नूकर
8. बाक्सिंग
9. ब्रिज
10. कैरम
11. चैस
12. क्रिकेट
13. साईक्लिंग
14. इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स
15. फुटबाल
16. गोल्फ
17. जिम्नास्टिक
18. हैण्डबाल
19. हाकी
20. जूडो
21. कबड्डी
22. कराटे–डू
23. क्याकिंग एण्ड कैनोईंग
24. खो–खो
25. पोलो
26. पावर लिफ्टिंग
27. शूटिंग
28. रोलर स्केटिंग
29. रोईंग
30. साफ्टबाल
31. स्क्वैश
32. स्वीमिंग
33. टेबिल टेनिस

34. ताइकोन्डो
35. टेनिस-कोर्ट
36. टेनिस
37. वालीबॉल
38. वेटलिफ्टिंग
39. रैसलिंग
40. यैचिंग

संख्या–4620 / XX(4)–7 / उ0आन्दो0 / 2006

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव
एवं अवस्थापना विकास आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

2– आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

4– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तरांचल।

5– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

6– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 8 नवम्बर, 2006

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम अवधि के लिए जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5% का अधिमान दिये जाने तथा अगले 5 वर्षों के लिए उनको 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त 7 दिन से अधिक अवधि के लिए जेल गये आन्दोलनकारी या घायल आन्दोलनकारी को सेवायोजन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि 7 दिन से अधिक अवधि के लिए जेल गये आन्दोलनकारी अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों में कतिपय आन्दोलनकारी 50 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थिति के कारण सेवायोजन में इच्छुक नहीं हैं अथवा अक्षम हैं। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 7 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों में से

निम्नलिखित श्रेणी के आन्दोलनकारी के परिवार के एक व्यक्ति, जो आन्दोलनकारी पर पूर्णरूप से आश्रित हो को शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004 दिनांक 11–8–2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10% का क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा:–

(1) वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं हैं।

(2) ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम हैं।

(3) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

3– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार श्रेणी में आने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

4– उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण की सुविधा आगामी चयनों के अतिरिक्त उन चयनों में लागू होगी जिन पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि समाप्त न हुई हो। जहाँ आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि समाप्त नहीं हुई है, वहाँ ऐसे चयनों में उक्त चिन्हित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु 20 दिन की अवधि बढ़ा दी जायेगी। जहाँ पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि समाप्त हो गयी हो और चयन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी हो, वहाँ उपरोक्त आरक्षण की सुविधा लागू नहीं होगी।

5– उक्त श्रेणी में चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित है, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे :–

(1) पत्नी

(2) आश्रित पुत्र

(3) अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां

6– 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की उपरोक्त व्यवस्था शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11.8.2004 में निर्धारित अवधि अर्थात चयन वर्ष 2008–09 तक ही अनुमन्य होगी, उसके पश्चात उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

6— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एन0एस0 नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

संख्या–4020 /XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना उत्तरांचल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

एन0एस0 नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

संख्या-776/XX(4)26/उ0 आ0/2006-08

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग-4 देहरादूनः दिनांकः 22 अक्टूबर 2008

विषय-- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या--1270/तीस-2/2004 दिनांक-- 11.8.2004 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा राज्य आन्दोलन के दौरान सात दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5 प्रतिशत अधिमान दिये जाने तथा अगले 05 वर्षों (अर्थात चयन वर्ष 2004-05 से 2008-09) के लिये उनको 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी थी।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त व्यवस्था अग्रिम दो वर्षों अर्थात् 10 अगस्त, 2011 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में वर्णित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

एन0एस0नपलच्याल
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 737 / XXvii(7) / 2010
देहरादून, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्याः–सा–4–392 / दस–99–203–86 दिनांक 4 जुलाई,1999 द्वारा कुल उपार्जित अवकाश 300 दिन निर्धारित किया गया है ।

2– इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात् भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को कमशः16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश का प्रथम छमाही के अंतिम माह 30 जून एवं द्वितीय छमाही के अंतिम माह 31 दिसम्बर, तक उपभोग कर सकते है। उक्त अर्जित किये गये अवकाश को पूर्व में अर्जित कुल 300 दिनों के अवकाश में से घटाया नहीं जाएगा। कलैण्डर वर्ष के 01 जनवरी से 30 जून तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक अनुमन्य 16 दिन एवं 15 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग संबंधित छमाही में न करने पर उसे अग्रेनीत नहीं किया जाएगा अर्थात प्रत्येक छः माह में माहवार अर्जित अवकाश का उपभोग संगत छमाही में ही किया जा सकेगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।
3. संबंधित अवकाश नियमों मे आवश्यक संशोधन यथा समय पृथक से किया जाएगा।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त

संख्या : 737 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. सचिव,राज्य सम्पत्ति विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

शरद चन्द्र पाण्डे
अपर सचिव

संख्या: 1905 /XXX(2)/2010

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 17 जनवरी, 2011

विषय : राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार गणना करते हुए बैकलॉग को भरे जाने हेतु विशेष भर्ती अभियान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकलांग व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में 3 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करते हुए विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित श्रेणी के अनुसार पदों को चिन्हित किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों में विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के अनुसार पदों को अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है और जहां चिन्हित किये गये हैं, वहां पद रिक्त होने से बैकलॉग बना हुआ है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

1. विकलांगजन की तीन श्रेणियों के लिए विभागों में पदों का चिन्हीकरण करने सम्बन्धी समाज कल्याण विभाग द्वारा गतिमान कार्यवाही 31.01.2011 तक पूर्ण करते हुए तत्सम्बन्धी शासनादेश निर्गत कर दिया जाय।

2. समस्त विभागों के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अपने विभागीय संरचनात्मक ढांचे में विकलांगजनों हेतु निर्धारित क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप सीधी भर्ती के श्रेणी 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' के पदों तथा प्रोन्नति के श्रेणी 'ग' तथा 'घ' के पदों के सापेक्ष निर्धारित प्रतिशत अनुसार विकलांग श्रेणी के चिन्हित पदों की गणना 15 फरवरी, 2011 तक करते हुए बैकलॉग की स्थिति स्पष्ट करा ली जाय।

3. विभाग के अन्तर्गत बैकलॉग की स्थिति स्पष्ट हो जाने के उपरान्त विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के समूह 'ग' के पदों के संदर्भ में विशेष भर्ती अभियान के तहत अधियाचन प्राविधिक शिक्षा परिषद को दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक उपलब्ध करा दें और समूह 'घ' के चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती के निमित्त वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 283/XXVII(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी, 2010 के आलोक में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति से निर्णय करा लें। साथ ही, विभागीय स्तर पर प्रोन्नति के चिन्हित पदों के सापेक्ष प्रोन्नति की प्रक्रिया दिनांक 15 फरवरी, 2011 तक पूर्ण करा लें। सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति के जो पद लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, उनके सम्बन्ध में अधियाचन लोक सेवा आयोग को दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक प्रेषित कर दी जाय।

4. सीधी भर्ती के संदर्भ में लोक सेवा आयोग अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद अथवा विभाग (यथा लागू) के द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2011 तक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय और दिनांक 15 मई, 2011 तक चयन की प्रकिया पूर्ण कर ली जाय। लोक सेवा आयोग/प्राविधिक शिक्षा परिषद से चयन सम्बन्धी संस्तुति प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जॉय।

5. सम्बन्धित विभाग के द्वारा उक्त कार्यक्रमानुसार विशेष भर्ती अभियान संचालित करते हुए विकलांगजन के लिए चिन्हित रिक्त पदों के बैकलॉग को भर लिये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग/समाज कल्याण विभाग को 15 जून, 2011 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

6. भविष्य में विभागों के द्वारा की जाने वाली भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत विकलांगजन के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के प्राविधान का पूर्ण परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव।

संख्या: 1905/XXX(2)/2011/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त, विकलांगजन, उत्तराखण्ड।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र लोहनी
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 386/XXX(2)/11–55(46)/2004
देहरादून: दिनांक 18 मार्च, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक सपठित धारा 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–दो (छ:) को स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 के अनुसार निम्नवत संशोधित करते है:–

स्तम्भ–1 (वर्तमान उपबन्ध)	स्तम्भ–2 (प्रतिस्थापित उपबन्ध)
(छ:) आय या सम्पत्ति मानदण्ड	(छ:) आय या सम्पत्ति मानदण्ड
(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियॉ, जिनकी लगातार तीन वर्षो में कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये अथवा उससे अधिक है अथवा जो सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक सम्पत्ति रखते हैं।	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियॉ, जिनकी लगातार तीन वर्षो तक की कुल वार्षिक आय 4.50 लाख रूपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक सम्पत्ति रखते हैं।
(ख) श्रेणी I,II,III और V(क) में आने वाले ऐसे व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियॉ जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार है, परन्तु जो अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति रखने के कारण उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के अन्तर्गत आते हैं। स्पष्टीकरण–वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जायेगा।	(ख) श्रेणी एक, दो, तीन और पॉच (क) में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लायेगी, के पुत्र और पुत्रियॉ। स्पष्टीकरण–वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जायेगा।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—7
संख्याः 11 /xxvii(7)34 / 2011
देहरादून, दिनांक 30 मई,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः—राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ठ परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।
(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा:—

(i) बाल्य देखभाल अवकाश कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।
(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।
(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण—दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकतें हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों(UGC,CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3— उक्त व्यवस्था दिनांक 01 मई,2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त

संख्या : 11 (1)/XXVII(7)34/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

शरद चन्द्र पाण्डेय,
अपर सचिव ।

संख्या 966 /XXX(2)/2011

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रभारी सचिव/अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
   उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
   उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त
   कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 29 जून, 2011

विषयः- श्रेणी 'घ' से श्रेणी 'ग' में हाईस्कूल उत्तीर्ण कार्मिकों के लिए 15 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण कार्मिकों के लिए 10 प्रतिशत के निर्धारित कोटे में चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी 'घ' में कार्यरत ऐसे कार्मिकों में से श्रेणी 'ग' में 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा चयन किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) में चयन की प्रकिया निर्धारित की गयी है।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण श्रेणी 'घ' के कार्मिक पात्र हैं परन्तु श्रेणी 'ग' में उनके निर्धारित कोटे के अन्तर्गत चयन की कार्यवाही सम्पन्न नहीं की जा रही है जबकि सेवा नियमावलियों में इस सम्बन्ध में व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

3- उपरोक्त वर्णित स्थितियों में, कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभाग के अन्तर्गत श्रेणी 'घ' के पात्र कार्मिकों की श्रेणी 'ग' में उनके लिए निर्धारित कोटे के अन्तर्गत चयन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न करते हुए कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें। यदि आपके नियंत्रणाधीन विभाग में यह कार्यवाही पूर्व में ही सम्पन्न कर ली गयी हो तो उस स्थिति से भी कार्मिक विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव।

संख्या /XXX(2)/2011 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

रविन्द्र सिंह ह्यांकी
अपर सचिव।

संख्या 9176/15-77-11-18(190)/76

प्रेषक,

डा0 माया राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश (शासन)।

सेवा में,

कुलपति,
आगरा, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, अवध, रूहेलखण्ड, गोरखपुर, बुन्देलखण्ड, गढ़वाल, कुमायूँ विश्वविद्या

दिनांक लखनऊ 12 अप्रैल, 1

विषय : गैर सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों का अनुमोदन।

शिक्षा (11) अनुभाग।

महोदय,

शिक्षा निदेशालय द्वारा शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा शि की नियुक्ति का अनुमोदन कुछ मामलों में सशर्त और अस्थायी रूप से एक निर्धारित अवधि तक भी दिया जाता है जिससे अन ही समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्य अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये परिनियमों में अस्थायी अनुमोदन का कोई प्राविधान नहीं है। जिस किसी पद के अनुमोदन चाहा गया हो, वह स्थायी पद अथवा अस्थायी पद हो सकता है लेकिन ऐसे किसी पद के लिए अस्थायी अनुमोदन जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अतएव अनुमोदन देते समय आपके द्वारा केवल अनुमोदन का ही आदेश दिया जाना उचित है

भवदीय,
ह0 माया राम
उप सचिव।

संख्या 9176(1)/15-77-11-18(190)/76 तद् दिनांक

प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा अशासकीय पत्रांक सं0 नि0 (उ0शि0) अर्थ/18068/1977-78 दिनांक 11 अक्टूबर, 1977 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0 माया राम
उप सचिव।

संख्या : 5125/15-11-86-4ए(45)/85

प्रेषक,

डा0 एस.एस. खन्ना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (11) अनुभाग : लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 1986

विषय :- प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रों से ली जाने वाली छात्र निधियों का रख-रखाव एवं उपयोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न छात्र निधियों में छात्रों से विभिन्न मदों में वसूल की जाने वाले शुल्क के रख-रखाव तथा इनके उपयोग के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश न होने के कारण छात्र निधियों का दुरूपयोग होता है।

2- अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचोरापरान्त छात्र निधियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम मार्ग दर्शन हेतु बनाये जाते हैं :-

(1) निम्नलिखित शुल्क जिन महाविद्यालयों में लिया जाता है छात्र निधियाँ मानी जायेगी और प्राचार्य के नियन्त्रण में रहेगी :-

1. क्रीड़ा शुल्क।
2. पत्रिका शुल्क।
3. परिचय पत्र शुल्क।
4. अध्ययन कक्ष शुल्क।
5. वार्षिक दिवस शुल्क।
6. परिषद शुल्क।
7. छात्र संघ शुल्क।
8. प्राथमिक चिकित्सा शुल्क।
9. निर्धन छात्र शुल्क।
10. काशन मनी।
11. अन्य कोई शुल्क जो शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा छात्र निधि घोषित किया जाये।

(2) निम्नलिखित शुल्क छात्र निधियां नहीं मानी जायेगी किन्तु वह प्राचार्य एवं प्रबन्धक दोनों के सम्मिलित नियन्त्रण में होगी :-

1. छात्रावास शुल्क।
2. गर्म सर्द शुल्क (पंखा शुल्क)।
3. विकास शुल्क।
4. प्रासपेक्टस शुल्क।
5. छात्र पंजीकरण शुल्क।
6. विश्वविद्यालय परीक्षा एवं नामांकन शुल्क।
7. गृह परीक्षा शुल्क।

(3) विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति-अनुदान छात्र निधि नहीं हैं किन्तु उनके लेखे का रख-रखाव, इन निधियों का संचालन एवं वितरण का पूर्ण उत्तरदायित्व प्राचार्य का होगा।

3- छात्र कोषों के लिये एक अथवा एक से अधिक परामर्शदात्री समिति बनाई जायेगी जिसमें छात्रों का तिनिधित्व 50 प्रतिशत होगा। यह समिति सम्बन्धित कोष के लिये प्राप्त धनराशि के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके नुसार छात्र कोष का उपयोग किया जायेगा। समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। भी छात्र निधियाँ प्राचार्य के नियन्त्रण में होगी और उन्हीं के माध्यम से व्यय की जायेगी। प्राचार्य स्वयं छात्र निधियों के ख-रखाव एवं उपभोग के लिये उत्तरदायी होंगे। महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा छात्र निधियों का सम्प्रेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रा प्रति वर्ष (न्यूनतम 2 वर्ष में एक बार) कराया जायेगा। और सम्प्रेक्षण आख्या प्रबन्ध समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी। र्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा विभागीय आडिट के समय छात्रकोष से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व चार्य का होगा।

4- प्रत्येक छात्र कोष का पृथक बचत अथवा चालू खाता किसी स्थानीय बैंक में खोला जायेगा, जो प्राचार्य द्वारा नियन्त्रित किया जायेगा और यदि आवश्यक हो तो प्राचार्य किसी छात्र कोष के नियन्त्रण हेतु महाविद्यालय के बरसर अथवा वरिष्ठ अध्यापक को अधिकृत कर सकते हैं, किन्तु उक्त कोष से धन व्यय करने का उत्तरदायित्व प्राचार्य का ही होगा। छात्र कोष में अनियमितता पाये जाने पर प्रबन्धतन्त्र द्वारा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

5- छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नहीं लिया जायेगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये वसूल की गई है।

6- यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात् तक अपनी काशन मनी वापस लेने के आवेदन पत्र नहीं देता है तो यह राशि व्यपगत (लैप्स) कर दी जायेगी।

7- यदि किन्हीं कारणों से किसी छात्र कोष में बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। सामान्य रूप से छात्रकोष में बचत होने पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा महाविद्यालय के लिये खेल के मैदान हेतु भूमि क्रय, व्यायामशाला का निर्माण, स्टेडियम निर्माण, शौचालय निर्माण एवं सुधार सड़कों की मरम्मत, पानी की व्यवस्था, अथवा अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो में व्यय करने की अनुमति दी जा सकती है। इन कोषों की बचत से किसी वाहन के क्रय, नये विषय या संकाय खोलने हेतु भ्रमण हेतु अनुदान देने, भवनों का विस्तार करने उपकरण क्रय करने तथा छात्र संघ के कार्य कलापों पर व्यय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8- शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा की अनुमति से छात्र कोषों की बचत से छात्र कल्याण निधि बनाने हेतु बचत प्रमाण-पत्र क्रय किये जा सकेंगे, उन बचत प्रमाण-पत्रों की ब्याज की आय को मेधावी छात्रों को पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति देने, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये छात्रों को सहायता करने, छात्रों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने तथा अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय किया जा सकेगा। इस खाते का नियन्त्रण एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व प्राचार्य का होगा।

इस शासनादेश की कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाये।

भवदीय,
एस. एस. खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या : 5125(1)/15-11-86-4ए(45)/85

1- प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके अर्धशासकीय संख्या डिग्री अर्थ/1568/198 दिनांक 17 मई, 1986 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
एस. एस. खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या : 8202/15-11-86-4ए(46)/85

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0)उ0प्र0
शिक्षा डिग्री ऑडिट अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्य एवं प्रबन्धक,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक डिग्री ऑडिट/11/1615-2100/86 दिनांक जुलाई 19, 1986

विषयः- अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों से शुल्क बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना।

महोदय/महोदया,

निदेशालय की जानकारी में यह बात बतलाई गई हैकि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों से शुल्क प्राप्त करने, उसे बैंक में जमा करने आदि में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी प्रविष्ट छात्रों से प्राप्त शुल्क प्राप्त नहीं हो पाती है। जो शुल्क प्राप्त होती है उसका भी निर्धारित अंश समय से वेतन संदाय के खाते में जमा नहीं हो पाता हैं इन तथ्यों की जानकारी शुल्क लेखों की जांच के पूर्व नहीं हो पाती है और इससे राजकीय राजस्व की हानि के साथ महाविद्यालय के राजस्व की भी हानि होती है। महाविद्यालय अधिकारियों को इस ओर भी सजग रहना चाहिए और उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि महाविद्यालय में नामांकित समस्त छात्रों के समस्त देय शुल्काय प्राप्त कर महाविद्यालय के सम्बन्धित बैंक लेखों में जमा कर दी जाय और उसका निर्धारित अंश वेतन संदाय खाते में जमा हो जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में निदेशालय का यह सुझाव है कि जिन महाविद्यालय के प्रांगण में अथवा महाविद्यालय के समीप स्टेट बैंक, राष्ट्रीय कृत बैंक अथवा को-आपरेटिव बैंक की सुविधा उपलब्ध है वे बैंक के माध्यम से छात्रों से शुल्क वसूली की कार्यवाही करायें जिससे शुल्काय की धनराशि में गबन, दुरुपयोग एवं दुर्विनियोजन की सम्भावना न रहे और समस्त आय सीधे पहले बैंक में जमा होना सुनिश्चित हो जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लें और जिन-जिन महाविद्यालयों द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाय उसकी सूचना निदेशालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जगदेव प्रसाद
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
कृते शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उ0प्र0 इलाहाबाद।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश
शिक्षा डिग्री अर्थ अनुभाग
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक डिग्री अर्थ/1989–2464/1988 दिनांक 6 मई, 1988

विषय– रिक्त पदों के प्रति अनुज्ञा के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक डिग्री अर्थ/2748–3154/1987 दिनांक 6–6–1987 में दिये गये निर्देशों को स्पष्ट एवं संशोधित करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि–

1. महाविद्यालय में एकल पदों को छोड़कर अन्य पदों के रिक्त होने की तिथि से 3 वर्ष पूरे होने तक महाविद्यालय द्वारा यदि उस रिक्त पद की अनुज्ञा की मांग नहीं की गई है तो वह पद स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

2. यदि पद के रिक्त होने की तिथि के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा अनुज्ञा की मांग की गई है परन्तु तीन वर्ष तक मानक के अनुसार लगातार कार्यभार न बनने के कारण अनुज्ञा नहीं प्राप्त हुई है तो वह पद भी स्वतः समाप्त समझा जाय।

3. यदि किसी रिक्त पद की अनुज्ञा दे दी गई है और महाविद्यालय द्वारा उस पर तीन वर्ष तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है और तीन वर्ष उपरान्त उक्त पद पर महाविद्यालय प्रबन्ध करना चाहता है तो प्रबन्ध करने से पूर्व प्राप्त अनुज्ञा का संदर्भ देते हुए महाविद्यालय को उस अवधि में पद के प्रति नियुक्ति न करने का कारण स्पष्ट करते हुए निदेशालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भवदीय

डा० के०एन०जोशी
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते शिक्षा निदेशक (उ० शिक्षा) उ०प्र०
इलाहाबाद।

संख्या – 1212/15-19-94-17 (34)/94

ेषक,

श्री एम० रामचन्द्रन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

ेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शेक्षा (19) अनुभाग : लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 1994

वेषय : राज्य निधि के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के सेवा निवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशनादि के भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण।

होदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या-ई-11/1321/दस-13-1-94 दिनांक 15 जुलाई, 1994 की ांलग्नकों सहित प्रतिलिपि प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य निधि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशनादि का भुगतान राजकीय ोषागार के माध्यम से किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया है कि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के ाक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशनादि का भुगतान दिनांक 1 नवम्बर, 1994 से केवल राजकीय कोषागार से होगा। वित्त भाग द्वारा जारी संलग्न शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1994 में विस्तृत विवरण तथा उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जिसके नुसार उपर्युक्त सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशनादि का भुगतान राजकीय कोषागार से किया जायेगा।

2. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनरों के पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में उन सभी ापचारिकताओं की पूर्ति निश्चित की जायेगी जो सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के लिये निर्धारित है। जिन मलों में पेंशन भुगतान के आदेश अभी तक निर्गत नहीं हुये हैं, उनमें पेंशन भुगतान की यह प्रक्रिया तात्कालिक प्रभाव से ागू होगी। सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के सेवा निवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही सेवा नैवृत्तिक विधायें अनुमन्य होंगी, जो समय-समय पर शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी हैं।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1994 के संलग्नक-1 पृष्ठ 2-3 पर उल्लिखित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के पेंशनर के पेंशन भुगतान की प्रक्रिया शीर्षक के तर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा उसके अतिरिक्त म्नलिखित प्रक्रिया का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के ानरों को पेंशन भुगतान समय से हो सके।

1. सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन, कागजात तथा पेंशन प्रपत्रों की तैयारी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कर्मचारी के सेवा निवृत्ति के एक वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ की जायेगी।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पेंशन के कागजात/प्रपत्र आदि को पूर्ण कराकर उनके सेवा निवृत्त के ठीक 6 माह पूर्व निश्चित रूप से वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज देंगे। यदि प्राचार्य द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जाती है या निर्धारित समय के अन्दर पेंशन प्रपत्र निदेशालय को नहीं भेजे जाते हैं तो आवश्यकतानुसार

निदेशक प्राचार्य के वेतन का भुगतान रोक देने का आदेश देंगे। वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी इन कागजातों का परीक्षण कर समय से पेंशन भुगतान का आदेश जारी करेंगे।

3. निदेशक (उ0शि0) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की, जो अगले वित्तीय वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, सूचियां बनाकर एक कार्यालय-ज्ञाप जारी करेंगे जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित मुख्य लेखाधिकारी तथा पेंशन निदेशालय को प्रेषित की जाएगी।

4. निदेशक (उ0शि0) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशनादि के भुगतान के सम्बन्ध में की जा रही इस नवीन व्यवस्था की जानकारी सभी सम्बन्धित पक्षों, महाविद्यालयों तथा कर्मचारियों को हो जाय।

5. उपर्युक्त समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन कागजात तैयार कराये जाने एवं उनका प्रेषण सम्बन्धित अधिकारियों को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों का होगा। इसका अनुपालन न किये जाने की स्थिति में गम्भीर चूक मानी जायेगी।

6. शिक्षा निदेशक (उ0शि0) सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को निर्देश देंगे कि वे महाविद्यालय का निरीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राचार्य द्वारा सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंश०. सम्बन्धी पत्रजात निर्धारित समय के अन्दर निदेशक को भेज दिये गये हैं/भेजे जा रहे हैं। पेंशन पत्रजात निदेशक को निर्धारित समय के अन्दर भेजने के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4. अतः अनुरोध है कि संलग्न शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1994 में उल्लिखित प्रक्रिया एवं व्यवस्था के अनुरूप सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनरों को पेंशनादि के भुगतान के सम्बन्ध में निर्धारित समय के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भी तदनुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाहीसे शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न - यथापरि।

भवदीय,
एम0 रामचन्द्रन,
सचिव, उच्च शिक्षा।

संख्या : 1212(1)/15-19-94-17(34)/94 तद् दिनांक।

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ तथा गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन कागजात समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कराये एवं उनका प्रेषण वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी, उच्च निदेशालय को सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
जी.एन. खोलिया,
संयुक्त सचिव।

संख्या 296/15–19–95–3 (2)/93

प्रेषक,

श्री एम0 रामचन्द्रन
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (19) अनुभाग | लखनऊ : दिनांक 4 मार्च, 1995

विषय :– प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 : 2164क/15–11–94–3 (2)/93 दिनांक 16 जून, 1994 तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्ट–1 पर सम्यक विचारोपरांत सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या–एफ–7–51/89–पी0एन0डी0 (11), दिनांक 5–10–89 के साथ प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर मानक निर्धारित किये गये थे।

सम्यक विचारोपरांत राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश दिनांक : 16 जून, 1994 को निम्न प्रकार तथा परिशिष्ट–1 को भी संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु अब निर्धारित मानकों की पूर्ति करने वाले महाविद्यालयों को संलग्न परिशिष्ट–2 पर दिये गये निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर अपनी संस्तुति सहित शासन को निश्चित रूप से भेजेंगे जिस पर शासन द्वारा गठित निम्नांकित समिति द्वारा विचार किया जायेगा और उक्त समिति अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत करेगी :–

(1) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
(2) सचिव, मुख्यमंत्री	सदस्य
(3) न्याय सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4) कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	सदस्य
(5) उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
(6) शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य

उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित संयुक्त सचिव समिति के संयोजक होंगे।

शासन द्वारा यदि प्रस्ताव स्वीकृति किया जाता है तो स्वीकृति सम्बन्धित आदेश, संस्था/शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर देश, इलाहाबाद/सम्बन्धित विश्वविद्यालय को भेजे जायेंगे और यदि प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है तो अस्वीकृत के कारणों सहित सम्बन्धित संस्था को अवगत कराया जायेगा।

उक्त संदर्भित शासनादेश 2164क/16–11–94–3(2)/93, दिनांक 16 जून, 1994 उपरोक्तानुसार संशोधित स जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्रन
सचिव।

संख्या 296(1)/15–19–95–3 (2)/93

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

(2) उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुल सचिव।

(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/गोरखपुर/कानपुर/मेरठ।

(4) सचिव, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

दिलीप सहाय
संयुक्त सचिव

संख्या 296(2)/15–19–95–3 (2)/93

प्रतिलिपि प्रस्तर–1 में उल्लिखित समिति के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

दिलीप सहाय
संयुक्त सचिव।

संख्या— 2215 / 15—19—95—1 / 93

प्रेषक

श्री दिलीप सहाय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक (उ0शि0)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

शिक्षा (19) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर, 1995

विषय :— सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के मृतक शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित किया जाना।

महोदय,

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने की मांग शासन को लगातार प्राप्त हो रही थी और तत्कालीन शिक्षा सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या : 7330 / 15—11—91—115 / 91 दिनांक 20—7—1992 द्वारा जारी किये गए निर्देशों से मृतक आश्रितों को सेवायोजित किये जाने में कठिनाइयां हो रही थी। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के मृतक शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान कर दी है :—

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा निदेशक (उ0शि0) के पूर्वानुमोदन के बिना रिक्त शिक्षणेत्तर पदों को नहीं भरा जायेगा। उक्त प्रतिबन्ध किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था के संबंध में लागू नहीं होगा।

2. उस प्रयोजन के लिए कुटुम्ब का तात्पर्य मृत कर्मचारी अथवा शिक्षक की विधवा या विधुर पुत्र, अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री से है।

3. किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था का प्रबंधतंत्र मृत्यु होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निदेशक (उ0शि0) को मृत कर्मचारी शिक्षक के कुटुम्ब के सदस्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें मृत कर्मचारी का नाम, पद, वेतनमान नियुक्ति का दिनांक, मृत्यु की दिनांक, नियोजक संस्था का नाम और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का नाम, उनकी शैक्षिक और प्रशिक्षक अर्हतायें यदि कोई हो और आयु का विवरण भी दिया जायेगा। निदेशक (उ0शि0) अपने द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में मृतक की विशिष्टियाँ दर्ज करेगा।

4. मृतक आश्रित निदेशक (उ0शि0) से शिक्षणेत्तर सम्वर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा। आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा और यदि समिति उसकी नियुक्ति को संस्तुति करे तो निदेशक (उ0शि0) मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त उस संस्था के जिसमें आवेदक को नियुक्त किया जाना है, प्रबंधतंत्र को आवेदन पत्र नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेजेगा। समिति में निम्नलिखित होंगे।

   (1) निदेशक (उ0शि0)
   (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का लेखाधिकारी
   (3) संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य

5. संबंधित मृतक आश्रित की नियुक्ति रिक्त पद उपलब्ध होने पर उसी महाविद्यालय में किसी रिक्त शिक्षणेत्तर पद पर जिसके लिए वह अर्हता रखता हो, की जायेगी और यदि नियुक्ति के समय कोई शिक्षणेत्तर पद रिक्त न हो, संबंधित मण्डल के किसी अशासकीय महाविद्यालय में रिक्त पद पर नियुक्ति की जायगी और यदि मण्डल के किसी महाविद्यालय

में शिक्षणेत्तर पद रिक्त न होगा, अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी और ऐसे अधिसंख्य पद को इस प्रयोजन के लिए सृजित समझा जायेगा और तब तक जारी रखा जायेगा जब तक कोई रिक्त पद उस संस्था में उपलब्ध न हो जाय। ऐसी स्थिति में अधिसंख्य पद के पदधारी द्वारा की गयी सेवा की गणना वेतन निर्धारण और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए की जायेगी।

6. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महाविद्यालयों द्वारा निदेशक की अनुमति से सृजित इस प्रकार के अधिसंख्य पदों की सूचना संलग्न प्रारूप पर अपने कार्यालय में रखेंगे तथा प्रत्येक छः माह पर ऐसे अधिसंख्य पदों का स्वयं सत्यापन करेंगे। संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि यूनिट में प्रथम नियमित पद उपलब्ध होते ही इस प्रकार से सृजित अधिसंख्य पद को समाप्त करते हुए ऐसे पद पर कार्यरत कर्मचारी का उपलब्ध नियमित पद पर समायोजन कर दिया जाय।

निदेशक (उच्च शिक्षा) प्रति माह शासन को प्रदेश में इस प्रकार से सृजित अधिसंख्य पदों पर होने वाले व्ययभार से अवगत करायेंगे।

7. मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने के लिए संबंधित मण्डल को यूनिट माना जायेगा।

8. मृतक आश्रित की नियुक्ति के संबंध में निदेशक (उच्च शिक्षा) की संस्तुति प्राप्त होने के उपरांत महाविद्यालय के प्रबंधक द्वारा मृतक आश्रित को 30 दिन के अंतर्गत नियुक्ति आदेश कार्यभार ग्रहण करा दिया जायेगा।

9. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित विश्वविद्यालयों के परिनियमों में तद्नुसार व्यवस्था करवा दी जाय।

ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – यू0ओ0–ई–11/2903/दस–95 दिनांक 30/10/95 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

दिलीप सहाय

संख्या : 2215(1)/15–19–95–1/93 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, उत्तराखण्ड, विकास विभाग।
3. समस्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव (उत्तर प्रदेश)।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग–1)।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि अपने से संबंधित महाविद्यालयों को अवगत कराना द
6. सचिवालय के उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

दिलीप सहाय
संयुक्त सचिव

सेवा में

प्राचार्य/प्रबन्धक,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक डिग्री अर्थ-1/16703-17218/95-96 दिनांक 2-?-1996

विषय : अशासकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष/उपपुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर चयन/अनुमोदन से संबंधित आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सूचित करना है उक्त पदों पर चयन के स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कतिपय महाविद्यालय उन निर्देशों का कड़ाई से पालन न करके चयन में अनियमितता कर लेते हैं। फलस्वरूप चयन के अनुमोदन को निदेशालय द्वारा बाध्य होकर निरस्त करना पड़ता है और महाविद्यालय के पुस्तकालय में शीघ्र नियुक्तियाँ न होने के कारण छात्र/छात्राओं का अहित होता है।

अतएव छात्र/छात्राओं तथा महाविद्यालय के हित को ध्यान में रखते हुए निदेशालय द्वारा निर्गत पूर्व निर्देश को निरस्त करते हुए पुनः संशोधित निर्देश जारी किया जा रहा है। कृपया इस निर्देश में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार प्रक्रिया अपनाकर नियुक्तियों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें। चयन-प्रक्रिया में इसके बाद भी यदि किसी प्रकार की अनियमितता या कोई कमी रह जाती है तो उसके अभाव में चयन का अनुमोदन निदेशालय द्वारा दिया जाना सम्भव न होगा।

1. शैक्षिक अर्हता

पुस्तकालयाध्यक्ष/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु निम्न अर्हतायें निर्धारित हैं-

(क) पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "क" और "ख"
अधिस्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "ग"
स्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और दो वर्ष का अनुभव।

(ग) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "क" एवं "ख"
स्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और दो वर्ष का अनुभव।

(घ) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "ग"
स्नातक उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि।

स्पष्टीकरण

पुस्तकालयाध्यक्ष/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "क" और "ख" से तात्पर्य ऐसे किसी उपाधि महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष से है जहाँ दो हजार या अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हों और पुस्तकालयाध्यक्ष/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "ग" का तात्पर्य किसी ऐसी उपाधि महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष से है जहाँ दो हजार से कम छात्र अध्ययन कर रहे हों।

2. पद का विज्ञापन

उत्तर प्रदेश या उससे बाहर किन्हीं ऐसे दो समाचार पत्रों (एक हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी) में किया जाय जिसका उत्तर प्रदेश तथा उसके बाहर पर्याप्त प्रचार-प्रसार हो।

विज्ञापन में बिन्दु-1 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता वांछित अनुभव तथा आयु (न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष तथा किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की स्थिति में अधिकतम आयु पाँच वर्ष अधिक होगी) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। विज्ञापन में प्रार्थना-पत्र पंजीकृत डाक से प्राप्त होने की एक निश्चित तिथि दी जाय जो कि विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से तीन सप्ताह से कम न हो।

3. चयन के समय अन्य बिन्दु जिस पर विशेष ध्यान दिया जाय :-

(1) चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

(i) प्रबन्धतन्त्र का प्रधान अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य जो अध्यक्ष होगा।
(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य।
(iii) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक अधिकारी।

(2) शिक्षा निदेशक (उ०शि०) के नामिती की माँग करते समय पद की अनुज्ञा पत्र की प्रमाणित छाया प्रति एवं विज्ञापन से संबंधित समाचार पत्र की कटिंग की प्रमाणित छाया प्रति भेजते हुए इस बात का अवश्य उल्लेख किया जाय कि महाविद्यालय अनुदान सूची पर है अथवा नहीं और महाविद्यालय की कुल छात्र संख्या कितनी है।

(3) साक्षात्कार की तिथि शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के नामित सदस्य की सहमति से निर्धारित की जाए।

(4) साक्षात्कार में बुलाये जाने की सूचना अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा कम से कम साक्षात्कार की तिथि से 15 दिन पूर्व दी जाए। पंजीकृत डाक की रसीद शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के नामिती को अवश्य दिखा दिया जाय तथा उसकी प्रमाणित प्रति अनुमोदन के समय निदेशालय को भेजी जाय।

(5) अभ्यर्थियों के नाम ज़िला सेवायोजन कार्यालय से भी अवश्यक प्राप्त किये जाएं।

(6) न्यूनतम अर्हता एवं वांछित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जाय। एक पद के लिए कम से कम पाँच अर्ह अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जायें।

(7) कोई योग्य अभ्यर्थी साक्षात्कार में बुलाये जाने से न छोड़ा जाए। चयन में मेरिट का विशेष ध्यान रखा जाय।

(8) चयन के पूर्व यह देख लिया जाय कि पद वास्तव में महाविद्यालय में रिक्त है अथवा नहीं, यदि रिक्त है तो क्या उस पर नियुक्ति हेतु निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति ली गयी है। बिना उपलब्ध पद के कोई भी चयन न किया जाय।

4. राजाज्ञा संख्या 5723/15-11-86-14(6)/86, दिनांक 18-10-86 के अनुसार मान्य अनुभव-

(1) परिनियमावली में निर्धारित अर्हताओं में अनुभव उस तिथि से मान्य होना चाहिए जिस तिथि से अभ्यर्थी ने पुस्तकालय विज्ञान की निर्धारित योग्यता प्राप्त की है। बी०लिब० की उपाधि प्राप्त करने से पूर्व में की गयी सेवा को अनुभव के लिए मान्य नहीं किया जाना चाहिए।

(2) परिनियमावली में निर्धारित अर्हतायें प्राप्त करने के बाद यदि अभ्यर्थी ने किसी प्रोफेशनल पद पर कार्य किया है तो वह अनुभव मान्य होगा। प्रोफेशनल पद का तात्पर्य कैटलागर, क्लासिफिकेशनिस्ट, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, डाकूमेन्टिस्ट तथा उप-पुस्तकालयाध्यक्ष पद से है। यदि किसी अभ्यर्थी ने इण्टर कालेज में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्य किया है तो वह भी प्रोफेशनल पद होने के कारण अनुभव हेतु मान्य होगा।

अनुभव प्रमाण-पत्र के विषय में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान अपेक्षित है :-

(क) जिस पद के प्रति अभ्यर्थी ने कार्य किया हो वह पद पूर्णकालिक एवं अनुदानित हो उससे संबंधित वेतन कोषागार से आहरित किया गया हो। अभ्यर्थी विधिवत चयनित एवं अनुमोदित हो।

(ख) निर्धारित अर्हतायें प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रोफेशनल पद (कैटलागर, क्लासिफिकेशनिस्ट, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, डाकूमेन्टिस्ट, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष तथा इण्टर कालेज में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर कार्य करने का अनुभव) का अनुभव मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी पद का अनुभव मान्य न होगा।

(ग) अनुभव प्रमाण-पत्र में कब से कब तक अभ्यर्थी कार्यरत् रहा, उसके वेतनमान तथा प्राप्त मूल वेतन का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(घ) अनुभव प्रमाण-पत्र में जिस पद पर अभ्यर्थी कार्यरत रहा, उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(च) जिस पद पर अभ्यर्थी कार्यरत रहा, उससे संबंधित नियुक्ति पत्र तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी पत्र की प्रमाणित छाया प्रति अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए।

(छ) जिस पद पर अभ्यर्थी ने कार्य किया हो उस पद के अनुदानीकरण से संबंधित पत्राजात की प्रमाणित छाया प्रति भी अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए।

(ज) अनुभव प्रमाण-पत्र के संबंध में अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाय कि उसके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण-पत्र पूर्ण रूप से सही है तथा गलत पाये जाने पर उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

चयन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निदेशालय को पंजीकृत डाक द्वारा निम्नांकित पत्रजात भेजे जायें :-

(क) चयनित अभ्यर्थी का प्रार्थना-पत्र तथा उसकी शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियाँ।

(ख) चयन के प्रस्ताव की मूल प्रति।

(ग) चयन के प्रस्ताव पर प्रबन्ध तन्त्र की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

(घ) पद के सृजन/अनुज्ञा की प्रमाणित छाया प्रति।

(च) विज्ञापन की कटिंग, मूलरूप में।

(छ) सभी अभ्यर्थियों का, जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया है, तुलनात्मक चार्ट उनकी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव सहित।

(ज) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना जिस पंजीकृत डाक से दी गयी हो, उसकी रजिस्ट्री की रसीद की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय।

(झ) अभ्यर्थी प्राचार्य/प्रबन्धक का नातेदार नहीं है, इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए।

(ट) जिला सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त नामों की सूची।

(ठ) साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर-शीट की प्रमाणित छाया प्रति।

7. अभ्यर्थी के नाम की संस्तुति को तब तक गोपनीय रखा जाय जब तक कि निदेशालय द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाय।

8. निदेशालय से बिना अनुमोदन प्राप्त किए नियुक्ति न की जाय।

9. विज्ञापन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर चयन अवश्य करा लिया जाय।

10. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), के नामितों को यात्रा भत्ता महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

भवदीय,
राजकुमार कोहली,
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
कृते-शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, वाराणसी एवं झांसी।
2. समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
राजकुमार कोहली,
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
कृते-शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या : 538/सत्तर–2–99–2(225)/98

प्रेषक,

प्रौमिला शंकर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति/कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश,

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक: 26 फरवरी, 1999

विषयः– सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की किसी कक्षा में नया सेक्शन खोलने हेतु अनुज्ञा दिये जाने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 13.26 तथा 13.27 में निम्नांकित व्यवस्था है:–

13.26 किसी सहयुक्त महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या अध्ययन कक्षा में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी परन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक नहीं होगी।

13.27 किसी महाविद्यालय द्वारा किसी कक्षा में नया अनुभाग खोलने के पूर्व, अपेक्षित अतिरिक्त अध्यापक वर्ग (उनकी अर्हताएं और वेतन, नये अनुभाग की अध्यापन सारणी, उपलब्ध स्थान तथा अतिरिक्त उपस्कर एवं पुस्तकालय की सुविधाओं की व्यवस्था) के सम्बन्ध में पूरी सूचना विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी और कुलपति की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।

2– परिनियमावली की उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त सेक्शन कुलपति की पूर्व अनुज्ञा से प्रारम्भ करने की व्यवस्था है परन्तु इसमें यह कठिनाई आ रही है कि अतिरिक्त सेक्शन खोलने की अनुमति विश्वविद्यालयों के द्वारा दे तो दी जाती है परन्तु उसका वित्तीय भार शासन पर आ जाता है क्योंकि अतिरिक्त सेक्शन के लिए महाविद्यालय द्वारा बाद में शिक्षण/शिक्षणेत्तर पदों के सृजन की मांग की जाती है।

3– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया है:–

(1) महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि की अनुमति की स्वतः स्पष्ट संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें आधारभूत सुविधाओं तथा आवश्यकताओं का उल्लेख होगा। शासन के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश अथवा अतिरिक्त सेक्शन की वृद्धि दी जायेगी।

(2) आवश्यकता को देखते हुए महाविद्यालय विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से साध्यकालीन कक्षायें स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रारम्भ कर सकते हैं।

4– अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा परिनियमावली के संगत् परिनियमों को तद्नुसार दो माह के अन्दर परिवर्तित/परिवर्धित करने का कष्ट करें।

भवदीया

प्रौमिला शंकर
सचिव

संख्याः 538(1)/सत्तर–2–99–2(225)/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
4– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–।।
5– निजी सचिव उच्च शिक्षा मंत्री जी।

आज्ञा से

एल0सी0 सक्सेना
अनु0 सचिव।

संख्या–2806/70–4–2000–46(50)/99

प्रेषक,

सुधीर कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 10 अगस्त, 2000

विषयः– राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले महंगाई शुल्क और प्रयोगशाला शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले महंगाई शुल्क का निर्धारण पूर्व में आदेश संख्या 1734/पन्द्रह–15–80(11–12), दिनांक 6–5–81 द्वारा किया गया था। तब से शासन द्वारा समय–समय पर शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। इससे शासन पर व्ययभार कई गुना बढ़ गया है, परन्तु महंगाई शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इसी प्रकार प्रयोगशाला शुल्क भी उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित किया गया था, तब से प्रयोगशाला में उपयोग होने वाली सामग्री के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। परन्तु प्रयोगशाला शुल्क में पुनरीक्षण न होने के कारण महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रों से प्रतिमाह रू0 20/– महंगाई शुल्क के रूप में लिया जायेगा। जिन विषयों में प्रयोगात्मक कार्य कराया जाता है और प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं उनमें प्रयोगशाला शुल्क भी रू0 20/– प्रतिमाह की दर से लिया जायेगा।

कृपया तत्काल महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार महंगाई शुल्क व प्रयोगात्मक शुल्क को लागू कर दिया जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश स्ववित्त पोषित योजना के अधीन स्थापित किये गये महाविद्यालयों में लागू न होंगे। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये हों उन पर यह आदेश लागू न होंगे।

भवदीय

सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या–2806/70–4–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
2– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
3– सचिव वित्त एवं वित्तीय परामर्शदाता (श्री मन्जीत सिंह) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद/निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5– सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
6– समस्त उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव।

आज्ञा से

सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या : 1587/सत्तर-2-2001-16(129)/2001

प्रेषक,

श्री सतीश कुमार अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 जून, 2001

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के संघटक/सम्बद्ध/सहयुक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त प्राचार्य के पद पर सत्रान्त लाभ दिए जाने पर प्रतिबन्ध विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या-4546/15-10-73, दिनांक 25 जुलाई, 1975 द्वारा तत्समय संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के लिए निर्गत प्रथम परिनियमावली के परिनियम-4 के उप नियम (11-ख) में अधिवर्षिता की आयु का निर्धारण कतिपय प्रतिबन्धों के साथ किया गया था तद्न्तर शासनादेश संख्या-9(जी0आई0)/14-11-88-14(5)/87, दिनांक 7 जनवरी, 1989 के संलग्नक-2 के प्रस्तर-25 तथा शासनादेश संख्या-390/सत्तर-2-99- 16(45)/98, दिनांक 16 फरवरी, 1999 के संलग्नक-2 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी थी कि विश्वविद्यालयों तथा अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के उन शिक्षकों को 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर शैक्षिक सत्र में 30 जून की अवधि से पहले अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करते हैं, को उस सत्र में अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के उपरान्त 30 जून तक पुनर्नियुक्त में रखा जायेगा तथा शिक्षक की अधिवर्षिता आयु उसकी 60वीं वर्षगांठ से ठीक पहले की तिथि होगी।

2- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-54640/99 में दिनांक 5-01-2000 को पारित आदेशों में बी0एस0ए0 कालेज मथुरा में कार्यवाहक प्राचार्य पद पर कार्यरत डा0 प्रेमहरि शर्मा को अधिवर्षिता आयु सत्र के मध्य में पूर्ण होने तक सत्रान्त 30 जून तक कार्यवाहक प्राचार्य पद पर बने रहने के आदेश पारित किये थे। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 5-01-2000 के विरूद्ध डा0 एस0के0 राठी ने एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या-482/2000 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात यह आदेश पारित किये कि एक शिक्षक पदोन्नति के फलस्वरूप प्राचार्य होता है तथा शासन का कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि प्राचार्य को 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के बाद सेवा में बने रहने दिया जाय।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 12-5-2000 को पारित उक्त आदेश का समादर करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा 60 वर्ष की अधिवर्षिता पूर्ण करने के उपरान्त उन्हें प्राचार्य पद के दायित्वों को निर्वहन न करने दिया जाय किन्तु वे शिक्षक के रूप में सत्रान्त तक सेवा में बने रह सकते हैं।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त राज्य विश्वविद्यालय इस शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था को अपने परिनियमों में सुसंगत स्थान पर तत्काल समाहित करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,
सतीश कुमार अग्रवाल
सचिव।

संख्या-1587(1)/सत्तर-2-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
बी0डी0 जोशी
संयुक्त सचिव।

संख्या : 2493/सत्तर-2-2001-16(129)/2001

प्रेषक,

श्री सतीश कुमार अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 जुलाई, 2001

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के संघटक/सम्बद्ध/सहयुक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त प्राचार्य के पद पर सत्रान्त लाभ दिए जाने पर प्रतिबन्ध विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रिंसिपल्स एसोसिएशन, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के प्रत्यावेदन दिनांक 25-06-2001 पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेशसंख्या-1587/सत्तर-2-2001-16(129)/2001, दिनांक 02-06-2001 में आवश्यक संशोधन करते हुए उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "महाविद्यालय के" और "प्राचार्यों" के मध्य शब्द "कार्यवाहक" पढ़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,
सतीश कुमार अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या-2493(1)/सत्तर-2-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
(4) उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
बी0डी0 जोशी
संयुक्त सचिव।

संख्या–2452/मा0सं0वि0/2001–3(88)/2001

प्रेषक,

राज कुमार सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

मानव संसाधन विकास विभाग — देहरादून : दिनांक 10 जुलाई, 2001

विषय : अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक : 914/डिग्री अर्थ–/2001–2002, दिनांक 12–6–2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में जब तक कोई नई नीति निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में की गयी व्यवस्था उत्तरांचल में यथावत लागू रहेगी।

2–कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राज कुमार सिंह,
अपर सचिव।

संख्या : 2452(1)/मा0सं0वि0/2001/तद्दिनांक

प्रतिलिपि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

राज कुमार सिंह,
अपर सचिव।

संख्या : 661/उच्च शिक्षा/2002

प्रेषक,

श्री एन0रवि शंकर
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून: दिनांक : 12 जुलाई 2002

विषय : अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3084/मा0स0वि0/2001/3(6) 2001 दिनांक 24-09-2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पिछले शैक्षिक सत्र में निश्चित मानदेय के आधार पर कार्यरत शिक्षकों के लिए निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :-

(1) शैक्षिक सत्र 2001-2002 में निश्चित मानदेय के रूप में संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को शैक्षिक सत्र 2002-2003 में पुनः संविदा पर रखा जायेगा तथा अन्यथा आदेश न होने की दशा में यह व्यवस्था 01 जुलाई, 2002 से यथास्थिति 30 अप्रैल, 2003 तक लागू होगी।

(2) नियत मानदेय पर रखे जाने वाले शिक्षक को रु0 8,000/- प्रति माह निश्चित मानदेय प्रदान किया जायेगा।

(3) नियत मानदेय पर नियुक्त शिक्षक को प्रत्येक कार्य दिवस पर महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगा एवं संविदा अवधि में 10 दिन के अवकाश की सुविधा अनुमन्य होगी।

(4) निश्चित मानदेय के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को प्रतिमाह न्यूनतम 40 लेक्चर दिया जाना अनिवार्य होगा। निध ारित मानकों के अनुसार शिक्षण कार्य सम्पादित करना होगा, यदि किसी माह में निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उसे आगामी माह में पूर्ण किया जायेगा।

(5) निश्चित मानदेय के आधार पर कार्यरत शिक्षकों का प्रशासनिक नियन्त्रण संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के अधीन रहेगा, जो उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में निश्चित मानदेय के आधार पर रखे जाने वाले शिक्षकों के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

एन0 रविशंकर
सचिव।

संख्या 661/उच्च शिक्षा/2002-03(18)/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
(3) निजि सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
(5) वित्त अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन।
(6) अनुभागीय प्रति।

आज्ञा से

एन0 रवि शंकर,
सचिव।

संख्या-539/उच्च शिक्षा/2003-3(6)2000

प्रेषक,

संजय कुमार
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
उच्च शिक्षा
हल्द्वानी, नैनीताल

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 02 जुलाई, 2003

विषयः- अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एंव स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-661/उच्च शिक्षा/2002, दिनांक 12 जुलाई, 2002 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2002-03 में 01 जुलाई, 2002 से 30 अप्रेल, 2003 तक रिक्त पदों के विरुद्ध निश्चित मानदेय की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये गये थे। इस अवधि में उन्हीं व्यक्तियों को संविदा पर आमंत्रित किया जाना था जिन्हें शैक्षिक सत्र 2001-02 में निश्चित मानदेय पर रखा गया था।

2- प्रदेश के विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षायें माह अप्रेल एंव मई, 2003 में आयोजित होने के कारण शासनादेश संख्या 276/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 3 जून, 2003 द्वारा परीक्षा कार्य सम्पादन के लिये विजिटिंग प्रवक्ताओं का मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

3- उक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि अशासकीय महाविद्यालयों में संविदा पर रखे गये कार्मिकों द्वारा परीक्षा कार्य में सहयोग किया गया है तो उन्हें भी परीक्षा कार्य के लिये मानदेय का भुगतान करने का कष्ट करें, बशर्ते की संविदा पर रखे गये अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कार्य में पूर्ण सहयोग किया गया हो, इस दौरान उसकी 3 घंटे की परीक्षा अवधि तीन वादन के बराबर हो।

भवदीय,

संजय कुमार,
अपर सचिव

संख्या – 1059/उशि0/2003

प्रषक,

संजय कुमार,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
उच्च शिक्षा
हल्द्वानी (नैनीताल)

उच्च शिक्षा अनुभाग — देहरादून : दिनांक 10 दिसम्बर, 2003

विषय : अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य /प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रत्रांक 4231, दिनांक 30-8-2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य/प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

1. प्रत्येक अशासकीय महाविद्यालय में अलग-अलग प्रबन्ध तन्त्र होता है। तथा नियुक्ति प्राधिकारी भी प्रबन्ध तन्त्र ही है। अशासकीय महाविद्यालय में होने वाली नियुक्तियां अस्थानान्तरणीय होती है, इसी कारण प्रत्येक महाविद्याल य को पृथक ईकाई माना जा सकता है। पृथक ईकाई मानने से प्राचार्य पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि यह एकल पद है। प्रवक्ता संवर्ग में आरक्षण विषयवार होगा। एकल पद एवं एकल रिक्ति भिन्न -भिन्न है। यदि पद एकल नहीं है एवं वर्तमान में एक ही रिक्ति है, रोस्टर के अनुसार आरक्षण देखा जायेगा। रोस्टर अनवरत चलता है। आगे जब भी सम्बन्धित विषय की रिक्ति भरी जायेगी, तब आज की भर्ती के रोस्टर बिन्दु के आगे से क्रमांकित में होगी। यदि कोई रिक्ति विज्ञापित एवं चयन के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर भरी न जा सके तब उसे आगामी वर्षो में भरा जायेगा।

(2) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में "विजिटिंग प्रवक्ता" कार्यरत हैं जिन्हें उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा समूह "क" सेवा नियमावली में कतिपय लाभ प्रदान किये गये हैं। इसी आधार पर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में निश्चित मानदेय पर रखे गये कार्मिकों को भी "अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को चयन में अधिमान दिया जायेगा" जिसमें-

(अ) प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत अभ्यर्थीयों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के अधिकतम 5 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि निश्चित मानदेय पर कार्यरत अभ्यर्थी शासन/विश्वविद्यालय द्वारा विहित न्यूनतम् अर्हता रखता हो।

(ब) शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पर पर चयन के मामले में केवल उन मानदेय पर रखे शिक्षकों को अधिमान दिया जायेगा जो आदेश के दिनांक या इससे पूर्व उक्त रूप में कार्यरत रहे हैं। यह व्यवस्था स्थाई नहीं है अर्थात केवल एक बार के लिए की जा रही है।

(3) प्राचार्य पद हेतु आवेदन के लिए आवेदन-पत्र का मूल्य रु0 1500/- तथा प्रवक्ता पद हेतु रु0 700/- (रुपये 350/- उत्तरांचल के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) प्रस्तावित किया गया है। चूँकि आय-व्ययक में इस चयन प्रक्रिया के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, चयन समिति के सदस्यों को काफी दूर से भी आमंत्रित किया जा सकता है, जिनके यात्रा व्यय में काफी धनराशि की आवश्यकता होगी। निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों को चयन के सम्बन्ध में अतिरिक्त कार्य करने के एवज में मानदेय भी स्वीकृत किया जायेगा। आवेदन-पत्र केवल बैंक ड्राफ्ट तथा बैंकर्स चैक के माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे, प्राप्त धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा तथा लेखाधिकारी के संयुक्त नाम से खोले गए खाते में रखी जायेगी तथा आहरण भी दोनों की सहमति के उपरान्त ही किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्राप्त धनराशि में से कोई धनराशि व्ययों को काटने के उपरान्त शेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जाएगा।

(4) कुमायूँ/हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए पृथक-पृथक चयन समिति गठित की गयी है। आवेदन-पत्र भी पृथक-पृथक ही प्राप्त किया जाना उचित होगा।

अशासकीय सहायता प्राप्त सम्बन्द्ध महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों को अधिमान दिये जाने के लिए विश्वविद्यालय की परिनियमावली में यथा स्थान व्यवस्था की जानी होगी, जिसके लिए दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन के लिए आरक्षण रोस्टर की गणना नियमानुसार की जानी होगी, इस सम्बन्ध में आरक्षण अधिनियम, 1994 की व्यवस्थाओं का भी पालन किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त विवरणानुसार चयन प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

भवदीय.

संजय कुमार
अपर सचिव

संख्या 463/XXIV (7)/2005

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक : 25 मई, 2005

विषय : सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता एवं प्राचार्य के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक : डिग्री अर्थ/529/2005–2006, दिनांक 19–4–2005 के संदर्भ में मुझे सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता/प्राचार्य के रिक्त पदों पर चयन के लिए विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 421/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, दिनांक 31–1–2005 के क्रम में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी करने का निदेश हुआ है :–

1–रिक्त पद की अनुज्ञा के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की जानी होगी :–

(1) प्रत्येक महाविद्यालय वेतन संदाय हेतु स्वीकृत ऐसे पद पर जिस पर नियुक्ति करना चाहता है, उन पदों की निदेशक, उच्च शिक्षा/नामित अधिकारी से अनिवार्यतः अनुज्ञा प्राप्त करेगा। पद रिक्त होने के तीन वर्ष पूर्ण होने तक महाविद्यालय द्वारा अनुज्ञा की मांग न करने पर पद स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। यदि पद रिक्त होने की तिथि के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा अनुज्ञा की मांग की गयी है परन्तु तीन वर्ष तक मानक के अनुसार लगातार कार्यभार न बनने के कारण अनुज्ञा प्राप्त न हुई हो तो तभी पद स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(2) यदि किसी रिक्त पद की अनुज्ञा प्राप्त है, और महाविद्यालय द्वारा उस पद पर तीन वर्ष तक नियुक्ति नहीं की गयी है और तीन वर्ष के उपरान्त उस पद पर महाविद्यालय नियुक्ति करना चाहता है तो नियुक्ति करने से पूर्व प्राप्त अनुज्ञा का संदर्भ देते हुए उस अवधि में नियुक्ति न करने का कारण स्पष्ट करते हुए निदेशक उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) राज्य गठन के पश्चात् रिक्त पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसी दशा में राज्य गठन से पूर्व तथा पश्चात् के ऐसे पदों जिनकी अनुज्ञा प्राप्त हुए तीन वर्ष से अधिक का समय हो चुका हो तो उन पदों को निदेशक, उच्च शिक्षा से पुनर्जीवित कराकर नियुक्ति की जा सकती है।

(4) बिना अनुज्ञा प्राप्त हुए पदों पर यदि महाविद्यालय प्रबन्ध तन्त्र द्वारा नियुक्ति की जाती है तो ऐसे पदधारकों के वेतन भुगतान की देयता शासन की नहीं होगी तथा इसके लिए महाविद्यालय प्रबन्ध तन्त्र पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

2–रिक्त पदों पर आरक्षण की गणना के सम्बन्ध में सामान्य निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित कार्यवाही की जानी

(1) प्रत्येक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में अलग–अलग प्रबन्ध तन्त्र ही नियुक्ति प्राधिकारी होता है। इनमें होने वाली नियुक्तियां अस्थान्तरणीय होती हैं, इसी कारण प्रत्येक महाविद्यालय को एक पृथक इकाई माना जा सकता है। पृथक इकाई मानने से प्राचार्य पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा क्योंकि यह एकल पद है।

(2) महाविद्यालय में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या पर निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण की गणना कर कुल आरक्षित पदों को महाविद्यालय में विषयवार विभाजित कर निर्धारित आरक्षण पूर्ण किया जायेगा।

(3) आरक्षण के सम्बन्ध में प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की गयी नीति का पालन किया जाना प्रत्येक प्रबन्ध स
का उत्तरदायित्व होगा। चयन के समय प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी
जाना होगा कि आरक्षण की व्यवस्था का अनुपालन किया गया है।

(4) आरक्षण के सम्बन्ध में एक रोस्टर पंजिका महाविद्यालय द्वारा तैयार की जानी होगी जो चयन के समय च
समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आरक्षित पदों के प्रति अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कदापि नहीं की जायेगी। आरक्षण नि
की अवहेलना होने पर महाविद्यालय प्रबन्ध तन्त्र उत्तरदायी होगा।

(6) रोस्टर अनवरत् चलता है। आगे जब भी सम्बन्धित विषय की रिक्ति भरी जायेगी, तब आज की भर्ती
रोस्टर बिन्दु के आगे से क्रमांकित में होगी।

3–चयन के सम्बन्ध में अन्य निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–

(1) चयन समिति के गठन के सम्बन्ध में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुक
एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 के उपबन्धों का पालन किया जाना हो
प्राचार्य एवं प्रवक्ता पदों पर चयन के सम्बन्ध में अर्हता आदि के लिए विश्वविद्यालय परिनियमावली
समय–समय पर निर्गत समस्त आदेशों का पालन किया जाना होगा।

(2) चयन समिति द्वारा संस्तुत किसी भी प्रवक्ता/प्राचार्य की नियुक्ति से पूर्व प्रबन्ध तन्त्र द्वारा विश्वविद्याल
कुलपति का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना होगा, प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुति को आवश्यक अभिलेखों
साथ कुलपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) यदि प्रबन्ध तन्त्र किसी शिक्षक के सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति से सहमत नहीं है तो प्रकरण
असहमति के कारणों के साथ कुलपति के सम्मुख अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) विज्ञापन में शैक्षिक अर्हता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा।

(5) चयन के सम्बन्ध में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्राप्त समस्त आवे
की एक सूची तैयार की जानी होगी तथा सूची के अन्त में प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा इस आशय
प्रमाण–पत्र देना होगा कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(6) चयनित अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन कराये जाने का दायित्व महाविद्यालय प्रबन्ध तन्त्र
होगा।

(7) कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये जाने के तिथि से सम्ब
प्रवक्ता/प्राचार्य को वेतन संदाय खाते से वेतन भुगतान कराये जाने के लिए अनुमोदन पत्र एवं सम्ब
शिक्षक के शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की सत्यापन आख्या निदेशक, उच्च शिक्षा को उपलब्ध करायी जा
तत्पश्चात् ही वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4–इन महाविद्यालयों में निश्चित मानदेय पर रखे गये अभ्यर्थियों को अन्य बातें समान होने पर नियमित
अधिमान दिया जायेगा, जिसमें–

(अ) प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा, साक्षा
में इनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के 5 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे बशर्ते कि निश्चित मानदेय पर का
अभ्यर्थी शासन/विश्वविद्यालय द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।

(ब) अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद पर चयन के मामले में केवल उन मानदेय प
अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जो आदेश के दिनांक या इससे पूर्व उक्त रूप में कार्यरत र
यह व्यवस्था स्थायी नही है अर्थात एक बार के लिए ही प्रदान की जा रही है।

(स) अधिमान प्रदान किये जाने का आशय कदापि यह नहीं है कि उसे नियमित चयन के लिए साक्षात्
बुलाया ही जाय।

5—प्रबन्ध समिति द्वारा विज्ञापन का प्रचार—प्रसार व्यापक रूप से किया जाना होगा तथा आवेदन के लिए आवेदन—पत्र का मूल्य उचित रखा जाना होगा। आवेदन—पत्र का मूल्य किसी भी दशा में लाभ अर्जित करने के लिए न रखा जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0 रामचन्द्रन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 463 (1)/XXIV (I)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, महामहिम कुलाधिपति, उत्तरांचल।
2. कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
3. कुल सचिव, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून, उत्तरांचल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।

संख्या 218/XXIV (५)/6 (76)06–2006

प्रेषक,

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांक : 05 अप्रैल, 2006

विषय : प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–296/15–19–95–3(2)/93, दिनांक 4 मार्च, 1995 तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्ट–1 व 2 के द्वारा, सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संख्या घोषित किये जाने हेतु मानक निर्धारित किये गये थे, राज्य गठन के उपरान्त पूर्व व्यवस्था प्रासंगिक न होने के कारण अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने का निर्णय नहीं लिया जा रहा था। अतः स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय पूर्व निर्धारित स्थान पर निम्नलिखित मानक निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु अब निर्धारित मानकों की पूर्ति करने वाले महाविद्यालयों को संलग्न परिशिष्ट–2 पर दिये गये निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र, निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल) को प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर अपनी संस्तुति सहित, आख्या शासन को निश्चित रूप से भेजेंगे, जिस पर शासन द्वारा गठित निम्नांकित समिति द्वारा विचार किया जायेगा और उक्त समिति अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत करेगी :–

(1) सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(2) सचिव, मुख्य मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव	सदस्य
(3) सचिव, न्याय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4) प्रदेश के किसी राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति (जो अल्पसंख्यक समुदाय का हो, यदि इस समुदाय का कोई भी व्यक्ति, कुलपति नहीं हो तो, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को जो "क" श्रेणी का अधिकारी हो, नामित किया जा सकता है)	सदस्य
(5) उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
(6) निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य

उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव समिति के संयोजक होंगे।

2–शासन द्वारा प्रस्ताव यदि स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृति संबंधी आदेश, संस्था/निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी/सम्बन्धित महाविद्यालय को भेजे जायेंगे और यदि प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है तो अस्वीकृति के कारण सहित संबंधित संस्था को अवगत कराया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
एस0 राजू,
सचिव।

3(1)/XXIV(6)/6 (76)06–2006, तद्दिनांक।

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

अध्यक्ष, उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल शासन।
सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन।
सचिव, न्याय, उत्तरांचल शासन।
निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
उत्तरांचल के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव।
उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।

आज्ञा से,
एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव।

संख्या 218/XXIV (6)/6(76)06–2006, दिनांक 05–04–2006

परिशिष्ट–1

के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने वाले मानक

1. ऐसी प्रत्येक संस्था के लिए, जो अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा करे, यह आवश्यक होगा कि वह संस्था के संविधान, मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन, नियमावली, महाविद्यालय की प्रशासन योजना तथा अन्य अभिलेख, निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन–पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करे। निदेशक, उच्च शिक्षा, शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर परीक्षण कर अपनी आख्या एवं संस्तुति सहित ऐसे आवेदन पत्रों को एक माह के भीतर शासन को भेजेंगे।

स्थापना का कारण — 2. संस्था की स्थापना धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा की गई हो, तथा संस्था धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशासन में हो।

शैक्षिक संस्था के प्रबन्ध तंत्र को विधिक स्तर प्राप्त होना चाहिये तथा "सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट" के अन्तर्गत निर्वाचित व्यक्तियों का एक समूह अथवा समष्टि के संकल्प सहित कोई संस्था होनी चाहिये। — सोसायटी का पंजीकरण

अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों तक ही सीमित नहीं होना चाहिये। अल्पसंख्यक संस्था धर्म व जाति के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी तथा बिना संरक्षक की राय के धार्मिक अनुदेश नहीं देगी तथा धार्मिक पूजा पाठ में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करेगी। — संस्था में प्रवेश

शैक्षिक संस्थाओं को अधिशासित करने का अधिकार तर्कसंगत नियमों के अधीन होना चाहिये। जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाएं कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे साम्प्रदायिक व सामाजिक सौहार्द में बाधा पहुँचे तथा संस्था अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अधिशासित होने के नाते विशेषाधिकार का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु नहीं करेगी। संस्था कुशल प्रशासन के सिद्धान्तों का अनुसरण करेगी और संस्था के शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही विषयक नियम, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप रखेगी। — संस्था का प्रबन्ध

6. (क)/ अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों की अपेक्षित अर्हतायें वही होंगी जैसी कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अन्तर्गत वर्णित है। नये महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

(ख) अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी अर्ह व्यक्ति को नियुक्त करने की छूट प्राप्त होगी, लेकिन शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों का चयन खुले विज्ञापन द्वारा उक्त अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।

(ग) किसी भी संस्था के अल्पसंख्यक घोषित हो जाने का आशय यह नहीं है कि उसे शासन से अनुदान की स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में अल्पसंख्यक एवं गैर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

7. नियम/विनियम इस प्रकार के नहीं होने चाहिए, जिससे कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार निष्प्रभावी हो जायें, उदाहरणार्थ :–

(क) ऐसी शर्त कि राज्य सरकार को संस्था के प्रबन्धन का कार्य अपने हाथ में लेने का अधिकार होगा।

(ख) यह कि राज्य सरकार को प्रबन्ध समितियां गठित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(ग) संस्था के प्रबन्धतन्त्र में अल्पसंख्यक समुदाय के बाहर के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना।

(घ) यह कि राज्य सरकार, संस्था से अपेक्षा करेगी कि सीटों को आरक्षित करे।

(ङ) यह कि संस्था के छात्र, उच्च शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करने के अयोग्य होंगे।

(च) यह कि सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि शिक्षण के माध्यम के रूप में किसी भाषा का प्रयोग हो।

8. किसी संस्था को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए शासन द्वारा गठित निम्नांकित समिति द्वारा विचार किया जायेगा, जो अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत करेगी :–

1.	सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव, मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव	सदस्य
3.	सचिव, न्याय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
4.	प्रदेश के किसी राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति (जो अल्पसंख्यक समुदाय का हो, यदि इस समुदाय का कोई भी व्यक्ति कुलपति नहीं हो तो, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को जो "क" श्रेणी का अधिकारी हो, नामित किया जा सकता है)	सदस्य

5. उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य — सदस्य

6. निदेशक, उच्च शिक्षा — सदस्य

उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव समिति के संयोजक होंगे।

9. शासन द्वारा लिये गये निर्णय से और यदि अस्वीकृति दी गई है तो अस्वीकृति के कारणों सहित सम्बन्धित संस्था को अवगत कराया जायेगा।

ादेश संख्या 218/XXIV (6)/6(76)06–2006, दिनांक 05–04–2006

परिशिष्ट–2

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप

महाविद्यालय का नाम ————————————————

पत्र व्यवहार का पता (मोहल्ला/ग्राम/तहसील, जनपद सहित) ————————————————

महाविद्यालय का स्थापना वर्ष ————————————————

शासन द्वारा अनापत्ति/प्रथम सम्बद्धता जारी किये जाने का दिनांक एवं राजाज्ञा संख्या ————————

किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों, समिति या ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया (उनका/उनके पूरे पते व नाम तथा समिति या ट्रस्ट की दशा में उसके मुख्य कार्यालय का पता) ————————————————

जिस लेख (डॉक्यूमेन्ट) द्वारा स्थापित किया गया है, उसका किस तिथि में और कहां पर पंजीकरण हुआ ————

समिति ट्रस्ट की दशा में उसके कुल सदस्यों की संख्या तथा प्रत्येक सदस्य, जिस धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग का हो, उसका उल्लेख ————————————————

यदि महाविद्यालय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा स्थापित हो, तो वह किस धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, का उल्लेख ————————————————

किस भावना तथा किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाविद्यालय की स्थापना की गई तथा सम्बन्धित लेख में क्या विवरण दिया हुआ है ————————————————

वर्तमान समय में महाविद्यालय किसके द्वारा संचालित है तथा सदस्य किस–किस धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के हैं ————————————————

भाषाई अल्पसंख्यक होने के दावे की दशा में उन आधारों का उल्लेख जिन पर दावा किया गया है ————

संस्था की प्रबन्ध समिति के भाषाई/धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों की संख्या ————————

महाविद्यालय के शैक्षिक, वित्तीय और प्रशासनिक प्रबन्ध की स्थिति ————————————————

महाविद्यालय के प्रवक्ताओं का विवरण (प्रवक्ताओं का नाम, प्रत्येक की योग्यता, चयन प्रक्रिया तथा नियुक्ति के वर्ष सहित) ————————————————

————————

प्रबन्धक के हस्ताक्षर

द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्न पत्रजात भी संलग्न किये जाये :–

संस्था के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

संस्था का संविधान, मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन, नियमावली एवं महाविद्यालय की प्रशासन योजना की प्रमाणित प्रतिलिपि।

संस्था के प्रबन्ध तंत्र के सदस्यों की सूची, उनके धार्मिक तथा भाषाई होने के विवरण सहित।

परिशिष्ट 1 में दिये गये मानकों के क्रम संख्या 4, 5 व 6 (क, ख व ग) के अनुपालन के सम्बन्ध में, आवेदक का शपथपत्र।

संख्या – 237 / XXVII (7) /2006

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,

प्रमुख सचिव, सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,

उच्च शिक्षा,

उत्तरांचल शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक : 08 दिसम्बर, 06

विषय :– अशासकीय महाविद्यालयों के सेवा–निवृत शिक्षकों को पेंशन हेतु विकल्प परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 196/15–19–97–3(25)/90 दिनांक 24 फरवरी, 1997 एवं शासनादेश संख्या : 1220/ XXVII (3) अ.आ. / 2005 दिनांक 18 जून, 2005 के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मी जो सी0पी0एफ0 योजना से आच्छादित थे तथा उक्त शासनादेश दिनांक 18 जून, 2005 (सत्रान्त अवधि 30–6–2005 तक) के जारी होने की तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे एवं उक्त शासनादेश जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर सी0पी0एफ0 योजना से जी0पी0एफ0 योजना के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प परिवर्तन नहीं कर पाये थे, उन्हें राज्यपाल महोदय सम्यक् विचारोपरान्त जी0पी0एफ0 योजनान्तर्गत राजकीय दर की पेंशन हेतु अपना विकल्प देने की एक और सुविधा शासनादेश जारी होने के 90 दिन के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. देय अंशदायी भविष्य निधि, जिसका भुगतान शिक्षक को ब्याज सहित किया जा चुका है, में से प्रबन्धकीय अंशदान मय ब्याज के तथा शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक ब्याज आगणित करके नियमानुसार सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा। इसके उपरान्त ही पेंशन का भुगतान संबंधित शिक्षक को अनुमन्य होगा।
2. यदि संबंधित शिक्षक इस आशय का प्रार्थना–पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा को दे दें कि सी0पी0एफ0 का प्रबन्धकीय अंशदान मय ब्याज और राजाज्ञा निर्गत होने की तिथि तक का ब्याज, पेंशन

3. लाभदायी योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा देय राहत, जिसका भुगतान संबंधित शिक्षक को किया जा चुका है, का भी समायोजन देय अवशेष पेंशन से कर लिया जायेगा।

4. राजकीय दर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विकल्प देने वाले शिक्षकों के पेंशन की गणना वास्तविक सेवा या अधिकतम 60 वर्ष की वय तक की गयी सेवा के आधार पर की जायेगी। यदि उन्हें 60 वर्ष की वय पर सेवानिवृत्त की सुविधा प्राप्त है। 60 वर्ष की वय के बाद की गई सेवा (जिसके अर्न्तगत सत्रान्त तक की गई सेवा, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है) तदर्थ रूप से या अनानुमोदित पदों पर की सेवाओं की गणना उक्त प्रयोजन हेतु नहीं की जायेगी।

5. शिक्षकों को राजाज्ञा निर्गत होने के 90 दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय का विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा निर्धारित शर्तों के अधीन प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

6. विकल्प तीन प्रतियों में निदेशक उ0शि0 अथवा उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी को संबंधित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दरों का निर्धारण तथा उस पर अनुमन्य राहत की दरें समय-समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार होगी और राज्य कर्मचारियों के संबंध में प्रवृत्त नियम/शासनादेश भी उक्त सीमा तक उन पर प्रवृत्त होंगे।

8. उक्त सुविधा केवल उन सेवानिवृत्त शिक्षकों को ही अनुमन्य होगी जो उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 1997 निर्गत होने की तिथि से इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हुए हैं।

9. सी0पी0एफ0 से पेंशन योजना के लिए विकल्प की यह सुविधा केवल एक बार ही अनुमन्य की जा रही है तथा इसके बाद यदि कोई कर्मी उक्त सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनके लिए इसके बाद किसी प्रकार का शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

10. शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 1997 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 237(1)/XXVII(7) /2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून।
3. दिनेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
4. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तरांच देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ट कोषाधिकारी, देहरादून।
6. उच्च शिक्षा अनुभाग।
7. रीजिनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तरांचल, देहरादून।
8. प्रधानाचार्य, डी.ए.बी./डी.बी.एस./एम.के.पी. पी.जी. कालेज देहरादून।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

टी0 एन0 सिंह

अपर सचिव

संख्या– 44/xxiv (7)/2008

प्रेषक,

अंजली प्रसाद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी–नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 6 नवम्बर 2008

विषयः– **अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1339/15–11–91–14(5)/73 दिनांक 23 मार्च 1991 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के समस्त नियमित रुप से कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (जिसमें प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) जो राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60 के अर्न्तगत स्थापित वेतन संदाय लेखे से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, पर संशोधित बचतमय सामूहिक बीमा योजना को निम्नवत् लागू किये जाने के आदेश दिये हैं:–

(1) उक्त नई योजना के अर्न्तगत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं शिक्षकों के लिये रु0 2100/–की धनराशि का प्रीमियम अर्धवार्षिक आधार पर लिया जायेगा तथा मृत्यु की दशा में उनके आश्रित/आश्रितों को रु0 3.50 लाख की बीमा राशि प्राप्त होगी।

(2) सभी तृतीय श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से रु0 1050/–की धनराशि का अर्धवार्षिक प्रीमियम लिया जायेगा तथा मृत्यु की दशा में उनके आश्रित/आश्रितों को रु0 1.75 लाख की बीमा राशि प्राप्त होगी।

(3) सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन से रु0 600/–की धनराशि का अर्धवार्षिक प्रीमियम लिया जायेगा तथा मृत्यु की दशा में उनके आश्रित/आश्रितों को रु0 1.00 लाख की बीमा राशि प्राप्त होगी।

(4) शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौतियों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निम्न सारणी के अनुसार समायोजित किया जायेगा:–

	जीएसएलआई योजना के [illegible]गत देय बीमा की राशि रुपये में	जीएस0एल0आई योजना में अर्धवार्षिक प्रीमियम की राशि रुपयों में	जीएसएलआई अर्धवार्षिक वचत प्रीमियम की राशि रुपयों में	सामुहिक बीमा योजना में बीमा की राशि हजार रुपयों में	सामुहिक बीमा योजना में वचतमय धनराशि रुपयों में	कुल बीमा की धनराशि लाख रु0 में	कुल अर्धवार्षिक प्रीमियम जो जिसके वेतन से कटौती की जायेगी रुपयों में
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.00 लाख	900	1050	50.00	150	3.50 लाख	2100
	1.25 लाख	375	525	50.00	150	1.75 लाख	1050
	0.50 लाख	150	300	50.00	150	1.00 लाख	600

(5) बचत निधि मे जमा धनराशि पर 9.5 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जोडा जायेगा। यह राशि मृत्यु की दशा में नामित व्यक्ति को बीमा धन के साथ भुगतान की जायेगी।

(6) उक्त संस्तुत योजना दिनांक 1–06–2008 से लागू होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमानुसार प्रीमियम की राशि अग्रिम की जाती है। इसलिये संस्तुत प्रीमियम की कटौती सम्बन्धित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के माह मई 2008 के वेतन से की जायेगी ।

(7) इस योजना के अर्न्तगत देय प्रीमियम की धनराशि का भुगतान महाविद्यालयों द्वारा सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन प्रकाश) 16/90 महात्मा गॉधी मार्ग कानपुर को प्रत्येक महाविद्यालय निम्न प्रारुप में विवरण अंकित करते हुय उपलब्ध करायेंगे:–

प्रारुप

क्र0	नाम	पदनाम	श्रेणी	जन्मतिथि	सेवा में सम्मिलित होने की तिथि	योजना में सम्मिलित होने की तिथि	प्रीमियम के लिये कटौती की धनराशि

(8) 01–06–2008 एवं उसके बाद होने वाली सभी मृत्यु एवं सेवानिवृत्त दावे सम्बन्धित महाविद्यालय से सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन एवं सामुहिक बीमा योजना शाखा (जीवन प्रकाश) 16/90 महात्मा गॉधी मार्ग कानपुर को एक माह के भीतर प्रेषित करेंगे।

(9)समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रबन्धकों को निदेशित कर दिया जाय कि वे महाविद्यालय में शासन/ निदेशालय द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से माह मई 2008 के वेतन से नियमित कटौती प्रारम्भ करके कटौती की राशि उपर्युक्त विन्दु संख्या–7 पर दिये गये प्रारुप के अनुसार चेक/ड्राफ्ट द्वारा निगम के पक्ष में निर्गत करें।

(10) आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त संशोधित बचत एवं सामुहिक बीमा योजना के सम्बन्ध में सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रबन्धकों को शासन के उक्त निर्णय से अवगत कराते हुये योजना के सक्रिय क्रियान्वयन हेतु तत्परता से

अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा समस्त सम्बन्धितम प्राचार्यों एवं प्रबन्धकों को नियमित कटौती एवं कटौती की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम की सामुहिक बीमा शाखा, कानपुर को समय पर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी बनायें।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 152(NP)/XXVii (3)/2008 दिनांक मई 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अंजली प्रसाद
सचिव

संo (1)/ xxiv (7)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तराखण्ड।।
5– लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/उप निदेशक,उच्च शिक्षा,शिविर कार्यालय, देहरादून
7– उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन।
8– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
9– शाखा प्रवन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं समूह विकास शाखा, जीवन विकास 16/90 महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर ।
10– समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य(निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से)
11– कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
12– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

ढुन्दुधर बौड़ाई
अपर सचिव

प्रेषक,

निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक डिग्री अर्थ/ /2008-09 दिनांक /5 नवम्बर, 2008

विषयः अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 44/XXIV(7)/2008 दिनाक 06 नवम्बर, 2008 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के समस्त नियमित रूप से कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी (जिसमें प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी सम्मिलित हैं), जो राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60 के अन्तर्गत स्थापित वेतन संदाय लेखे से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, पर संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना को लागू किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

शासनादेशानुसार प्राचार्यो एवं शिक्षकों के लिए प्रीमियम अर्द्धवार्षिक आधार पर रू0 2100/-, सभी तृतीय श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए यह राशि रू0 1050/-एवं सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रू0 600/-अर्द्धवार्षिक की दर से निर्धारित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियमों की धनराशि का भुगतान महाविद्यालयों द्वारा सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन प्रकाश), 16/90, महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर को शासनादेश में उपलब्ध कराये गये प्रारूप में विवरण अंकित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि वे महाविद्यालय में शासन/निदेशालय द्वारा स्वीकृत पद के प्रति नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से नियमित कटौती की राशि निर्धारित प्रारूप में चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से निगम के पक्ष में शासनादेशानुसार निर्गत करना सुनिश्चित करें।

नियमित कटौती एवं कटौती की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा शाखा, कानपुर को समय से भुगतान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य उत्तरदायी होगें।

संलग्नक-यथोक्त। भवदीय,

एम0सी0पाण्डे
प्राचार्य,एम0बी0हल्द्वानी,
कृते निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)।

पृ0सं0 डिग्री अर्थ/ 7073-91 /2008-09 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा/उधमसिंहनगर/हरिद्वार।

एम0सी0पाण्डे
प्राचार्य,एम0बी0हल्द्वानी,
कृते निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)।

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय,
____

पत्रांक : शि0का0(उ0शि0) / / नियुक्ति /2011-12 दिनांक 19 जुलाई, 2011
विषय : **शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के रिक्त पदों के प्रति आरक्षण की पूर्ति किये जाने सम्बन्धी।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-शि0का0 (उ0शि0)/1499-1514/2010-11 दिनांक 03 मार्च 2011 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के रिक्त पदों के प्रति आरक्षण की पूर्ति किये जानें एवं रोस्टर पंजिका तैयार कर, अवलोकनार्थ निदेशालय एवं शिविर कार्यालय, देहरादून को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में कतिपय महाविद्यालयों व्दारा रोस्टर पंजिका की प्रतियां उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी को उपलबध कराई गई हैं, परन्तु प्राप्त रोस्टर पंजिकाओं का परीक्षण करने पर रोस्टर पंजिकायें विधिवत रुप से निर्मित नहीं की गई हैं।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालयों व्दारा आरक्षण सम्बन्धी नियमों का विधिवत रुप से पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि शासन के आदेशों की घोर अवहेलना है। इस सम्बन्ध में शासन एवं उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग व्दारा इस पर कड़ी आपत्ति प्रकट की गई है।

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालय से सम्बन्धित रोस्टर पंजिका विधिवत रुप से तैयार कर, जिसमें पूर्व का अपूर्ण आरक्षण सम्मिलित हो, रोस्टर पंजिका की एक-एक प्रति उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी एवं उप निदेशक (उच्च शिक्षा), शिविर कार्यालय, देहरादून को अनिवार्य रुप से दिनांक 14 अगस्त, 2011 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी कम में यह सूच्य है कि यदि किसी महाविद्यालय व्दारा शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के रिक्त पदों के प्रति नियुक्ति हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई हो तो वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके व्दारा प्रकाशित विज्ञप्ति में बैकलॉग आरक्षण सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं। यदि सम्बन्धित महाविद्यालय व्दारा बैकलॉग आरक्षण कों सम्मिलित नहीं किया गया है तो वे बैकलॉग आरक्षण को सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित पदों को समाचार-पत्रों में पुनः अवश्य विज्ञापित कर लें साथ ही प्रकाशित विज्ञापनों की एक-एक प्रति उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी एवं शिविर कार्यालय, देहरादून को भी अवलोकनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में किसी महाविद्यालय व्दारा आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन न किये जाने का प्रकरण निदेशालय के संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए सम्बन्धित महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के विरुध्द यथोचित कार्यवाही का प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जायेगा। कृपया प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नगत प्रकरण का शत-प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डॉ0 एम0सी0त्रिवेदी
निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तराखण्ड, शिविर कार्यालय,
देहरादून।

पृ0सं0 : शि0का0(उ0शि0)/440-56/2011-12 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : उप निदेशक (उच्च शिक्षा), शिविर कार्यालय, देहरादून में उपरोक्त के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तराखण्ड,

संख्या–3339/तैंतालिस 1–92–37(1)/84

प्रेषक,

श्री शंकर लाल पाण्डेय
संयुक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 1993

विषयः– अभिलेखों का निर्दान

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः 3657/तैंतालीस–1–37(1)/1984, दिनांक 7–1–1985 के साथ शासन ने मुख्य निरीक्षक राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा तैयार की गई अभिलेखों की एक ऐसी सूची निर्गत की थी जो लगभग सभी कार्यालयों में सामान्यतः रखे जाते हैं। इस सूची में यह बताया गया था कि विभिन्न अभिलेखों को कितनी अवधि तक सुरक्षित रखा जाय। अब यह आवश्यक समझा गया है कि इस सूची को अद्यावधिक किया जाय। अतः उक्त सूची को मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय से अद्यावधिक तथा संशोधित करा लिया गया है। इसकी एक प्रति संलग्न है।

2– मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि जिन कार्यालयों में निर्दान नियम विद्यमान न हो अथवा जिनमें ये नियम आलेख रूप में हों तो अपने निर्दान नियमों को अन्तिम रूप देने के लिए संलग्न सूची का उपयोग कर लें और जिन कार्यालयों में निर्दान नियम है वें इस सूची की सहायता से अपने नियमों को अद्यावधिक बना लें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

शंकर लाल पाण्डेय,
संयुक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

संख्या–3339(1)/तैंतालिस 1–92–37(1)/84 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ सचिवालय के समस्त अनुभागों को प्रेषित।

आज्ञा से

शंकर लाल पाण्डेय,
संयुक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव

निरीक्षणालय द्वारा संस्तुत सामान्य अभिलेखों की वीडिंग हेतु निर्धारित समय/अवधि

अभिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/ नष्ट किया जाय	विशेष टिप्पणी
2	3	4
सामान्य पत्र व्यवहार		
उपस्थिति पंजी (प्रान्तीय फार्म नं0 161)	एक वर्ष।	
आकस्मिक अवकाश पंजी (एम0जी0ओ0 1981 संस्करण, पैरा 1086)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद।	
•आडिट महालेखाकार/विभागीय आन्तरिक लेखाधिकारी द्वारा की गई पत्रावलियां	आपत्तिओं के अन्तिम समाधान के बाद अगले आडिट होने तक	
आय-व्यय अनुमान की पत्रावलियां	दस वर्ष	
सरकारी धन, भण्डार का अपहरण, कमी, निष्प्रयोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि सम्बन्धी पत्रावलियां	अन्तिम निर्णय व वसूली, राइट आफ पश्चात् तीन वर्ष।	
डेड स्टाक, क्षयशील/उपभोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गई पुस्तकों आदि के पत्र व्यवहार संबंधी पत्रावलियां।	स्टाक बुक में प्रविष्टि विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्संबन्धी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात् एक वर्ष।	
निरीक्षण टिप्पणियां एवं उनके अनुपालन संबंधी पत्र व्यवहार की पत्रावलियां	उठाये गये बिन्दुओं दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक।	
अधिकारों के मांग के प्रस्ताव एवं अधिकारों के प्रति निधायन (डेलीगेशन आफ पावर्स) के आदेशों से संबंधित पत्रावलियां।	स्थाई रूप से।	
प्रपत्रों के मुद्रण संबंधी पत्रावलियां	आडिट आपत्तियों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् एक वर्ष।	
लेखन सामग्रियों/प्रपत्रों के मांग-पत्र (इन्डेन्ट) स्टेशनरी मैनुअल का पैरा 37 तथा 39 (क्रमशः प्रान्तीय प्रपत्र 173 तथा 174)।	तीन वर्ष तक	
दौरों के कार्यक्रम तथा टुअर डायरी यदि कोई निर्धारित हो	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद जो भी पहले हो किन्तु यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टियों से सम्बन्धि हों तो उसे प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण के एक वर्ष बाद।	
विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट	वर्षवार एक प्रति स्थाई रूप से सुरक्षित रखी जायेगी। शेष प्रतियां पांच वर्ष तक।	
वार्षिक प्रतिवेदन के संकलन हेतु एकत्रित/प्राप्त सामग्रियां तथा उनकी पत्रावली	प्रतिवेदन छपने/प्रकाशित हो जाने के एक वर्ष।	
सम्मेलनों/गोष्ठियों/मीटिंगों का कार्यवृत्त	एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाय शेष तीन वर्ष तक।	
ान सभा/विधान परिषद्/लोक सभा/राज्य ःभा के प्रश्नों की पत्रावलियां।	पांच वर्ष किन्तु आश्वासन समितियों को दिये आश्वासनों की पूर्ति के पांच वर्ष बाद।	
नेयमावलियां, नियम, विनियम, अधिनियम, प्रक्रिया ःरिपाटी पद्धति तथा उनकी व्याख्या संशोधन तथा ानकी पत्रावलियां	स्थाई रूप से।	
ार्य के मानक/स्टैन्डर्ड/नाम निर्धारण संबंधी ासकीय एवं विभागीय आदेश	स्थाई रूप से।	
ाडिग शेड्यूल/अभिलेख नियंत्रण नियम/सूची	पुर्नसंशोधन रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति स्थायी रूप से तथा शेष तीन वर्षो तक।	
ासनादेशों/विभागीय आदेशों की गार्ड फाइलें	स्थायी रूप से।	

20	प्राप्त एवं प्रेषण पंजी (प्रान्तीय फार्म नं0 19)	पच्चास वर्ष तक।
21	पत्रावली पंजी/फाइल रजिस्टर/इन्डेक्स रजिस्टर (प्रशासकीय प्रपत्र 20, 21, 28 आदि)।	रजिस्टर में दर्ज अस्थाई रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्ट कर दिये जाने तथा स्थाई रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद।
22	स्थायी पत्रावलियों का रजिस्टर	स्थाई रूप से।
23	पीयून बुक (प्रान्तीय फार्म नं0 51)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक।
24	चालान वही (इनवायस) (प्रान्तीय फार्म नं0 61)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक।
25	आवधिक/सामयिक विवरण–पत्रों का रजिस्टर सूची (लिस्ट आफ पीरियाडिकल रिपोर्टस एण्ड रिटर्न्स)	समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक।
26	सरकारी डाक टिकट पंजी (प्रान्तीय फार्म नं0 52)	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें अंकित अवधि की आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात् एक वर्ष।
27	शिकायती पत्रों की पंजी (एम0जी0ओ0 वर्ष 1981 संस्करण का पैरा 772 (7)	दर्ज पत्रों के अन्तिम निस्तारण हो जाने या समाप्त हो जाने पर अवशेष का दूसरे रजिस्टर में उतार लेने के बाद।
28	सरकारी गजट	डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालयों को छोड़कर जहां गजट स्थायी रूप से रखा जाता है शेष कार्यालयों में बीस वर्ष तक।
29	सरकारी वाहनों की लागबुक तथा रनिंग रजिस्टर	वाहन के निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम द्वारा निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के पश्चात् एक वर्ष बाद तक यदि कोई आडिट या निरीक्षण की आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो।
30	समाप्त पंजियों की पंजी (रजिस्टर आफ कम्प्लीटेड रजिस्टर्स)	किसी एक खण्ड में दर्ज सभी पंजियों को नष्ट कर देने के बाद या कुछ अवशेष पंजियों की दूसरे रजिस्टर में उतार लिये जाने के तीन वर्ष बाद।
31	अनिस्तारित पत्रों की सूची/रजिस्टर (लिस्ट आफ पेंडिंग रेफरेन्सेज)	रजिस्टर समाप्त होने पर अवशेष अनिस्तारित पत्रों को दूसरे रजिस्टर पर उतार कर सत्यापन कराने के एक वर्ष बाद।
32	अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण से संबंधित पत्रावली एवं रिकार्ड	समस्त वाद, अपील एवं प्रत्यावेदन के अंतिम निस्तारित होने के 10 वर्ष बाद
33	प्रशिक्षण के संबंधित पत्रावलियां	5 वर्ष।
34	शार्ट हैण्ड नोट	एक वर्ष।
35	टाइप राइटर रजिस्टर एवं पत्रावलियां	निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने तथा अन्तिम निस्तारण एवं महालेखाकार, उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।
36	साइकिल मरम्मत रजिस्टर एवं पत्रावलियां	निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने तथा अन्तिम निस्तारण एवं महालेखाकार, उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।

<u>स्थापना/अधिष्ठान–2</u>

1	कर्मचारियों/अधिकारियों की निजी पत्रावलियां (पर्सनल पत्रावलियां)	पेंशन की अन्तिम स्वीकृति के पश्चात् पांच वर्ष तक।	निजी पत्रावलियां व्यक्ति के स्थानान्तरण के साथ इसी प्रकार एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित की जानी चाहिए जैसे सेवा पुस्तिकायें तथा गोपनीय आख्याएं आदि स्थानान्तरित की जाती हैं।

2	अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु मांगे गये प्रार्थना–पत्रों/प्राप्त आवेदन–पत्रों की पत्रावलियां	पांच वर्ष (चुने गये/नियुक्ति किये गये व्यक्तियों के प्रार्थना–पत्रों को छोड़कर जो स्थाई रूप से वैयक्तिक पत्रावली में रखे जायेंगे।
3	वाहन, साइकिल गृह निर्माण, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि आदि या इसी प्रकार के अन्य अग्रिमों से संबंधित पत्रावलियां	अग्रिम की राशि ब्याज सहित यदि कोई हो तो उसके भुगतान के पश्चात एक वर्ष।
4	इनवैलिड पेंशन स्वीकृति के मामलों की पत्रावलियां	पच्चीस वर्ष तक।
5	कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (डिपुटेशन पर नियुक्ति संबंधी पत्रावलियां)	पेंशन ग्रेच्युटी, आदि की स्वीकृति के पांच वर्ष बाद।
6	ग्रेडेशन सूची	स्थाई रूप से
7	सेवा पुस्तिकायें/सेवा नामावलियां	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड दो, भाग–2 से 4 के खण्ड नियम 136–ए के अनुसार।
8	शपथ/निष्ठा पंजी (रजिस्टर आफ ओथ आफ ऐलिजियेन्स) राजाज्ञा संख्या– 3105/दो–बी –163–52 दिनांक 23–1–54 तथा संख्या–1221 /दो–बी–163/64 दिनांक 15–5–64।	नवीन रजिस्टर में प्रविष्टियां नकल करके उन्हें सत्या करा लिये जाने के बाद।
9	स्थापना आदेश पंजी (इस्टैब्लिशमेन्ट आर्डर बुक) राजाज्ञा संख्या–ए–1792/दस–तीन–1929 दिनांक 11–4–30	स्थायी रूप से
10	स्थापना का वार्षिक संख्यात्मक विवरण (राजाज्ञा सं0 ए–5641/दस–15/7/62 दिनांक 24–2–65 द्वारा निर्धारित)।	तदैव
11	गोपनीय चरित्रावलियां/गोपनीय आख्याएं	सेवा निवृत्त/पद–त्याग या समाप्ति के तीन वर्ष बा
12	सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के जमानती बाण्ड (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच, भाग–एक का पैरा 69–73)	सरकारी कर्मचारियों के पद छोड़ने के दस वर्ष बाद। (1) मूल पत्र व्यवहार 10 वर्ष बाद। (2) वार्षिक सत्यापन का पत्र–व्यवहार सत्यापन के तु
13	पंजी जमानत (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच, भाग एक का पैरा 69–73)	पैरा 73 वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच, भाग–एक पद छोड़ने के 6 माह बाद या नए रजिस्टर में प्रविष्टियां लेने के बाद।
14	पेंशन ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन आदि की पत्रावली	सेवा निवृत्ति व भुगतान के पश्चात् दस वर्ष।
15	पारिश्रमिक/पारितोषिक स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावलियां	भुगतान, आडिट आपत्ति के अन्तिम निस्तारण तथा चरित्रावली में प्रविष्टि के एक वर्ष बाद।
16	राजकीय कर्मचारियों के पूर्व चरित्र का सत्यापन (वैरिफिकेशन आफ कैरेक्टर एण्ड ऐन्टीसीडेन्ट्स)	सेवा निवृति के पांच वर्ष बाद तक।
17	विभिन्न पदों के सृजन सम्बन्धी पत्र–व्यवहार की पत्रावली	पद का सृजन स्वीकृत होने पर स्थायी रूप से अन्यथा
18	नई मांगों की अनुसूची सम्बन्धी पत्रावली	सूची की एक प्रति स्थाई रूप से रखी जाएगी। शेष स्वीकृति/अस्वीकृति के तीन वर्ष बाद तक।
19	वार्षिक वेतन वृद्धि/दक्षता रोक नियंत्रण पंजी	रजिस्टर समाप्त होने के पांच वर्ष बाद। यदि किसी वेतनवृद्धि या दक्षता रोक का मामला अनिस्तारित या आडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो।
20	पेंशन कन्ट्रोल रजिस्टर। (राजाज्ञासंख्या सं0जी–2–3994/दस–927 –1958, दिनांक 10–2–64 में निर्धारित)।	रजिस्टर में दर्ज सभी मामलों का अन्तिम निस्तारण रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष बाद।
21	अनुशासनिक कार्यवाही रजिस्टर राजाज्ञा (संख्या 1284/दो–वी–99–60, दिनांक 11–4–1961 में निर्धारित)	सभी दर्ज मामलों का अन्तिम निस्तारण हो जाने व समाप्त हो जाने के पांच वर्ष तक।

22	प्रत्यावेदन/अपील नियंत्रण पंजी (राजाज्ञा सं0 7–2–1975–नियुक्ति (3) दिनांक 04–7–73)	सभी दर्ज प्रत्यावेदन/अपीलों के अन्तिम निस्तारण के पांच बाद।
23	भविष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर	
	(1) लेजर	सभी दर्ज कर्मचारियों के सेवा निवृत्त के पांच वर्ष बाद, यदि भुगतान के मामले अवशेष न रह गये हों।
	(2) ब्राडशीट	तदैव
	(3) इण्डेक्स	तदैव
	(4) पास बुकें	तदैव (सेवा निवृत्ति के बाद सम्बन्धित कर्मचारी को उसकी प्रार्थना पर दे दी जाय)।
24	मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावली	सभी मामलों में नियुक्ति आदेश की प्रति वैयक्तिक पत्रावली रखे जाने के 10 वर्ष बाद।
25	सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से हुई नियुक्ति	10 वर्ष।
26	तैनाती/स्थानान्तरण से सम्बन्धित पत्रावलियां	5 वर्ष।
27	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति	महालेखाकार, उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।
28	विभागीय चयन समिति से सम्बन्धित पत्रावली	समस्त वाद, अपील एवं प्रत्यावेदन के अन्तिम निस्तारित ह के 10 वर्ष बाद।
29	गर्मियों के लिए वाटर मैन की नियुक्ति	महालेखाकार, उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।
30	गर्मियों एवं सर्दियों की वर्दी	महालेखाकार, उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।

लेखा–3

1	यात्रा भत्ता प्रकरण	आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद।
2	टी0ए0 बिल तथा टी0ए0 चेक रजिस्टर (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच, भाग–एक का पैरा 119)।	आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद।
3	बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राशियों की पत्रावली	महालेखाकार से अन्तिम सत्यापन व समायोजन हो जाने के एक वर्ष बाद।
4	प्रासंगिक व्यय पंजी (कन्टिनजेन्ट रजिस्टर) (वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच, भाग–एक का पैरा 173)।	आडिट के पांच वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो।
5	वेतन बिल पंजी तथा भुगतान पंजी (एक्वीटेन्स रोल) (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग एक का) पैरा 138 फार्म 11–बी।	पैंतीस वर्ष वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच भाग एक का पैरा 86 परिशिष्ट 16 के अनुसार।
6	बिल रजिस्टर 11–सी, वित्तीय नियम–संग्रह खण्ड पांच भाग एक का पैरा 139।	आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद।
7	कैश बुक	आडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई आडिट आ[illegible] निस्तारण हेतु अवशेष न हों।
8	ट्रेजरी बिल रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या 2158/सोलह (71)/68 –डी0टी0, दिनांक 7–5–70 द्वारा निर्धारित)।	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो।
9	रेलवे रसीद रजिस्टर (आर0आर0 रजिस्टर)	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद, यदि को आडिट आपत्ति शेष न हो।
10	टेलीफोन ट्रंककाल रजिस्टर	पूर्ण होने तथा आडिट आपत्ति न होने तथा कोई बिल भुग हेतु शेष न होने की दशा में एक वर्ष।
11	मासिक व्यय पंजी/पत्रावली	व्यय के महालेखाकार के सत्यापन तथा अन्तिम समायोजन पश्चात् दो वर्ष।

12	बिल इनकैशमेन्ट पंजी (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच, भाग–एक का पैरा 47–ए)।	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो और न तो किसी धनराशि अपहरण, चोरी, डकैती आदि की घटना घटी हो। महालेखाकार के आडिट की आपत्तियों के निस्तारण के पांच वर्ष बाद।
13	पी०एस०आर० (पेइज स्टेम्प्ड रसीद रजिस्टर) (राजाज्ञा संख्या ए–1–150/दस–10(2)/60 दिनांक 28–4–69 तथा ए–1–2878/दस–15(5)–78) दिनांक 10–1–79	
14	टी०ए० कन्ट्रोल रजिस्टर	समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद यदि निर्धारित एलाटमेन्ट व्यय किये जाने का मामला विभागाध्यक्ष/शासन के न हो।
15	रसीद बुक ईशू रजिस्टर (ट्रेजरी फार्म नं० (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड– पांच भाग–एक 26)	दस वर्ष यदि किसी रसीद बुक के खो जाने या धन के मामले अनिस्तारित न हो तथा महालेखाकार का आडिट हो।
16	परमानेन्ट एडवान्स रजिस्टर (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग–एक का पैरा 07 (5)।	स्थायी रूप।
17	वैल्यूएबिल रजिस्टर (वित्तीय नियम–संग्रह खण्ड पांच भाग–एक का पैरा 38)।	तदैव
18	डुप्लीकेट की (Key) रजिस्टर (वित्तीय नियमसंग्रह खण्ड पांच भाग–एक का पैरा 28 नोट (1)	स्थायी रूप से
19	आवासीय भवनों का किराया पंजी (फार्म 27) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग–एक का पैरा 265)	रजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष यदि कोई अवशेष वसूली का प्रकरण या आडिट आपत्तियों का निस्तारण हो
20	महालेखाकार, उ०प्र० से प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों का समाधान।	आकड़ों के पूर्ण सत्यापन मिलान एवं एप्रोप्रिएशन ए… अन्तिम करने के पश्चात् 2 वर्ष।
21	राइट आफ हानियां	महालेखाकार, उ०प्र० का आडिट हो जाने के 3 वर्ष यदि कोई प्रकरण लम्बित न रह गया हो।
22	सरकारी धन और भण्डार के दुर्विनियोग और गबन	प्रकरण के पूर्ण अन्तिम निस्तारण हो जाने एवं महा… उ०प्र० का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।
23	आवास भत्ता एवं अन्य भत्ता	महालेखाकार उ०प्र० का अडिट हो जाने के 3 वर्ष…
24	भूमि तथा भवन पंजी (वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड –5 भाग–1 के प्रस्तर 265(ए) में निर्धारित।	स्थायी रूप से।

आर०सी० बाजपेई,

उप मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय
कृते मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

19	डुब्लीकेट की (चाबी) रजिस्टर (वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच, भाग–1 का पैरा 20, नोट)(1)	स्थाई रूप से
20	आवासीय भवनों की कियायापंजी के फार्म 27 (वित्तीय नियम–संग्रह खण्ड पांच, भाग–एक का पैरा, 265)	रजिस्टर समाप्त होने के पर तीन वर्ष यदि अवशेष प्रकरण या आडिट या आपत्तियों का निस्तारण अवश…

टी०एन० श्रीवास्तव,
उप मुख्य निरीक्षक,
कृते मुख्य निरीक्षक, राजकीय
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

परिशिष्ट–1 (पत्रावली छटनी रिजस्टर)

अनुभाग का नाम :

छटाई करने वाले लिपिक का नाम :

छटाई का विवरण :

दिनांक	पत्रावली सं0 जिसकी छटनी की	विषय	छटनी का विवरण	सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर जिसने छटनी की हो	अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर जिसने जांच की	अधिकारी के हस्ताक्षर जिसने छटनी की अनुमति दी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रेषित दिनांक .... लिपिक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–2 (छटनी की गई पत्रावली की पर्ची)

नाम सहायक जिसने छटनी की हो :

छटनी किये जाने की तारीख :

मैंने इस पत्रावली की भली भांति परीक्षण कर लिया है। इस नियमावली के अनुसार यह पत्रावली बिलकुल बेकार है और छटनी की जाती है।

हस्ताक्षर

परिशिष्ट–3

में छटनी की गई पत्रावली की पाक्षिक रिपोर्ट

अनुभाग /पक्ष/प्रथम/द्वितीय माह

अनुभाग प्रभारी का नाम प्रस्तुत करने की तारीख

लिपिक का नाम	वेतन क्रम	पक्ष में छटनी की गई पत्रावलियों की संख्या	टिप्पणी

छटाई की गई पत्रावलियों का योग हस्ताक्षर अनुभाग प्रभारी

परिशिष्ट–4

पत्रावली संख्या :

परीक्षण की तिथि :

पत्रावली बन्दी होने की तिथि :

पत्रावली को सुरक्षित रखने की अवधि

छटनी की तिथि :

हस्ताक्षर लिपिक परीक्षक

संख्या 2638(1)/पन्द्रह(15)/94

प्रेषक, श्री एम. रामचन्द्रन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
कुलपति,
समस्त विश्वविद्यालय राज्य,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-15 लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 1994

विषय : राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं पर मैचिंग ग्राण्ट।

महोदय,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालयों की जिन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती हैं, उनमें से कतिपय योजनाओं में शैक्षिक/तकनीकी पद भी स्वीकृत किये जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो पद स्वीकृत किये जाते हैं उनका व्यय-भार उस योजना काल में आयोग स्वयं वहन करता है और राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता है कि वह इस आशय की वचनबद्धता दे कि योजना काल की समाप्ति के उपरान्त राज्य सरकार उन पदों पर होने वाला व्यय भार स्वयं वहन करेगा। इस प्रकार एक ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए राज्यांश उपलब्ध कराया जाना होता है तथा दूसरी ओर योजना से सम्बन्धित जो पद स्वीकृत किये जाते हैं उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए इसके लिये राज्य सरकार की ओर से यह वचनबद्धता देनी होती है कि अगली पंचवर्षीय योजना काल में शतप्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

2. मुझे इस सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की जिन योजनाओं को स्वीकार करते हुए अनुदान देगा राज्य सरकार भी उन योजनाओं को स्वीकार करते हुए अयोगांश के विरूद्ध राज्यांश उपलब्ध करायेगी और पदों के सम्बन्ध में वचनबद्धता देगी।

3. प्रायः यह देखने में आया है कि विश्वविद्यालय से यू0जी0सी0 योजना के अन्तर्गत आवर्तक अनुदान के अधिकांश मामले शासन को विलम्ब से प्राप्त होते हैं जिसके फलस्वरूप यू0जी0सी0 की सहायता का लाभ अल्पावधि तक ही मिल पाता है।अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में शासन द्वारा राज्यांश तभी उपलब्ध कराया जायेगा जब यू0जी0सी0 से प्राप्त आवर्तक अनुदान का लाभ सामान्यतः 5 वर्षों के लिए उपलब्ध हो सके।

4. अतः कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें तथा शासन को समय से अवगत करायें। ऐसी योजनाओं की विस्तृत सूचना भी शासन को अपने प्रस्तावों के साथ प्रेषित करें।

5. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-11/2448/दस-94 दिनांक 23 जुलाई, 1994 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
एम. रामचन्द्रन
सचिव।

संख्या-2638(1)/पन्द्रह (15)/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
5. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
7. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
सी.पी. पालीवाल
विशेष सचिव।

संख्या : 2216/सत्तर-1-98-15(1)/95

प्रेषक,

श्री हेमन्त राव,
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 18 जन. 1999

विषय : विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सेवा शर्तें।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों के विषय में, जिन पर उपर्युक्त नियम लागू हैं, निम्नलिखित निर्देश इस प्रतिबन्ध के साथ देते हैं कि राज्य सरकार किसी कुलपति के मामले में इन परिलब्धियों तथा शर्तों में परिवर्तन कर सकेगी।

क- प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति हेतु आयु सीमा अधिकतम अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष होगी। नियुक्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात् एक माह की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति पर श्री कुलाधिपति द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा।

ख- कार्यावधि के पश्चात् कुलपति की उसी विश्वविद्यालय में पुनर्नियुक्ति को इस शर्त के अधीन प्रतिबन्धित किया जाता है कि यदि सर्च कमेटी द्वारा कुलपति को पुनर्नियुक्ति हेतु किसी अन्य विश्वविद्यालय में पैनल में रखा जाता है तो कुलाधिपति महोदय उस पर विचार कर सकते हैं।

2- **कुलपतियों के वेतन एवं भत्ते**

कुलपतियों को वेतन और भत्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होंगे।

क- कुलपतियों को चालक सहित वाहन अनुमन्य होगा। वाहन पर वार्षिक व्यय सचिव/प्रमुख सचिव के लिए निर्धारित बजट की सीमा से बढ़कर नहीं होगा और इस सीमा के बीच यदि विश्वविद्यालय कोई अन्य सीमा निर्धारित करना चाहें तह अनुमन्य होगी।

ख- कुलपतियों को आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। परन्तु उनमें विद्युत एवं जलकर सम्मिलित नहीं होगी। आवास की मरम्मत एवं साज-सज्जा पर व्यय शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत ही होगा।

ग- कुलपतियों को विश्वविद्यालय के कर्तव्यों के सम्बन्ध में की जाने वाली यात्राओं पर शासन के सचिव स्तर के अधिकारी को अनुमन्य यात्रा भत्ता के समतुल्य यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।

4- कुलपतियों को उनके तीन वर्ष के पूरे कार्यकाल पूर्ण वेतन एवं भत्तों सहित अधिकतम तीन माह का अवकाश इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि एक कैलेण्डर वर्ष में उनको (अधिकतम) 30 दिनों से अधिक का अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा।

5- विश्वविद्यालय के कार्य से यदि कुलपति मुख्यालय के बाहर रहते हैं तो उनको मुख्यालय छोड़ने के सम्बन्ध में कुलाधिपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर इसकी सूचना शासन (उच्च शिक्षा विभाग) को भी उपलब्ध करवायेंगे। यह अनुमति कर्तव्य अवकाश अथवा सेमिनार, कान्फ्रेंस तथा अन्य गोष्ठी आदि में भाग लेने के समय भी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6- गोष्ठी आदि में भाग लेने के लिए अनुपस्थित दिवसों की संख्या कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों से अधिक नहीं होगी। एक माह का अवकाश और एक माह का सेमिनार कान्फ्रेंस, गोष्ठी में भाग लेने से दो माह की अनुपस्थित हो जायेगी।

7- कुलपति एवं विश्वविद्यालय के बीच कुलपति की नियुक्ति के समय एक अनुबन्ध स्थापित किया जायेगा जिसकी शर्तों आदि के से कुलपति विधिक रूप से बाध्य होगी।

भवदीय,
हेमन्त राव
विशे॰ सचिव।

संख्या : 736/70-4/2000-46(20)/94

प्रेषक

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त विश्वविद्यालय राज्य,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2000

विषय: **राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं पर उ0प्र0 सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट/वचनबद्धता उपलब्ध कराया जाना।**

महोदय,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं में जो अनुदान स्वीकृत किया जाता है, उनमें कुछ योजनाओं में एक निश्चित "अंश" शासन/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को वहन करना होता है तथा कुछ योजनाओं में योजनागत अवधि के बाद पूरा व्यय वहन करने की वचनबद्धता दी जानी होती है। इस संबंध में शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2638/पन्द्रह/15/94-46(20)/94, दिनांक 23 जुलाई, 1994 द्वारा राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की जिन परियोजनाओं को स्वीकार करते हुए अनुदान देगा, राज्य सरकार उन योजनाओं को स्वीकार करते हुए आयोग अंश के विरुद्ध राज्यांश उपलब्ध करायेगी और पदों के संबंध में वचनबद्धता देगी।

उपरोक्त संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब ऐसे सभी प्रकरणों में जिनमें निश्चित अवधि के बाद राज्य सरकार द्वारा व्यय वहन किये जाने वचनबद्धता देनी होगी, प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा, परन्तु यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय इन योजनाओं में पर्याप्त आय प्राप्त करते हैं और अलग से लेखा-जोखा रखकर आयोग की सहायता अवधि समाप्त होने के बाद उस आय से उस योजना के संबंध में व्यय वहन कर सकते हैं, अपने स्तर से प्रतिबद्धता देने हेतु स्वतंत्र होंगे।

शासनादेश संख्या-2638/पन्द्रह (15)/94-46(20)/94 दिनांक 23 जुलाई, 1994 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव

संख्या–457/मा0स0वि0/2001–3(6)/200(

प्रेषक,

श्री एन0रवि शंकर
सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तरॉचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)

मानव संशाधन विभाग

देहरादून दिनॉक 27 जनवरी 2001

विषय :– उच्च शिक्षा में रिक्त शिक्षकों के पदों पर "विजिटिंग फैकल्टी" की व्यवस्था।

महोदय,

प्रदेश में स्थित 34 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के रिक्त 185 पदों पर नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने में विलम्ब होने के कारण नियमित शिक्षण व्यवस्था प्रभावित है। जनहित में शासन द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए नियमित शिक्षकों के उपलब्ध होने तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन "विजिटिंग फैकल्टी" की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।

1. शिक्षकों के रिक्त पदों पर ऐसे सभी व्यक्तियों को संविदा पर रखा जा सकेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करते है। ऐसे अभ्यर्थियों को रु0 5,000 (पॉच हजार मात्र) प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अन्दर रहते हुए रु0 100.00 (एक सौ मात्र) प्रति घटा की दर से मानदेय दिया जायेगा
2. "विजिटिंग फैकल्टी" के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित होगी।
3. शासकीय महाविद्यालयों में मानदेय के आधार पर चयन की कार्यवाही हेतु एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जायेगी, जिसमें संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, अध्यक्ष, विषय विशेषज्ञ तथा सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य सदस्य के रूप में सम्मिलित होगें।
4. शिक्षक के रिक्त पद के विरूद्ध नियमित रूप से चयनित अध्यापक के नियुक्ति हेतु उपलब्ध हो जाने की दशा में मानदेय पर रखें गये शिक्षक की संविदा सेवा समाप्त समझी जायेगी तथा नियमित रूप से चयनित प्राध्यापक को नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
5. मानदेय पर रखें गये शिक्षक को ऐसे पद के विरूद्ध व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जायेगा जो पद पूर्ण कालिक रूप से सृजित हो।
6. ऐसे शिक्षक को मानदेय की धनराशि का भुगतान स्वीकृत पदों के सापेक्ष आयोजनेत्तर पक्ष से किया जायेगा।
7. प्रत्येक अध्यापक मानदेय पर अध्यापन कार्य करने से पूर्व प्राचार्य को संलग्न संविदा पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह मानदेय पर कार्य करने के आधार पर नियमित नियुक्ति की मांग नही करेगा।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

एन0 रवि शंकर
सचिव

संख्या– 457/(1)/ मा0स0वि0/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार उत्तरांचल इलाहाबाद।
(2) प्रदेश के समस्त राजकीय स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य–द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा।
(3) समस्त जिलाधिकारी उत्तरॉचल।
(4) सम्बन्धित जिलों के कोषाधिकारी।
(5) वित्त विभाग।
(6) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एन0 रवि शंकर
सचिव

संख्या–2269/मा0सं0वि0 2 (200)/2001

प्रेषक,

श्री एन0 रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–प्राचार्य,
कुमायूँ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)/
जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी (पौड़ी)।
2–संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तरांचल, पौड़ी गढ़वाल।
3–कुल सचिव,
कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल/
गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।

मानव संसाधन विभाग देहरादून : दिनांक 07 जून, 2001

विषय : एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र धारकों के लिए विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में आगामी शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में एन0सी0सी0 शिक्षा के स्तर को बढ़ाये जाने तथा एन0सी0सी0 विभिन्न प्रमाण–पत्र धारक छात्र/छात्राओं के उज्जवल भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित संस्थाओं में एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र धारकों (क्रमशः सी, बी तथा ए) के लिए निम्नप्रकार से सीटों का आरक्षण किया जाता है :–

(क) कुमायूँ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)।	प्रत्येक शाखा में एक सीट
(ख) जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी (पौड़ी)।	प्रत्येक शाखा में एक सीट
(ग) 15 राजकीय पालीटेक्निक, उत्तरांचल।	प्रत्येक शाखा में एक सीट
(घ) कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।	दो सीट (बी0एड0 हेतु)
(च) गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।	दो सीट (बी0एड0 हेतु)

2–उक्त व्यवस्था प्रत्येक विषय में छात्र संख्या 30 या उससे अधिक होने पर ही लागू की जायेगी।

3–कृपया, तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एन0 रवि शंकर,
सचिव।

संख्या-1721/मा.सं.वि./2001-3(35)200

प्रेषक,

रवि शंकर

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

संयुक्त निदेशक

उच्च शिक्षा,

उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)

मानव संसाधन विभाग। देहरादून दि0 17 जुलाई, 2001

विषयः- उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन एवं पदों का सृजन।

महोदय,

नव गठित उत्तरांचल राज्य में सामाजिक, अर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु उच्च शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के समग्र विकास एवं उत्थान में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक योगदान है। उच्च शिक्षा के संवर्द्धन, आधुनिकीकरण, विकास एवं सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य में पृथक उच्च शिक्षा निदेशालय के गठन का महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उच्च शिक्षा निदेशालय हेतु निम्नांकित पदों के सृजन की भी सहमति प्रदान की जाती है-

क्र.स.	पदनाम वेतन क्रम		संख्या
1.	निदेशक	18400-22400	01
2.	संयुक्त निदेशक	16400-22400	01
3.	उपनिदेशक	12000-18300	02
4.	वित्त नियंत्रक	लेखा संवर्ग	01
5.	लेखाधिकारी	लेखासंवर्ग	01
6.	सहायक निदेशक	8000-13500	02
7	तकनीकी सहायक/वरिष्ठ डाटा आपरेटर	50000-80000	01
8.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेट-2	5000-8000	01
9-	सांख्यिकी/वरिष्ठ डाटा आपरेटर	5000-8000	01
10.	वरिष्ठ सहायक/कंसोल आपरेटर	4500-7000	02
11.	अन्वेशक कम संगणक/डाटा आपरेटर	4500-7000	02
12.	लेखाकार/सह वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	4500-7000	01
13.	वरिष्ठ लिपिक/सह कंसोल आपरेटर	4000-6000	04

14.	आशुलिपिक/सह कंसोल आपरेटर	4000-6000	03
15.	लेखा परीक्षक/सह कंसोल आपरेटर	4000-6000	02
16.	लिपिक/डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050-4590	08
17.	वाहन चालक	3050-4590	02
18.	परिचालक	2550-3210	10
	योग- (पैंतालीस पद मात्र)	45 पद	

निदेशक के पद हेतु अंकित वेतन क्रम विभागीय अधिकारी के पद धारण पर अनुमन्य होगा। यदि आई.ए.एस. अथवा पी.सी.एस. अधिकारी पद धारण करेंगे तो अपने संवर्ग में अनुमन्य वेतन क्रम में कार्य करेंगें।

3. निदेशालय कार्यालय हेतु उक्त पदों का सृजन उत्तरांचल में स्थित संयुक्त निदेशक कार्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए पूर्व में सृजित किए गये पदों को परिवर्तित/परिवद्धित कर किया गया है।

4. उच्च शिक्षा का निदेशालय का मुख्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया, उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये यथावश्यक प्रस्ताव शासन को उमलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

एन. रवि शंकर
सचिव

पृष्ट संख्या(1)1721/मा.स.चि./2001-3(35)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, महामहिम कुलाधिपति, उत्तरांचल।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरांचल।
7. गोपन (मंत्री-परिषद्) अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एन0 रवि शंकर
सचिव

संख्या–457/मा0सं0वि0/

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

मानव संसाधन विकास विभाग — देहरादून : दिनांक 09 अगस्त, 2001

विषय : उच्च शिक्षा में रिक्त शिक्षकों के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–52/कैम्प–देहरादून/2001–2002, दिनांक 19–7–2001 के सन्दर्भ में मुझे य कहने का निदेश हुआ है कि महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर ऐसे सभी व्यक्तियों को संविदा पर रखे जा की व्यवस्था शासनादेश संख्या–457/मा0सं0वि0/2001, दिनांक 27 जनवरी, 2001 द्वारा की गयी थी जो विश्वविद्याल अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारित करते हों। प्रदेश में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे है

2–उक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा विजिटिंग फैकल्टी के लिए निम्नवत् शैक्षिक अर्हता निर्धारित क दी गयी है :–

1– विजिटिंग फैकल्टी के लिए पात्र अभ्यर्थियों की आयु सीमा 31–7–2001 को 40 वर्ष निर्धारित होगी।

2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता को शिथिलता प्रदान करते हुए अभ्यर्थी की शैक्षि योग्यता बी+, नेट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सन् 2000 तक पी0एच0डी0 धारक होना आवश्यक है।

कृपया उच्च शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था कि जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एन0 रवि शंकर
सचिव।

संख्या : 457(1)/मा0सं0वि0/2001/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–सचिव, महामहिम कुलाधिपति, उत्तरांचल।
2–सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
3–महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
4–निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एन0 रवि शंकर,
सचिव।

संख्या : 131/उच्च शिक्षा/2002

प्रेषक,

जे0पी0 जोशी,

अनुसचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा निदेशालय,

उत्तरांचल हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा विभाग। देहरादून : 07 मार्च, 2002

विषय : "विजिटिंग फैकल्टी" के शिक्षकों को मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक : डिग्री सेवा/7821/2001–2002 दिनांक 12/12/2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त शिक्षकों के पदों पर "विजिटिंग फैकल्टी" की व्यवस्था विषयक शासनादेश दिनांक 27–1–2001 द्वारा ऐसे शिक्षकों को मानदेय की धनराशि का भुगतान स्वीकृत पदों के सापेक्ष आयोजनेत्तर पक्ष से किये जाने का निर्देश दिया गया था। परन्तु राजकीय महाविद्यालयों में आयोजनागत पक्ष में भी सृजित पदों के सापेक्ष "विजिटिंग फैकल्टी" की व्यवस्था की गयी है अतः आयोजनागत पक्ष में सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त "विजिटिंग फैकल्टी" को आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि से मानदेय स्वीकृत करने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय,

जे.पी. जोशी

अनु सचिव।

संख्या : 624/उच्च शिक्षा/2002—03(18)/2002

प्रेषक,

एन0रवि शंकर
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून: दिनॉक : 12 जुलाई 2002

विषय : प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/उच्च शिक्षा/2001—3(6)/2002 दिनांक 26—12—2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी के माध्यम से शिक्षण कार्य लिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। आगामी शैक्षिक सत्र 2002—2003 के लिए राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत विजिटिंग फैकल्टी के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :—

(1) शैक्षिक सत्र 2001—2002 में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को शैक्षिक सत्र 2002—2003 में पुनः संविदा पर रखा जायेगा, जिन्हें विजिटिंग लेक्चरर नाम से सम्बोधित किया जायेगा। अन्यथा आदेश न होने की दशा में यह व्यवस्था 01 जुलाई, 2002 से यथा स्थिति 30 अप्रैल, 2003 तक लागू होगी।

(2) विजिटिंग फैकल्टी के लिए पूर्व में प्रति व्याख्यान निर्धारित धनराशि रु0 250/— प्रति घण्टा एवं अधिकतम मासिक रु0 5000/— के स्थान पर विजिटिंग लेक्चरर को नियत मासिक मानदेय रु0 8000/— निर्धारित किया गया है।

(3) प्रत्येक विजिटिंग लेक्चरर को प्रत्येक कार्य दिवस में महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगा एवं संविदा अवधि में अधिकतम 10 दिन के अवकाश की सुविधा अनुमन्य होगी।

(4) विजिटिंग लेक्चरर द्वारा प्रति माह न्यूनतम 40 लेक्चर दिया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षण कार्य सम्पादित करना होगा, यदि किसी माह में निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उसे आगामी माह में पूर्ण किया जायेगा।

(5) विजिटिंग लैक्चरर का प्रशासनिक नियन्त्रण संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य के अधीन रहेगा, जो उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

विजिटिंग लेक्चरर के रूप में रखे जाने वाले शिक्षकों के लिए विजिटिंग फैकल्टी से संबंधित पूर्व में निर्गत शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

एन0 रविशंकर
सचिव।

संख्या 624/उच्च शिक्षा/2002—03(18)/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
(3) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
(5) वित्त अनुभाग—1, उत्तरांचल शासन।
(6) अनुभागीय प्रति।

आज्ञा से

एन0 रवि शंकर
सचिव।

संख्या – 795 / उच्च शिक्षा / 2002

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक

उच्च शिक्षा

हल्द्वानी (नैनीताल)

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक : 24, सितम्बर, 2002

विषय :– राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को अन्यत्र सेवा में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक–डिग्री सेवा/2302/2002–2003 दिनांक 18 जुलाई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को देश में अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन करने के लिए अनापत्ति निर्गत करने का अधिकार निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रदान किया गया है। परन्तु विदेश में सेवा हेतु आवेदन करने के लिए शासन की अनुमति पूर्ववत ली जानी होगी।

2– अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

अमरेन्द्र सिन्हा

सचिव

संख्या : 1091/उच्च शिक्षा/2002

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,

अपर सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक

उच्च शिक्षा,

हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग

देहरादून : दिनांक 25 नवम्बर 2002

विषय :– प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये विजिटिंग लैक्चरर/निश्चित मानदेय शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों / अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये विजिटिंग लैक्चरर/निश्चित मानदेय शिक्षकों के लिए शासनादेश संख्या–624/उच्च शिक्षा/2002–03(18)2002 दिनांक 12 जुलाई, 2002 तथा शासनादेश संख्या–861/उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 12 जुलाई 2002 द्वारा मानदेय की दरें निर्धारित की गयी हैं। प्रदेश के शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में सेवा निवृत्त शिक्षकों को भी उक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार ही रु0 5,000/– प्रति माह के स्थान पर रु0 8000/– प्रति माह नियत मानदेय प्राप्त होगा। उक्त संदर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेगीं।

भवदीय,

अमिताभ श्रीवास्तव

अपर सचिव

संख्या– 1208/उच्च शिक्षा/2002

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग — देहरादून दिनाँक : 09 दिसम्बर, 2002

विषय :– देहरादून में निदेशक उच्च शिक्षा के शिविर कार्यालय की स्थापना करते हुए उप निदेशक के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण।

महोदय,

उच्च शिक्षा निदेशालय के गठन विषयक शासनादेश संख्या–1721/मा0स0वि0/2001–3(35) 2001 दिनॉक 17–7–2001 द्वारा निदेशालय कार्यालय हेतु कुल 45 पदों का सृजन उत्तरांचल में स्थित संयुक्त निदेशक कार्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए पूर्व में सृजित किये गये पदों को परिवर्तित/परिवर्द्धित कर किया गया था। विभागीय ढांचा स्वीकृत होने के उपरान्त देहरादून स्थित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिस कारण देहरादून स्थित अशासकीय महाविद्यालयों के कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में असुविधा हो रही है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देहरादून में निदेशक, उच्च शिक्षा का शिविर कार्यालय स्थापित होगा, जिसका कार्य उप निदेशक द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जिसके निम्नांकित कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(क) प्रशासनिक कार्य :–

(1) अशासकीय महाविद्यालयों की प्रशासनिक जॉच एवं निरीक्षण संबंधी कार्य
(2) महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति
(3) विधान सभा के प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराना।
(4) नये विषय खोलने के लिए पैनल में शिक्षा निदेशक (उ0शि0) के प्रतिनिधि के रूप में महाविद्यालयों का निरीक्षण कराना।
(5) शासन तथा उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा दिये गये विशेष कार्यों का सम्पादन।
(6) अपने क्षेत्र के अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुज्ञा प्रदान करना।
(7) शासन के आदेश पर राजकीय महाविद्यालयों के खोले जाने हेतु क्लीयरेंस देने के लिये निरीक्षण करना एवं संस्तुति देना।
(8) अशासकीय महाविद्यालयों को दिये गये अनुदान की उपभोग अवधि में एक वर्ष की सीमा तक वृद्धि करना।
(9) दर्शर पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक एवं कोआर्डिनेटर के पदों को छोड़कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करना।
(10) अपने क्षेत्र में सभी अशासकीय महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से नियत तिथि पर स्टाफ स्टेटमेंट प्राप्त करना तथा महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सम्बन्ध में अधियाचन प्राप्त करके निदेशक को भेजना।
(11) क्षेत्र के महाविद्यालय/स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के पेंशन, कागजात तैयार करने के कार्य पर निगरानी रखना। सेवानिवृत्ति के छः मास पूर्व समस्त पत्रादि निदेशक को उपलब्ध कराना।
(12) अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराया गया या नहीं, पर शासन को आख्या भेजना।

(ख) विकास/सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य:–

(1) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना, विश्लेषण करना तथा उन्हें संकलित करके निदेशालय को प्रेषित करना।

(2) क्षेत्र में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करना।
(3) महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्य संबंधी प्रकृतियों की सूचना एकत्र करना तथा संकलित करना।
(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर प्रकाशन निकालना।
(5) राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की समीक्षा।

(ग) वित्तीय कार्य :–

(1) महाविद्यालयों द्वारा 80/75 प्रतिशत शुल्काय जमा किये जाने की जांच करना और उन महाविद्यालयों का बकाया वसूल करना जिन्होंने उचित अंश जमा न किये हों। समय–समय पर प्रगति की सूचना निदेशालय को देना।
(2) ऋण छात्रवृत्ति की वसूली की समीक्षा करना तथा वसूली करने हेतु विधिक एवं न्यायिक कार्यवाही करना।
(3) उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (अस्तियां) के अपव्यय का निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत महाविद्यालयों के अस्तियों का लेखा रखना तत्संबंधी जाँच करना।
(4) उच्च शिक्षा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई सम्परीक्षा आख्या सहित निदेशालय को प्रेषित करना।
(5) आपदा स्थित जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि के सम्बन्ध में क्षति का आकलन करना व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु निदेशालय को संस्तुति करना।
(6) विभिन्न अनुदानों अनावर्तक अनुदानों से सम्बन्धित महाविद्यालयों के आवेदन पत्र परीक्षण कर निदेशालय को उपलब्ध कराना।
(7) उपयोग प्रमाण–पत्रों को महाविद्यालयों से प्राप्त करना तथा उनका सत्यापन कर निदेशालय को प्रेषित करना।
(8) नई पैंशन योजनान्तर्गत सामान्य भविष्य निधि की कटौती तथा सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करना तथा उनके रख–रखाव की सुनिश्चित करना।
(9) महाविद्यालयों का लेखा परीक्षण कराना।
(10) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्सर, कार्यालय अधीक्षक तथा कोआर्डिनेटर के पदों को छोड़कर शेष सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण तथा भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत करना।
(11) उप निदेशक द्वारा जनपद देहरादून के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कार्मिकों के वेतनादि के भुगतान सम्बन्धी कार्य वित्त विभाग द्वारा आहरण वितरण कोड आवंटित होने पर ही किया जायेगा।

2– उपनिदेशक, प्रत्येक माह की निरीक्षण आख्या अपनी संस्तुति सहित निदेशक उच्च शिक्षा को अगले माह की 10 तारीख तक अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

3– उक्त के अतिरिक्त उप निदेशक द्वारा शासन/निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी सम्पादन किया जायेगा

भवदीय,

अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव।

संख्या : 1208 (1)/उच्च शिक्षा/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
(3) लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल।
(4) उप निदेशक, शिविर कार्यालय निदेशक उच्च शिक्षा, देहरादून।
(5) लेखाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव।

संख्या 276/उच्च शिक्षा/2003

षक,

संजय कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

वा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

च्च शिक्षा अनुभाग

देहरादून : दिनांक 03 जून, 2003

षय : प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर को परीक्षा अवधि तक मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में।

होदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक मेमो/2002–2003/वि0प्र0 दिनांक 29–4–2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का देश हुआ है कि शासनादेश संख्या : 624 उच्च शिक्षा/2002–3(18) 2002, दिनांक 12–7–2002 द्वारा प्रदेश के जकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर द्वारा प्रति माह न्यूनतम 40 लैक्चरर दिया जाना अनिवार्य किया गया। यदि किसी माह निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षण कार्य पूर्ण न हो तो उसे अगले माह में पूर्ण कराये जाने का निर्देश र्गत किया गया था। विजिटिंग लैक्चरर की व्यवस्था अन्यथा आदेश न होने की दशा में 01 जुलाई, 2002 से 30 अप्रैल, 03 तक लागू है।

2–माह अप्रैल एवं मई, 2003 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की र्षिक परीक्षायें आयोजित करायी जा रही है। जहां–जहां महाविद्यालयों में परीक्षा कार्य सम्पादन के लिए विजि...ग वक्ताओं की आवश्यकता हो, वहां परीक्षा कार्य तक पात्र विजिटिंग प्रवक्ताओं को कार्य के लिए मानदेय का भुगतान रने का कष्ट करें। बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर परीक्षा कार्य में सहयोग करेंगे, इस दौरान उनकी तीन घण्टे की एक रीक्षा अवधि तीन वादन के बराबर होगी।

भवदीय,

संजय कुमार,
अपर सचिव।

संख्या 612 / उच्च शिक्षा /

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग

देहरादून : दिनांक 10 जुलाई, 20

विषय : अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–661 / उच्च शिक्षा / 2002 दिनांक 12–7–2002, के संदर्भ में मुझे यह का निदेश हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में पिछले शैक्षिक सत्र में नि देय के आधार पर कार्यरत शिक्षकों के लिए निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :–

(1) शैक्षिक सत्र 2002–2003 में निश्चित मानदेय के रुप में संविदा पर कार्य कर रहे निर्धारित अर्हता रखने व्यक्तियों को शैक्षिक सत्र 2003–2004 में पुनः संविदा पर रखा जायेगा। यह व्यवस्था 01 जुलाई, अथवा शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने (जो भी बाद में हो) से अन्यथा आदेश न होने की दशा में 30 अप्रैल, तक लागू रहेगी। यदि इस अवधि के बाद परीक्षा कार्य सम्पादित होता है, एवं परीक्षा कार्य के लिए आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार रखे जाने पर मानदेय का भुगतान किया जा सकता है, जिसके निर्धारित तीन घण्टे की परीक्षा अवधि तीन वादन के बराबर मानी जायेगी।

(2) निश्चित मानदेय पर संविदा में रखे गये अभ्यर्थी को नियत मासिक मानदेय रु0 8,000/– दिया जा

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक कार्य दिवस में महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगा एवं संविदा अव अधिकतम 10 दिन के अवकाश की सुविधा अनुमन्य होगी।

(4) निश्चित मानदेय पर संविदा में रखे गये अभ्यर्थी द्वारा प्रति माह न्यूनतम 40 लैक्चर दिया जाना आ होगा, यदि किसी माह में निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो उसे आगाम में पूर्ण किया जायेगा।

(5) निश्चित मानदेय पर संविदा में रखे गये अभ्यर्थियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण सम्बन्धित संस्था के प्राचा होगा, जो उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चत करेगा।

(6) प्रत्येक निश्चित मानदेय पर संविदा में रखे गये अभ्यर्थी को अध्यापन कार्य करने से पूर्व प्राचार्य को पत्र प्रस्तुत करेगा, एवं मानदेय पर कार्य करने के आधार पर नियमित नियुक्ति की मांग नहीं करे

2–निश्चित मानदेय के रूप में रखे जाने वाले शिक्षकों के लिए पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखि व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थायें लागू रहेंगी। रिक्त पदों के सापेक्ष निश्चित मानदेय पर संविदा के रूप अभ्यर्थी नहीं रखे जायेंगे। नये रिक्त स्थानों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर आमन्त्रित किया जा है।

भवदीय,
एम0 राम
प्रमुख स

ंख्या 612(1)/उच्च शिक्षा/2003/तद्दिनांक

ितिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री को मा0 मुख्यमन्त्री जी के अवलोकनार्थ।

2-महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

3-समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

4-वित्त अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन।

5-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक 10 जुलाई, 200

विषय : प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–624/उच्च शिक्षा/2002–3(18)2002, दिनांक 12–7–2002 के संद मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैक के माध्यम से शिक्षण कार्य लिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। आगामी शैक्षिक सत्र 2003–2004 के लिए राज महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नां निर्णय लिया गया है :–

(1) शैक्षिक सत्र 2002–2003 में विजिटिंग लैक्चरर के रूप में संविदा पर कार्य कर रहे निर्धारित अर्हता र वाले व्यक्तियों को शैक्षिक सत्र 2003–2004 में पुनः संविदा पर रखा जायेगा। यह व्यवस्था 01 जुलाई, 2 अथवा शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने (जो भी बाद में हो) से अन्यथा आदेश न होने की दशा में 30 अप्रैल, 2 तक लागू रहेगी। यदि इस अवधि के बाद परीक्षा कार्य सम्पादित होता है, एवं परीक्षा कार्य के लिए उ आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार रखे जाने पर मानदेय का भुगतान किया जा सकता है, जिसके निर्धारित तीन घण्टे की परीक्षा अवधि तीन वादन के बराबर मानी जायेगी।

(2) विजिटिंग लैक्चरर को नियत मासिक मानदेय रू0 8,000/– दिया जायेगा।

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक कार्य दिवस में महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगा एवं संविदा अवधि अधिकतम 10 दिन के अवकाश की सुविधा अनुमन्य होगी।

(4) विजिटिंग लैक्चरर द्वारा प्रति माह न्यूनतम 40 लैक्चर दिया जाना अनिवार्य होगा, यदि किसी माह में निर्धा मानक के अनुसार शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो उसे आगामी माह में पूर्ण किया जायेगा।

(5) विजिटिंग लैक्चरर पर प्रशासनिक नियन्त्रण सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य का होगा, जो उपरोक्तानु कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

(6) प्रत्येक विजिटिंग लैक्चरर अध्यापन कार्य करने से पूर्व प्राचार्य को संविदा पत्र प्रस्तुत करेगा, एवं मान पर कार्य करने के आधार पर नियमित नियुक्ति की मांग नहीं करेगा।

2–विजिटिंग लैक्चरर के रूप में रखे जाने वाले शिक्षकों के लिए पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित व व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थायें लागू रहेंगी। रिक्त पदों के सापेक्ष विजिटिंग लैक्चरर के रूप में नये अभ्यर्थी रखे जायेंगे। नये रिक्त स्थानों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर आमन्त्रित किया जा सकता है।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्र
प्रमुख सचिव

576(1)/उच्च शिक्षा/2003/तद्दिनांक

पि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री को मा0 मुख्यमन्त्री जी के अवलोकनार्थ।

2-महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

3-समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

4-वित्त अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन।

5-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

संख्या–584/उ0शि0/

प्रेषक,

संजय कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर (गढ़वाल)।

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक 16 जुलाई, 2003

विषय : प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजकीय/अशास महाविद्यालयों में वर्ष 2003–04 से परियोजना "शिखर" नामक व्यवसायिक कम्प्यूटर शिक्षण कार्यक्रम संचालित करन निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के माध्यम से महाविद्यालय के छात्रों के लिए अपनी सामान्य उपाधि के साथ-वैकल्पिक रूप से व्यवसायिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की परिकल्पना है ताकि स्न छात्रों को सुगमता एवं सुलभता से रोजगार उपलब्ध हो सके। यह कम्प्यूटर प्रशिक्षण DOEACC के "B" Level (M के समकक्ष होगा एवं छात्रों के लिए ऐच्छिक (Optional) होगा (अर्थात् Compulsory नहीं होगा)। साथ ही इसमें य ध्यान रखा गया है कि छात्रों को यह सुविधा उचित मूल्यों पर सुलभ हो।

2–इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु देश की सुविख्यात कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं से नि आमंत्रित करने के उपरान्त एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा ई0सी0आई0एल0 और एपटैक को चयनित किया गया। ये सं छात्रों को वही शिक्षा प्रदान करेगी जो देश के बाकी हिस्सों में उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदा जा रही है अर्थात् उनका Course Material वही होगा जो वह भारत के अन्य शहरों में चला रहे हैं। प्रशिक्षण के उ वह छात्रों को वही प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगे जो वह अन्य स्थानों पर उपलब्ध कराती हैं तथा जिनकी बाज मान्यता हो।

3–इन पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश बहुविकल्पीय परीक्षा (Aptitude Test) के माध्यम से किया जायेगा। परीक्षा का संचालन इन संस्थाओं द्वारा स्वयं किया जायेगा। यह तभी कराया जायेगा जब प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र संख्या उपलब्ध स्थानों से अधिक हो। इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदेशक Education Pro द्वारा प्रमाणित होंगे न कि Franchise द्वारा। प्रवेश परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को संस्था द्वारा वह पाठ् कालेज के समय के बाद नहीं पढ़ाया जायेगा जो संस्था द्वारा महाविद्यालय के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है।

4–उक्त पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण शुल्क छात्रों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। प्रशिक्षण शुल्क छात्रों महाविद्यालयों में कार्यरत संस्था को सीधे जमा किया जायेगा। ई0सी0आई0एल0 द्वारा रु0 162/– प्रतिमाह तथा ए द्वारा रु0 350/– प्रतिमाह शुल्क लिया जायेगा। एपटैक द्वारा उन स्थानों पर रु0 250/– प्रति माह लिया जायेगा शासन द्वारा हार्डवेयर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थाओं एपटैक तथा आई0सी0एल0 को आवंटित महावि एवं उनमें छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण क्रमशः संलग्नक–1 एवं 2 पर उपलब्ध है। 500 से अधिक संख्या वाले महाविद्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं अन्य साज–सज्जा इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध क जायेगा। इन संस्थाओं के पूर्व संचालित केन्द्रों की कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सम्बन्धित साज–सज्जा महाविद्यालयों में नहीं किये जायेंगे। 500 से कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सम्बन्धित साज–सज्जा की व्य शासन द्वारा की जायेगी।

5–महाविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु दो कक्ष, कम्प्यूटर लैब, विद्युत कनैक्शन फिटिंग सहित तथा इन्टरनेट संयोजन हेतु टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। विद्युत एवं टेलीफोन का आवर्तक व्यय निजी संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। महाविद्यालय की शैक्षिक समय सारणी में ही रिक्त वादन में कम्प्यूटर प्रशिक्षण का समय निर्धारित किया जायेगा। सामान्य पठन–पाठन अवधि के पश्चात् महाविद्यालय के दो कक्षों जो महाविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु आवंटित किये गये हैं, का उपयोग निजी संस्था द्वारा व्यावसायिक दृष्टि से पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु किया जा सकता है। निजी संस्था द्वारा संचालित किये जाने वाले इस पाठ्यक्रम हेतु लिये जाने वाले शुल्क पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि महाविद्यालय के छात्रों को जो Aptitude Test Qualify नहीं कर पाये हैं, को वह पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जायेगा जो महाविद्यालय के समय सारणी में पढ़ाया जाता है।

6–Education Provider द्वारा 25 केन्द्रों में एक आई0टी0 प्रोफेशनल की नियुक्ति प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर के रूप में की जानी होगी। कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था द्वारा अधिकृत साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को समय–समय पर उच्चीकृत किया जाना होगा। इस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का भी समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना होगा। इनके द्वारा छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता भी प्रदान की जायेगी तथा प्रवेश लेने वाले छात्रों एवं उनके रोजगार से सम्बन्धित सूचना (Data Base) तैयार की जानी होगी। इनके द्वारा ही सम्पूर्ण परियोजना के सफल संचालन हेतु सूचना सभी सम्बन्धित को उपलब्ध कराये जाने में भी सहयोग दिया जायेगा।

7–इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षा एवं उपाधि वितरित करने की प्रक्रिया वही होगी जो कि इन संस्थाओं द्वारा देश के बाकी हिस्सों में अपने अध्ययन केन्द्रों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रचलित है।

8–महाविद्यालयों के प्राचार्यों को इस सम्बन्ध में निम्नांकित अधिकार होंगे :–

(1) महाविद्यालय के छात्रों एवं कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था के मध्य समन्वयक की भूमिका अदा करना।

(2) प्राचार्य को सामान्य पर्यवेक्षण का अधिकार तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्र के दैनन्दिन संचालन में प्राचार्य हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

(3) कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर/प्रशिक्षण/प्रशिक्षकों से सम्बन्धित समस्या का समाधान सम्बन्धित संस्था के कोआर्डिनेटर के माध्यम से कराया जाना। कोआर्डिनेटर द्वारा समस्या का समाधान न होने की दशा में निदेशालय/शासन को सूचित करना। इस सम्बन्ध में संस्था के साथ सहमत Service Level Agreements की प्रति संलग्न की जा रही है। जिसका छात्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार, छात्रों में सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
संजय कुमार,
अपर सचिव।

संख्या–584 (1)/उ0शि0/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री, उत्तरांचल।
3–प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल।
4–सचिव, नियोजन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तरांचल।
5–प्राचार्य, समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
6–एपटैक एवं ई0सी0आई0एल0 को पूर्व प्रेषित पत्र संख्या ADSEC/EDU/2002, दिनांक 16–12–2002 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निविदा प्रपत्र संख्या–IT/UTCN/102 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय कुमार,
अपर सचिव।

संख्या–679/उच्च शिक्षा/200

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2003

विषय : प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग लैक्चरर की व्यवस्था।

महोदय,

शासनादेश संख्या–576/उच्च शिक्षा/2003, दिनांक 10–7–2003 के द्वारा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2002–2003 में विजिटिंग लैक्चरर के रूप में संविदा पर कार्य कर रहे निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षिक सत्र 2003–2004 में पुनः संविदा पर रखे जाने के संदर्भ में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि विजिटिंग लैक्चरर द्वारा प्रति माह 40 लैक्चर दिया जाना अनिवार्य होगा, यदि किसी माह में निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उसे आगामी माह में पूर्ण किया जायेगा। माह जुलाई तथा माह जनवरी में क्रमशः प्रवेश तथा शीतावकाश होने के कारण निर्धारित वादन पूर्ण नहीं हो पाते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह जुलाई तथा माह जनवरी में कार्य दिवस कम होने के कारण 40 वादन की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए आगामी माह में पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा इन महीनों में विजिटिंग प्रवक्ताओं को निश्चित मानदेय अनुमन्य किया जा सकता है।

2–विजिटिंग लैक्चरर के रूप में संविदा पर रखे जाने वाले शिक्षकों के लिए पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

संख्या–679 (1)/उच्च शिक्षा/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री को मा0 मुख्यमन्त्री जी के अवलोकनार्थ।
2–महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3–समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4–वित्त अनुभाग–1, उत्तरांचल शासन।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

संख्या–666/उच्च शिक्षा/2003

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक 02 अगस्त, 2003

य : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

दय,

प्रदेश के नवस्थापित 15 राजकीय महाविद्यालयों को मिलाकर कुल 50 राजकीय महाविद्यालयों में से केवल 16 कीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(एफ0) के अधीन आयोग से सहायता प्राप्त ने के लिए मान्यता प्राप्त हैं। यद्यपि अन्य राजकीय महाविद्यालय इस धारा के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए सरत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(एफ0) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त 16 राजकीय महाविद्यालयों में कतिपय कमियां हैं जैसे आयोग के मानक के अनुसार शिक्षक तैनात नहीं हैं, महाविद्यालयों में मानक के अनुसार ल्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं, शोध परियोजनायें कार्यान्वित नहीं हो रही हैं तथा छात्र संख्या भी कम है, इत्यादि।

2–उक्त स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के महाविद्यालयों को वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिनियम की धारा 2(एफ0) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करते हुए अधिकाधिक अनुदान करने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जाय :–

(1) प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(एफ0) के अन्तर्गत जर्नल्स आदि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन करते हुए औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव अनुपूरक मांग के माध्यम से इसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया जाय।

(2) महाविद्यालयों में शोध परियोजनाओं की स्थिति सन्तोषजनक बनाये जाने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय के द्वारा कम से कम मानकों के अनुसार शोध कार्य कराया जाना होगा। इस सम्बन्ध में महाविद्यालयों के उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे अध्यापकों द्वारा भी पर्याप्त रुचि लेकर कार्य सम्पन्न करना चाहिए।

(3) कम से कम 13 महाविद्यालयों जहां पर शासन द्वारा हाल ही में शासनादेश दिनांक 15–7–2003 द्वारा प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है, में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित की जाय, ताकि इस वर्ष से आयोग से मदद प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

(4) जो 16 राजकीय महाविद्यालय धारा 2(एफ0) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं, उन सबकी मान्यता स्तर बनाये रखने हेतु प्रयास किये जायें, जिसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य उत्तरदायी होंगे, तथा जिन छः महाविद्यालयों द्वारा इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रार्थना–पत्र दिये हैं, उन महाविद्यालयों के प्राचार्यों को विलम्बतम छः माह के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त करने हेतु भी समुचित कार्यवाही कर ली जाय।

इस सम्बन्ध में प्राचार्यों द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन उनकी वार्षिक प्रविष्टि के समय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नव स्थापित 15 राजकीय महाविद्यालयों को छोड़कर अवशेष 13 राजकीय महाविद्यालयों द्वारा भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(एफ0) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करने हेतु दिसम्बर/2003 तक अवश्य कार्यवाही की जाय।

3–प्रदेश के 23 अशासकीय महाविद्यालयों में से 10 महाविद्यालय धारा 2(एफ0) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हैं। अवशेष महाविद्यालयों को भी मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कर ली जाय।

4–इस समस्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से लगातार सम्पर्क रखकर कार्य करने के लिए निदेशालय के किसी अधिकारी को भी नामित कर अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया, उक्त समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित की जानी आवश्यक है।

भवदीय

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

संख्या–666 (1)/उच्च शिक्षा/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
2–कुल सचिव, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3–प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल।
4–प्राचार्य समस्त अशासकीय महाविद्यालय द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल
5–उप निदेशक, उच्च शिक्षा, देहरादून।
6–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

संख्या 810/XXIV(1)/2004

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर (गढ़वाल)।

कुलपति,
कुमायूं विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर, 2004

: दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता।

वर्तमान में दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का महत्व अत्यधिक बढ़ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ रोजगार प्राप्ति करना भी है। ऐसी दशा में दूरस्थ शिक्षा वत्ता को बनाये रखना आवश्यक हो गया है। दूरस्थ शिक्षा के स्तर के निर्धारण एवं उसकी गुणवत्ता को बनाये के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अधीन दूरस्थ शिक्षा परिषद् नाम से एक संवैधानिक संस्था पना की गयी है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोत्साहन तथा शिक्षा के मानकों के निर्धारण, मूल्यांकन, शोध आदि कार्यों के लिए समुचित कार्यवाही करने का अधिकार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को प्राप्त है।

2-संसद तथा राज्य विधान सभाओं द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालय तथा संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय की संस्थाओं द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी गयी उपाधियां केन्द्र सरकार की सेवाओं तथा नियुक्ति के लिए स्वतः ही मान्य होंगी बशर्ते कि दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय की दूरस्थ शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना प्रति भी संलग्न की जा रही है। दूरस्थ शिक्षा परिषद् का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखना है। समुचित प्रचार-प्रसार होने के कारण यह सम्भव है कि देश में स्थापित होने वाली कतिपय संस्थाओं द्वारा आधुनिक दूरस्थ पाठ्यक्रम तैयार कर शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जो कि उचित नहीं है।

3-अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा दूरस्थ कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो भी पाठ्यक्रम संचालित किये जायें उनके सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा परिषद् से पूर्वानुमोदन यता प्राप्त की जाय जिससे कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ हो।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 810(1)/XXIV(1)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अध्यक्ष, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, इग्नू परिसर, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3–निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल।
4–निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
5–उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
6–कुल सचिव, पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून।
7–कुल सचिव, इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून।
8–देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
9–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एम0 रामच

अपर मुख्य र

संख्या 820/XXIV(1)/2004

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

2. निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल।

3. निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तरांचल।

उच्च शिक्षा अनुभाग

देहरादून : दिनांक 20 अक्टूबर, 2004

विषय : मा0 उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की सत्य प्रतिलिपियां प्रायः शासन में प्राप्त नहीं होती हैं। सम्बन्धित पक्षों द्वारा आदेश की छाया प्रति अपने प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर उपलब्ध करायी जाती है जबकि किसी भी प्रकरण के निस्तारण के लिए सत्य प्रतिलिपि का होना आवश्यक है। कतिपय प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में कोई सूचना शासन में प्राप्त नहीं होती है पारित आदेश में निर्धारित सीमा समाप्त होने के पश्चात् अवमानना नोटिस प्राप्त होती है। विभाग द्वारा भी न्यायालय के प्रकरणों में समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति को पत्र के माध्यम से सामान्य रूप से भेज दिया जाता है जबकि न्यायालय के प्रकरणों पर व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करायी जानी चाहिए।

2—अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाओं में पैरवी करने के लिए विभाग द्वारा किसी अधिकारी को नामित किया जाय तथा उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह मा0 न्यायालयों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति से शासन को समयबद्ध रूप से अवगत कराते हुए मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की सत्य प्रतिलिपि ही उपलब्ध करायेंगे। ऐसे प्रकरणों जिनमें शासन द्वारा याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना हो, के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराते हुए समीक्षा भी नामित अधिकारी द्वारा करायी जायेगी जिसमें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित माह तक कितनी याचिकाओं में पारित आदेशों के क्रम में कार्यवाही की जानी है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए सम्बन्धित विभाग के नामित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नामित अधिकारी का विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 820(1)/XXIV(1)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर।

2-कुल सचिव, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

3-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्रन
अपर मुख्य सचिव

संख्या 941/XXIV(1)/2004–3(6)2000

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

च शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक 03 नवम्बर, 2004

षय : प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था।

ोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–576/उच्च शिक्षा/2003, दिनांक 10–7–2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष विजिटिंग फैकल्टी जिटिंग लैक्चरर) के माध्यम से शिक्षण कार्य लिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। वर्तमान में प्रदेश के राजकीय ाविद्यालयों में रिक्त सम्पूर्ण पदों पर नियमित चयन के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। योग में चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2004–2005 की शेष अवधि के लिए राजकीय ाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष गत वर्ष में संविदा में रखे गये व्यक्तियों को ही पुनः संविदा की थि से अन्यथा आदेश न होने की दशा में 30 अप्रैल, 2005 अथवा परीक्षा अवधि तक के लिए गत वर्ष निर्धारित शर्तों अधीन ही संविदा पर रखे जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

2–यह संविदा सम्बन्धित अभ्यर्थी के अनुरोध पर ही की जायेगी। संविदा पर कार्य करने से पूर्व सम्बन्धित जिटिंग लैक्चरर द्वारा प्राचार्य को संविदा–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं मानदेय पर कार्य करने के आधार पर नियमित ुक्ति की मांग नहीं की जायेगी। संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर संविदा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

3–विजिटिंग लैक्चरर पर प्रशासनिक नियन्त्रण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। विजिटिंग लैक्चरर रूप में संविदा पर रखे जाने वाले अभ्यर्थी के लिए पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित उक्त व्यवस्था के ारिक्त अन्य व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी। रिक्त पदों के सापेक्ष विजिटिंग लैक्चरर के रूप में नये अभ्यर्थी नहीं जायेंगे। नये रिक्त स्थानों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर आमन्त्रित किया जा सकता है।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

्या 941(1)/XXIV(1)/2004, तद्दिनांक।

ापि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री को मा0 मुख्यमन्त्री जी के अवलोकनार्थ।
2–महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3–समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4–वित्त अनुभाग–1, उत्तरांचल शासन।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

क्रम संख्या–17

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई०
माघ 11, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 421/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 28–01–2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 10, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 10, सन् 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973), (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने के लिए

अधिनियम

[भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नवत् रूप में यह अधिनियमित हो.]

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा। संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) का प्रतिस्थापन

2—उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा—

"ङ (I) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(1) महाविद्यालय की शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति, चयन समिति का अध्यक्ष होगा;

(2) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य;

(3) एक वरिष्ठ प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष (विषय से सम्बन्धित) जिसे प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;

(4) सम्बन्धित विश्वविद्यालय जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध हो, के कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य, जिसमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए; तथा

(5) सम्बन्धित महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा कुलपति से अनुमोदित पैनल की सूची में से नामित दो सदस्य, जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ उस महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो।

परन्तु यह कि चयन समिति की बैठक के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति समझी जायेगी, और जिसमें तीन विषय विशेषज्ञों में से न्यूनतम दो की उपस्थिति अनिवार्य होगी।"

"ङ (II) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) में प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(1) शासी निकाय का अध्यक्ष; अध्यक्ष

(2) शासी निकाय का एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा;

(3) कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य, जिसमें से एक विशेषज्ञ होना चाहिए;

(4) कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ, जो कि महाविद्यालय का प्राचार्य, विश्वविद्यालय का आचार्य तथा आचार्य से अन्यून पंक्ति का एक प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे।

परन्तु कम से कम चार सदस्यों से, जिनमें दो विषय विशेषज्ञ सम्मिलित हों, गणपूर्ति होगी"।

आज्ञा से,

आई० जे० मल्होत्रा,

प्रमुख सचिव।

संख्या – 1041/XXXI(13)G/ 2005

प्रेषक

एम0 रामचन्द्रन
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल
3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर 2005

विषय :- समस्त प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखो (Documents) में माता का नाम भी सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जारी किये जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों में पिता के साथ माता का नाम भी अंकित किया जाये।

2. कृपया इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

एम0 रामचन्द्रन
मुख्य सचिव।

उत्तरांचल शासन
शिक्षा अनुभाग–7
संख्या 190/XXIV (7)/2006
देहरादून, दिनांक : 08 मार्च, 2006

कार्यालय ज्ञाप

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग तथा विभाग के नियन्त्रण में आने वाली संस्थाओं में लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यों के निर्वहन हेतु अधिकारियों को नामित करने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 605/XXIV (7)/2005, दिनांक 24 अगस्त, 2005 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने हेतु पदेन रूप से कार्य करने हेतु नामित किया जाता है :–

क्र0सं0	लोक प्राधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4
1.	उच्च शिक्षा विभाग	प्रत्येक राजकीय स्नातकोत्तर तथा उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्य	निदेशक, उच्च शिक्षा
2.	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी	सचिव, उत्तरांचल संस्कृत अकादमी, हरिद्वार	कुलपति, उत्तरांचल संस्कृत विश्व–विद्यालय, हरिद्वार
3.	उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	कुल सचिव, उत्तरांचल मुक्त विश्व–विद्यालय, हल्द्वानी	कुलपति, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
4.	दून विश्वविद्यालय, देहरादून	कुल सचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून	कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून

उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 24–8–2005 में उल्लिखित अन्य व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

(एस0 राजू)
सचिव।

संख्या 190/XXIV (7)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सूचना आयुक्त को उनके पत्र संख्या 51/उ0सू0आ0/2006, दिनांक 17–1–2006 में दिये गये आदेशों के क्रम में प्रेषित।
2. सचिव, सूचना, उत्तरांचल शासन।
3. कुलपति, उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
4. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. कुलपति, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल।
7. प्राचार्य, समस्त राजकीय स्नातकोत्तर/उपाधि महाविद्यालय, उत्तरांचल।
8. सचिव, उत्तरांचल संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
9. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

एस0के0 माहेश्वरी
अपर सचिव।

संख्या 755/XXIV (7)/

प्रेषक,

एस० राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक : 22 अगस्त, 20

विषय : प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर विजिटिंग प्रवक्ताओं को संविदा आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक डिग्री सेवा/3577/2006–07, दिनांक 30 जून, 2006 एवं शासनादेश सं 657/XXIV (7)/2005–03(6)/2000, दिनांक 27 जुलाई, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्र के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर अभी भी रिक्तियां हैं, जिस कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो है। यद्यपि लोक सेवा आयोग में नियमित चयन की कार्यवाही गतिमान है। शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित क के लिए वर्तमान शैक्षिक सत्र 2006–07 में राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष गत वर्ष संवि में आमंत्रित किये गये अभ्यर्थियों में से ही प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही पु संविदा की तिथि से अन्यथा आदेश न होने की दशा में 30 अप्रैल, 2007 अथवा परीक्षा अवधि तक के लिए गत वर्ष निर्धारि शर्तों के अधीन ही संविदा पर रखे जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

2–संविदा की अवधि में इन विजिटिंग प्रवक्ताओं को गत वर्ष में निर्धारित शर्तों के अधीन ही रु0 8000/– प्रतिम नियत मासिक मानदेय दिया जायेगा। यह संविदा सम्बन्धित अभ्यर्थी के अनुरोध पर ही की जायेगी। संविदा पर कार्य क से पूर्व सम्बन्धित विजिटिंग प्रवक्ता द्वारा प्राचार्य को संविदा पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखि होगा कि मानदेय पर कार्य करने के एवज में नियमित नियुक्ति की मांग नहीं की जायेगी तथा संविदा की शर्तों का उल्लंघ करने पर पद संविदा स्वयं समाप्त मानी जायेगी।

3–विजिटिंग प्रवक्ताओं पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। विजिटिंग प्रवक्त के रूप में संविदा पर रखे जाने वाले अभ्यर्थी के लिए पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी। रिक्त पदों पर विजिटिंग प्रवक्ता के रूप में नये अभ्यर्थी की तैनाती नहीं की जायेगी। नये रिक्त स्थानों पर सेवा निवृत्त शिक्षकों को संविदा पर आमंत्रित किया जा सकता है, परन्तु इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का भी पालन किया जाना होगा।

भवदीय,
एस० राजू,
सचिव।

संख्या 755/XXIV (7)/2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
4. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
के० पी० पाटनी,
अनु सचिव।

संख्या 755/XXIV (7)/2006

प्रेषक,

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक : 10 नवम्बर, 2006

विषय : प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर विजिटिंग प्रवक्ताओं को संविदा पर आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम संख्यक शासनादेश, दिनांक 22 अगस्त, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश के द्वारा प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को संविदा पर आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। कतिपय विजिटिंग प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें संविदा पर आमंत्रित नहीं किया गया है। चूंकि राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं तथा अनर्ह विजिटिंग प्रवक्ताओं द्वारा भी संविदा पर आमंत्रित किये जाने का बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। अतः अनर्ह विजिटिंग प्रवक्ताओं को भी वर्तमान शिक्षा सत्र में संविदा पर आमंत्रित करने की सहमति प्रदान की जाती है। संविदा पर आमंत्रित करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी लिया जाना होगा कि किसी भी दशा में पुनः संविदा पर आमंत्रित किये जाने को आधार बनाकर इनके द्वारा विनियमितीकरण की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले चयन में भाग लेने का दावा किया जायेगा।

2–इस संदर्भ में अन्य शर्तें पूर्ववत् निर्धारित रहेंगी।

भवदीय,
एस0 राजू,
सचिव।

संख्या 755/XXIV (7)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
4. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
के0पी0 पाटनी,
अनु सचिव।

संख्या 816 / चाबास(6) / 2006

प्रेषक,

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कुलपति,
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर।

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांक : 14 नवम्बर, 2006

विषय : मा0 उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं की मॉनिटरिंग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित की जाने वाली याचिकाओं के प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था न होने के कारण शासन के समक्ष विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कतिपय प्रकरणों में समुचित पैरवी न होने के कारण अवमानना की स्थिति भी उत्पन्न होती है। जिन रिट याचिकाओं में विश्वविद्यालय के अतिरिक्त शासन भी प्रतिवादी रहता है, उनमें उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रतिशपथ–पत्र तैयार करवाने में कठिनाई होती है, क्योंकि कतिपय प्रकरणों में उन्हें रिट याचिका की भी जानकारी नहीं रहती है। अतः रिट याचिकाओं पर प्रभावी अनुश्रवण हेतु निम्नांकित कार्ययोजना तैयार की जा रही है :–

1. मा0 न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों के नियमित अनुश्रवण हेतु प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक, उप सचिव, उच्च शिक्षा के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जायेगी, जिसमें निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी तथा कुमाऊँ एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। यदि द्वितीय शुक्रवार को अवकाश रहेगा तो बैठक अगले कार्य दिवस को पूर्वान्ह 11 बजे होगी।
2. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थित होने के कारण कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा विधिक कार्य में निपुण कार्मिक को प्रतिदिन उच्च न्यायालय में जाकर उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित याचिकाओं की स्थिति एवं उनमें पारित आदेश तथा अगले कार्य दिवस हेतु नियत वाद की स्थिति जानने के लिए नामित किया जायेगा। इस कार्मिक द्वारा यह विवरण उसी दिन अपरान्ह पांच बजे तक उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी को फैक्स द्वारा प्रेषित किया जायेगा।
3. उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा फैक्स के आधार पर सुनिश्चित करना होगा कि प्रकरण पर क्या कार्यवाही अपेक्षित है। विशेष मामलों में तत्काल अधोहस्ताक्षरी को इसकी सूचना समस्त विवरण सहित देनी होगी।
4. विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित प्रकरणों में सचिव, उच्च शिक्षा के उत्तरदाता/प्रतिवादी होने पर प्रतिशपथ–पत्र तैयार किये जाने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा ही की जायेगी। विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के द्वारा इन याचिकाओं से सम्बन्धित अभिलेख बिना शासन की पूर्वानुमति के सीधे ही निदेशक को उपलब्ध कराकर प्रतिशपथ–पत्र तैयार किये जाने में यथावश्यक मदद की जायेगी।
5. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने हेतु आदेश प्राप्त होते ही वाहक के माध्यम से सुस्पष्ट संस्तुति शासन को संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की जायेगी जिसका विवरण उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून को भी प्रस्तुत किया जायेगा। उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून का दायित्व होगा कि वे समस्त प्रकरणों पर अनुश्रवण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे।
6. याचिकाओं में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिशपथ–पत्र की एक प्रति अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा अनुभाग को भी उपलब्ध करायी जानी होगी। साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा रिट याचिकाओं की पैरवी के लिए एक कम्प्यूटर पैकेज तैयार किया जाना होगा, जिसके लिए निदेशक, उच्च शिक्षा से वार्ता भी की गयी है। विश्वविद्यालयों द्वारा भी इस पैकेज का उपयोग किया जायेगा।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,
एस0 राजू,
सचिव।

संख्या 148/XXIV(7)/2006-3(6) 2000

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

अनुभाग-7 देहरादून, दिनांक : 29 नवम्बर, 2006

विषय : राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जनपदवार संविदा पर शिक्षकों की व्यवस्था।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था करने के ी भी प्रवक्ता के 395 पद रिक्त हैं, जिस कारण लगभग सभी महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। रूप से पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में स्थित महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की संख्या अधिक है, जिस स्थानीय स्तर पर छात्रों द्वारा शिक्षण कार्य कराये जाने के लिए समय-समय पर आन्दोलन आदि भी किया जाता । पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों नान्तरण के लिए अनुरोध भी किया जाता रहा है।

उक्त स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पूर्णतया पर्वतीय 9 जनपदों त राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रवक्ता के रिक्त पदों के विरुद्ध ार संविदा पर अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किये जाने पर सहमति प्रदान की जाती है :-

श्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित अर्हता प्राप्त भ्यर्थियों को ही संविदा पर आमंत्रित किया जायेगा।

भ्यर्थियों का संविदा पर चयन दो वर्ष से अनधिक अवधि अथवा लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक ो भी पहले हो, तक किया जायेगा।

ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि यह अल्पकालिक अन्तरिम व्यवस्था है, जो कि दो वर्ष से पहले भी समाप्त ो जा सकती है, साथ ही इसमें आमंत्रित अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के नियमित चयन में आवेदन करने के लिए थासमय स्वतंत्र है।

स प्रकार नियुक्त अभ्यर्थियों से महाविद्यालय में किसी भी प्रकार कोई प्रशासनिक कार्य नहीं लिया जायेगा, क्योंकि ह व्यवस्था मात्र शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए की जा रही है।

न अभ्यर्थियों को संविदा पर कार्य करने के एवज में प्रति वादन रु0 200 तथा प्रतिमाह कम से कम रु0 8000 तथा धिकतम रु0 10000 की धनराशि मानदेय के रूप में दी जायेगी।

त्येक अभ्यर्थी मानदेय पर अध्यापन कार्य करने से पूर्व प्राचार्य को इस आशय का शपथ-पत्र उपलब्ध करायेगा कि ः मानदेय पर कार्य करने के एवज में नियमित नियुक्ति की मांग नहीं करेगा। शपथ-पत्र उपलब्ध न होने पर ानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

बंधित अभ्यर्थी का चयन जनपदवार जनपद के वरिष्ठतम प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया ायेगा, जिसमें विषय विशेषज्ञ के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित एक प्राध्यापक भी होगा।

यन के लिए विज्ञापन जनपदवार किया जाना होगा, जो कि जनपद में स्थित महाविद्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम चार्य द्वारा किया जायेगा।

ा अभ्यर्थियों को संविदा पर उसी जनपद में आमंत्रित किया जायेगा, जिस जनपद में इनका चयन हुआ हो। जनपद बाहर के महाविद्यालय में इन्हें किसी भी दशा में आमंत्रित नहीं किया जायेगा।

ः व्यवस्था सृजित रिक्त पदों के विरुद्ध ही की जा रही है।

ंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रथम बार में केवल वर्तमान शिक्षा सत्र में शिक्षण कार्य के लिए ही अभ्यर्थी को विदा पर आमंत्रित किया जाना होगा। अगले शिक्षा सत्र में आवश्यकता होने पर नये सिरे से संविदा की जानी होगी।

त्या उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
एस0 राजू,
सचिव।

संख्या 148(1)/XXIV (7)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
3. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

भास्करान

अपर सचि

संख्या–415/ XXIV (7)3(1)/2008

प्रेषक,

अंजली प्रसाद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा
हल्द्वानी – नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 01 दिसम्बर 2008

विषय:– उच्च शिक्षा निदेशालय का ढांचा का पुनर्गठन।

महोदय,

शासनादेश संख्या 1721/शा.सं.वि./2001–3(35)2001 दिनांक 12/17 जुलाई 2001 से उच्च शिक्षा निदेशालय के गठन करते हुये उच्च शिक्षा निदेशालय हेतु 45 पदों का सृजन किया गया था। सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश से सृजित 45 पदों में से सांख्यकी सहायक वेतनमान 5000–8000 का एक पद एवं तकनीकी सहायक वेतनमान 5000–8000 का एक पद को समाप्त कर तथा कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2 के पद नाम को प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 में परिवर्तित करते हुये निम्न विवरणानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के ढांचे को पुनर्गठित कर शासनादेश जारी होने की तिथि से 28 फरवरी 2009 तक, बशर्ते इससे पूर्व बिना सूचना के पद समाप्त न कर दिये जॉय कालम सं0 06 में अंकित 18 (अठ्ठारह) अतिरिक्त अस्थाई पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

क्र.	पदनाम	पूर्व वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पद (सं0)	नवसृजित पद (सं0)	कुल स्वीकृत पद (सं0)
1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशक	18400–22400	लागू नहीं	01	–	01
2	संयुक्त निदेशक	16400–22400	लागू नहीं	01	–	01
3	उप निदेशक	12000–18300	लागू नहीं	02	01	03
4	वित्त नियंत्रक	लेखा संवर्ग	वित्तीय सेवा	01	–	01
5	लेखाधिकारी	लेखा संवर्ग	वित्तीय सेवा	01	–	01
6	सहायक निदेशक	8000–13500	लागू नहीं	02	02	04

7	वैयक्तिक सहायक	6500—10500	9300—34800 ग्रेडपे—4200	—	01	01
8	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—1	5500—9000	9300—34800 ग्रेडपे—4200	—	02	02
9	लेखाकार	5500—9000	9300—34800 ग्रेडपे—4200	01	—	01
10	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—2 (पूर्व में 01 पद कार्यालय अधीक्षक स्वीकृत केवल पद नाम परिवर्तित)	5000—8000	9300—34800 ग्रेडपे—4200	01	02	03
11	अभिलेख क्रम संगणक	4500—7000	5200—20200 ग्रेडपे—2800	02	—	02
12	वरिष्ठ सहायक	4500—7000	5200—20200 ग्रेडपे—2800	02	02	04
13	सहायक लेखाकार	4500—7000	5200—20200 ग्रेडपे—2800	—	01	01
14	लेखा परीक्षक	4500—7000	5200—20200 ग्रेडपे—2800	02	—	02
15	प्रवर सहायक	4000—6000	5200—20200 ग्रेडपे—2400	04	02	06
16	आशुलिपिक	4000—6000	5200—20200 ग्रेडपे—2400	03	01	04
17	कनिष्ठ सहायक	3050—4590	5200—20200 ग्रेडपे—1900	08	04	12
18	वाहन चालक	3050—4590	5200—20200 ग्रेडपे—1900	02	02 (आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जायेंगें)	04
19	परिचारक	2550—3200	5200—20200 ग्रेडपे—1800	10	02 (आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जायेंगें)	12
		योग:—		43	22 (18 अस्थाई पद व 04 आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पद)	65

- निदेशक के पद हेतु अंकित वेतनमान विभागीय अधिकारी के पद धारण पर अनुमन्य होगा। यदि आई.ए.एस. अथवा पी0सी0एस0 अधिकारी पद धारण करेंगे तो वे अपने संवर्ग में अनुमन्य वेतनमान में ही कार्य करेंगे।
- क्रमांक 18 एवं 19 पर कालम 6 में उल्लिखित वाहन चालक के 02 पद एवं परिचालक के 02 पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जायेगा।

2— पदों के पुनरीक्षित वेतनमान के सन्दर्भ में सुसंगत सेवा नियमावलियों में तदनुसार यथाआवश्यक संशोधन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3— उच्च शिक्षा निदेशालय के उपरोक्त पुर्नगठित ढांचें में संयुक्त निदेशक एवं क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय के पद भी सम्मिलित हैं। उक्तानुसार पुर्नगठित ढांचे में कुल 65 (पैंसठ) पद होंगे ।

4— उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—11 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक " 2202— सामान्य शिक्षा 03— विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 001—निदेशन तथा प्रशासन 03— उच्च शिक्षा निदेशालय " में वित्तीय वर्ष 2008—09 हेतु आवंटित धनराशि के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 117(np)/xxx/ii(3) 2007 दिनांक 22—11—08 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

अंजली प्रसाद
सचिव

सं0 (1)/ xxiv (7)3(1)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी हल्द्वानी।
4— वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी ।
5— उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय देहरादून।
6— समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड राज्य।
7— वित्त नियंत्रण अनुभाग—3 उत्तराखण्ड सचिवालय ।
8— निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर ।
9— गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

इन्दुधर बौडाई
अपर सचिव

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

पत्र संख्या – 99 / xxvii (14) / 200

प्रेषक,
आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त।
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
अपर मुख्य सचिव एवं
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
वित्त आडिट प्रकोष्ठ देहरादून दिनांक : 3 सितम्बर, 2009

विषय :– सरकारी धन के विभिन्न बैंकों में जमा विषयक सूचना के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप आवगत है कि सरकार द्वारा राज्य की योजनाओं के पोषण हेतु भारी मात्रा में धनराशि उच्च ब्याज दर पर लेकर सम्बन्धित विभागों को विकास योजनाओं हेतु उपलब्ध करायी जाती है। विभिन्न आडिट रिपोर्टो के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा (Park) की जाती रही हैं यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 (2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये कोषागार नियम–9 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–21 व 22–बी के विपरीत है। इस सम्बन्ध में विभाग का ध्यान शासनादेश संख्या– 242/XXVII(1) /2007 दिनांक 21 मार्च 2007 में की ओर आकर्षित करना है जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है –

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों आदि में समेकित निधि से आहरित धनराशियों को तत्काल सम्बन्धित योजना में उपभोग करने के बजाय विभिन्न बैंकों अथवा सावधि जमा (फिक्स डिपोजिट) के रूप में रखा गया है। शासन द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि, यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049–ब्याज प्राप्तियाँ – 04– राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 12– अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाय।

राज्य की अर्थोपाय स्थिति में संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि समेकित निधि से आहरण तब किया जाये जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो, के सिद्धान्त पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, निकायों, परियोजनाओं, परिषदों आदि के अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन कोषागार में वैयक्तिक खाता (पी०एल०ए०) यदि पूर्व में न खुला हो, खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेकित निधि से आहरित वे सभी धनराशियां, जो बैंक में रखी गयी हो, अथवा (फिक्स डिपोजिट) जमा में रखी गयी है, को तत्काल कोषागार के विभागीय पी०एल०ए० में जमा कर दिया जाये। पी०एल०ए० से

तत्काल आवश्यकता की धनराशि ही आहरित की जाये एवं बैंक में ऐसी धनराशियां सामान्य जमा या सावधि जमा में न की जाये।

सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्राविधान नहीं है, जब तक शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गयी हो। अतः यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो उसे तत्काल बन्द किया जाये एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी0एल0ए0 में तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखाशीर्षक में तत्काल जमा कर दिया जाये।

जब तक परियोजना संरचना एवं परिपक्व न हो जाये उसे स्वीकार न किया जाये ताकि समयवृद्धि (Time over run) मूल्यवृद्धि (Cost over run) की स्थिति न उत्पन्न हो। बजट मैनुअल के प्रस्तर-211 का कड़ाई से पालन किया जाय कि आवश्यक औपचारिकतायें (यथा-भूमि की उपलब्धता होने आदि) पूर्ण करने एवं कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व 40 प्रतिशत बजट की उपलब्धता होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

उपलब्ध सूचनानुसार विभागों द्वारा उपरोक्त आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के क्रम में कृपया निम्नलिखित प्रारूप पर सूचित करने का कष्ट करें कि दिनांक 31 जुलाई, 2009 को आपके विभाग में विभागाध्यक्ष तथा विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं यथा, निगमों/अधिकरणों/परिषदों/समितियों/फण्ड आदि द्वारा विभिन्न योजनाओं की कितनी धनराशि बैंकों में रखी गई है? वांछित सूचना विलम्बतम् दिनांक 15 सितम्बर, 2009 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्र. सं.	विभागाध्यक्ष/ संस्था का नाम	योजना का विवरण (केन्द्र पोषित बाह्य सहायतित, बाह्यपोषित राज्य/जिला योजना आदि)	बैंक का नाम	जमा धनराशि	आहरण का वर्ष

उक्त सूचना समयवद्ध रूप से भेजी जाय क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 99/XXVII (14)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त अपर सचिव, वित्त व्यय नियंत्रण, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त।

संख्या – 947 / xxiv (7) 2 (1) 08/2009

प्रेषक,

केशव देसिराजु,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा,,

हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून : दिनांक : 29, सितम्बर 2009

विषय :– वर्ष 2001 से कार्यरत 12 अनर्ह विजिटिंग प्रवक्ताओं हेतु सामान्य 45 प्रतिशत एवं अनुसूचितजाति के विजिटिंग प्रवक्ताओं के लिए 40 प्रतिशत अर्हता अंकों में शिथिलीकरण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषययक आपके पत्र संख्या 10199 /2008–09 दिनांक 09 फरवरी, 2009 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण पर 12 अनर्ह विजिटिंग प्रवक्ताओं जो वर्ष 2001–02 से निरन्तर उच्च शिक्षा विभाग में विजिटिंग प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं, तथा जिन्हें शासनादेश क्रमशः दिनांक 20 अगस्त 2005, 24 अगस्त, 2006 एवं 10 नवम्बर 2006 के द्वारा 45 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अर्हता में समय–समय पर छूट दी जाती रही है।

उक्त के आलोक में शासन द्वारा किये गये सम्यक विचारोपरान्त शिक्षण–सत्र में उपरोक्त 12 अनर्ह (सूची में संलग्न) विजिटिंग प्रवक्ताओं पर पृथक से उक्त शिथिलीकरण पर उच्चानुमोदन की आवश्यकता एवं पठन–पाठन समय एवं सुचारू रूप सम्पादन कराये जाने के आलोक में मुझे यह कहने का आदेष हुआ है कि वर्तमान में कार्यरत अनर्ह 12 विजिटिंग प्रवक्ता अपनी सेवायें उच्च शिक्षा विभाग को प्रदान कर रहे हैं, को तब तक सामान्य वर्ग में 45 प्रतिशत अंक अर्हता एवं अनुसूचितजाति हेतु 40 प्रतिशत अंक अर्हता हेतु शिथिलीकरण इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि वे अर्हता में दी गयी छूट तब तक मान्य होगी कि जब तक कि वे उच्च शिक्षा विभाग में अपनी विजिटिंग सेवायें प्रदान करते रहेंगे।

उक्त अर्हता में शिथिलीकरण विभाग द्वारा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त लाभ/निर्णय जो कि अन्य 190 विजिटिंग प्रवक्ताओं पर समान रूप से लागू होंगे (लोक सेवा आयोग को छोड़कर)

तथा यह अर्हता से शिथिलीकरण का दृष्टिकोण किसी अन्य प्रकरण अथवा इस प्रवक्ता पर कदापि लागू नहीं होगा, ना ही भविष्य में इस दृष्टान्त के रूप में लिया जायेगा।
(संलग्नक सूची)

भवदीय,

केशव देसिराजु,
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या (1)/XXIV (7)/2 (1)09/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप निदेशक, शिविर कार्यालय, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्राचार्य, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राधिका झा
अपर सचिव

सख्या— 948 /XXIV(7)/1(1)08/2009

प्रेषक,

केशव देसिराजु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा)   देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर 2009

विषयः— उत्तराखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत संविदा, अंशकालिक एवं विजिटिंग प्रवक्ताओं का मानदेय एवं पदनाम एक समान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : डिग्री बजट 7086/2009–2010 दिनांक 25.09.2009 के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के अत्यधिक संख्या में रिक्त पदों को देखते हुये सुचारू पठन–पाठन की दृष्टि से समय–समय पर संविदा के आधार पर कार्यरत विजिटिंग, संविदा एवं अंशकालिक प्रवक्ताओं (राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी में कार्यरत) को पूर्व शासनादेशों में अनुमन्य व्यवस्था के तहत कमशः अधिकतम प्रतिमाह मानदेय रू0 15000/–, रू0 10000/– एवं रू0 10000/– की व्यवस्था की गयी है।

एक समान अर्हता, मानदण्ड, कार्यदायित्वों एवं सेवा शर्तों के होते हुये भी विभिन्न दरों पर मानदेय भुगतान व विभिन्न नाम से नियुक्त उक्त संविदा प्रवक्ताओं को समान कार्य के लिए समान पदनाम व मानदेय दिये जाने के संबंध में शासन द्वारा किये गये सम्यक् विचारोपरान्त एकरूपता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत विजिटिंग प्रवक्ताओं, संविदा प्रवक्ताओं तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं (राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी में कार्यरत) की एक समान अर्हता, कार्यदायित्व एवं सेवा शर्तों के दृष्टिगत एक समान प्रतिमाह मानदेय रू0 15000/– (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) एवं एक समान पदनाम "संविदा प्रवक्ता" दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अन्य शर्तें व मानदण्ड पूर्व की भाँति यथावत् रहेंगी।

2. पुनरीक्षित मानदेय की दर 01 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगी।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 253/वित्त अनुभाग–3/2007 दिनांक 29.09.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

केशव देसिराजु,
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 948 (i)/XXIV(7)/1(1)08/2009/तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी।

3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3, एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राधिका झा
अपर सचिव

पत्र संख्या – 373 / सू0 एवं लो0सं0वि0(विज्ञापन) 52 / 2004

प्रेषक,

निदेशक,

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,

उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,

उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक : 31 मई, 2010

विषय :– समस्त प्रकार के शासकीय विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से जारी किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, सूचना के पत्र संख्या – 75 / प्र.स.सू. / 2009 दिनांक 9 अक्टूबर 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार के समस्त विभाग एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं द्वारा इलैक्ट्रानिक मीडिया तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से ही जारी किये जाने के निर्देश दिये थे।

यह देखा जा रहा है कि इस शासनादेश के बावजूद भी विभागों / स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा विज्ञापन अपने स्तर से सीधे प्रिन्ट एवं अलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित किये जा रहे हैं। जिसका उच्च स्तर पर संज्ञान लिया गया है और इस प्रवृत्ति पर कड़ा रोष व्यक्त किया गया है। भविष्य में इसकी पुनर्रावृत्ति होने की दशा में सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी गयी है। शासनादेश के उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के प्रति उच्च स्तर से कार्यवाही भी की जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में उक्त शासनादेश के अनुसार समस्त विज्ञापन, सूचना विभाग के माध्यम से ही प्रकाशित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देशित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ. अनिल चन्दोला

संयुक्त निदेशक.

संख्या 373 ए (1)/सू0एवं लो0 सं0 वि0 (विज्ञापन) 52/2004 तद्‌दिनांक।

1. निजि सचिव मुख्य सचिव।
2. निजि सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव सूचना के अवलोकनार्थ।
4. श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, पत्रकार, प्रदेश अध्यक्ष, लघु समाचार पत्र एसोसिएशन, 104 ईश्वर विहार फेस–2 रायपुर रोड देहरादून को उनके पत्र 25.05.2010 के क्रम में सूचनार्थ।

डॉ. अनिल चन्दोला
संयुक्त निदेशक

संख्या 640/XXX(2)/2010

प्रेषक

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3— आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादून: दिनांक: 23 जून, 2010

विषय:— समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती—पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय स्रोतों से शासन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इनमें कुछ मा0 सांसदों/विधायकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा कुछ अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त होती है। कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि शिकायती—पत्रों में अंकित शिकायतकर्ता का नाम फर्जी है तथा शिकायतें निराधार व तथ्यहीन हैं। कतिपय मामलों में किसी विशिष्ट व्यक्ति के पैड का दुरूपयोग करते हुए फर्जी हस्ताक्षर से शिकायती पत्र दिये जाते है।

2- अतः बेनामी अथवा फर्जी शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायती—पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जाय:—

1—विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के सम्बंध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व यदि शिकायती पत्र की सत्यता संदिग्ध प्रतीत होती हो और उसकी पुष्टि करना आवश्यक समझा जाय तो सम्बधित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि कर ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बंध में उनको सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

2—अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बंध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ—पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और इसके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

3— अतः आपसे यह अनुरोध है कि कृपया समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के विरूद्ध विभिन्न स्तरों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती—पत्रों का उपरोक्त निर्देशों के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

दिलीप कुमार कोटिया
प्रमुख सचिव।

संख्या–1450 / XXX(2) / 2010

प्रेषक,

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

3– मण्डलायुक्त
गढ़वाल / कुमाऊँ।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 30 सितम्बर, 2010

विषयः– चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्ठियां, सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र, प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना, उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः– 1/12/कार्मिक–2/2003, दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवकों की वार्षिक प्रविष्टियां अंकित किये जाने(एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित किये जाने, प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित करने और उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– उक्त शासनादेश के प्रस्तर–9 में वार्षिक प्रविष्टियों में ग्रेडिग के संबंध में यह व्यवस्था की गये है कि वार्षिक प्रविष्टि के अन्त में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा सम्बंधित कार्मिक के सम्पूर्ण कार्य एवं आचरण के परिप्रेक्ष्य में उसकी ग्रेडिग की जायेगी यह ग्रेडिंग निम्नवर्गीकरण के अन्तर्गत होगीः–

1– उत्कृष्ठ	(Outstanding)
2– अति उत्तम	(Very Good)
3– उत्तम	(Good)
4– अच्छा / संतोषजनक	(Satisfactory)
5– खराब / असंतोषजनक	(Bad/UnSatisfactory)

3– शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि वार्षिक प्रविष्टियां अंकित करने वाले अधिकारियों द्वारा उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भली–भाँति नहीं किया जा रहा है तथा सरसरी तौर पर सम्बंधित कार्मिकों के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन करते हुये श्रेणी अंकित की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप जिन कार्मिको को अच्छा / संतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, उनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्यों का संज्ञान नही लिया जाता है। ऐसी दशा में उच्चतर पदों पर पदोन्नति के समय अच्छा / संतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों को श्रेष्ठता के चयन में कोई भी अंक प्राप्त नहीं होते है तथा वे पदोन्नति से वंचित हो जाते है।

4– इस सम्बन्ध में शासना द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 में वर्गीकृत श्रेणियों को संशोधित करते हुए अब वार्षिक गोपनीय प्रविष्ट अंकित हेतु निम्न श्रेणियों को रखा जायेगाः–

1– उत्कृष्ठ	(Outstanding)
2– अति उत्तम	(Very Good)

3– उत्तम (Good)
4– खराब/असंतोषजनक (Bad/UnSatisfactory)

भविष्य में कार्मिको की श्रेणी का वर्गीकरण करते समय अच्छा/संतोषजनक श्रेणी अंकित नहीं की जायेगी। बल्कि जिन कार्मिकों का सम्बधित वर्ष में कार्य एवं आचरण असंतोषजनक है तथा सत्यनिष्ठा संदिग्ध , उनका मूल्यॉकन निष्पक्षता के आधार पर करते हुये उन्हें खराब/असंतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा तथा जिन कार्मिको के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य न हो, तो कार्य एवं आचरण के मूल्यॉकन के आधार पर उन्हें उत्तम श्रेणी अथवा उससे उच्चतर यथा अति उत्तम/उत्कृष्ठ श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

– उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व मे प्रदत्त "अच्छा/संतोषजनक" श्रेणी को श्रेष्ठता के आधार पर चयन के मामले में मूल्यॉकन हेतु 'उत्तम' के समतुल्य माना जायेगा ताकि ऐसे कार्मिक को मूल्यॉकन/Marking को लेकर क्षति न हो।

कृपया उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव।

संख्या:– (1)/xxx(2)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव।

संख्याः 736/XXVii(7)स्वै0प0क0/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर, 2010

विषयः– स्वैच्छिक परिचर कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्याः 40/XXVii (7)/स्व0 प0क0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 40/XXVii(7)/स्वै0परि0क0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में यह व्यवस्था है कि जिन कर्मचारियों को 1 सितम्बर, 2008 से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस धनराशि क दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय। दिनांक 31 अगस्त, 2008 के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय हाता है उनके लिए इसकी धनराशि पुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा।

विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा की गई जिज्ञासाओं पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन कर्मचारियों को दिनांक 31 अगस्त, 2008 तक पुराने वेतनमान में परिवार नियोजन भत्ता अनुमन्य हुआ है उनके परिवार नियोजन भत्ते की दर अनुमन्यता के समय पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित वेतन बैण्ड के ग्रेड पे के 10 प्रतिशत के बराबर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य होगा।

2– शासनादेश संख्याः 40/XXVii(7)/स्वै0परि0क0/2009, दिनांक 13 फरवरी, 2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त।

संख्याः 736 (1)/XXVii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
7. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शरद चन्द्र पाण्डेय
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:737/XXVii(7)/2010
देहरादून, दिनांक 27 अक्टूबर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या:–4–392/दस–99–203–86 दिनांक 4 जुलाई, 1999 द्वारा कुल उपार्जित अवकाश 300 दिन निर्धारित किया गया है।

2— इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जुलाई को क्रमशः 16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश का प्रथम छमाही के अतिंम माह 30 जून एवं द्वितीय छमाही के अंतिम माह 31 दिसम्बर तक उपभोग कर सकते है। उक्त अर्जित किये गये अवकाश को पूर्व में अर्जित कुल 300 दिनों के अवकाश में से घटाया नहीं जाएगा। कलैण्डर वर्ष के 01 जनवरी से 30 जून तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक अनुमन्य 16 दिन एवं 15 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग संबंधित छमाही में न करने पर उसे अग्रेनीत नहीं किया जायेगा अर्थात प्रत्येक छः माह में माहवार अर्जित अवकाश का उपभोग संगत छमाही में ही किया जा सकेगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।
3. संबंधित अवकाश नियमों में अवकाश संशोधन यथा समय पृथक से किया जाएगा।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त।

संख्याः 737/XXVii(7)/2010 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।.
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आंडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शरद चन्द्र पाण्डेय,
अपर सचिव।

संख्याः 2740 / VII-1-10 / 17–उद्योग / 2004

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
कार्यालयाध्यक्ष व जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक: 12 जनवरी, 2011

विषयः उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी एवं सिलाई की दरें राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों / चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के समान अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों / चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को वर्दी एवं सिलाई की दरें अनुमन्य किए जाने विषयक शासनादेश संख्या 3525 / सात / 2004 / 17–उद्योग / 04, दिनांक 10 जनवरी, 2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्मिकों जिन्हें ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी की सुविधा पूर्व से अनुमन्य है, को राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भांति वर्दी एवं सिलाई की दरें निम्नलिखित दरों पर अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

राजकीय वाहन चालक

क्रमांक	विवरण	दर (रूपये में)	सिलाई दर (रूपये में)
1.	कोट पैंट (शीतकालीन)	475.00 प्रति मीटर	998.00 प्रति
2.	कमीज आसमानी	55.00 प्रति मीटर	68.00 प्रति
3.	सफारी सूट	170.00 प्रति मीटर	398.00 प्रति
4.	जूता	705.00 प्रति जोड़ा	–
5.	छाता	110.00	–
6.	कम्बल	578.00	–
7.	मोजा	25.00 प्रति जोड़ा	–

चतुर्थ श्रेणी

क्रमांक	विवरण	दर (रूपये में)	सिलाई दर (रूपये में)
1.	कोट पैंट (शीतकालीन)	370.00 प्रति मीटर	998.00 प्रति
2.	कमीज आसमानी	53.00 प्रति मीटर	68.00 प्रति
3.	पैंट काली	140.00 प्रति मीटर	135.00 प्रति
4.	जूता	705.00 प्रति जोड़ा	–

5.	लॉग कोट (महिला)	370.00 प्रति मीटर	725.00 प्रति
6.	साड़ी	700.00	—
7.	पेटीकोट	38.00 प्रति मीटर	36.00 प्रति
8.	ब्लाउज	45.00 प्रति मीटर	58.00 प्रति
9.	छाता	110.00	—
10.	कम्बल	578.00	—
11.	सैण्डिल (महिला)	470.00 प्रति जोड़ा	—
12.	लैदर बैग (महिला)	375.00	—
13.	मोजा	25.00 प्रति जोड़ा	—

2— इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन वर्दी एवं सिलाई की दरें उपरोक्तानुसार संशोधन के फलस्वरूप उक्त कार्मिकों को शासनादेश संख्या 3525/सात/2004/17–उद्योग/04, दिनांक 10 जनवरी, 2005 द्वारा वर्दी की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 4787/XXVII(7)/2010, दिनांक 12 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

एम०सी० उप्रेती
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 27(1)/VII-1-10/17–उद्योग/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

एम०सी० उप्रेती
अपर सचिव।

संख्या:59/XXVIII-4-2011-04/2008

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक: 24 जनवरी, 2011

विषय:- उत्तराखण्ड हैल्थ स्मार्ट कार्ड (नकद रहित) योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु स्मार्ट कार्ड प्रकोष्ठ एवं उसके ढांचे का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजकीय कर्मचारियों एवं पेशनर्स हेतु हैल्थ स्मार्ट कार्ड (नकद रहित) योजना लागू करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन और M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd. पूणे के मध्य दिनांक 01.01.2010 को हस्ताक्षरित अनुबन्ध के प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड हैल्थ स्मार्ट कार्ड (नकद रहित) योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा चयनित सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सालयों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी बिलों के भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के नियंत्रणाधीन स्मार्ट कार्ड प्रकोष्ठ तथा प्रकोष्ठ के ढांचे का गठन निम्नवत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	पद का नाम	संख्या	तैनाती का प्रकार
1	वित्त नियंत्रक, अध्यक्ष/प्रकोष्ठ प्रभारी	01	उक्त पद विभागीय संरचनात्मक ढॉचे में पूर्व से ही स्वीकृत है, उक्त पदों पर कार्यरत कार्मिकों से ही हैल्थ स्मार्ट कार्ड प्रकोष्ठ का कार्य लिया जायेगा।
2	वित्त अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी	01	
3	संयुक्त निदेशक, (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग)	01	
4	लेखाकार (Manager Accounts)	02	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत संवाऐं आउटसोर्स के आधार पर तैनाती की जायेगी।
5	कम्प्यूटर आपरेटर	02	
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01	

2- क्रम संख्या 4 से 6 तक के कर्मियों की व्यवस्था सेवाऐं आउटसोर्स के आधार की जायेंगी तथा उनकी तैनाती किये जाते समय निम्न योग्यताओं को ध्यान में रखा जायेगा-

(1) लेखाकार (Manager Accounts) की न्यूनतम योग्यता बी0कॉम होनी चाहिए। एम0कॉम0 तथा एम0बी0ए0 फाइनेन्स अधिमान्य अर्हता के रूप में अंकित की जायेंगी।

(2) कम्प्यूटर आपेरटर की न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा एक वर्ष की कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए।

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ उत्तीर्ण होनी चाहिए।

(4) लेखाकार (Manager Accounts) एवं कम्प्यूटर आपरेटर की सेवाऐं आवश्यकतानुसार ही प्राप्त की जायेगी।

3- हैल्थ स्मार्ट कार्ड (नकद रहित) योजनान्तर्गत गठित प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों के कार्यो एवं दायित्वों का निर्धारण निम्नवत किया जाता है-

(1) वित्त नियंत्रक- कार्यदायी संस्था के माध्यम से प्रस्तुत दावों (claim) का भुगतान, वित्त विभग, निदेशक कोषागार/कोषागार से समन्वय, वित्त एवं लेखा सम्बन्धी निर्णयन एवं प्रबंधन।

(2) वित्त अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी- संयुक्त निदेशक द्वारा अग्रसारित देयकों का परीक्षण, लेखा सम्बन्धी कार्यो का पर्यवेक्षण, AG/Audit से संबंधित कार्य, कोषागार/बैंक से संबंधित कार्यो की देखरेख, पी0एल0ए0 राजस्व बजट तथा लेखा सम्बन्धी उत्तरदायित्व।

(3) संयुक्त निदेशक- देयकों का प्रचलित नियमों के अन्तर्गत तकनीकी परीक्षण तथा अग्रसारण, अनुबंधित चिकित्सालयों का निरीक्षण एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित समस्त उत्तरदायित्व।

(4) लेखाकार (लेखा प्रबन्धक)- लेखों का रख-रखाव यथा-रोजानामचा, लेजर, कैश बुक M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd. पूणे द्वारा प्रस्तुत बिलों का नियमानुसार परीक्षण, अन्तिम लेखों की तैयारी, कोषागार में बिल प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करना एवं राजस्व प्राप्तियों का अभिलेखीकरण।

(5) कम्प्यूटर आपरेटर- डायरीकरण एवं सूचीबद्ध करना, अभिलेखों का रख-रखाव/अभिलेखीकरण, डाटा एन्ट्री, आवर्ती रिपोर्ट की तैयारी, कार्यालय सहायक सम्बन्धी समस्त कार्य एवं योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्मिकों/पेंशनरों के सम्बन्ध में सूचनाओं का संकलन।

4— हैल्थ स्मार्ट कार्ड (नकद रहित) योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा चयनित सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सालयों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी बिलों के भुगतान की प्रक्रिया का सम्पादन निम्नानुसार किया जायेगा—

(1) कार्यदायी संस्था द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को अनुबंध की शर्तानुसार सतयापित/प्रमाणित कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान हेतु महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कलयाण के अधीन गठित स्मार्ट कार्ड प्रकोष्ठ के अधीन प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को प्रकोष्ठ में तैनात आउटसोर्स कार्मिकों द्वारा सम्यक रूप से जॉच एवं परीक्षण के उपरान्त संयुक्त निदेशक (पी0एम0एच0एस0) को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) संयुक्त निदेशक (पी0एम0एच0एस0) द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जांच कर वित्त अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के माध्यम से वित्त नियंत्रक को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) वित्त नियंत्रक द्वारा गहन परीक्षणोपरान्त एवं प्रदान की गई संस्तुति के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कल्याण के अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जा सकेगा।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या—12 के लेखाशीर्षक 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 001—निदेशक तथा प्रशासन—05 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्मार्ट कार्य का प्रबन्धन—42—अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या—629(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/2011 दिनांक 20 जनवरी, 2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव

संख्या— 59(1)/XXVIII-4-2010-04/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
11. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. आहरण—वितरण अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. डॉ0 अतुल अरोरा, प्रभारी उत्तर क्षेत्र M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd. पूणे।
14. प्रोजेक्ट मैनेजर, M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd. पूणे
15. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन विभाग/चिकित्सा अनुभाग—5 उत्तराखण्ड शासन।
16. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओमकार सिंह
अनुसचिव।

महत्वपूर्ण / फैक्स
संख्या : 914 /XXIV(7)/31(1)/2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून : दिनांक 21 जून, 2011

विषय :– राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पदों पर वर्तमान शिक्षा सत्र 2011–12 हेतु प्रवक्ताओं को संविदान्तर्गत पुनः आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : डिग्री सेवा–संविदा/2643/2011–12 दिनांक 26 मई, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था के सुचारू संचालनार्थ विभिन्न विषयों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पदों पर पूर्व से कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं, जो कि संबंधित विषय के रिक्त पद के लिये यू0जी0सी0 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा विहित शैक्षिक अर्हता या शासनादेश संख्या : 1307/XXIV(7)/31(1)/2010 दिनांक 04 अगस्त, 2010 द्वारा विहित शैक्षिक अर्हता धारित करते हैं तथा संविदा की शर्तों पूर्ण करते हैं, को शैक्षिक सत्र 2011–12 की परीक्षा समाप्ति अथवा लोक सेवा आयोग से नियमित प्रवक्ताओं की नियुक्ति होने, जो भी पहले हो तक के लिये पुनः आमंत्रित किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे संविदा प्रवक्ता, जो कि संगत पद के लिए शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं, उनकी संविदा तुरन्त समाप्त कर दी जाए तथा उन्हें पुनः संविदा हेतु आमंत्रित न किया जाए। यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है, तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीया,

मनीषा पंवार,
सचिव।

संख्या : 68 /XXIV(6)/2011

प्रेषक:

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

2– आयुक्त,
गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल,
पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल ।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक : 14 नवम्बर, 2011

विषय : राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नये निजी विश्वविद्यालय को खोले जाने हेतु मा० उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रो० यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में पारित आदेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 15, मार्च, 2011, दिनांक 28,मार्च 2011,दिनांक 01,नवम्बर, 2011 एवं शुद्धि–पत्र दिनांक 02,नवम्बर 2011 को अतिक्रमित करते हुए उक्त प्रयोजन हेतु नई नीति दो चरणों में निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

निजी विश्वविद्यालय स्थापना की प्रक्रिया दो स्तरीय होगी –

प्रथम चरण – प्रथम चरण में निजी विश्वविद्यालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन कर 15 दिन के अन्दर संस्तुति प्रदान की जायेगी । उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर शासन द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर आशय पत्र (Letter of Intent-LOI) जारी करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

द्वितीय चरण – द्वितीय चरण में आशय पत्र की शर्तो के अनुरूप निर्धारित अवधि में प्रस्तावक द्वारा कार्यवाही उपरान्त राज्य सरकार को विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति हेतु आवेदन किया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा दो माह के भीतर प्रस्ताव का परीक्षण कर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा । विधेयक पारित होने के पश्चात् उसमें उल्लिखित् प्राविधान एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय संचालन, छात्र/छात्राओं का प्रवेश एवं पठन पाठन प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रथम चरण

1. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावक द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में ₹ दस लाख की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पक्ष में देय होगा, जिसे निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा। उक्त प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा ।

2. निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि वह निम्नांकित में से किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो :–

(1) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) या

(2) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–02 सन् 1882) या

(3) कम्पनी अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–01 सन् 1956) की धारा–25 के अधीन

3. प्रत्येक प्रस्तावक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि विश्वविद्यालय नियामक आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं, केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर पारित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों/रेगुलेशन्स् का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा ।

4. यदि प्रस्तावक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य उच्च शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे।

5– निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु भूमि के मानक निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :–

क0सं0	क्षेत्र	मानकानुसार निर्धारित भूमि	निर्मित क्षेत्र
1.	पर्वतीय क्षेत्र	7.5 एकड़ अधिकतम् तीन समीपवर्ती स्थानों (पाँच कि0मी0 के भीतर)	20,000 वर्गमीटर
2.	मैदानी क्षेत्र (जनपद देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर)	10 एकड़ एक साथ एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।	20,000 वर्गमीटर

वर्णित आवश्यक भूमि के साथ पाठ्यक्रमों हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के भूमि सम्बन्धी मानक, जो भी अधिक हो, उसका पालन किया जाना प्रस्तावक संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

6– प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक प्रस्तावकों को, अन्य शर्तें पूर्ण करने पर, 10 अंक का अधिमान दिया जायेगा।

(– निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (D.P.R.) में निम्नांकित विवरण सम्मिलित किया जायेगा :–

- संस्था के पंजीकृत होने का प्रमाण, संविधान एवं नियमावली ।
- प्रस्तावक संस्था के आय के स्रोत तथा विगत् तीन वर्षों की संपरीक्षित लेखा रिर्पोट (तीन वर्ष से कम अवधि में स्थापित संस्थायें उतने ही वर्षो की संपरीक्षित लेखा उपलब्ध करायेंगी, जितने वर्ष उसकी स्थापना के पश्चात् पूर्ण हुए हों (यदि कोई हो))
- प्रस्तावक संस्था की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संमैत्री
- प्रस्तावक संस्था का पूर्व में उच्च शिक्षण संस्थान संचालन की दशा में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव/दो बैच पास आउट होने का प्रमाण पत्र संबंधित संबद्धीकरण विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उत्तराखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता, महत्व, लाभ–परिस्थितिक विश्लेषण एवं राज्य के विकास में विश्वविद्यालय का प्रस्तावित योगदान दर्शाते हुए Feasibility Report
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय की संदृष्टि, ध्येय एवं उद्देश्य।
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय के मुख्यालय एवं मुख्य कैम्पस (Main Campus) का स्थान
- प्रस्तावक संस्था के प्रर्वतकों (Promoters) की **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रू0 30.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति** (net-worth) कम से कम तीन वर्षों का प्रमाण यथा–चार्टेड एकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट, Wealth Tax Return **(प्रर्वतक द्वारा संस्था की चल–अचल सम्पत्ति किसी भी उद्देश्य हेतु गिरवी नहीं रखी जायेगी।)** (इस आशय का शपथ–पत्र)।
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवम् वित्त के स्रोतों का विवरण। संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम् ₹ 20 करोड़ जमा होना आवश्यक होगा।
- विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरण, प्रत्येक पाठ्यक्रम का शुल्क ढांचा, संक्षिप्त पाठ्य सामग्री एवम् रोजगारपरकता का विवरण।
- प्रस्तावक संस्था द्वारा स्वंय के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों यदि कोई हो, के माध्यम से छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में की गयी कार्यवाही का विवरण ।
- विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित न्यूनतम एवं अधिकतम 10 एकड़ भूमि मैदानी क्षेत्र अथवा न्यूनतम एवं अधिकतम 7.5 एकड़ भूमि पर्वतीय क्षेत्र

में उपलब्ध कराने हेतु शपथ पत्र प्रारम्भ में दिया जायेगा। अधिनियम से पूर्व भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित् प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

- प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय की घोषणा कि उक्त संस्था एवम् उसके द्वारा संचालित किसी संस्था के विरूद्ध कभी भी कोई दण्डात्मक प्रकिया किसी भी न्यायालय में स्थापित नहीं की गयी तथा उक्त संस्था को केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा कभी काली सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया।

- प्रदेश के स्थायी निवासियों को विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान रखा जायेगा। प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे । यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती है तो राज्य सरकार की अनुमति से उक्त रिक्त सीटें अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकती हैं।

- निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों, जो प्रदेश के स्थायी निवासी हो, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे ।

- प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों हेतु योग्यता रखते हो, को इस श्रेणी के समस्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी। प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे ।

- निजी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्रवृत्त/समय–समय पर संशोधित आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- न्यूनतम ₹ 25.00 लाख की पुस्तकें क्रय करनी अनिवार्य होगी अथवा पाठ्यक्रम हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार जो भी अधिक हो। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

- प्रथम तीन वर्षों में न्यूनतम ₹ 75.00 लाख अथवा पाठ्यक्रम हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार जो भी अधिक हो, की धनराशि पत्रिकायें, कम्प्यूटर, नेटवर्किंग आदि मदों में व्यय किया जायेगा। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

- प्रथम वर्ष में न्यूनतम ₹ 30.00 लाख अथवा सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार, जो भी अधिक हो, के उपकरण, फर्नीचर आदि क्रय किया जायेगा। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- प्रत्येक विभाग/डिसिप्लिन में कम से कम एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर, तीन असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति शासन/सर्वोच्च नियामक निकाय व्दारा निर्धारित योग्यतानुसार पारदर्शी तरीके से की जायेगी तथा इनके हित में भविष्य निधि एवं अन्य कल्याणकारी कोषों की स्थापना की जानी अनिवार्य होगी। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

  राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित विधेयक में शुल्क, पाठ्यक्रम, सीट इन्टेक, निरीक्षण आदि प्राविधान किये जायेंगे । प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. निजी विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले प्रस्ताव/प्रस्तावों को पन्द्रह दिनों के अन्दर उच्च स्तरीय समिति के समक्ष मूल्यांकन कर प्रस्तुत करने हेतु निम्नांकित समिति गठित की जाती है :-

1. अपर सचिव,उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
2. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
3. निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी	–	सदस्य सचिव ।

निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा शासन से प्राप्त प्रस्तावों को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

9. राज्य में निजी-विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार कर संस्तुति तथा :इस क्षेत्र में नीति निर्धारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति निम्नवत् गठित की जाती हैं :-

(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(6) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य

(7) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

(8) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

(9) कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून — सदस्य

(10) दो विषय विशेषज्ञ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा — सदस्य

(11) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड — सदस्य

(12) निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल — सदस्य–सचिव

10. प्रत्येक प्रस्तावक के मूल्यांकन हेतु प्रारूप संलग्न किया गया है, जिसके दो खण्ड है :–

(1) निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन – प्रारूप पत्र–1, इन मदों की पूर्ति होने पर ही अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा ।

(2) प्रस्तावकों का अंकों के आधार पर मूल्यांकन – अंक प्रारूप पत्र–2

(3) किसी प्रस्ताव को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही Letter of Intent-LCI की संस्तुति की जायेगी ।

11. Letter of Intent-LOI में प्रमुख रूप से निम्न शर्तो का उल्लेख होगा :–

(1) भूमि का स्वामित्व मानकों के अनुरूप, भवन एवं अवस्थापना सृजन का प्रमाण ।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्था (जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा किया गया निरीक्षण एवं संस्तुति पत्र ।

(3) राज्य सरकार द्वारा सम्पादित निरीक्षण एवं मानकों के बाबत संस्तुति पत्र ।

(4) विश्वविद्यालय का शैक्षिक एवं प्रशासनिक ढॉचा ।

(5) विस्तृत परियोजना रिर्पोट के अनुसार सभी बिन्दुओं पर कार्यपूर्ति का शपथ पत्र ।

(6) यू0जी0सी0 अन्य नियामक संस्थाओं, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा पारित अधिनियम, नियम, रेगुलेशन्स् तथा शासनादेशों के अनुपालन की पुष्टि ।

द्वितीय चरण –

1– प्रस्तावक द्वारा Letter of Intent-LOI की शर्तो का पालन करते हुए अधिनियम एवं अध्यादेश के आलेख्य के साथ विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर संस्तुति की जायेगी । ऐसी संस्तुति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का विधेयक विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। (विधानसभा सत्र न होने की दशा में अध्यादेश) ।

2– प्रस्तावक के द्वारा द्वितीय चरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर उपरोक्त कार्यवाही दो माह के भीतर अंतिम निर्णय किया जाना अनिवार्य होगा ।

3— अध्यादेश/अधिनियम की अधिसूचना निर्गत किये जाने से पूर्व प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी द्वारा स्थायी विन्यास निधि जो राज्य सरकार के नाम प्लेंज्ड होगी, की राशि मैदानी क्षेत्र हेतु ₹ 05.00 करोड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु ₹ 02.00 करोड़ जो राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी के रूप में देय होगा, शासन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

4— स्थायी विन्यास निधि राजकीय कोष में जमा कराये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम/अध्यादेश अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की जायेगी । अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सकेगा।

5— प्रश्नगत् नीति से सम्बन्धित् कतिपय प्रारूप निर्धारित किये गये है, जिनका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :—

- निजी विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य आवश्यक मानक प्रारूप पत्र—1/भाग—1,
- उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन अंक पत्र प्रारूप—2/भाग—2
- उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन संकलित मूल्यांकन तालिका ।

6— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

उत्पल कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या: —— /XXIV(6)/2011 तद्दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वारेज मार्ग, नई दिल्ली—110021 ।
7. अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या:4/2/XXII/XXI/2011—सी0एस0 दिनांक 30,अक्टूबर 2011 के कम में सूचनार्थ ।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
9. समिति में नामित समस्त सदस्यगण।
10. कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।

11 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, ई0सी0 रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।

12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु

13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

डॉ0 निधि पाण्डेय
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या :1C 68 / xxiv(6) / 2011 दिनांक 14 नवम्बर 2011 का संलग्नक –
उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन

Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in Uttarakhand

निजी विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य आवश्यक मानक

प्रारूप पत्र–1 / भाग–1

संस्था का नाम–

निजी विश्वविद्यालय का नाम–

	मानक / बिन्दु	हाँ / नहीं	अभ्युक्ति
	प्रस्ताव / विस्तृत योजना रिपोर्ट (DPR) के साथ रू0 10.00 लाख प्रोसेसिंग जमा किया गया है		
	प्रस्ताव शिक्षण, शोध, परीक्षाओं तथा प्रसार सेवाओं के लिये समुचित सुविधाओं से युक्त **एकल विश्वविद्यालय** की स्थापना के लिये है।		
	निजी विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्दर स्थापित / संचालित होगा, प्रस्तावक द्वारा प्रथम चरण में मुख्य परिसर स्थापित करना प्रस्तावित **है** (यू. जी.सी. द्वारा 05 वर्ष के बाद दूसरा Campus/Centre स्थापित करने का प्राविधान है)।		
	प्रस्तावक / प्रायोजक निम्नांकित में से एक है : क: सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था / सोसायटी ख: भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1832 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट ग: कम्पनी अधिनियम 1956 में धारा–25 अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (प्रस्तावक संस्था / ट्रस्ट / कम्पनी की प्रमाणित पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण / नवीकरण की तिथि, नियमावली के आधार पर) (क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, शोध, बौद्धिक क्षमताओं के संवर्द्धन आदि विशेषज्ञता क्षेत्रों में योगदान / पहल करना संस्था के उद्देश्यों में वर्णित है)। यदि प्रर्वतक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के आवश्यक कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य उच्च शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे। परन्तु इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि ये सदस्य तीन से अधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यकारी सदस्य नहीं हैं।		
	प्रस्ताव द्वारा UGC (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 में वर्णित प्राविधानों / मानकों व प्रक्रिया का अनुपालन करने प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है (शपथ–पत्र संलग्न)।		
	प्रस्तावक ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित नीति में आरक्षण नीति का अनुपालन, स्थायी निवासियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण, शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट एवं समूह ग व घ के सभी पदों पर नियुक्ति व अन्य दिशा–निर्देशों के अनुपालन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है (शपथ–पत्र संलग्न)।		
	भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों,उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं द्वारा प्रायोजक / प्रस्तावक या संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को प्रतिबन्धित नहीं किया गया (शपथ–पत्र संलग्न)।		
	प्रायोजक / प्रस्तावक, संस्था या इसके किन्ही सदस्यों अथवा संचालित संस्थाओं के विरूद्ध न्यायालय में कोई अपराधिक वाद विचाराधीन नहीं है या दण्ड दिया गया है (शपथ–पत्र संलग्न)।		

9	संस्था के प्रस्तावकों/संस्था के प्रवर्तकों/प्रायोजक संस्था (जिसमें कम्पनी, ट्रस्ट, सोसायटी/संस्था के सदस्यों की व्यक्तिगत् की net-worth) सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रू0 30.00 करोड़ न्यूनतम् शुद्ध सम्पत्ति (net-worth)कम से कम तीन वर्षो का प्रमाण यथा–चार्टेड एकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट, Wealth Tax Return आदि प्रस्ताव के साथ पृथक से प्रस्तुत करना होगा। **(प्रवर्तक द्वारा संस्था की चल–अचल सम्पत्ति किसी भी उद्देश्य हेतु गिरवी नहीं रखी जायेगी।)** (शपथ–पत्र संलग्न)।		
10	प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्राविधान एवम् वित के स्रोतों का विवरण। प्रस्तावक संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम धनराशि 20 करोड़ रूपये जमा होना आवश्यक होगा।		
11	प्रवर्तक संस्था का पूर्व में उच्च शिक्षण संस्थान संचालन का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव/दो बैच पास आउट होने का प्रमाण पत्र संबंधित संबद्धीकरण विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।यदि प्रवर्तक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के आवश्यक कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे परन्तु इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि ये सदस्य तीन से अधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यकारी सदस्य नहीं हैं।		
12	प्रस्तावक को न्यूनतम 05 विभागों/विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रस्ताव करना होगा, इससे कम वाले प्रस्तावों को विश्वविद्यालय स्थापना की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।		
13	प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ए0आई0सी0टी0ई0 अथवा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण किया जाना एवं अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निजी विश्वविद्यालयों की कोई भी शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम् एवं विनियम के प्राविधानों से असंगत नहीं होगी। **प्रस्तावित विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक रूप से राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा** (सहमति पत्र प्रस्तुत है, जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा)।		
14	प्रत्येक प्रस्तावक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि विश्वविद्यालय नियामक आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं, केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर पारित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों/रेगुलेशन्स् का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा । (शपथ–पत्र संलग्न)		

संस्तुति :

(1) प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है ।

(2) प्रस्ताव स्वीकार किये जाने हेतु संस्तुति :– प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण किया गया है। अतः भाग–2 के मूल्यांकन हेतु पात्र है।

डॉ0 निधि पाण्डेय
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या : Ic. 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 15 नवम्बर, 2011 का संलग्नक –

उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन

Evvaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in Uttarakhand

अंक पत्र प्रारूप–2/भाग–2

क. सं.	मानक/बिन्दु		निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	**प्रस्तावक की प्रतिष्ठा, अनुभव व छवि (अधिकतम निर्धारित अंक–25)**			
	प्रस्तावक संस्था में न्यूनतम 60 प्रतिशत कार्यकारी सदस्य ख्याति प्राप्त शिक्षक, शिक्षक प्रशासक, उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी एवं बुद्धिजीवी सदस्य हैं।	60–75 प्रतिशत	05	
		76–90 प्रतिशत	07	
	प्रस्तावक द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों का अनुभव–विश्वविद्यालय संचालन अनुभव	05 से 10 वर्ष	06	
		10 वर्ष से अधिक 15 वर्ष से कम	10	
	अथवा	15 वर्ष से अधिक	12	
	प्रस्तावक द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों का अनुभव–महाविद्यालय/संस्थान संचालन अनुभव	06 से 10 वर्ष	03	
		10 वर्ष से अधिक 15 वर्ष से कम	06	
		15 वर्ष से अधिक	08	
	प्रस्तावक द्वारा पूर्व से संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर NAAC, NBA से रैंकिंग/ग्रेडिंग प्राप्त है।	A	06	
		B	04	
		C	02	
	शैक्षणिक सहयोग समझौता (अधिकतम निर्धारित अंक–05) –			
	उच्च शिक्षा/मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संवर्द्धन–शोध व विकास के क्षेत्र में प्रत्यानित ग्रेड प्राप्त संस्थाओं से शोध, पाठ्यक्रम, शिक्षक व विद्यार्थी अदला–बदली आशय का समझौता (MoU/Tie-up) है। समझौता (MoU/Tie-up) ऐसे विश्वविद्यालय से किया जायेगा, जो शासकीय मान्यता प्राप्त प्रत्यानित करने वाली संस्था द्वारा प्रत्यानित/ग्रेड किया गया हो।	प्रदेश स्तर पर	02	
		राष्ट्रीय स्तर पर	04	
		अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर	05	
	विश्वविद्यालय का मुख्यालय (मुख्य परिसर) पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित होने पर अधिमान (अधिकतम निर्धारित अंक–10)		10	
	विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था (अधिकतम निर्धारित अंक–30)			
	प्रस्तावक संस्था के प्रवर्तक/प्रायोजक की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रू0 30.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति(net-worth)कम से कम तीन वर्षों का	30.01 से 50 करोड़	05	

	प्रमाण। (संपरीक्षित लेखा रिपोर्ट, बैलेंस शीट तथा Wealth Tax Return आदि)	50.01 से 75 करोड़	10
		75 करोड़ से अधिक	14
	प्रस्तावित विश्वविद्यालय की समस्त चरणों की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवम् वित के स्रोतों का विवरण। न्यूनतम रू0 20 करोड़ संस्था के बैंक खाते में जमा होना अनिवार्य है।	20 से 40 करोड़	08
		40.01–50 करोड़	12
		50 करोड़ से अधिक	16
5	**विश्वविद्यालय की स्थापना व विकास के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होने वाले प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर हेतु औद्योगिक संस्थानों से समझौतों (MoU/Tie-up) की स्थिति।(अधिकतम निर्धारित अंक–05)**		
	प्रशिक्षण व रोजगार दिलाने के क्षेत्र में तथा उद्योग प्रायोजित पाठ्यक्रमों हेतु न्यूनतम रू0 100 करोड़ वार्षिक टर्नओवर वाले औद्योगिक संस्थानों से समझौता (MoU/Tie-up) है।		05
6	**विश्वविद्यालय की राज्य के विशेष हितों के संरक्षण हेतु व्यक्त प्रतिबद्धता (अधिकतम निर्धारित अंक–10)**		
	प्रस्तावक ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित नीति में आरक्षण नीति, स्थायी निवासियों का पाठ्यक्रम में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण तथा शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट। (शपथ पत्र प्रस्तुत है, जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा। इन सभी मदों में न्यूनतम आरक्षण/छूट देने पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे ।)	26 से 30 प्रतिशत	04
		30 प्रतिशत से अधिक एवं 40 प्रतिशत तक	06
		40 प्रतिशत से अधिक 50 प्रतिशत तक	10
7	**प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, उपाधियों की राज्य की विशेष आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिकता व उपयोगिता (अधिकतम निर्धारित अंक–20)**		
	प्रस्तावक द्वारा परास्नातक स्तर पर न्यूनतम 05 विभागों/विषयों में पाठ्यकम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। (जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा)	06–07विभागों/विषयों तक	04
		08–09विभागों/विषयों तक	06
		10 या अधिक विभागों/विषयों में	08
	व्यवसायिक पाठ्यकमों को अधिमान (जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा)	02 पाठ्यकम	05
		03 पाठ्यकम	07
		04 या अधिक पाठ्यकम	12

डॉ0 निधि पाण्डेय
अपर सचिव।

॥सनादेश संख्या : 1९ 68 / xxiv(6) / 2011 दिनांक 15 नवम्बर, 2011 का संलग्नक –

उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन

Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in Uttarakhand

संकलित मूल्यांकन तालिका

ंस्था का नाम–

नेजी विश्वविद्यालय का नाम–

मानक / बिन्दु	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
प्रस्तावक की प्रतिष्ठा, अनुभव व छवि	25	
शैक्षणिक सहयोग समझौता	05	
मुख्य परिसर पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित होने पर अधिमान	10	
विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था	30	
विश्वविद्यालय की स्थापना व विकास के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होने वाले प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर हेतु औद्योगिक संस्थानों से समझौतों (MoU/Tie-up) की स्थिति।	05	
विश्वविद्यालय की स्थापना में राज्य के विशेष हितों के संरक्षण हेतु व्यक्त प्रतिबद्धता	10	
प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, उपाधियों की राज्य की विशेष आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिकता व उपयोगिता	20	
योग	105	

यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले प्रस्ताव को ही निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु सैद्धांतिक ाहमति पत्र (LoI) जो अधिकतम तीन वर्षों के लिये मान्य तथा इसके पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगा, ाज्य सरकार द्वारा जारी की जायेगी।

ामिति का निर्णय–

डॉ0 निधि पाण्डेय
अपर सचिव।

संख्या:— ८७६ / XVII-3/2011-09(17)/2004

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

(v) अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि० (उपनल), देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग—3 देहरादून दिनांक 18 नवम्बर 2011

विषय:—उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के नियत वेतन का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड एक सैनिक बाहुल्य राज्य है, जहाँ प्रतिवर्ष बडी संख्या में सैनिक सेवानिवृत हो रहे हैं, जिनका पुनर्वासन एवं कल्याण केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए चुनौती है। इसके लिए जहाँ निदेशालय, सैनिक कल्याण के माध्यम से विविध कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) अपनी स्थापना (वर्ष 2004) अवधि काल से ही पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को संविदा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर पुनर्वासन का कार्य करता रहा है।

> शा०सं०—158/XVII(1)-09(11)/2004
> दिनांक 04 अगस्त, 2004
> शा०सं०—900/XVII(1)-03/2005-09(102)/05
> दिनांक 24 मई, 2005
> शा०सं०—209/पी०एस०—स०सै०क०/2006
> दिनांक 03 मार्च, 2006
> शा०सं०—77/XVII-3/11-09(17)/2004
> दिनांक 23 फरवरी, 2011

उपनल यद्यपि राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है तथापि राज्य सरकार इसके संचालन व्यय में सहायता प्रदान नहीं करती बल्कि उपनल द्वारा स्वयं अपना संचालन व्यय वहन किया जाता है। उपनल का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराना है। चूंकि उपनल राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग ऐजेंसी के रूप में भी कार्यरत है, इसलिए उपनल को मुख्य नियोक्ता (Principal Employer) की आवश्यकताओं/माँग को ध्यान में रखते हुए संविदा कर्मी उपलब्ध कराना पड़ता है। इसी क्रम में उपनल एस०एस०बी० गुरिल्लाओं को भी उनकी योग्यतानुसार तथा नियोक्ता विभाग की आवश्यकता एवं संतुष्टि के परिप्रेक्ष्य में संविदा पर सेवायोजित करने का प्रयास भी कर रहा है।

2. उपर्युक्त पार्श्वांकित शासनादेशों के क्रम में संलग्न परिशिष्ट—क में उल्लिखित विवरण के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के भीतर तथा राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थानों/निगमों आदि (उपनल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों को इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन दिनांक 01 नवम्बर, 2011 से पुनरीक्षित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है कि ये दरें संविदा सेवा पर कार्यरत कार्मिकों को प्रदत्त न्यूनतम दरें हैं अर्थात् यदि नियोक्ता विभाग (Principal Employer) अपने विभाग में सृजित पद के अनुरूप उच्चतर वेतनमान/मानदेय प्रदान करे अथवा उच्च दरों पर भुगतान करे, तो नियोक्ता विभाग ऐसा कर सकते है।

3. पार्श्वांकित शासनादेशों के आधार पर विभिन्न विभागों में रिक्त विभागीय पदों तथा विभागीय ढाँचे में चिन्हित आउटसोर्सिंग पदों हेतु संविदा पर सुरक्षा/तकनीकी/विविध सेवाओं के लिए उपनल के माध्यम से कार्मिक प्रदान करने की व्यवस्था संचालित है। संविदा पर नियुक्ति के समय पूर्व सैनिक/वीर नारियाँ/उनके आश्रितों तथा सेवारत सैनिकों की धर्मपत्नी को वरीयता प्रदान की जाती है। लेकिन विकलांग पूर्व सैनिक तथा पूर्व सैनिक के विकलांग आश्रितों का सेवायोजन सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्रदान किया जाता है।

4. मुख्य नियोक्ता विभाग (Principal Employer) बिना टी.डी.एस. कटौती के, उपनल को पूर्ण राशि का भुगतान करेंगे। उपनल अग्रिम आय कर जमा कराने एवं अन्य सभी प्रकार के अनिवार्य शुल्क (Statutory dues) जमा करने के लिये पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

5. उपनल को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों से छूट प्रदान की गयी है अर्थात् उपनल से संविदा पर कार्मिक प्राप्त करते समय निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात् नियोक्ता विभाग अपनी आवश्यकतानुसार उपनल से सीधे संविदा पर कार्मिक प्राप्त कर सकते हैं।

6. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिये ही निर्धारित की जा रही है। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों की उपक्रमों हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होंगी।

7. उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार/जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, किन्तु कार्यालय अवकाश के समय भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

8. सर्विस टैक्स की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किए उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

9. उपनल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यरत विभाग के समतुल्य पद के देय होगा। इस पर किसी प्रकार का सर्विस चार्ज/सर्विस टैक्स देय न होगा।

10. यह आदेश पूर्व में जारी शा0स0–19/XVII(1)-03/07–102(सै.क.)/2002, दिन जनवरी 2007, शा0स0–392/XVII(2)/2008–09(17)/2004 दिनांक 03 जुलाई शा0स0–220/XVII-3/10–09(17)/2004 दिनांक 24 मई 2010 को अतिक्रमित भी कर

11. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:–43(NP)/XXVII(3)/2011–12 15 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या:– ५१६/XVII-3/11–09(17)04 तद्दिनांक
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

सी0एम0एस0 बिष्ट
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या:– ८१६/XVII-3/2011–09(17)/2004,
दिनांक 1८ नवम्बर, 2011 का परिशिष्ट 'क'

(पैरा 2 के सन्दर्भ में)

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के नियत वेतन का पुनरीक्षण

क्र0सं0	विवरण	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	उच्चकुशल
1	वैसिक वेतन डी0ए0 सहित	4850	5770	6530	7400
2	ग्रेच्यूटी क्र0 1 का 4.81%	233	278	314	356
3	मकान भत्ता क्र0 1 का 10%	485	577	653	740
4	बोनस ₹ 3500 का 8.33%	292	292	292	292
5	कपड़ा भत्ता क्र0 1 का 10%	485	577	653	740
6	वेतन (क्र0 1 से 5 तक)	6345	7493	8442	9528
7	ई0एस0आई0 क्र0 1 का 4.75% (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	230	274	310	352
8	ई0पी0एफ0 क्र0 1 का 13.61% (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	660	785	0	0
9	कुल योग (क्र0सं0 6+7+8)	7235	8552	8752	9880
10	कटौती (ई0एस0आई0 क्र0 7)	230	274	310	352
11	कटौती (ई0पी0एफ0 क्र0 8)	660	785	0	0
12	कटौती (ई0पी0एफ0), कर्मचारी अंश–क्र0 1 का 12%	582	692	0	0
13	कटौती (ई0एस0आई0) कर्मचारी अंश–क्र0 1 का 1.75%	85	101	114	130
14	कुल कटौतियाँ (क्र0 10+11+12+13)	1557	1852	424	482
15	शुद्ध देय (क्र0 9–14)	5678	6700	8328	9398
16	अवकाश राहत (क्र0 9 का 28.98%)	2097	2479	2536	2863
17	सर्विस चार्ज (क्र0 9 का 2.5%)	181	214	219	247
18	कुल (क्र0 9+17)	7416	8766	8971	10127
19	सर्विस टैक्स (क्र0 18 का 10.3%)	764	903	924	1043
20	मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय धनराशि (18+19)	8180	9670	9895	11170
21	मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय धनराशि (20+16) अवकाश राहत सहित	10277	12149	12431	14034

<u>पदों का वर्गीकरण</u>

(क) अकुशल– चौकीदार, बेयरर, मसालची, परिचर, अनुसेवक, हाउसकीपर, सफाई कर्मचारी, बेलदार, वार्डब्वाय, वार्ड आया, टेलीफोन अर्दली, माली, चतुर्थ श्रेणी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) अर्द्धकुशल– मीटर रीडर, वैल्डर, मिस्त्री, कुक, नर्सिंग असिस्टेन्ट, लैब टैक्नीशियन, सुरक्षा गार्ड, आबकारी सिपाही, निरीक्षक, स्टोर कीपर, गेज रीडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, स्वागती और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ग) कुशल— लाईब्रेरियन, सहायक लेखाकार, रोकड़िया, लिपिक, अनुदेशक, #वाहन चालक, सुपरवाइजर, सर्वेक्षक, ड्राफ्टमैन, लेखाकार, फार्मासिस्ट, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, आई०टी०आई० प्रशिक्षित और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

#जिन विभागों/कार्यालय में अनुसेवक का पद सृजित/स्वीकृत एवं रिक्त हो तथा वाहन चालक से अनुसेवक का अतिरिक्त कार्य भी लिया जा रहा हो, उन विभागों में वित्तीय मितव्ययता के दृष्टिगत वाहन चालकों को रुपये 1000 अतिरिक्त मानदेय दिया जा सकता है।

(घ) उच्च कुशल—कनिष्ठ अभियन्ता, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक सुरक्षा अधिकारी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ङ) अधिकारी वर्ग—प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी इत्यादि को निम्नलिखित वेतनमान देय होंगे :—

	संकलित वेतन	सर्विस चार्ज 2.5 %	योग	सर्विस टैक्स 10.3%	उपनल को देय कुल धन राशि
	24500:00	612.50	25112.50	2650.00	27762.50

सी० एम० एस० बिष्ट
अपर सचिव

संख्या : 68/XXIV(6)/2011

प्रेषक:

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

2– आयुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल,
पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल ।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011

विषय : राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्याःटी0सी0 : 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 14,नवम्बर 2011 द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के संगत अंशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1– शासनादेश दिनांकः 14.11.2011 के प्रस्तर–7 के बिन्दु–8 एवं प्रारूप पत्र–1/भाग–1 के बिन्दु संख्या–9 पर उल्लिखित "प्रर्वतक द्वारा संस्था की चल–अचल सम्पति किसी भी उद्देश्य से गिरवी नही रखी जायेगी" को विलोपित किया जाता है।

एवं

2– शासनादेश दिनांकः 14.11.2011 में निम्नलिखित को प्रस्तर–12 के रूप में समावेशित किया जाता है :

'किसी भी विषय में राज्य सरकार के नियम/अधिनियम/विनियम एवं शासनादेशों के माध्यम से दी गई व्यवस्था उसी विषय में किसी अन्य व्यवस्था के रहते हुये भी बाध्यकारी प्रभाव रखेगा'।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

उत्पल कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या : 68 /XXIV(6)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वारेज मार्ग, नई दिल्ली–110021 ।
7. अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या:4/2/XXII/XXI/2011–सी0एस0 दिनांक 30,अक्टूबर 2011 के कम में सूचनार्थ ।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
9. समिति में नामित समस्त सदस्यगण।
10. कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, ई0सी0 रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित वो उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ0 निधि पाण्डेय
अपर सचिव।

संख्या : —/XXIV(6)/2012

प्रेषक:

विनीता कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

2– आयुक्त,
गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल,
पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल ।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांक: 18 मई, 2012

विषय : **राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 14,नवम्बर–2011 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या:टी0सी0 : 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 14,नवम्बर 2011 एवं संशोधित् शासनादेश संख्या : 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 13,दिसम्बर–2011 द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 141,नवम्बर–2011 के संगत अंशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1– शासनादेश दिनांक: 14.11.2011 के प्रस्तर–1 में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की व्यवस्था विद्यमान है, के साथ निम्नवत् जोड़ा जाता है :–

ऐसी संस्थायें जो पूर्व से ही स्थापित हैं और प्रथम चरण की सभी शर्ते पहले से ही पूरी करती हों उन्हें सीधे द्वितीय चरण में परीक्षण हेतु विचार किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाएगा । ऐसे मामलों में परीक्षण हेतु यथाआवश्यकता अलग से प्रोफोर्मा विकसित किये जायेंगे।

2– वर्तमान नीति शासनादेश दिनांक: 14.11.2011 के साथ प्रारूप पत्र–1/भाग–1 के बिन्दु संख्या–13 को विलोपित किया जाता है।

3– निजी विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय कैम्पस् अन्य राज्यों की भाँति पाँच वर्ष से पूर्व स्थापित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर सम्यक् प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री जी को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

4– वर्तमान नीति शासनादेश दिनांक 14.11.2011 के प्रथम चरण के प्रस्तर–7 के बिन्दु संख्या--14 के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाता है :–.

उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की यदि कुछ सीटें रिक्त रहती हैं तो राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में एक Cut-off Date निश्चित की जायेगी। उस तिथि तक यदि उत्तराखण्ड के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा ।

5– स्थापित होने वाले निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विस्तार से SELF DISCLOSURE करना होगा, ताकि अभिभावक तथा छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके । इस सम्बन्ध में प्रकट की जाने वाली सूचनाओं एवं विवरणों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा और उसमें समय–समय पर यथाआवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित् समझा जाय तथा शासनादेश की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगें।

भवदीया,

विनीता कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या : 68 /XXIV(6)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वारेज मार्ग, नई दिल्ली–110021 ।
7. अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्याः 4/2/IV/XXI/200–सी0एस0 दिनांक 17 मई 2012 के कम में सूचनार्थ ।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
9. समिति में नामित समस्त सदस्यगण।
10. कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, ई0सी0 रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ0 निधि पाण्डेय
अपर सचिव।

संख्या : 68/XXIV(6)/2012

प्रेषक,

विनीता कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

2–आयुक्त,
गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल,
पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल ।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांक: 28 मई, 2012

विषय : राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप प्रपत्रों का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या:टी0सी0 : 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 14,नवम्बर 2011 एवं संशोधित शासनादेश संख्या : 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 13, दिसम्बर-2011 एवं शासनादेश संख्या : 68/xxiv(6)/2012 दिनांक 18,मई–2012 द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।

उक्त शासनादेश दिनांक 18,मई 2012 के बिन्दु संख्या–01 एवं 05 में उल्लिखित प्रारूपों का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

(अ) ऐसी संस्थायें जो पूर्व से संचालित हैं, और प्रथम चरण की सभी शर्ते पहले से ही पूर्ण करती हों, के लिए द्वितीय चरण में परीक्षण हेतु प्रारूप (PROFORMA) (संलग्न परिशिष्ट–1)

(ब) SELF DISCLOSURE FORMAT (संलग्न परिशिष्ट–2)

उक्त के अतिरिक्त शपथ पत्र का हिन्दी व अंग्रेजी में भी संलग्न परिशिष्ट–3 के अनुसार आलेख तैयार किया गया है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया

विनीता कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या : — /XXIV(6)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वारेज मार्ग, नई दिल्ली–110021 ।
7. अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्याः 4/2/IV/XXI/200–सी0एस0 दिनांक 17,मई 2012 के कम में सूचनार्थ ।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
9. समिति में नामित समस्त सदस्यगण।
10. कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, ई0सी0 रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ0 निधि पाण्डेय
अपर सचिव।

परिशिष्ट–1

ऐसी संस्थायें जो पूर्व से संचालित हैं, और प्रथम चरण की सभी शर्तें पहले से ही पूर्ण करती हों, के लिये द्वितीय चरण में परीक्षण हेतु प्रारूप (PROFORMA)

संस्था का नाम –

निजी विश्वविद्यालय का नाम –

क्र०सं०	विषय
	पाठ्यक्रमों का विवरण: (अ) संचालित पाठ्यक्रम: प्रस्तावक संस्था द्वारा वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों की नियामक संस्थाओं द्वारा मान्यता एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता का सप्रमाण विवरण। • पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता (Intake) • मानकानुसार/शिक्षणकक्ष/प्रयोगशाला की संख्या। • **कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की उपलब्धता:** (1) नियामक संस्था के मानकानुसार। (2) वर्तमान में उपलब्धता। **(ब) प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सूची:** • पाठ्यक्रमों का विवरण। • नये पाठ्यक्रम हेतु भवन (शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी) की स्थिति । • शिक्षण कक्षों के आधार पर पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रस्तावित प्रवेश क्षमता ।
	भूमि का विवरण: • मानकानुसार आवश्यक भूमि प्रस्तावक संस्था के नाम होने एवं भूमि एक ही स्थान पर सटी होने के सम्बन्ध में प्रमाण। "विश्वविद्यालय हेतु प्रस्तावित भूमि किसी विवाद अथवा मुकदमें में नही है तथा विश्वविद्यालय के प्रबन्धन/संस्थान में कोई विवाद नही है"। • संचालित पाठ्यक्रमों हेतु भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति का प्रमाण पत्र, प्रस्तावक संस्था की भूमि की एन०ई०सी० (Non Encumberance Certificate) की स्थिति।
	शैक्षणिक भवनों का विवरण: • विषय/विभागवार भवन के सम्बन्ध में मानकानुसार आवश्यक निर्मित क्षेत्र व उसके सापेक्ष संस्थान में उपलब्ध निर्मित क्षेत्र। भवन के मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत हों।

	भवनों में सुरक्षात्मक उपाय: • विद्युत सुरक्षा/फायर सेफ्टी/भूकम्परोधी/Water Harvesting की स्थिते तथा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र।
4.	**पुस्तकालय, प्रशासनिक व अन्य भवनों के सम्बन्ध में विवरण:** पुस्तकालय, वाचनालय, प्रशासनिक भवन, इन्डोर गेम व कैन्टीन आदि के लिये मानकानुसार आवश्यक निर्मित क्षेत्र व उसके सापेक्ष निर्मित क्षेत्र का विवरण।
5.	**कार्यरत, शैक्षणिक स्टाफ के सम्बन्ध में विवरण:** पाठ्यक्रम/विभागवार कार्यरत शिक्षकों की मानकानुसार संस्था तथा उसके सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों की संख्या नाम व योग्यता।
6.	**कार्यरत, समूह 'ग' व 'घ' कार्मिकों के सम्बन्ध में विवरण:** प्रस्ताव द्वारा जिन संस्थाओं के निजी विश्वविद्यालय में उच्चीकरण हेतु प्रस्ताव दिया गया है, उनके सम्बन्ध में यह शपथपत्र दिया जाना होगा कि उनमे समूह-'ग' व 'घ' कार्मिकों की नियुक्ति उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों में से सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्मिकों की नियुक्ति में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7.	**छात्रावासों के सम्बन्ध में विवरण:** छात्रावासों हेतु मानकानुसार आवश्यक निर्मित क्षेत्र व उसके सापेक्ष उपलब्ध निर्मित क्षेत्र का विवरण।
8.	**कीडा स्थल:** कीडा प्रांगण का मानकानुसार क्षेत्रफल व उसके सापेक्ष उपलब्ध क्षेत्रफल।
9.	**पुस्तकों, शोध प्रकाशन एवं जर्नल का विवरण:** विषय/विभागवार उपलब्ध पुस्तको की संख्या एवं क्रय मूल्य।
10.	**प्रयोगशाला उपकरण:** प्रयोगशाला उपकरणों में विषयों और विभागो व प्रयोगशाला उपकरणों की उपलब्धता (मानक तथा वास्तविक)। विभागवार प्रयोगशाला उपकरणों का कय मूल्य।
11.	**फर्नीचर:** फर्नीचर का कय मूल्य।
12.	**पत्रिकाओं एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग:** पत्रिकाओं एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग में व्यय का विवरण।
13.	**अन्य आवश्यक सुविधायें :-** • स्टॉफ क्वाटर, कन्फैक्शनरी, ग्रोसरी, बुक स्टोर (पुस्तकें एवं स्टेशनरी हेतु) मेडिकल स्टोर, आदि। • बैंक एक्सटेंशन काउन्टर, आडिटोरियम, पोस्ट औफिस काउन्टर। • Disaster management system.

परिशिष्ट-2

SELF DISCLOSURE FORMAT

A. PRELIMINARY DETAILS

(i) Date of updation of website

(ii) Name and complete Address of Private University.

(iii) Details of State Govt, Act establishing the university (Complete Scanned Act through hyper link).

(iv) Details of UGC's Recognition (Scanned letter of Recognition through hyper link)

(v) Name & Address of Sponsoring Body.

(vi) Name & Address of members of Governing Body of the Sponsoring Body with their brief profile.

B. AUTHORITIES OF THE UNIVERSITIES

(i) Board of Governors/Governing Body of University.

(ii) Complete Organizational structure of the authorities of the university with name, designation, address, email, telephone no etc.

(iii) Details of Board of Studies/RDC/Examination committee etc.

C. DETAILS OF COURSES

(i) Complete details of all courses run in the different departments during last 3 yrs. in the following format :-

S.No.	Name of Deptt	Course	Level	Running Since	Intake/ Sanctioned strength	Actual Admission	Recognition letter No of APEX Body (If any)
							Letter No. with hyper link for scanned copy

(ii) Syllabi of all courses separately.

ADMISSION PROCEDURE

(i) Course wise seat matrix showing distribution of all general and reserved seats.

(ii) Admission procedure.

- Eligibility for Admission to different courses

- Basis of Admission - Entrance test of the University/ Entrance test conducted by other bodies eg. IIT JEE/AIEEE/ CAT/MAT etc/Group discussion and Interview etc.

(iii) Final list of students admitted to the approved programmes after finalizing admission including name,% of marks in qualifying examination, score in written test and Group discussion, interview with relative weightage.

E. FEE STRUCTURE

Complete details of Fee structure including everything.

F. FACULTY MEMBERS

Department wise brief profiles of all faculty members with photographs.

G. PLACEMENT RECORDS/STATISTICS

(i) Names of Recruiters.

(ii) Last five year's course wise and company wise placement details of the students.

H. TRAINING ARRANGEMENTS

Course wise details of organizations with which the university has MOUs/Tie Ups for compulsory training/apprenticship of the courses.

I. ACADEMIC TIE UPs/MOUs

(i) National (With complete scanned MOU with hyper link)

(ii) International (With complete scanned MOU with hyper link)

J. NATIONAL/INTERNATIONAL ACCREDITATIONS

Details of National/International Accreditations whenever applicable

K. INFRASTRUCTURAL FACILITIES

(i) **Academic Blocks**

(a) Department wise covered Area (Norm vis-a-vis actual).

(b) Departmentwise No of Lecture Rooms.

(c) No of Laboratories/Workshops (Norm vis-a-vis actual).

(d) I.C.T. Facilities.

(e) Girls common room.

(ii) **Hospital and OPD (For medical courses only)**

Complete details of Doctors, no of beds, operation theatres and Pathological labs etc.

(ii) **Library and Reading Room**

- (a) Covered Area (Norm vis-a-vis actual).
- (b) Course wise no of Books (Norm vis-a-vis actual).
- (c) No of Journal/Magazines - Department wise
- (d) Reading Room (With sitting capacity).
- (e) Digitalization of Library/e-library.

(iii) **Administrative Block**

Details of offices of different authorities/functionaries.

(iv) **Auditorium**

Dimension and seating capacity.

(v) **Hostel**

- (a) Girls (With intake capacity).
- (b) Boys (With intake capacity).

(vi) **Games/Gymnasium Facilities**

- (a) Indoor Games.
- (b) Play Ground with dimension.
- (c) Gymnasium.

(vii) **Medical Facilities**

- (a) Health Centre.
- (b) Availability of Doctors.
- (c) Availability of Ambulance

(viii) **GUEST HOUSE AND RESIDENTIAL ACCOMMODATION (With All Details)**

Procedure for evaluation/assessment and Schedule of examination

- (i) Sessional work
- (ii) Assignment.
- (iii) Presentation.
- (iv) Project work.
- (v) Main Examination.
- (vi) Schedule and division of marks of the above.

M. **ANTI RAGGING MEASURES**

Details of members of Anti Ragging cells with their complete contact detáils.

N. **GRIEVANCE REDRESSAL CELL**

Details of members.

O. **PREVENTION OF WOMEN SEXUAL HARASSMENT COMMITTEE**

Details of members.

P. **CO-CURRICULAR ACTIVITIES.**

Q. **ANNUAL REPORT** (through hyper link)

R- **AUDITED BALANCE SHEET AND ACCOUNTS** (through hyper link)

परिशिष्ट–3

शपथ पत्र

नाम————————————पुत्रश्री..——————————आयु——————
पता——————————मैं/हम ——————————शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ।
:—

1. यह कि मैं/हम (संस्था का नाम) के सदस्य हैं, और संस्था के सचिव के रूप में मैं/हम निजी विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय का नाम) का प्रस्ताव करते है।

2. यह कि मैं/हम द्वारा द्वितीय चरण के निर्धारित प्रारूप एवं Self Disclosure format को भर दिया है। इन प्रारूपों में दी गयी समस्त सूचनायें वास्तविक तथ्यों पर आधारित है।

3. यह कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यलय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं मानकों के अनुरक्षण) विनियम में प्रख्यापित प्राविधान, मानक एवं प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4. यह कि प्रस्तावित शैक्षिक पाठ्यकमों हेतु सम्बन्धित् नियामक संस्था से अनुमोदन/मान्यता प्राप्त कर ली गयी है/प्रथम बैच के पाठ्यकम के पूर्ण होने से पूर्व सम्बन्धित् नियामक संस्था से अनुमोदन/मान्यता प्राप्त कर ली जायेगी । (जो भी अनुमन्य हो)

5. यह कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यकम प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।

6. यह कि शपथ पत्र के उक्त कमांक–1 से 5 में दी गयी समस्त सूचनायें मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना गलत, असत्य एवं आधारहीन पायी जाती है, तो मैं/हम पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तत्सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा उसकी सक्षम प्राधिकारी कड़ी कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने स्वविवेक से निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम होगी ।

( )
वादी ।

सत्यापन

यह कि मैं/हम (संस्था का नाम) यह घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र में दी गयी सभी जानकारियाँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं । मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

सत्यापित ——————

दिनांक ——————

(परिशिष्ट–3)

AFFIDAVIT

Affidavit of-----------S/O------------------aged------------Add--------- I/We -------------------------deponent mentioned above do solemnly affirm on oath and state as under.

1- That I/We am/are members presidential body and secretary of the Promoter of the proposed--------------------------
2- That I/We have filled Second Phase Entry Proforma and Self Disclosure format solely based on facts and reality.
3- That the proposed University will abide by the Provisions, norms and procedures as elucidated in the latest UGC (Establishment and maintenance of standards in private universities) Regulations.
4- That the approval recognition of concerned regulatory bodies have been obtained for all the courses proposed to be conducted/the approval will be obtained before the first batch completes the course" (Whichever is applicable)
5- The proposed university will obtain the approval of the State Government before starting Admission to the courses of study.
6- That the facts and information stated in the affidavit from para 1 to 5 above are true and correct to the best of my knowledge and belief. Nothing material has been concealed therefrom. If any information/facts found wrong/untrue, baseless and misleading the facts. I/We shall be responsible to bear hard consequences as decided by the concerned authority/State Government at their discretion thereof.

( )
Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the facts stated in the above affidavit are true to my knowledge. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at-----------on this date---------

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14294
Date : 19-6-2013
Documentation Centre

NUEPA DC
D14294

पी०एस०यू० (आर०ई०) 02 शिक्षा/136–23–6–2012–300 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।